इस्लाम और वायरस

डा. ज़ईम अशरफ
(नागपुर, महाराष्ट्र)

Hindi Translation of "unIslamic Virus in Islam"

लै सल बिर्रा अनतवल्व वजूहकुं कब्लल मशरीक़ वल मग़रिब, वला किननल बिर्रा, मन आमना बिल्लाहे वल यौमिल आख़िर, वमालये कतु वननबी यीन

(कुरान- अल ऐराफ)

तर्जुमाः सारा कमाल इसमें नहीं कि तुम अपना मुंह मशरीक़ की तरफ कर लो या मग़रीब की तरफ, लेकिन कमाल तो यह है के कोई शख़्स अल्लाह पर यक़ीन रखे और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैग़म्बरों पर।

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

(नह्मदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम)

गुज़ारिश

देखा जा रहा है कि हिन्दो पाक में मुसलिम उम्मत अकीदों के एतेबार से दो ग्रोहों में बट गई है और नमाजे़ जनाजा शादी बियाह और दीगार समाजी कामों में यह फर्क़ आपसी दुशमनी की सूरत में नजर आ रहा है। यहां तक कि जोहला अकलियत वाले इलाकों में मसजिदों पर कबजा करने के लिए झगड़ा फसाद और कानून को हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। और स्टेट गर्वनमेंट इनके खिलाफ एकशन ले रही है। इस किस्म के वाकेआत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नजर आ रहे हैं।

''खन्दाजन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं''

इसी सूरते हाल के तहत यह किताबचा तैयार करने की जरूरत पेश आई ताकि मुसलिम अवाम को बताया जाए कि क्या सही है और क्या सही नहीं है और क्या कुरान व हदीस से साबित है। और क्या नहीं है?

इस किताबचे की तैयारी में बहुत सी मुसल्लेमुस सुबूत किताबों की मदद ली गई है जिन में सीरितुन्नाबी मौलाना शिबली नोमानी व मौलाना सय्यद सुलेमान नदवी, कससुल कुरान मौलाना हिफजुर्रहमान स्योहारवी, बरेलल्वीयत तारीख व अकायद अलल्लामा एहसाने इलाही ज़हीर शहीद तरजुमा अताउर्रहमान, माआज. पब्लिकेशन देहली मुतालेआए बरेल्वीयत डा. खालिद महमूद, मुखतालिफ उल्मा की तफसीरो, और अहमद रजा खा के तरजुमे और नई मुददीन मुरादाबादी की तफसीर वाले कुरान कन्जुल इमान के अलावा बहुत सी बेरल्वी किताब, मसलन, हदाएक, सुव्हानुस्सु वह बग़ैरह. और फज़ायले आमाल, हुस्ने इखलाक तहकीकात, अल्लाहकी पुकार और दीगर रिसालों से माखूज इकतिसाब और हवालों को शामिल किया गया हैं।

इसी तरह साऊथ अफरीका की वेब www.Raza.org में दर्ज रांग और परापर बिलीफ की सही तस्वीर भी नजर आती है। इससे किसी फिरके से दुशमनी या नीचा दिखाना मकसूद नहीं है बल्की हक का इजहार

और सुबूत में कुरानी आयात व हदीस पेश करना है "जिस के बाद किसी मोमिन मर्द या मोमन औरत को चूंव चरा करने का हक नहीं-" (अल अहजाब 139)

इस किताबचे की तैयारी में जिन-जिन साहेबान ने किताबों, तरजुमे और हवालों और जिस तरह से भी मदद की है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताआला से दुआ करता हूं कि उन्हें अज्रोस्वाब अता फरमाए

-ज़ओीम अशरफ

नोट : कोई मुसलमान अगर शराब पीता है, जुआ, सट्टा खेलता है और नमाज़ नहीं पढ़ता फर्ज़ को तर्क करता है और मज़ार परस्त है, ढोल ताशे वाला है, और अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करता है तो वह अपने दावे में झूठा है। बल्कि मुज़रिम है और इन्दल्लाह माख़ूज़ (गिरफ्तार) व इन्दलनास मुजरिम ज़ाल व मुज़िल है।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

(नह्मदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम)

नई नस्ल या जदीद तब्के को मालूम होना चाहिए कि मौजूदा दौर में हिन्दो पाक और बंगलादेश में दीन व मजहब के नाम पर शिर्किया अफआल और बिदअत जो हम अपने इर्दगिर्द देख रहे हैं, उनका कुरान व हदीस या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की पाकीजा तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि चंद नाआक़िबत अंदेश, दुनिया परस्त लोग उलमा, मशाईख और पीर का लबादा ओढ़कर रोज़ी रोटी और दुनियावी माल समेटने के लिए सीधे-सादे, कम फ़हम और दीन की समझ न रखने वाले लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए अवाम में दरमियाना वास्ते के मुशिरकाना अक़ाईद की तब्लीग़ कर रहे है। और जिस दर्जे का ताल्लुक़ जिस किसम का इज्ज़ो नियाज़ और जिस मर्तबे की मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए थी उसका रूख अंबिया, औलिया और मजारात की तरफ फेर दिया है।

व मिनन्नासे मैंयत्तरिवजू मिनदूनिल्लाहे अन्दादन योहिब्बूना हुम कहुब्बुल्लाह। वललज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बल लिल्लाह (कुरान)

तर्जुमा - कुछ लोग ऐसे है, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मुकाबिल बनाते है, औ उनके साथ ऐसे गिरवीदा हैं जैसी अल्लाह के साथ गिरवीदगी होनी चाहिए हालांकि इमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं (सूर: बकराह125)
इसकी वजह मुसलमानों में कुरानी तालीम से बेइअतिनाई है। हमारा तालीम याफ्ता औ तरक्की पसन्द कहलाने वाला तब्का बराहे रास्त कुरान के मुताले से दूर होता जा रहा है, और यह समझ रहा है कि कुरान करीम गुजरी हुई कौमों से मुतअल्लिक बयान है, कुफ्फार ए मक्का भी यही कहते थे।
इज़ातुतला अलैहि आयातिना क़ाला असातीरुल अव्वलीन (कुरान)
"उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है यह तो अगले वक्तों के किस्से हैं"
दरअसल यह उन कुल्लियात का बयान है जिनका एक खास अंजाम मुकर्रर है। उन्ही कुल्लियात को सामने रखकर अल्लाह की खुशनूदी हासिल की जा सकती है और अजाब से बचा जा सकता है।
अतुज़ातुतला ननी फी असमाइन सम्मैतुमूहा अन्तुम व आबाओकुम मा नज़्ज्ज़ललाहे बिहा मिन सुल्तान (अल एराफ 11)
तर्जुमा - "क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बांप-दादा ने रख लिए है जिसके लिए अल्लाह ने कोईसनद नाजिल नहीं की"
मौजूदा जमाने में मुसलमानों में इसी किस्म के नामों पर कौम का एक हिस्सा झगड़ रहा है जिस पर कौमे हूद हजरत हूद से झगड़ रही थी आज भी लोग किसी को मुश्किल कुशा का नाम दे रहे हैं, जबकि मुश्किल कुशाई की कोई ताकत उनके पास नहीं है किसी को गंज बख्श के नाम से पुकारते हैं जबकि उनके पास कोई खजाना नहीं कि किसी को बख्शें सिर्फ अल्लाह ही बख्शने वाला है,--
कोई दाता कहलाता है हालांकि वो किसी शै का मालिक नहीं, किसी को गरीब नवाज के नाम से मौसूम कर दिया गया हालांकि वो इस इक्तिदार(गरीब को नवाजने) में कोई हिस्सा या ताकत नहीं रखता, किसी को गौस कहा जाने लगा जबकि वो कोई जोर नहीं रखता कि किसी की फरियाद को पहुंच सके दरअसल यह सब ऐसे नामे महज हैं जो लोगों ने अपने वहमो गुमान के

हिसाब से रख लिए है, औ जिनके पीछे कोई मुसम्मा नहीं, और जो उनके लिए झगड़ता है वो चंद नामों के लिए झगड़ता है न कि किसी हकीकत के लिए। लोगों ने खुद ही खुदाई का जितना हिस्सा उनकी समझ में आया उन्हें दे डाला और अल्लाह तआला ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की (यानी अल्लाह तआला ने यह नहीं फरमाया कि मैंने अपनी खुदाई का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया है। फरमांर वाई का इक़्तिदार अल्लाह तआला के सिवा किसी के लिए नहीं।

यही बात हजरत युसूफ (अलैहिस्सलाम) ने कही थी कि ऐ जिंदा के साथियों तुम खुद सोचो कि बहुत सारे मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। (यूसुफ29)

माताबुदूना मिन्दूनेही सम्मैतुमूहा आबाउकुम मा अन्ज़लल्लाहो बिहा मिन सुल्तान (यूसूफ - 40)

उसके छोड़कर तुम जिन की बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं कि चंद नाम हैं तो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं, जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की।

इन्ना कसीरम मिनल अहबारे वर रोहबाने लयाकुलूना अमवालन्नासे बिलवातिली व यसद्दना अन सबीलिल्लाह। (तौबा 34)

वो तो मुश्रिक थे मगर आज मोमिनीन का हाल भी उनसे कुछ अलग नहीं है, उन्होंने जाने अंजाने में बहुत से औलिया, बुजुर्गाने दीन को खुदाई सिफात दे रखी हैं।

अित्ताखिजू अहबारहुम वरोहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह (लैब-30)

तर्जुमा - ''उनके अक्सर उलमा और दर्वेशों का हाल यह है कि'' वो लोगों के माल बातिल तरीके से खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते है'' मौलाना आजाद ने इसकी तफसीर में यहूद व नसारा के उलमा की गुमराही की तफ़्सील बयान की है, मसलन हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाना, नाजायज़ तरीके से माल खाना, फैसलों में रिश्वत लेना, मजहबी रूसूम की अदायगी पर मुआवज़ा लेना, मुग़िफरत के परवाने बांटना, शरअी हीले, बहाने तराशना, ईसाले सवाब की रस्में मुकर्रर करना, दीन को पेशा बनाना और उनको खिलाए बगैर कोई काम सही न होना वगैरह, वगैरह कुरान ने इस

गुमराही की तरफ इसलिए इशारा किया ताकि उन पर वाज़ेह हो जाए कि यह उनका ईमान से महरूम हो जाना है और दीने हक को अमलन तर्क कर देना है। जो दुनिया परस्ती का नतीजा है, हम देख सकते है कि मौजूदा दौर में भी मुसलामानों के एक गिरोह के उलमा और मशाइख का यही अमल है। हदीस में आता है कि हजरत अदी बिन हातिम जो पहले ईसाई थे नबी ए करीम (स.अ.व.) की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो उन्होंने मिनजुमला और सवालों के एक यह भी सवाल किया था कि

इत्खेज़ुम अहबारहुम रोहबनहूम अरबाबम मिन्दुलिल्लाह

तर्जुमा - उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है" (सूर. तौब:30) इस आयत में " अपने उलमा औ दरवेशों को खुदा बना लेने का जो इल्जाम हम पर आइद किया गया है। उसकी असलियत क्या है? जवाब में आ़हज़रत (स.अ.व.) ने फरमाया कि " क्या यह वाकिआ नहीं है कि जो कुछ यह लोग हराम क़रार देते हैं, तुम उसे हराम मान लेते हो, और जो कुछ यह हलाल क़रार देते हैं तुम उसे हलाल मान लेते हो? उन्होंने अर्ज किया कि यह तो हम जरूर करते रहे हैं आप (स.अ.व.) ने फरमाया "बस यही उनको खुदा मान लेना है" इससे मालूम हुआ कि किताबुल्लाह की सनद के बगैर जो लोग इंसानी जिंदगी में जाइज़ और नाजाइज की हदें मुक़र्रर करते हैं वो दरअसल खुदा के मुक़ाम पर बाज़ो में खुद मोतामक्किन होंते है। और जो लोग उनकी हक्क़े शरीअत साज़ी को मान लेते हैं उन्हें खुदा बना लेते हैं, यहूद व नसारा के उलमा व पेशवा की शरीआत साज़ी की हूबहू तस्वीर हम आज बरेलवी रज़ा खानी उलमा में देख सकते हैं - यह लोग भी बिल्कुल उसी तरह किताबुल्लाह की सनद के बग़ैर हराम व हलाल, जाइज़ व नाजाइज़ की हदें मुकर्रर कर रहे हैं और जहुला उनकी शरीअत को मान कर अमल कर रहे हैं। असलन, अपने तराशे हुए अकीदों के न मानने वालों को वहाबी, काफिर मुरतद कहना, उनके जबीहे को नाजाइज़ कहना उनकी नमाज़ को नमाज़ न कहना - गैरुल्लाह से मदद मांगना वग़ैरह इनका जिक्र आगे आ रहा है। अल्लाह के नबी (स.अ.व.) ने फ़रमाया हलाल औ हराम की निस्बत मेरी तरफ़ न की जाए मैंने वही हलाल किया है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया है और वही चीज़ें हराम की हैं जो अल्लाह

तआला ने अपनी किताब में हराम की है "इस्लाम शरीअत के तमाम अहकाम का वजअ करने वाला हाकिम बराहे रासस्त अल्लाह तआला को क़रार देता है और पैग़ंबर का काम सिर्फ़ इसी क़दर फर्ज़ है कि अहकामे इलाही को अपने क़ौलो फअ़ल के जरिए बंदों तक पहुंचा दे।

इन्नमा अला रसूलनल बलाग़ (मायदा)

फइन्नमा अलैकल बलाग़ व अलैनल हिसाब (रअद राद-6)

तर्जुमा- तेरा फर्ज़ सिर्फ़ पैगाम का पहुंचाना है और हमारा उनसे हिसाब लेना) शिर्क का सबसे बड़ा ज़रिआ किसी खास शख्स या खास शै की बेइन्तिहा अक़ीदत व ताज़ीम है जो शख्सियत परस्ती और यादगार परस्ती की शक्ल में उभर कर आता है, इसी खुश एतेक़ादी ने आदमी को खुदा बना डाला कुरान पुरजोर और पुर रोब अन्दाज़ में इसकी तहक़ीर करता है सूर: निसा में अहले किताब को मुखातिब करके कहा गया है।

या अहलल किताब लातग़लू फीदीनुकम वलायकूलो अलल्लाहे इल्लहक़ (निसा)

तर्जुमा -ऐ अहले किताब! अपने दीन में हद से न बढ़ जावो और अल्लाह की निस्बत वही कहो जो हक है।

मौजूदा दौर में अल्लाह के इस हुक्म को नज़र अंदाज़ करके आलिम नुमा जुहला ने नबी, वली, पीर, और मज़ारात से अल्लाह तआला की सिफात मंसूब करके उन्हें हाजतरवा, हाजिर व नाज़िर, गैब का जानने वाला, मुर्दो पर से अज़ाब को हटाने वाला, मुरीदों की आवाज़ पर उनकी मदद को पहुंचने वाला बताकर शख्सियत परस्ती यादगार परसस्ती, मज़ार परस्ती जैसी शिर्किया सूरतें ईजाद कर ली हैं फिर उनसे निकली खिलाफ़त तरीक़त पीरी मुरीदी की बैअत, फिर दरगाह, आस्ताना, सिमाअ, रक़्स, वज्द चिल्लाकशी, सवारी जैसे पूजा पाट के तरीके, कब्रों पर सज्जादा नशीन गद्दी नशीन जैसे खुद साख़्ता दीन के मुहाफ़िज़ फिर इसी मज़ार परस्ती से कुल शरीफ़, फातिहा शरीफ़, उर्स शरीफ़, चादर शरीफ़, सदंल शरीफ नियाज़ शरीफ़, मीलाद शरीफ़, ग्यारहवीं शरीफ़ जैसी खाने-पीने की बिदआत वुजूद में आई, जिनका कोई सुबूत कुरान व हदीस या सहाबा के अमल से नहीं मिलता, लिहाज़ा इसमें सवाब व बरकात महज़ घोका और अवाम की जेबें खाली करने की

तरकीबे है जो चंदा उगाही के लिए उर्स कमेटी, वाज़ कमेटी सीरत कमेटी, नअतिया मुशायरा कमेटी, वग़ैरह बनाकर की जा रही है। और मुसलमानो को इन्हीं के नाम पर बांटा जा रहा है वाजेह रहे कि दीने-इस्लाम देवबंद, बरेली, कछौछा वगैरह से नहीं निकला बल्कि मक्का व मदीना से निकला है (कुरआन की तमाम सूरतें या तो मक्की है या मदनी) लिहाज़ा अल्लाह के नज़दीक वही इस्लाम क़ाबिले-क़ुबूल है जो मक्के व मदीने के इस्लाम से मुताबिक़त रखता हो और अल्लाह के लिए खालिस करके बदंगी के लिए हो जिसका हुक्म नबी को भी था-

कुल इन्नी उमिरतू अन आबुदलल्लाह मुखलिसल हुद्दीन (जुमुर)

तर्जुमा- " ऐ नबी !" उनसे कहो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूं"

अल्लाह के अहकाम के खिलाफ काम

इसी तरह अल्लाह का हुक्म है

इत्तबेऊ मा अन्ज़ला अलैकुम मिररब्बेकुम वला तत्तेबेऊना मिनदूनीही औलिया। (कुरान)

तर्जुमा - " जो कुछ तुम्हारे रब की जानिब से नाज़िल हुआ है उसी की पैरवी करो उसके सिवा किसी औलिया की पैरवी मत करो"

इन्नल मसाजिदा लिल्लाहे फला तदऊ मअल्लाहे अहदा (कुरान)

तर्जुमा - " और यह कि मस्जिदे अल्लाह के लिए हैं लिहाज़ा उनमें अल्लाह के साथ किसी को न पुकारो" मगर हम देखते है कि मस्जिदों में अल्लाह के साथ ज़िक्र हुसैन, ज़िक्रे अब्दुल क़ादिर जीलानी ज़िक्र मोइनुददीन चिश्ती, जिक्रे आला हज़रत, और मेअराज की शब और शबे बारात में नअतिया मुशायरों का एहतेमाम किया जाता है इस खिलाफ वर्ज़ी के लिए जिम्मेदाराने मस्जिद और अवाम बराहे रास्त जवाब दे है।

बेरल्वी आला हज़रत भी इसे मानते हैं "इज़्ने आम सेहते जुमा के लिए मशरुत है"

फतवा - मैं कहता हूं कि यह लोग सिर्फ ज़ुल्म की वजेह से या बिला वजह या बराए तास्सुब रोकते हैं तो बिला शुबाहइन का जुमा बातिल हुआ के एक आदमी की रोक भी इज़्ने आम को बातिल करने वाली है। (फतावा रज़विया

जिल्द 3 स – 67. अज़ अहमद रज़ा)
(2) नमाज़े जुमा के लिए "इज़्ने आम" शर्त (वरना जुमा नहीं होगा) मगर ग़ैर बेलवियों को मस्जिद में आने से रोका जा रहा है और हालात करीब करीब वैसे ही हैं जैसे कुफ़्फार मक्का ने अल्लाह के नबी (स.अ.व.) और उनके सहाबा (र.जि.) के साथ रवा रखा था।
व अन्नहू लम्मा कामा अबदल्लाहे यदहुओ कादू यकूना अलैह लबादा (जिन-19) (कुरान)
तर्जुमा – "और यह कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए"
अरैतललज़ी यन्हा अवदन इज़ासल्लाह---- खातेआ (अलक़ 9-14) कुरान
तर्जुमा – तुमने उस शख्स को देखा जो एक नेकबंदे को मना करता है जबकि वो नमाज़ पढ़ता हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर वो (बंदा) राहे रास्त पर हो या तक़वा का हुक्म देता हो, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर (मना करने वाला) हक़ को झुठलाता हो और मुंह मोड़ता हो क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है हरगिज़ नहीं। अगर वो बाज़ न आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खीचेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख़्त खताकार है,"
यानी मस्जिद में नमाज़ से रोकना अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है।

दीन - ए- इस्लाम

इन्नददीना इन्दललाहे इसलामा (आले इमरान) कुरान

"अल्लाह के नज़दीक अस्ल दीन सिर्फ़ इस्लाम है"

इसमें अल्लाह वाहिद पर ईमान, तमाम अंबियाव रूसुल, तमाम आसमानी किताबों, मलाइका और यौमें आखिर पर ईमान बुनियादी हैसियत रखते हैं और इस दीन को अल्लाह हतआला ने नबी ए आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा (स.अ.व.) के ज़रिए हती दुनिया तक की हिदायत के लिए कुरआन हकीम की सूरत में नाज़िल फ़रमारकर मुकम्मल कर दिया है।
अलयौमा अकमल तो लकुम दीनोकुम व अतममतो अलैकुम नेमती व रज़ैतोलकुमुल इस्लामा दीना (मायदा) कुरान
"आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअमतें तमाम कर दीं और तुम्हारे लिए दीन ए इस्लाम पर राजी हुआ"

यानी दीने इस्लाम अल्लाह के नबी (स.अ.व.) की ज़िंदगी में ही मुकम्मल कर दिया गया और अब उसमें कमी या ज़्यादती की कोई गुंजाईश नहीं और अल्लाह ने इस दीन को जो उसकी किताब से ज़ाहिर है मानना और उसपर अमल कना और उसपर मज़बूती से कायम रहना हर फर्ज़ से ज़्यादा अहम फर्ज़ है और उसी पर अल्लाह राज़ी है और दुनिया और आख़िरत की भलाई का इन्हिसार है।

बरेलवी दीन

एक और दीन जो मुसलमानों में इस्लाम के मुतवाज़ी (Parallel) हिंद-व पाक और बंगलादेश में चल रहा है जो यू.पी. (उत्तर प्रदेश) के बांस बरेली शहर से निकला है और बरेली मज़हब के नाम से जाना जाता है) इस मजहब की दाग़ बेल बरेली के जनाब अहमद रज़ा खान सा. ने अल्लाह के नबी (स.अ.व.) से तेरह सौ साल बाद डाली है, वो अपने दीन व मज़हब के बारे में अपने वसाया शरीफ़ में फ़रमाते हैं।"मेरा दीन व मज़हब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मज़बूती से कायम रहना हर फर्ज़ से अहम फर्ज़ है।" (वसाया शरीफ़ सफ़ा 10- तरतीब हसनैन रज़ा)

अहमद ज़ा खान सा. का दीन जो उनकी किताबों से ज़ाहिर है और जिसकी तब्लीग़ में उन्होंने ज़िंदगी खपाई है वो उनके चंद इम्तियाज़ी अक़ाईद हैं जो उन खुराफ़ात, तक़ालीद, तवह्हुमात, मुश्रिकाना रूसूम, जाहिलाना अफ़कार और अफ़सानवी अकाईद वा रिवायात पर मबनी हैं जो मुख़्तालिफ़ ज़मानों में सूफ़िया, जईफ़ल एतक़ायद औ तवह्हुमपरस्त लोगों में राइज थे जिनका इस्लाम से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वलकियहूद व नसारा से और हिन्दुस्तान में तब्दीली-ए-मज़हब के साथ मुसलमानों में मुंतक़िल हुए और अदमें तरबियत के बाइस उनसे छूट न सके यह अक़ाईद अहमद रज़ा खान से पहले भी मौजूद थे मगर खान सा. ने इन अक़ाईद को जमा करके मज़हबी शक्ल दे दी और कुरआन व हदीस की मअनवी तहरीफ़ करके, मौजूआ और मनगढ़ंत रिवायात से दलील देकर उसे सही साबित करने में ज़ोर लगाया और उनके शार्गिदों और पैरोकारों ने उनकी नश्र-व- इशाअत के लिए किताबें लिखीं। बहुत सी अहादीस में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का यह क़ौल आया है

कि आख़िर ज़माने में दज्जाल, कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो ऐसी अहादीस सुनाएंगे जो तुमने न सुनी होगी ऐसा न हो कि वो तुमको गुमराह कर दें और फ़ित्ने में डाल दें।

नोट : हज्जाज बिन युसुफ़ के ज़माने में हज़ारों हदीस गढ़ने वालों के ज़िक्र मिलते हैं।

बरेलवी मज़हब के ज़ुअमा

चंद मखसूस बरेलवी ज़ुअमा का ज़िक्र जिन्होंने इस मज़हब के उसूल व ज़वाबित वज़अ किए और अहमद रज़ा ख़ान के पौदे को परवान चढ़ाया है जैल में दर्ज है

1. नईमुद्दीन मुरादाबादी - 1883 में पैदा हुए अहमद रज़ा के हमअसरों में से थे, उन्होंने बरेलवी आला हज़रत की तरह तौहीद व सुन्नत की मुख़ालिफ़त और शिर्क व बिदअत की हिमायत और गैर श़रअी रस्म व रिवाज की नशरो इशाअत में अहम किरदार अदा किया उनका एक मदरसा भी था जिसका नाम शुरू में मदरसा अहले सुन्नत था बाद में तब्दील करके जामिआ नई मिया रख दिया, इस मदरसे से फ़ारिग़ होने वाले नईमी कहलाते हैं उनकी तसानीफ़ में खज़ाईनुल-इरफ़ान और अतयबुल बयान हैं जिनका रद मुरादाबाद के ही एक आलिम ने लिखा है।

उनकी वफ़ात 1948 में हुई, बरेलवी हज़रात उन्हें " संदरुल अफ़ाज़िल कहते हैं"

अक़ीदा व ख़यालात - (1) आक़ा ए दो जहां सखी दाता हैं और हम उनके मुहताज तो क्या वजह है कि उनसे इस्तिम्दाद (मदद मांगना)न की जाए (मबाइज़ ए नईमिया-27)

(2)खालिक़े कु ल ने आपको मालिके कुल बना दिया है दोनों जहां आपके कब्ज़ ए इख्तियार में हैं इसलिए हज़रत आदम (अ.स.)ने अर्श पर हुज़ूर (अ.स.) का नाम पाक लिखा हुआ देखा मालूम हुआ कि मालिके अर्श आप हैं (मवाइज़े-नईमिया-41)

(3) हुजूर मदीने में रहकर ज़र्रे-ज़र्रेका मुशाहिदा कर रहे हैं और हर जगह आपका अमल दर आमद और तसर्रुफ़ है। - 23

अमजद अली - आज़मगढ़ में पैदा हुए मदरसा हनफ़िया में तालीम पाई कुछ अर्सा अहमद रज़ा खा के जेरे तरबियत रहे और उनके मज़हब की नशरो

इशाअत में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने बहारे शरीअत लिखी जो बरेलवी फ़िक्ह की लाइन पर है। उसमें अहमद रज़ा की तालीमात की रोशनी में इस्लामी अहकामात की तौज़ीह है उनकी वफ़ात 1948 में हुई।

अकीदा- (1) हुज़ूरे अक्दस (स.अ.व.) अल्लाह अज़्ज़ वज्जल्ल के नाइबे मुतलक़ हैं तमाम जहां हुजूर के तहत तसरुफ कर दिया जिसे जो चाहें दें जिससे जो चाहे ले लें (बहारे- शरीअत-15 -1)

दीदार अली - नवाबपुर में पैदा हुए सहारनपुर में तालीम पाई और बाद में मुस्तकिल तौर से लाहौर में क़याम पज़ीर हुए 1935 में वफात पाई उनकी तस्नीफ" रसूलुल किराम है)"

रसूलुलकिराम 121 में कहते हैं "गौस हर ज़माने में होता है उसके बग़ैर जमीन व आसमान कायम नहीं रह सकते ।

हशमत अली - लखनऊ मैं पैदा हुए- अहमद रज़ा खान के मदरसा मजहरूल-इस्लाम में जेरे-तालीम रहे उन्होंने अमजद अली से भी तालीम हासिल की अहमद रज़ा खां के बेटे से भी सनद ली और अहमद रज़ा खान की तालीमात को फैलाने में मरूरूफ़ हो गए 1380 हिजरी में सरतान में मुब्तला हुए और पीलीभीत में वफ़ात पाई।

अहमद यार गुज़राती - अहमद यार नईमी बरेलवी का बरेलवी क़ाइदीन में शुमार होता है। बदायूं में 1906 में पैदा हुए। पहले अल मदरसतुल इसस्लामिया (देवबंदी+मदरसा) में जेरे तालीम रहे फि नईमुद्दीन मुरादाबादी के यहां चले गये और उनसे तालीम हासिल की मुखतलिफ शहरों में घूमने-फिरने के बाद गुजरात में मुस्तक़िल सुकूनत इख्तियार कर ली। और वहां जामिआ-गौसिया के नाम से एक मदरसा खोला। अपनी किताब जाअल हक़ में अहमद रज़ा खां के मजहब की ताईद और किताब व सुन्नत के मुत्तबिईन की मुखालिफत में बहुत जोर लगाया। अहमद रज़ा खां कि तर्जुमा-ए कुरआन पर नूरूलइरफान के नाम से हाशिया लिखा। जिसमें कुरआन की बहुत सी आयात की तावील में मानवी तहरीफ से काम लिया है। उनकी वफ़ात 1971 में हुई।

अकीदह - (1)सारा मामला हुजूर के करीमाना हाथ में है। जो चाहे जिसको चाहें दे दें (जाअलहक पेज 195)

बरेलवी मज़हब की असलियत व खासियात

इस मज़हब में दुनिया परस्ती, नफ्स परस्ती, व मज़हबी, किसस्म के फ़रेब की बहुतात है।

रआयतो मनितखज़ा इलाहा हवाहू (कुरान)

"तुमने उसको देखा जिसने अपना खुदा खुद अपनी ख्वाहिश नफ़स को बना लिया है" की ताबीर है। अहमद रज़ा खान और उनके शार्गिदों और पैरोकारों ने लोगों के लिए खुदा के साथ-साथ ऐसे हाजतरवा, मददगार (औलिया, बुजुर्ग) गढ़कर दिये हैं जो उनसे किसी अख्लाकी पाबंदी का मुतालबा न करें बस उनके काम बनाते जाए (अवाम (जुहला) के दिल में ऐसे सिफ़ारिशियों की तलब थी कि यह खुदा से बेपरवाह होकर दुनिया को बरतते रहें और बख्शवाने का जिम्मा वो ले लें तो ऐसे सिफारिशी (औलिया, बुर्जुग) भी उन्होंने तसस्नीफ़ करके फ़राहम कर दिये गरज़ कि खुश्क को बे मज़ा दीनदारी, परहेज़गारी कु रबानी, सईव-व-अमल की बजाए ऐसा रास्ता बतायां जिसमें नफ्स की लज़्ज़तें ही लज़्ज़तें (उर्स, सिमाअ बाजे अक्ल व तआम) हैं और ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं और जिसमें तक़वा का कोई दखल नहीं

जब रोज़े महशर आएगां उस वक्त देखा जाएगा"

मुख्तसरन यह कि बरेलवी मज़हब मजमूअ-ए-जिहालत है, इसमें शामिल अक़ीदे शिया और बातिनी मज़ाहिब से मुतास्सिर नज़र आते है, अजीब-व-ग़रीब तावीले और अकाई दे- यहूदियत और यूनानी फ़ल्सफ़े से बातिनी मज़ाहिब की तरफ फि तसव्वुफ़ और फ़िर बरेलवयित की तरफ़ मुतक़िल हुए हैं, जिसका किताब व सुन्नत से कोई इलाक़ा नहीं।

क्या है बरेलवी अकाइद

(1)अल्लाह तआला के इख्तियारात अंबिया, औलिया, मज़ारात और बुजुर्गाने दीन के पास भी हैं मसलन, हाजत रवाई, गुनाह गारों को बख्शवाना, मुर्दो पर से अज़ाब हटवाना, खल्क की सुनवाई करना आनन फानन, दुनिया का चक्कर लगाकर मुरीदों की तकालीफ़ दूर करना, दुश्मनों से नजात दिलाना, वगैरह वगैरह।

(2) मज़ारात से मांगना (3) कब्रो को पुख्ता करना (4) अल्लाह के नबी को हाजत रवा, हाज़िर व नाज़िर मानना, और गैब का इल्म होना (5) मीलाद मनाना (6) उर्स (7) अगुंठा चूमना (8) क़ब्र पर अज़ान देना (9) नअले-मुबारक की बेशुमार बिदआत हैं,

शरीअते इस्लामी में इन अक़ाइद का शुमार शिर्क और बिदअत में होता है अल्लाह तआला अपनी ज़ात व सिफ़ात इख्तियारात व कुदरत का तन्हा मालिक है और अल्लाह के आगे सब मांद व आजिज़ हैं उसकी मर्ज़ी के आगे कोई दम नहीं मार सकता न फरिश्तें नबी न वली न कोई और , सभी अल्लाह के खौफ से लरज़ने और उसकी पनाह मांगने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम (अ.स.) ने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं आपके लिए अल्लाह से मग्फ़िरत की दुआ ज़रूर करुंगा मगर साथ में यह भी कहा था "लेकिन मुझको अल्लाह के सामने आपकी निस्बत कोई इख्तियार नहीं" सूर : मुमताहिना : हूज़ूर स.अ.व. ने फ़रमाया कि मैंने अपनी वालिदा के इस्तिग़फार के लिए इजाज़त मांगी थी वे नहीं मिली अलबत्ता दरख़्वासस्त हुई के उनकी क़ब्र की ज़ियारत कर लूं (मुस्लिम शरीफ़)

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उबई के फ़रज़न्द की दिलजमई के लिए मग्फ़िरत की दुआ पर नबी को कहा गया

अस्तग़ फिर लहूम अवला अस्तग़ फिरहुम इस्तग़ फिर लहुम सबऔने मर्रातन फलैं यग़फिरन्ल्लाह लहुम (मुनाफिकून) कुरान

तर्जुमा - " तुम उनके लिए मग्फ़िरत चाहो या न चाहो अगर तुम उनके लिये सत्तर मर्तबा भी मग्फ़िरत चाहोगे तो अल्लाह उनकी मग्फ़िरत नहीं करेगा"

(4) नूह (अ.स.) का बेटा जब डूब गया तो नूह (अ.स.) ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है, जवाब में इरशाद में इरशाद हुआ, "ऐ नूह ! वो तेरे घर वालों में से नहीं लिहाज़ा तू इस बात की दरख्वास्त न कर जिसकी हकीकत नहीं जानता और अपने आपको जाहिलों की तरह न बना लें नूह अ.स. ने फौरन अर्ज किया" ऐ रब ! मैं तेरी पनाह मांगता हूं उससे कि वो चीज़ तुझसे मांगू जिसका इल्म मुझे नहीं अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया और रहम नहीं फ़रमाया तो मैं बरबाद हो जाऊंगा (सूरह : हूद, 45 ता 47)

इस तरह से बहुत से वाक़आत का ज़िक्र कुरआन में है जब अंबिया की मर्ज़ी अल्लाह के आगे बे माना है तो औलिया, बुजुर्गा ने-दीन वगैरह किस शुमार में है। फिर उनमें से जिसके मुतआल्लिक़ खयाल था कि वो रिहा जाएगा उससे यूसुफ (अ.स.) ने कहा कि अपने रब (बादशाहे मिस्त्र) से मेरा जिक्र करना मगर शैतान ने उसे ऐसा ग़फलत में डाला कि वो अपने रब (शाहे मिस्स्र) से उसका ज़िक्र करना भूल गया और युसूफ (अ.स.) कई साल कैद खाने में पड़े रहे (सुरा: युसूफ 42) यूसुफ (अ.स.) ने अल्लाह से रूजूअ करने की बजाएं बन्दे से कहा !

6. युनूस अ.स. के बारे में आख़िकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था अब अगर वो तस्बीह करने वालों में न होता तो कयामत तक मछली के पेट में रहता (सूरह : साफ़्फ़ात 142-144) अल्लाह तआला तो अल्लाहु अकबर हैं पूरी दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं चे जायके उनमें बसने वाली मख्लूक की कद्र व क़ीमत की बात की जाए अल्लाह तआला ने आदम अ.स. को बर बिनाए मस्लहत व हिकमत खलीफ़ा बनाकर एहसाने. अज़ीम फ़रमाया।

अकाइद में हक व बातिल को समझने के लिए जानना जरूरी है कि शिर्क क्या है? बिदअत किसे कहते हैं? सुन्नत का मतलब और अहले सुन्नत या सुन्नी कौन हो सकते हैं? वह्हाब का मतलब और बहावी की हक़ीक़त और तारीख़ क्या है? क्योंकि ये सब ही अस्ल बिनाए मुखासिमत हैं (झगड़े की जड़ हैं) .

शिर्क - तौहीद इस्लाम के निसाब का पहला सबक है अल्लाह तआला अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात अपने शख्तियारात और अपनी कुदरत का (बिला शिरकते गैरे) अकेला मालिक है उनमें किसी और को शरीक करना ही शिर्क कहलाता है, जो अल्लाह के नज़दीक नाक़ा बिले माफ़ी और जुर्मे अज़ीम है।

ला तुशरिकू बिल्लाह (लुक़मान) कुरान

सूरह लुकमान (अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर

इन्नशशिर्का लज़ुलमिन अजीम (लुकमान) कुरान

सूर, लुकमान (बेशक शिर्क जुल्मे अजीम है)

इन्नल्लाहा लायग़फिरू अैंयुशरिक बिही व यग़फिमा दूना ज़ालिका लिमैयंशा

(निसा 48) कुरान

तर्जुमा - बेशक अल्लाह तआला शिर्क को माफ़ नहीं फ़रमाएगा उसके सिवा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ फ़रमा देगा (सूर : निसा 48) शिर्क का असली ज़रर ये है कि इंसान का खुदा से जिस दर्जे का ताल्लुक, जिस किस्म की बंदगी व तअजीम दरकार है उसका रूख़ दूसरी जानिब बदल जाता है, बुत परस्तों का तो जिक्र ही क्या है, खुद हज़ारों लाखो मुसलमानों का अंबिया, सुलहा बलिल्क मज़ारात की निस्बत यही अमल है। वो उनसे हाजतें, मुरादें मांगते हैं, नज़्रें चढ़ाते हैं और उठते बैठते उनका नाम लेते हैं चूंकि इस्लाम में तौहीद को इन्तिहा कमाल तक पहुंचाना था इसलिए सजदा ताज़ीमी से भी मना किया गया जो बनी इस्राईल में जाईज़ था- शिर्क की एक किस्म यह है कि खुदा के साथ जो अवसाफ़ मखसूस हैं उन्हें औरों के साथ भी तस्लीम किए जाएं - उनमें से एक वस्फ़ इल्में-ग़ैब है, लोग यह एतक़ाद रखते हैं कि अंबिया औलिया को इल्में-गैब होता है, रसूले अकरम स.अ.व. ने ताकीद के साथ इस एतक़ाद को मिटाया और उसकी सारी सूरते बातिल की मुतअददिद सहाबा से रिवायत है आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि "रिया (दिखावा) छिपा हुआ शिर्क है, आप एक एक मजमे में फरमारहे थे कि मुझे अपनी उम्मत के लोगों पर सबसे ज़्यादा खौफ़ शिर्क का है, हां! मेरा मतलब यह नहीं है कि वो चांद, सूरज को सज्दा करेंगे या बुतों को पूजेंगे बल्कि यह है कि वो ग़ैर ख़ुदा के लिए अमल न करें और छुपी हुई नफ़्सानी ख्वाहिश में मुब्तला न हों (मुस्नद शददाद बिन औस 126)

बिदअत - हर वो अमल बिदअत है जो सवाब और नेकी समझ कर किया जाए लेकिन शरीअत में उसकी बुनियाद साबित न हो यानी न तो रसूलुल्लाह स.अ.व. ने वो अमल किया हो, न ही किसी को करने का हुक्म दिया हो न ही इजाज़त दी हो ऐसा अमल अल्लाह तआला के यहां मरदूद है (बुखारी व मुस्लिम) बिदअती चूंकि उसे दीन समझकर करता है इसलिए मरते दम तक उसे तौबा की तौफ़ीक़ नहीं होती रसूले करीम स.अ.व. ने फ़रमाया-

ईयाकुम मोहददिसातिल उमूर कुल्लू मोहददिसतिन बिदअतिन व कुल्लो बिदअतुन ज़लाला। (हदीस)

यानी दीन में नई-नई रस्मों से बचो हर नई रस्म बिदअत है और हर बिदअत

ज़लालत व गुमराही है।

मन अहदता फीअमरेना हाज़ा फहुआ रद्दुन (हदीस) :

तर्जुमा - जिसने दीन में कोई नई चीज़ ईजाद की उसे रद किया जाएगा क़ियामत के रोज़ जब हौज़े कौसर पर हुजूर अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे तो कुछ लोग हौज़े कौसर पर आयेंगे - जिन्हें अल्लाह के रसूल स.अ.व. अपनी उम्मत समझेंगे लेकिन फरिश्ते आपको बतलाएंगे कि यह वो लोग हैं जिन्होंने आप के बाद बिदआत शुरु कर दी थीं (यानी दीन को बदल डाला था) चुनांचे आप फरमाएंगे

सोहोक़न साहक़ल्लेमन गैराबादी। (हदीस)

तर्जुमा - यानी दफ़ा हों, दफ़ा हों वो लोग जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं कि शैतान को गुनाह के मुकाबलें में बिदअत ज्यादा पसन्द है'' अल्लाह के नबी स.अ.व. ने फ़रमाया ''जो शख्स किसी बिदअती की ताज़ीम करता है वो इस्लाम को मुन्हदिम करने पर इआनत करता है।'' (हदीस)

दीन को नफ़ा बख्स तिजारत बनाने वालों को शैतान ने नया पैतरा सिखा दिया है उन्होंने बिदअत को भी '' बिदअते हसना और बिदअते सइइिआ में बांट दिया है यानी बिदअते हसना मुबाह और बिदआते सइइिआ गुनाह, जबकि अल्लाह के नबी स.अ.व. ने सारी बिदअत को गुमराही क़रार दिया है बिदअत दरअसल हवाए-नफ़स है जो नफ़्स को अच्छा लगे उसी को मानना ख्वाह वो शरीअत के कितने ही खिलाफ़ क्यों न हो बिदअत की चीदा चीदा मिसालें उर्स, कुंडा, मीलाद वगैरह और उनसे मुतआल्लिक अफ़्आल हैं इसी तरह हर अज़ान व इक़ामत से पहले

(सलातौंव व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह)

का इजाफ़ा और मुख्तालिफ़ किस्म की फातिहाएं।

सुन्नत- बमाना रविश, राहेतरीक़ा, सुन्नते नबी नबी का तरीक़ा सुन्नतुल्लाह अल्लाह का तरीका यह अल्लाह की सुन्नत है क वो किसी नेमत को जो उसने किसी क़ौम को दी है उस वक़्त नहीं बदलता जब तक वह क़ौम अपने तर्ज़े अमल को बदल नहीं देती।

(सूर: अनफ़ाल 52)

"खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली,
न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का"

सुन्नी या अहले सुन्नत वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी स.अ.व. के तरीक़े पर चलने वाले हैं और नबी के तरीके के खिलाफ़ अमल करने वाले अल्लाह और उसके रसूल के बाग़ी और मुजरिम हैं इसकी बदतरीन मिसाल है शराबी, जुवारी, सटोरी, बेनमाज़ी रोज़ा खोर, बाजे वाले उर्स वाले वगैरह हैं, ये सुन्नी हो ही नहीं सकते गो लाख सुन्नी होने का लेबल लगा लें।

वहावी – यानी हहाब वाला, वहहाब अल्लाह तआला के बेहतरीन नामों में एक नाम है यानी बहुत बख्शने वाला

(इन्नका अंनतल वह्हाब) यानी – बेशक तू ही फैय्याज़े हकीकी है मगर जुहला ने तअस्सुब की बिना पर वहाबी की इस्तिलाह ईजाद करके अल्लाह तआला के अच्छे नाम को ताना और बुराई के तौर पर इस्तेमाल किया है जो बरेली के अहमद रज़ा खान की दुश्मनी की देन है उन्होंने खुद को और अपने अकीदों को मानने वालों को और शिया को छोड़ बाक़ी पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहाबी कहकर अपनी किताबों में उनकी गलत अल्फ़ाज में तकफ़ीर (काफ़िर कहा) की है।

बकौल शायर –

"वहाबी का मतलब है रहमान वाला पे कुछ और समझे है शैतान वाला"

अरब में शेख मुहम्मद बिन अ. वहाब (शेख मुहम्मद – अब्दुल वाहाब के बेटे) माज़ी करीब में वो शख्स गुजरे हैं जिन्होंने हज में सरज़द होने वाली बहुत सी बिदआत का सद्दे बाब किया (रोका) बैरून मुमालिन से आने वाले हुज्जाज व जाईरीन ने बहुत सी बिदआत व रस्म व रिवाज जो उनके मुल्क में हज के साथ फर्ज कर ली थीं और औलिया, मज़ारात और मुक़बरों की इबादत का मसला जो उस दौर का बुहरान था उसको रोकने में शेख मुहम्मद ने बहुतजिद्दो जुहद की और मुख्तलिफ़ किताबों में कुरआन व हदीस की रौशनी में तदारुक किया और दीन के दूसरे गोशों पर भी बहस की मगर उनके शागिर्दों ने अपनी जिद्दो जुहद सिर्फ़ मज़ारात के साथ होने वाली बिदअत तक ही मरकूज़ रखी, यही आज बरेलवीयों के लिए बिना-ए मुखासमत

(झगड़े की जड़) बना हुआ है क्योंकि मौजूदा दौर में औलिया और मज़ारात से अकीदत और कब्रों की इबादत जुहला में ज़ोर व शोर जारी है। और मज़ारात से अक़ीदत और कब्रों की इबादत व ताजीम का मसला हिन्द-पाक, बगलादेश के जुहला में खतरनाक बुहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो किताब-व सुन्नत के खिलाफ़ है मगर बरेल वी मज़हब के बुनियादी अकाइद में से है।

"ये मज़ारों के पूजने वाले, जानते ही नहीं खुदा का मुकाम"

वमयीं युज़लिलिल्लाहा फला हादीया लाहू (कुरान)

तर्जुमा-जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं,

नोट - वाजेह रहे कि शेख अ.वहाब का इन बिदआत को रोकने में कोई रोल नहीं था यह नेक काम उनके फरजंद शेख मुहम्मद ने अन्जाम दिया था क्योंकि बिदअती अगर मोहम्मदी कहकर उन्हें काफ़िर कहते तो ये उनके गले पड़ती लिहाज़ा चालाकी बल्कि मक्कारी से वहाबी की इस्तिलाह ईजाद कर डाली और इसका ढिंढोरा जुहला में इतना पीटा के लफ्ज़ 'वहाबी' चल पड़ा और मुल्क का पढ़ा लिखा और तौहीद को मानने वाला समझदार तबका वहाबी (यानी काफ़िर) कह दिया गया -बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लाम मुखालिफ़ ताकतों ने आज इस्लाम, जिहाद, मदरसा को बदनाम करने के लिए (Terrorist) दहशतगर्द की इस्तलाह ईजाद करके "ज़राए-इबलाग़" यानी मीडिया में इसका इतना ढिंढोरा पीटा के आज मुसलमान, मदरसा, इस्लाम Terrorist समझे जाने लगे हैं।

हिन्दुस्तान में वहाबी का लफ्ज अग्रेंजों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ़ लड़ने वाले अहले हदीस के लिए इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके वहाबी का लफ्ज़ बाग़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था बिला शुबः वहाबीं यानी अहले हदीस अंग्रेज़ों के बाग़ी थे उस वक्त उलमा को तखताएदार पर चढ़ाया जा रहा था, वो जेल, काले पानी और जुल्म व तशददुद का निशाना बन रहे थे, अंग्रेज बर्रे-सग़ीर से मुस्लिम उम्मत को मिटा देना चाहते थे उस वक्त जो गिरोह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पूरी हिम्मत व शुजाअत के जज़्बे से सरशार था, वो यही गिरोह था जिसे अंग्रेज वहाबी कहते थे

(1) अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने एतराफ किया है कि सिर्फ़ बगाल में एक लाख उलमा और अवाम को फांसी दी गई अंग्रेज मुसन्निफ़ हन्टर ने Indian

Muslims Page 32 में कहा है कि हमें अपने इक्तिदार के सिलसिले में मुसलमान क़ौम के किसी गिरोह से खतरा नहीं सिवाए अक़ाल्लियती गिरोह वहाबियों के वही हमारे खिलाफ़ जिददो जुहद में मसरूफ़ हैं।

(2) वहाबी मुजाहिदीन की जायदादों को ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया (वहाबी तहरीक पे. 292)

(3) वहाबियों के मकानों को मिस्मार किया गया है उनके खानदान की कब्रों को उखाड़ दिया गया उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चलाये गये (ताज़्किरा साद्दिक़ (अज़ अ. रहीम)

ऐन उनस वक़्त जब मुस्लिम हुक्मरां अंग्रेज से नबरद आज़मा थे बरेली के अहमद रज़ा खान ने नाम ले लेकर उन मुस्लिम लीडरान के खिलाफ़ कुफ्र के फत्वे दिये जो आज़ादी की तहरीक के किसी भी शोबे में हिस्सा ले रहे थे वो खुद उनसे न सिर्फ लाताल्लुक़ रहे बल्कि उनमें शामिल होने को हराम करार दिया उनमें जमीअत उलमा हिन्द, मजलिसे अहरार, तहरीके खिलाफ़त मुस्लिम नीली पोश मुसलमानों में और आज़ाद हिन्द फौज और गांधी जी की कांग्रेस काबिले जिक्र है। जब पूरा हिन्दुस्तान लड़ हा था अहमद रज़ा खां ऐश कर रहे थे, उन्होंने तर्के मुवालात की भी मुखालफ़त की अहमद रज़ा खान और गुलाम अहमद कादयानी ने अग्रेज़ों की हिमायत की और उनके एजेंट बनकर मुसलमानों में तफर्रक़ा डाला और उनके इत्तिहाद को पारा पारा किया उनकी तमामतर सरगरमियां अंग्रेजो के मफ़ाद और मुसलमानों के खिलाफ थीं उन्होंने मुजाहिदीने आज़ादी की मुखालिफ़त की और अंग्रेजों के हामी व मुअय्यदरहे। उम्मत के टुकड़े हों जाने से मुजाहिदीन की तादाद में फर्क़ पड़ गया औ अंग्रेज़ों पर दबाव कम हो गया चूंकि शरअन जिहाद का दारोमदा हिन्दुस्तान के दारुल हर्ब होने पर था और हज़रत शाह अ. अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने उम्मत पर जुल्म व सितंम की इन्तिहा देखकर अपने फ़त्वे में हिन्दुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया था अहमद रज़ा खान ने फत्वे की मुनहदिम करने के लिए ये फ़त्वा दिया कि हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है और उसके लिए बीस सफ़े का रिसाला आलामुल इअलाम बिअन्न हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम)

"मुल्ला को जो मस्जिद में है सज्दे की इजाज़त
नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद"

इसी तरह अंग्रेज़ (हुकूमते-बर्तानिया) तुर्की की खिलाफ़ते इस्लामिया से भी बरसरे पैकार था, अहमद रज़ा खान ने यहां भी अंग्रेज़ों की हिमायत की तुर्की की खिलाफ़त के खिलाफ़ और उसे नुक्सान पहुंचाने के लिए दूसरा रिसाला "दवामुल ऐश" लिखा और फ़त्वा दिया कि मुसलमानों पर हुक्मे जिहाद व किताल फर्ज़ नहीं (दवामुल -ऐश 46)

अहमद रज़ा खा को अंग्रेज़ो से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं जिनका जिक्र आगे आ रहा है इस इख्तिलाफे तहरीके खिलाफत के सबब उनके बहुत से मुरीद और मोतक़िद उनसे बरगश्ता हो गये फ्रांसिस राबिनसन -- (केम्ब्रीज पब्लिकेशन में) अहमद रज़ा खां के मुताल्लिक लिखा है कि अहमद रज़ा खां अंग्रेजी हुकूमत के हामी रहे उन्होंने पहली जंगे अज़ीम में भी अंग्रेजी हुकूमत की हिमायत की थी इसी तरह वो तहरी के खिलाफत में भी अंग्रेज़ों के हामी थे उन्होंने बरेली में उन उलमा की कांफ्रेंस बुलाई थी जो तहरीके तर्के मवालात के मुखालिफ़ थे, अहमद रज़ा खान तो तहरीके-खिलाफ़त के दौरान वफ़ात पा गये और उनके बाद उनके जानशीनों ने तकफीरी मिशन को जारी रखा औ बिला वास्ता अंग्रेजों के हाथ मजबूत किये।

कौन हैं ये अहमद रज़ा खान?

जनाब अहमद रज़ा खान, बरेलवी मज़हब के बानी हैं, उनके मानने वाले उन्हें इमाम अहले सुन्नत, इमाम आला हज़रत और उनके मसलक़ को मस्लके आला हज़रत और हनफ़ी मसलक कहते हैं गो कि हनफ़ी मसलक से उनका दूर का भी ताल्लुक नहीं बल्कि शिया के नज़दीक नज़र आते हैं। अहमद रज़ा खां. 14 जून 1865 ई. में यू.पी. के शहर बांस बरेली में पैदा हुए उनका घराना इल्मी घराना था वालिद का नाम तक़ी अली दादा रज़ा अली थे उनका नाम मुहम्मद रखा गया, वालिदा ने अम्मन मियां और वालिद ने अहमद मियां और दादा में अहमद रज़ा रखा, लेकिन अहमद रज़ा खान इन नामों में से किसी पर भी मुतमइन न हुए औ अपना नाम खुद से अब्दुल - मुस्तफ़ा रख लिया और इस नाम का इस्तेमाल खत व किताबत में कसरत से करते रहे (अ.मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा का बंदा न के खुदा का बंदा)

खत व खाल और आदात - अहमद रज़ा का रंग निहायत स्याह था और उनके मुखालिफीन उन्हें इस कालेपन का ताना देते थे।

(आला हज़रत-अज बस्तवी, मन हुवा अहमद रज़ा अज़ शुजाअत अली पेज 15)

अहमद रज़ा खान नहीफ़ व नज़ार (दुबले, पतले, कमज़ोर) थे - दर्दे-गुदा और दूसरी कमज़ोर कर देने वाली बीमारी में मुब्तला थे।

(हयात-आला हज़्रत-अज़जफरुद्दीन बिहारी जिल्द 1 सफ़ा 35)

कमर के दर्द, सर दर्द और बुखार की शिकायत अमूमन रहतीं (अज़ बस्तवी पेज. 28)

उनकी दायीं आंख में नक़्स था उसमें तकलीफ़ रहती और पानी उतर आने से बेनूर हो गई थी यानी उन्हें सिर्फ़ बायीं आंख से दिखाई देता था।

(मल्फूज़ात 20-21)

एक मर्तबा उनके सामने खाना रखा गया उन्होंने सालन खाना मगर चपातियों को हाथ न लगाया - बीवी ने कहा - क्या बात है? खाली सालन के शोरबे पर ही क्यों इक्तिफ़ा किया चपातियां क्यों नोश नहीं कीं? उन्होंने जवाब दिया मुझे नज़र ही न आई हालांकि वो सालन के साथ ही रखी हुईं थीं

(अनवारे-रज़ा-पेज 360)

उनसे बहुत पहले उल्माए देवबंद ने 1289 हि. में अपना मदरसा क़ायम किया जिसके सदर मुदररिस मौलाना मो. याकूब थे। अमहदरज़ा खां इसके बहुत

बाद में बरेली में अपना मदरसा बनाया। जिसका सालाना जलसा 1329 हि. में हुआ अहमदरज़ा खां को तालीमी ज़ौक़ था ना इसके लिए कोई खास मेहनत की।अलबत्ता जिसने भी दीनो मिल्लत के लिए कुछ मेहनत की उससे पंजा आज़माई ज़रूर की, बरेली की इल्मी दुनिया में कोई अहमियत न थी यह उनका तकफीरी कारनामा था जो उन्हें दारूल उलूम देवबंद के मुकाबिल ला खड़ा किया।

अहमद रज़ा खान से पहले उनके मसलक का बरेली में कोई मदरसा न था और अहमद रज़ा खान खुद किसी मशहूर दर्सगाह से बाकायदा फ़ारिग न थे उन्होंने कुल तालीम मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी (कांदयानी मज़हब के बानी) के भाई मिर्ज़ा गुलाम कादिर और अपने वालिद अली तक़ी खां से हासिल की।

जनाब अहमद रज़ा खां निसयान (भूलने का मर्ज़) में मुब्तला थे उनकी याददाश्त कमज़ोर थी एक दफ़ा ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली गुफ्तगू के बाद तलाश करने लगे ऐनक न मिली और भूल गये कि ऐनेक उनके माथे पर है काफी देर परेशान रहे अचानक उनका हाथ माथे पर लगा तो ऐनेक नाक पर आकर रुक गई तब पता चला कि ऐनक तो माथे पर ही थी, (हयात - आला हज़रत 64) बहुत जल्द गुस्से में आ जाते और जबान के मामले में बहुत गैर मोहतात और लअन व तअन करने वाले थे, फहश कलिमात का कसरत से इस्तेमाल करते और बाज़ अवक़ात इस मामले में हद से तजावज़ कर जाते अहमद रज़ा खॉ के एक मोत क़िद लिखते हैं (आप मुखालिफान के हक़ में सख्त, तुन्द मिज़ाज वाकेअ हुए थे और इस सिलसिले में शरयी एहतियात को भी मल्हूज़ नहीं रखते थे (मुकदम: मकालाते -रज़ा- कौकब)मतबूआ लाहौर उनकी इसी आदत के बाइस उनके मुख्लिस दोस्त भी उनसे दूर होते गये उनमें मौलवी यासीन भी हैं जो मदरसा इशाअतुल उलूम के मुदीर थे और जिन्हें अहमद रज़ा खा अपना उस्ताद मानते थे, इसके अलावा मदरसा मिस्बाहुत्तहज़ीब जो उनके वालिद ने बनवाया था वो उनकी तुर्शरुई सख्त मिज़ाज़ी, बज़ाअते लिसानी, और मुसलामानों की तकफ़ीर (काफ़िर क़रार देना) की वजह से उनके हाथ से जाता रहा और उसके मुंतज़िमीन उनसे किनारा कशी इख्तियार करके वहाबियों से जा मिले यहां तक के ये हालत हो

गई कि बरेलवियत के मरकज़ में अहमद रज़ा की हिमायत में कोई मदरसा न रहा बावजूद ये कि अहमद रज़ा खॉ सा. अपनी तमाम सरगर्मियों के साथ मौजद थे। (हयात -आला हज़रत पेज 211)
बरेलवी आला हज़रत पान कसरत से इस्तेमाल करते थे हत्ता कि रमजानुल मुबारक में वो पान पर इक्तिफ़ा करते थे (अनवारे रज़ा पेज - 256)
अहमदरजा खां साहब हुक्का भी पीते थे और दीगर खाने पीने की चीजों पर हुक्के को तरजीह देते थे और आने जाने वालो मेहमानों की तवाज़े भी हुक्के से करते थे। (हयाते आला हजरज पेज 67 ज़फरुद्दीन बिहारी)
नोट - दूसरों को मामूली बात पर काफिर क़रार देने वाला खुद हुक्का जैसी नशा आवर आदत का मुर्तकिब हो! हैरत की बात है।
उन्होंने कहा कि मैं हुक्का पीते वक़्त बिसमिल्ला नहीं पढ़ता ताके शैतान भी मेरे शरीक हो जाए। (जिन अकाएद का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है उससे लगता है कि शैतान उनकी ख्वाहिश के मुताबिक़ उनका शरीक था।)
जरिए-मआश - जनाब अहमद रज़ा खा के ज़रिए मआश के मुताल्लिक मुख्तलिफ़ रिवायते हैं। बाज़ अवक़ात कहा जाता है कि वे ज़मीदार खानदान से ताल्लुक रख थें, घर के अखराजात के लिए उन्हें सालाना रकम मिल जाती थी (अनवारे रज़ा पेज -360)
बाज़ अवक़ात सालाना रक़म काफी न होती तो दूसरों से करज़ लेने पर मजबूर हो जाते (हयात आला हज़रत पेज - 50)
कभी कहा जाता कि उन्हें दस्ते ग़ैब से बकसरत माल व दौलत मिलता था ज़फ़रूद्दीन बिहारी के मुताबिक जनाब बरेलवी के पास एक मुकफ़्फ़ल संदूकची थी जिसे वो बवंक़्ते ज़रूरत खोलते और मुकम्मल तौर पर नहीं खोलते बल्कि हाथ डालकर माल ज़ेवर जो चाहते निकाल लेते उनके मुखालिफीन कहते हैं कि दस्ते-गैब का संदूकची से कोई ताल्लुक न था बलिल्क यह अंग्रेजी इस्तेमार था जो उन्हें मुसलमानों में तफ़र्रक़ा डालने के लिए मदद देता था, दरअसल उनकी आमदनी का ज़रिया लोगों की तरफ़ से मिलने वाले तहाइफ़ और इमामत की तनख्वाह थी जैसा कि आम तौर पर देखने में आता है।
हयाते-आला हज़रत में है कि एक मर्तबा जौनपुर के किसी पैरोकार उनके

यहां ठहरे तो एक हज़ार रुपए नज़राने के तौर पर दिए एक मर्तबा उनके पास खर्च के लिए दमड़ी न थी रात भर परेशान रहे सुबह किसी ताजिर का गुज़र उधर से हुआ तो उसने 51 रुपए बतौर नज़राना पेश किया।

एक मर्तबा डाक टिकट खरीदने के लिए कुछ रक़म न थी तो एक मुरीद ने दौ सौ रुपए दिए। (हयात. आ. हजरत पेज - 5) मुख़्तसर ये कि जमींदारी, संदूकची वगैरह में कोई हकीकत नहीं थी और कहीं से भी साबित नहीं होता कि उनका ख़ानदान ज़राअत से मुतआल्लिक़ था, रही बात संदूकची की तो सिर्फ़ मुरीदों की नज़र में तकदीस और एहतराम का मुकाम देने के लिए है वरना ऐसा होता तो उधार लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती।

वफ़ात - अहमद रज़ा खां की वफ़ात ज़ातुल जुनुब के मरज़ से 25 सफ़र 1340 हिजरी 1921 ई. में 68 बरस की उम्र में हुई मरते वक़्त उन्होंने चंद वसीयतें कीं जो वसाया शरीफ़ के नाम से एक रिसाले में शाए हुए उन्होंने मरते वक़्त कहा ***मेरादीन व मज़हब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उसी पर मज़बूती से कायम रहना हर फर्ज़ से अहम फर्ज़ है।***

वसाया शरीफ सफ़ा 10 हसनैन रज़ा)

नीज़ उन्होंने कहा- "भाइयो! मुझे नहीं मालूम हैं कितने दिन तुम्हारे अंदर ठहरूं, तुम मुस्तफ़ा स.अ.व. की भोली भाली भेड़ें हो, भेड़िये तुम्हारे चारों तरफ़ हैं जो तुम को बहकाना चाहते हैं और फित्ने में डालना चाहते हैं और तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहते हैं उनसे बचो और दूर भागो मसलन देवबंदी वगैरह (आला हज़रत अज़ बस्तवी पेज - 105)

वसीयत के आखिर में कहा"" अगर बतीबे-खातिर मुमाकिन हो तो फातिहा में हफ़्ते में दो तीन बार इन अशया में से कुछ भेज दिया करें" 1. दूध का बर्फ़ खाना साज़ अगरचे भैंस का दूध हो- 2. मुर्ग़ की बिरयानी 3. मुर्ग पुलाव 4. शामी कबाब ख्वाह बकरी का हो 5. पराठे और बालाई 6. फिरनी 7. उड़द की फरीरी दाल मअ अदरक व लवाज़िम के 8. गोश्त भरी कचौरियां 9. सेब का पानी 10. अनार का पानी 11. सोडे की बोतल 12. दूध का बर्फ़ अगर रोज़ाना एक चीज़ हो सके तो यूं कर दो या जैसे मुनासिब जानों हाशिए में दर्ज है।

"दूध का बर्फ दोबारा बताया तो छोटे मौलाना ने अर्ज़ किया इसे तो हुजूर पहले लिखा चुके हैं फ़रमाया फिर लिखो इशाअल्लाह मुझे मेरा रब सिर्फ़ बर्फ

ही अता फ़रमाया – और ऐसा ही हुआ कि एक साहब दफ़न के वक़्त बिला इत्तला दूध का बर्फ खाना साज़ ले आये' ' (वसाया शरीफ सफ़ा 108–109) सुब्हानल्लाह ! क्या मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं तलब की हैं और उन्हें हज़म करने के लिए सोडे की बोतल भी अगर फातिहा शरीफ़ ईजाद न करते तो यह माल मसाला कहां से मिलता?

इन्ना कसीरम अहबारे वर्रोहबाने लिया कुलूना अमवालन नासे बिलबातिल (कुरान)

तर्जुमा – उनके अक्सर उलमा व दरवेशों का ये हाल है कि वो लोगों के मा बातिल तरीक़े से खाते हैं। यहूद व नसारा के उलमा की बाबत कुरआन का यह कौल मौजूदा दौर के उलमा पर भी कुर्सी न शीन साबित हो रहा है।

अहमद रजा ख़ाँ की इस वसीअत के हल्वे का जिक्र नहीं है इसकी वजह यह नहीं है कि वह हल्वा भूल गए बल्कि हल्वे की तफसील दरकार थी जो उन्होंने अलग बाब में जिक्र किया है । लिखते है, हल्वा ब्पुज़्रदव वसुल्हा खुरानद यानी हल्वा पकाए और सुल्हा को खिलाए । (यह नहीं कि गुरबा (गरोबों) को खिलाए क्योंकि यह सुल्ह का हक है । सुल्हा की इस हल्के में अहमद रज़ा, हाफिज़ खलील, हामिद रज़ा हसनैन रज़ा काबिले जिक्र है आगे लिखते है । केवड़ा वगैरह शामिल करले मसारिफ में तखकीफ ना है (यानी खर्च में कमी न हो) राकेमिलहुरूफ के यहां (यानी खुद ख़ाँन साहब के यहां जो बसीत कर रहे है । नुस्खा मुदर्जा जैल मुरौविज है । सूजी–5 मार, शकर–10 रौगन जर्द–5 मार नारयल–एक मार किशमिश–1 मार पिश्ता–1 मार, मग़ज बादाम–1 मार, इलाईची सफेद–6 शटाक, चिरौंजी–1 मार, जाफरान–2 माशा, केवड़ा आधा बाटल बराबर की शकर से शीरीनी हल्की हो जाती है । मग़जे बादाम के हाशिए पर लिखा है, चार सेर बादाम में सवासेर मग़ज निकलता है । हयात अलाहजरत के 202

इमाम ग़जाली ने अहयाएल्ऊलम जि.3 स. 89 में एक हदीस नकल की है जिसका तरजुमा है । आंहजरत (स.अ.व.) ने फरमा है कि मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वह होंगे जो नेमतों में पल्ते रहे और मोट ताजे बन्ते रहे, अल्लाह ताला ने मूसा (अ.स.) को वही की तू याद रख के कवर में आने वाला है यह बात तुझे लज्ज़तों से रोक रखेगी ।

अहमद रज़ा ख़ॉ अपने शार्गिदों, मोत किदों की नज़र में

जनाब अहमद रज़ा खा के शार्गिदों, पैरोकारों और मोत किदों ने अपने आला हज़रत की बुजुर्गी जतलाने में झूठ और दरग़गोई की सारी हदें पार कर दीं और मुबालगा आराई के सारे रिकार्ड तोड़ दिए जबकि झूट किसी की कद्र व मंजिलत में इज़ाफ़े की बजाए मज़ाक का बाइस भी बन जाता हैं उन्होंने अपने इमाम को अबिया सहाबा से तशबीह ही नहीं दी बल्कि उनपर अफ़जालियत भी दे डाली।

1. "आलिमुलग़ैब ने आपका सीन-ए-मुबारक उलूम व मआरिफ़ का गंजीना और ज़हन व दिमाग़ व कल्ब व रुह को ईमान व यकीन के मुकद्दस फिक्र व शुऊर और पाकीज़ा एहसास से लबरेज़ कर दिया था" उन्होंने जनाब बरेलवी को अंधो को बीना करने वाला, शैतान के हमले से बचाने वाला, मुश्किल कुशा हाजत रवा, कब्र व हश्र व नश्र में साथ देने वाला और जामे कौसर का पिलाने वाला तक कहा हैं। कुछ का जिक्र यहां जरूरी है।

2. *"अंधों को बीना कर दिया, बहरों को शुनवा कर दिया*
दीने-नबी जिंदा किया या सय्यदी अहमद रज़ा"
"जब जॉकनी का वक़्त हो और रहज़नी शैतान करे
हमले से उसके ले बचाया या सय्यदी अहमद रज़ा"

(मदाइह आला हज़रत पेज - 5 अज़ - अय्यूब अली रिज़वी)

3. *"हश्र में हो खल्क के हाजत खा अहमद रज़ा रवा*
है मेरा मुश्किल कुशा अहमद -- रज़ा
हश्र में हो जब कियामत की तपिश अपने दामन में छुपा अहमद रज़ा
जब ज़बानेंसूख जाएं प्यास से-- जाम कौसर का पिला... अहमद रज़ा
कब्र व हश्र व नश्र में तू साथ दे हो मेरा मुश्किल कुशा -- अहमद रज़ा"

(नग़मतुर्रुह सफ़ा 47-48 नूर मो. आज़मी)

4. बस्तवी कहते हैं "कि आला हज़रत चौदह बरस की उम्र में सनद दस्तारे फजीलत से सरफ़ज हुए" (आला हज़रत (बस्तवी) पेज - 32

एक जगह ये साबित करने की कोशिश की है कि " आला हज़रत सा. आ. बरस की उम्र में फ़तावा नवीसी का आगाज़ कर दिया था, (पेज -32)

5. मगर "अहमद रज़ा फ़रमाते हैं पहला फतवा मैंने 1282 हिजरी में लिखा

था जब मेरी उम्र 13 बरस की थी और इसी तारीख को मुझ पर '' नमाज़ और दूसरे अहकाम फर्ज़ हुए थे '' (मन हुव अहमद रज़ा 17)

'' आला हज़रत ने सैय्यद आलें रसूल शाह के सामने 1294 हिजरी में शर्फ़े तलम्मुज़ तै किया और उनसे हदीस और दीगर उलूम की सनदे - इजाज़त ली '' (अज़ नसीम बस्तवी पेज 35)

6. ''आपने सैय्यद आले रसूल शाह के बेटे अबुल हुसैन अहमद से 1216 हिजरी में बाज़ उलूम हासिल किए, '' (अन्वारे रज़ा पेज 356)

एक तरफ़ तो बरेलवी हज़रात यह तास्सुर देना चाहते है कि ' अहमद रज़ा खां सा. 13, 14 साल की उम्र में तमाम उलूम से फारिग हो चुके थे दूसरी तरफ़ बेख्याली में इसकी तक्ज़ीब भी कर रहे हैं अब किसे मालूम नहीं कि उनकी तारीखे - पैदाईश 1272 हिजरी और 1296 हिजरी के बीच 24 साल का अर्सा है''

''दरोग गोरा हाफ़्जा न बाशद'' दरोग़ गो (झूटे) का हाफ़्जा नहीं होता''

''बारगाहे रिसालत में बरेलवी हज़रात ने अपने इमाम की मक्बूलियत साबित करने के लिए बहुत से मनगढ़ंत वाकआत का सहारा लिया है'' उनके भतीजे हसनैन रज़ा लिखते हैं

''ताजदारे मदीना के कुरबान मदीना तय्यबा से सरकारी ज़मज़म शरीफ़ और इतर ऐन गुस्ल शरीफ़ के वक़्त पहुंचा विसाले महबूब के लिए आप खुशबुओं बसे हुए सिधारे'' (वसाया शरीफ पेज 19)

अब जब मुबालगात का जिक्र शुरू हो ही गया है तो और भी खिलाफ़े अक्ल और हैरत अंगेज़ मुबालग़ा आ राई मुलाहज़ा हो

8. '' गुज़श्ता दो सदी के अंदर कोई ऐसा जामेअ आलिम नज़र नहीं आता'' (वसाया शरीफ़)

9. ''आपकी इल्मी जलालत और इल्मी कमाल की कोई नजीर नहीं'' ''इमाम अहमद रज़ा सा.अपने इल्म और इसाबते -राय में मुनफरिद थे'' शरहुल -हूकूक मुकदम: पेज -8)

10. ''अहमद रज़ा सा. ने दीन की तालीम को अज़ सरे नो जिन्दा किया है'' (शरहुल हुकूक मुकदम: पेज 7)

11. ''फतावा रिज़विया में हज़ार हा मसाइल ऐसे हैं जिनसे उलमा के कान भी आशना नहीं,'' (बहारे शरीअत जिल्द पेज - 3)

नोट – मसाइल के नाम पर मनगढ़ंत वाक़आत व हिकायात से वाक़ई उलमा के कान आंशना नहीं। (बहारे शरीअत पेज–3)

12. अ. हकीम कादरी लिखते हैं "आला हज़रत की कलम व ज़बान हर किस्म की लग़ज़िश में महफूज़ थी और बावजूद ये कि हर आलिम की कोई न कोई लग़ज़िश होती है मगर आलाहज़रत ने एक नुक़्ते की भी ग़लती नहीं की"
(यादे आला हज़रत अज़ अ. हकीम कादरी 32)

13. "आला हज़रत ने अपनी जबाने – मुबारक से कभी गैर शरअी लफ़्ज अदा नहीं किया अल्लाह तआला ने आपको हर किस्म की लग़ज़िश से महफूज़ रखा" मुकदम : फतावा रिजविया जि. 2/5 (मो. असगर अल्वी)

14. "आला हज़रत बचपन से ही गलतियों से मुबर्रा थे सिराते मुस्तकीम की इत्तबा आपके अंदर वदीअत कर दी गई थी" (अन्वारे रज़ा)

15. "अल्लाह तआला ने आपकी ज़बान व कलम को गलतियों से पाक कर दिया था" (अन्वारे रज़ा पेज 271)

16." बरेलवी शायर अय्यूब रिजवी का यकीन देखिए उस का बीज जानने के लिए उसका उसलूबे – बयान देखा जाए " है हक की रज़ा अहमद की रज़ा अहमद की रज़ा मरर्जी–ए–रज़ा" (बाग़ेफिदैसि पेज 7)

17. " आला हज़रत का वुजूद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी था"
(अन्वारे रज़ा पेज 100)

18. सहाबा किराम (रजि.) का एक गुस्ताख अपने इमाम व रहनुमा के बारे में कहता है।

'अला हज़रत की ज़ियारत ने सहाबा किराम की जियारत का शौक कम कर दिया है'

(वसाया शरीफ़ 24 हसैनन रज़ा)

मुबालग़ा आराई करते वक़्त अमूमन अ़क्ल का दामन हाथ से छोड़ दिया जाता है मुलाहज़ा हो

19. (1) " साढ़े तीन साल की उम्र शरीफ़ के ज़माने में एक एक दिन अपनी" मस्जिद के सामने जल्वा अफ़रोज़ थे कि एक साहब अहले – अरब के लिबास में तशरीफ़ लाए और आपसे अरबी ज़बान में गुफ्तग़ू फ़रमाई– आपने साढ़े तीन बरस की उम्र में फसीह अरबी में उनसे कलाम किया"

(२)"अगर इमाम अबू हनीफ़ा फतावा रिज़विया को देख लेते तो उसके मुअल्लिफ़ को अपने जुम्ला असहाब में शामिल कर लेते" मुकद्दम, फतावा रिजवीया जिल्द (सफ़ा 4)

(3) "इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के इमाम अबू हनीफ़ा थे"

(फतावा रिजविया: जि. 5/2)

(4) " अहमद रज़ा खां के दिमाग़ में इमाम अबू हनीफ़ा की मुज्तहिदाना ज़हानत, अबूबक्र राज़ी की अक़्ल और काज़ी ख़ां का हाफ़्ज़ा था" (अनवारे रज़ा 210)

"इमाम अहमद रज़ा हक में सिद्दीके अकबर का परतो, बातिल को छांटने में फ़ारुके आज़म का मज़हर, रहम-व-करम में जुन्नूरैन की तस्वीर, बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर थे" (अन्वारे रज़ा 145)

चे निस्बत ख़ाक रा ब आलमे पाक? 'ख़ाक को आस्मा से क्या निसबत'

इमाम अहमद रज़ा की जबान, उनके ख़यालात पर ग़ौर करें तो वो आला तो क्या, अदना से भी नीचे कोई मर्तबा हो तो उसमें भी फ़िट नहीं बैठते इसके लिए असलूबे ब्यान और फतवे की ज़बान मुलाहज़ा हो।

24. आला हज़रत मोजज़ाते नबी में से एक मोजज़ा थे (अन्वारे रज़ा 290)

" मोजज़ा खर्के आदात शै को कहा जाता है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी नबी के हाथों सादिर होता है! इन साहब से कोई पूछे कि नबी-ए-करीम (स.अ.व.) से चौदह सौ साल बाद ये मोजज़ा कैसे सादिर हो सकता है"

25. "आला हज़रत ज़मीन में अल्लाह ताला की हुज्जत थे"

(अन्वारे रज़ा पेज 303) (ज़मीन में सिर्फ अम्बिया व रसूल ही अल्लाह की हुज्जत होते है।

'इमाम रज़ा के इल्मी दबदबे से योरोप के साईंसदा और एशिया के फलास्फ़र लरज़ते रहे' (रुहो की दुनिया पेज 265)

26. "आला हज़रत को खुदादाद हाफ्ज़े से सारी चौदह सौ बरस की किताबें हिफ़्ज़ थीं (उनके बलन्द मकाम को बयान करने के लिए अहले लुग़त लफ़्ज पाने से आजिज रहे" (अन्वारे रज़ा पेज 265, सरीह झूट है!)

27. मेरा सीना एक सदूक है जिसके सामने किसी इल्म का भी सवाल पेश किया जाए फौरन जवाब मिल जाएगा - एक तरफ अपने बारे में ये मुबालग़ा

आराई, दूसरी तरफ दायरे इंसानियत से खुद ही को खारिज कर रहे हैं (मुकदमा शरअ हुकूक पेज 8))
"कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं (हदायक़ पेज 43)"

ज़बान और उसलूबे - बयान

1. अनवारे रज़ा के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि "आला हज़रत की बात समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान का इल्म समन्दर हो" (अनवारे रज़ा पेज 286)
2. जहां तक खान सा. की लुगत का तअल्लुक है वो निहायत पेचीदा और मुबहम किस्म की इबारतों का सहारा लेते थे, दकीक और बेमाना तरकीब का इस्तेमाल करके ये तास्सुर देते थे कि उन्हें उलूम में गहरी दस्तरस हासिल है। क्योंकि हमारे यहां उस आलिमेंदीन को जो अपना मा फीज़्ज़मीर खोलकर बयान न कर सके और जिसकी बात समझ में न आये बड़े पाये का आलिम समझा जाता हैं, उर्दू, फारसी, अरबी न जानने वालों में उसका रोब खूब जम जाता हैं। ***मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मसाल्लिम जिससिमत आए हो सिक्के बिठा दिए हैं।*** (अनवारे रज़ा -34)
अहमद रज़ा की ज़बान में फ़साहत व रवानी नहीं थी इस बिना पर वो तकरीर से गुरेज़ करते थे सिर्फ़ खुद साख्ता ईदे मीलाद या अपने पीर आले-रसूल शाह के उर्स के मौके पर चंद कलिमात कह देते " (हयात आला हज़रत - ज़फरुद्दीन बिहारी)
4. खान सा. की किताबों से उनकी ज़बान, बयान और सख्त तबीअत का अंदाज़ा होता है, वो अपने से मामूली इख्तिलाफ़ रखने वाले के खिलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, और बड़े फ़हश और ग़लीज़ अल्फ़ाज बोलते, मुखालफ़ि को कुत्ता, खिंज़ीर, काफ़िर सरकश, फ़ाजिर जैसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल उनके लिए मामूली बात थी, बरेली के आला हज़रत की नोके ज़बान पर ऐसे और इससे कम दर्जे की बाज़ारी और निचले दर्जे की सतही ज़बान थी इसके लिए उनकी किताबें 'खालिसुल एतक़ाद,' सुबहान सुबूह देखी जा सकती हैं।
'उस ज़माने में मुफाक्किरीन, व उलम ए देवबंद व लखनऊ की खालिस इस्लाम की तालीम की वजह से चंद जुहला को छोड़ कर अहमद रज़ा खान कोई घास

नहीं डालता था, इसलिए उन्हें उलमा ए देवबंद व नदवा वगैरह से जबर्दसस्त पुरख़ाश थी और इसी चीज़ ने उन्हें कुफ्र के फ़त्वे और दुश्नाम तराज़ी कर के अपनी भड़ास निकालने पर आमादा किया, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते और फहश कलिमात का कसरत से इस्तेमाल करते जैल में दर्ज इबारात उनकी अख्लाकी गिरावट पर दलालत करतीं हैं, जो लोग उन्हें मुजद्दिद और आला हज़रत जैसे अलक़ाब से याद करते'' हैं उनके लिए सोचने का मक़ाम है वो देवबंदियों के खुदा की तस्वीर खींचते हुए लिखते हैं

''तुम्हारा खुदा रन्डियों की तरह ज़िना भी है कराए वरना देवबंद की चकले वालियां उस पर हंसेगी के निखट्टू तो हमारे बराबर भी न हो सका फिर जरूरी है कि तुम्हारे ख़ुदा की ज़न भी हो और ज़रूरी है कि खुदा का आला - ए-तना सुलभी हो, यूं खुदा के मुकाबले में एक खुदाइन भी माननी पड़ेगी'' (नउजुबिल्लाह)(सुब्हानुस्सुबूह-अज़ अहमदरज़ा 142)

''क्या अहमद रज़ा बरेलवी का खुदा कोई अलग है, खुदा के बारे में इनके गंदे, वाहियात, ख्याल व ज़बान लायके़ - मज़म्मत हैं,'' 6. अहमद रज़ा खा ने मौलाना अशरफ़ अली शान वी की किताब '' हिफ्जुल ईमान के खिलाफ़ अपनी किताब ''वाकआतु सामान में फहश और ग़लत ज़बान में लिखते हैं।

जुबर्ते मर्दां दीदी नेमते रहमन चशीदी। थान्वी साहब

7. रसलया कहती है मैं नहीं जानती मेरी ठहराई पर उतर... देखूं तो इसमें तुम मेरी डेढ़ गिरह कैसे खोले लेते हो।

8.'' उफ़री रसलाया तेरा भोलापन, खून पोछतीजा और कह खुदा झूट करे (वाकिआतुस्सिनान 60)''

रसलया वाले ने..... अपनी दो शक़ी में तेरा एहतेमाल दाखिल भी करे (स.फ़ा 27)

9. अहमद रज़ा खा ने खियानत की सीढ़ी चढ़कर उलमा-ए-देवबंद की इबारात में खतरनाक मानवी तहरीफ़ की और उलमा-ए-अरब के सामने उनके गलत तर्जुमे पेश किए,

मौलाना हुसैन अहमद मदनी ''आश्शेहाबुस्साक़िब'' के नाम से हिसामुल - हरमैन के गलत फतवों का जवाब लिखा इस पर अहमद रज़ा खां बहुत तड़पे के बात क्यों खुल गई और मदनी सा. को इन अल्फ़ाज़ से नवाज़ा

''कभी किसी बेहया सी बेहया, नापाक घिनौनी सी घिनौनी, बेबाक सी

बेबाक पाजी, गंदी कौम ने, अपने ख़सम के मुकाबिल बेधड़क ऐसी हरकात की? आंख मीच कर गंदा मुंह फाड़कर उन पर फख्र किए! उन्हें सरे बाज़ार शाए किया और उनपर इफ्तिखार ही नहीं बल्कि सुनते हैं कि उनमें कोई नई नवेली, हयादार, शर्मीली, बांकी, नुकीली, मीठी रसीली अचलल बेली चन्चल नेली अवेली अजोध्या बासी आंख यह तान लेती है- "नाचने ही को जो निकले तो कहां का घूंघट" इस फाहेशा आंख ने कोई नया ग़मज़ा तराशा और इसका नाम शिहाबे – साकिब रखा है!" (खालिसुल –एतक़ाद पेज 22)

इस किताब में अका बिरे-देवबंद व अवाम पर उनका गुस्सा मुलाहज़ा हो,

1. "कुफ्र पार्टी वहाबिया का बुजुर्ग इबलीस लईन खबीसो तुम काफिर ठहर चुके हो इबलीस के मसखरे, दज्जाल के गधे अरे- मुनाफ़िकों! बहाबिंया की पोच ज़लील- इमारत कारुन की तरह तहतुस्सरा पहुंचती है नजदियत के कव्वे, सिसकते, वहाबियतं के बूम बिलकते, मजबूह गुस्ताख़ भड़कते" (खालिसुल एतक़ाद पेज 201-202)जिनकी ज़बान ऐसी हो उनके अख़लाक कैसे होंगे।

(Aman is known by his walk and talk.)

अहमद रज़ा खां साहब ने रसूल करीम से मोहब्बत के लम्बे चौड़े दावों के बावजूद हजूर (स.अ.व.) की स्वान्ह हयाते या सीरतुन्नवी पर कोई किताब या तारीफ में कोई मक़ाला नहीं लिखा अलबत्ता एक लम्बा चौड़ा सलाम देखने को मिलता है जिसमें अल्लाह के नबी पर तो कम बाकी दुनियाभर के वली फरिश्ते बुजुर्गो उलमा और उनकी सिफतों पर लाखों सलाम लिखा हैं! और इसी मौजूं के तहत खुद पर अपने मां-बाप भाई-बहन उस्ताद व खान्दान के साथ अपनी दौलत कूवत और नूरानी सूरत पर भी लाखों सलाम लिखा है गोया अल्लाह ने नबी और यह सब एक ही दर्जे के लोग हैं।

अल्लाह के नबी पर दरूद वो सलाम तो ठीक है। मगर अहमद रज़ा खॉ की दौलत पर लाखों दरुद और उन बेबस की ताकत पर लाखों सलाम समझ से परे हैं मुलाहज़ा है।

"मेरे उस्ताद मां-बाप भाई-बहन अहले वल्दो अशीरत्र पे लाखों सलाम।" मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दरूद: मुझसे बेबस की ताक़त पे लाखों सलाम बरेल्वी उम्मत इसे मस्जिदों और मीलदों के अलावा दीगर महफिलों

में किबले की तरफ से रुख हटाकर तिरछा खड़े होकर पढ़ती है (क्या क़िबला से ज्यादा अज़मत वाली कोई सिम्त है? क्या लाखों सलाम, करोड़ों दरुद कहन से इत्ने दुरूद और सलाम पहुंचते हैं।

इस सलाम में बहुत सी दूर अज़कार और बेमानी तरकीबें इस्तेमाल की हैं। मसलन अन्धे शीशे झलाझल दमकने लगे। नूर के चश्मे लहराए दरया बहे, मुझसे खिदमत पे कुदसी कहे हां रज़ा वगैरह-वगैरह वगैरह। अहमद रज़ा साहब की शायरी का अन्दाज़ा नीचे दिए गए अशार से भी होता है।

(नबीस स.अ.व. की तारीफ के क़सीदे के अशार)

डूबी नाव तिराते ये हैं — हल्ती नेवं जमाते ये हैं।
जलती जाने बुझाते ये हैं — रोती आखे हंसाते ये है।
उसके नायब उनके साहेब — हकसे ख़ल्क मिलाते ये हैं।
शाफ़े नाफ़े राफ़े दाफ़े — क्या-क्या रहमत लातेय है।
दाफे़ यानी हाफिज़ों हामी — दफे बला फरमाते ये हैं।
इनके नाम के सदके जिससे — जीते हम हैं जिलाते ये हैं।
उसका हुक्म जहां में नाफिज — कबज़ा कुल पे रखाते ये हैं

(अल इस्तेमदाद अला अज्याल अल इरतेदाद पेज 29-30 आज़ अहमदरजाद

तस्नीफात

अहमद रज़ा खान की तस्नीफ़ात के जिक्र से कब्ल यह बताना जरूरी है कि बरेलवी क़ौम में मुबालग़ा आराई, गलत बयानी, और हकीकत से चश्म पोशी की बुरी आदत देखने को मिलती है। ख्वाह किसी भी मौजूअ की बात की जाए- अहमद रज़ा ख़ां की तसानीफ़ का भी यही हाल है कि सैकड़ों की तादाद गिनवा दी मगर मामला उसके बर अक्स है आला हज़रत की तस्नीफात 200 के करीब थी। (मुकददमतुल दौलतिल मक्किया)

एक रिवायत में है कि 350 के करीब थे। एक रिवायत के मुताबिक 400 के लगभग थीं, और एक साहब इन सब से बढ़कर कहते है कि 1000 से तजाबुज़ कर गई थी। (मनहुव अहमद रज़ा हयाते -बरेलवी पेज - 13)

जबकि अस्ल सूरते हाल यह है कि उनकी कुतुब की तादाद जिन पर किताब का इत्लाक़ होता है दस से ज्यादा नहीं हैं। उन्होंने कोई मुस्तकिल किताब नहीं लिखी वो फतावा नवसी और हालिमाने अकीदे तौहीद के खिलाफ़ तकफीर व तफसीक़ (यानी काफिर व फ़ासिक कहने में) में मशगूल रहे लोग उनसे सवाल करते और वो अपने मुतअद्दिद मुआविनीन की मदद से उनके जवाबात तैयार करते और उन्हें कुतुब और रिसाले की शक्ल देकर शाए करा दिया जाता बसा अवक़ात बाज़ किताब के न होने की वजह से सवालात को दूसरे शहरों में भेज दिया जाता ताकि वहां मौजूद किताबों से उनके जवाबात मुरत्तब किए जा सकें, उनकी मशहूर तस्नीफ जिसे किताब कहा जा सकता है वो फतावां रिजविया है। जिसकी आठ जिल्दे हैं। यह सब मुख्तलिफ़ फतवों पर मबनी छोटे-छोटे रिसालों पर मुशतमिल है और हर जिल्द फत्वा के उन्वान से जानी जाती है उनमें मुन्दरजा जेल को किताबों का दर्जा दिया गया है।

1. अग्रेज़ों की हिमायत में रिसाले 2. जिहाद को मुनहदिम करने के लिए दो रिसाले 3. बरेलवी अक़ाइद से इख्तलाफ़ रखने वाले के खिलाफ फतत्वे 4. शिया रिवायतों को अहले - सुन्नत में मकबूल बनाने के लिए रिसालें 5. वसाया शरीफ़ 6. खालिसुल एतक़ाद 7. वाकि आतुस्सिनान 8. सुब्हानुस्सुबूह 9. अल अमन -वल ऊला 10. हदाइके - बख्शिश, जिसमें खान सा. उम्मुल मो मिनीन हज़रत आएशा सिद्दी का (रजि अल्लाहु अन्हा) की ज़ाते मुबारक पर ऐसे नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, जिनका तसव्वुर भी अहले - सुन्नत

से मुतआल्लिक कोई शख्स नहीं कर सकता। 11. चंद सौ सफहात पर मुशतमिल एक जिल्द जिसमें 31 रिसाले जिन्हें आला हज़रत की 31 किताबें कहा गयाहै, खान सा. के खलीफा ज़फरूद्दीन बिहारी जब इन तसनीफ़ात को शुमार करने बैठे तो 350 रिसाले से ज़्यादा न गिनवा सके।
(अल मुजमलुल मोअद्दद)
वो किताबें जो अहमद रज़ासा. के ज़ेरे मुतालआ रहतीं उनके चंद सफहात पर उन्होंने हाशिया तहरीर किया है उसको भी उनकी किताब में शुमार किया गया मसलन हाशिया सही बुख़ारी, हाशिया सही मुस्लिम, हाशिया नसई, हाशिया इब्ने माज़ा, हाशिया मुस्नद इमाम अहमद, हाशिया मुसनर इमामे-आज़म, हाशिया खसाईस अकबरी, हाशिया फतहुलबारी, हाशिया फ़तावा बज़ा ज़िया, हाशिया फ़तावा आलमगीरी, हाशिया फतावा अजीज़ीया, हार्शिया सुनने- दारमी, हाशिया बदाई ऊस्सनाइए-हाशिया ज़रक़ानी वगैरह-गो कि यह किताबें खान सा. से सेकड़ो साल पहले की लिखी हुई है, इस तरह से 58 हाशिया तराज़ी का ज़िक्र अल्लामा एहसान इलाही ज़हीरे ने अपनी किताब " बरेल वियत "में सफ़ा 66,67 में किया है।

क्या अहमद रज़ा खां शिया थे?

अहमद रज़ा खां के मुखालिफ़ीन कहतेहैं कि अहमद रज़ा खां का ताल्लुक़ शिया खानदान से था और उन्होंने सारी उम्र तक़िया किये रखा और अपनी असलियत ज़ाहिर न होने दी ताकि अहले-सुन्नत के दरम्यान शिया अकाईद को रिवाज दे सकें और उन्होंने शिया मजहब से माखूज़ अकाईद की नश्र व इशाअत में भरपूर किरदार अदा किया और कोई शिया अपने मक्सद में इतना कामयाब नहीं होता जितना उन्होंने तक़िया के लबादे में किया है, गो कि अपने शिया अकाईद पर परदा डालने के लिए ऐसे रिसाले भी लिखे हैं जिनसे बज़ाहिर शिया मज़हब की मुखालफत नज़र आती है इसी को तक़िया कहा जाता है। मन्दरजाज़ेल से इसकी ताईद होती है।
(1) अहमद रज़ा खॉ के आबा-व-अजदाद और खानदान में शिया नामो से मुशाबत पाई जाती है उनका नसब है, अहमद रज़ा बिन तकी अली बिन रज़ा अली बिन काज़िम अली

(2) बरेली के नाम निहाद आला हज़रत ने ज़ौजे रसूल (स.अ.व.) उम्मुल मोमिनीन हज़रते-आएशा सिद्दीका (र.जि.) जो दो हज़ार से ज़याद हदीसों की रावी हैं की जाते पाक पर ऐसे नाज़ेबा कलिमात कहे हैं जिसका अहले - सुन्नत से वाबस्ता कोई शख़्त तसव्वुर भी नहीं कर सकता।

तंग व चुस्त उनका लिबास और को जोबन का उभार
मस्की जाती है कुबा सर से कमर तक - लेकर
ये फटा पड़ता है जोबन, मेरे दिल की सूरत
के हुए जाते है जामें से बरु सीना व बर

(नउजुबिल्ला- हदाइके बख़्शिश जि. 3 सफ़ा 23)

नोट- अज़वाजे रसूल उम्मत की मां हैं क्या कोई अपनी मां के बारे में ऐसें कलिमात कह सकता है?

(3) खान सा. ने अपनी तस्नीफ़ात में शीयी रिवायात का ज़िक्र कसरत से किया है जिनसे अहले-सुन्नत कर दूर का भी ताल्लुक नहीं अपने शिया होने और तक़िया का लब्बादा उतारते हुए हज़रत अली के मुतअल्लिक़ फरमाते हैं।

(4)इन्ना अलीयन क़सीमुन्नार पानी, अली (क्यामत में) जहन्नम का टिकट बाटेंगे (अल अमनवन अली पेज 58)

(5) *इन्ना फातिमा सुम्मियत बिफातमा इन्नलल्लाह फतमाहा वजुररी यतोहा मिनन्रा*

यानी - हज़रत फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि अल्लाह तआला ने उन्हें और उनकी अवलाद को जहन्नत से आज़ाद कर दिया है।
(खत्मे नुबुव्वत-अज़ अहमद रज़ा 98)

(6) शिया इमामों को तकदीस का दर्जा देने के लिए उन्होंने ये अकीदा वज़अ किया है कि अग़वास (ग़ौस की जमा) हज़रत अली (र.जि.) से होते हुए हसन अस्करी तक पहुंचते है।

इस सिलसिले में उन्होंने वहीं तरतीब मल्हूज़ रखी है जो शिया इमामों की है।

(मल्फ़ूजात सफ़ा 115 अज़ अहमद रज़ा)

(7)जनाब अहमद रज़ा ने बाकी सहाबा को छोड़कर हज़रत अली को मुश्किल कुशा क़रार दिया और कहा कि जो शख़्त मशहूर दुआए- सैफ़ी (जो शीया अकोदे की अक्कासी करती है) पढ़े उस की मुश्किलात हल हो जाती हैं दुआ-ए-सैफ़ी है।

नादी अलीया मज़हरूल अजायब तजितहू अवनन लका फिन्नावइब
कुल हम्म व ग़म्म सयन्जली बविला यातिका या अली या अली
यानी हज़रत अली को पुकारो जिनसे अजाईबात का जुहूर होता हैं तुम उन्हें मददगार पावोगे।
ऐ अली आपकी विलायत के तुफैल तमाम परेशानियां दूर हो जाती है

(अल-अमनु वल-अला) पेज-13

(8)अहमद रज़ा ने पंजतन पाक की इस्तिलाह को आम किया और इस शेअर को रिवाज दिया-

ली खम सतुन उत्फी बिहा हिर्रलवबा इलहात्मा
अलमुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वलफातमा

"यानी पांच हस्तियां ऐसी हैं जो अपनी बरकत से मर्री अमराज़ को दूर करती हैं मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा" (फतावा रिज़विया जि. 6 सफ़ा 187)
"आप अकसर मुसलमानों के घरों के दरवाज़ों पर ये शअर देख सकते हैं"
(9) उन्होंने शीया अकीदे की अक्कासी करने वाली इस्तिलाह जुफ़र की ताईद करते हुए अपनी किताब खालिसुल एतक़ाद में लिखा है जफ़र चमड़े की एक ऐसी किताब है जो इमाम जाफ़र सादिक़ ने आले बैत के लिए लिखा उसमें - ज़रूरियात की तमाम अशिया दर्ज कर दी हैं इसी तरह उसमें कियामत तक रूनुमा होने वाले तमाम वाकआत भी दर्ज हैं।" (सफ़ा नं. 48)
(11) जनाब अहमद रज़ा ने शिया इस्तिलाह "अल जामिआ" का जिक्र भी किया है, लिखते हैं "अल जामिआ एक ऐसा सहीफ़ा है जिसमें हज़रत अली ने तमाम वाकेआते - आलम को हुरूफ़ की तरतीब के साथ लिख दिया है आप की औलाद में तमाम अईम्मा इन उमूर और वाकआत से बाखबर थे" (खालिसुलएतक़ाद 48)
(12) जनाब अहमद रज़ा खॉ ने एक शिया रिवायत को अपने रसाईल में ज़िक्र किया है।
"इमाम रज़ा (शिया के आठवें) इमाम से कहा गया कि कोई एसी दुआ सिखलाए जो हम अहले - बैत की कबरों की जियारत के वक़्त पढ़ा करें तो उन्होंने जवाब दिया कि कब्र के करीब जाकर 40 मर्तबा अल्लाहो अकबर कहकर कहो- "

अस्सलाम अलैकुम या अहलाल बैत । ऐ अहले बैत में अपने और मुश्किलात के हल के लिए आपको खुदा के हुजूर सिफारशी बनाकर पेश करता हूं और आले मुहम्मद के दुश्मनों से बरात का इज़हार करता हूं''
(हयातुल-मवात दर्ज दर फतावा रिज़विया जिल्द 4-सफ़ा 299)
इसमें शिया इमामों को सहाबा और अईम्मा अहले - सुन्नत से अफ़जल करार देना और मुसलमानों में इसको रिवाज देना साफ़ नज़र आ रहा है। यह अकीदा अहले सुन्नत के लिए नाक़ा बिले कुबूल है नबी करीम स.अ.व. जब जन्नतुल वक़ी तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते
असलाम अलैकुम या दारल कौमुल मोमिनीन यगंफिरल्लाहू वयग़ फिरलना व लकुम सलफना व नहनो विल असरा
इसके अलावा रसुलल्लाह स.अ.व. से कुछ भी साबित नहीं
(12) जनाब अहमद रज़ा शिया ताज़िया को अहले सुन्नत में मकबूल बनाने के लिए रसाला '' बदरूल अनवार'' सफ़ा 57 में लिखते हैं।
'' तबर्रुक के लिए हज़रत हुसैन रजि. के मुकबरे का नमूना बनाकर घर में रखने में कोई हरज नहीं''
(13) अहमद रज़ा खां पर राफ़्जी व शिया होने का इल्ज़ाम इसलिए भी लगता है कि उन्होंने शिया इमामों की शान में शियों के अंदाज में मुबालगा आमेज़ कसाईद लिखे हैं इसके लिए ''हदाइ के बख्शिश'' के मुख्तलिफ़ सफहात देखे जा सकते हैं।''
(14) अहमद रज़ा खान ने फ़रमाया कि कुरान-अज़ीज की हिफ़ाज़त का वादा किया गया है अगर ये मानी के साथ हो, लेकिन इन अल्फ़ाज़ के मानी का होना क्या ज़रूर- नबी कलामे इलाही को समझने में बयाने इलाही का मोहताज होता है। और यह मुम्किन है कि बाज़ आयात का --- निस्यान हो-
(मल्फूज हिस्सा सोम सफ़ा 8-9)
''तशरीह से ये बात लाजिम आती है कि मौजूदा कुरान मुकम्मल नहीं बल्कि बाज़ आयात का भूल जाना आप स.अ.व. के लिए मुमकिन है और मानी का समझना भी दरकार है यह अकीदा रवाफ़िज (राफजियो) का है।''
मुसलमानों में शिया अकीदों और रस्में को रयज करने में वो काफ़ी हद तक

कामयाब हुए हैं, इसका मुशाहदा आमतौर से किया जा सकता है। बिल खुसूस माहे मोहर्रम में तो मुसलमान इसी रंग में रंग जाते है।

(16) अहमद रज़ा खा ने अकाबिरीन अहले - सुन्नत के खिलाफ़ कुफ्र का फत्वा दिया उनकी मसाजिद को आम घरों जैसा कहा और कहा कि उन्हें खुदा का घर न तसव्वुर किया जाए।

(मल्फूज़ात पेज 106)

इसी तरह उन्होंने अहले सुन्नत के साथ उठने, बैठने शादी, ब्याह को हराम करार दिया अगर जहां तक शिया का ताल्लुक हैं वो उनके इमाम बाड़ों के अब्जदी तरतीब से हर नाम तज्वीज़ करते रहे। (यादे आला हज़रत 29)

शेख अ. कादिर जीलानी रह.

शेख अ. कादिर जीलानी 1078 ता 1144 ई. बगदाद में मशहूर बुर्जुग़ गुजरे हैं, आज लोग उन्हें (गौंस) फरयाद रस, पीरों के पीर बड़े पीर, दस्तगीर, गौसुस्सकलैन के नाम से याद करते हैं। उनकी किताबों में, मल्फूजात, फुतूहुलग़ैब ''मशहूर हैं। फुतूहुलग़ैब में एक जगह फरमाते हैं।

''फराइज़ में यह भी है कि हराम कामों को छोड़ दिया जाए
और अल्लाह अज़्ज व जल्ल के साथ किसी को शरीफ न किया जाए''

मगर बदकिस्मती से लोगों ने उन्हें ही अल्लाह का शरीक ठहरा दिया और अल्लाह तआला की सिफ़ात उनसे मंसूब कर दीं और उनमें ग़ुलू किया, उनसे मुतआल्लिक तमाम अकीदे बेबुनियाद खुद साख्ता, मनगढ़ंत हैं, उनकी कोई हैसियत दीन व दुनिया में नहीं अहमद रज़ा और उनके पैरवों ने इन अकीदों को गढ़ने और मुसलमानों को गुमराह करने में नुमाया किरदार अदा किया हैं। मुलाहज़ा हो

(1) ''ऐ शफकत फ़रमाने वाले. अ. कादिर मुझ पर
शफ़कत फ़रमाइए, मेरे साथ मेहरबानी का सुलूक
कीजिए, तेरे हाथ में तमाम इख्तयारात व तसरूफ़ात
हैं। मेरे मसाइब और मुश्किलात को हल कीजिए
(हदाइके बखशिश-) अ.र.खां.

(2) ऐ फज़्ल करने वाले बगैर मांगे सखावत करने वाले ऐ

इनआम व इकराम के मालिक तू बुलन्द व अजीम है हम
पर अहसास फरमा और स्टाईल की फरियाद सुन ऐ
अब्दुल कादिर हमारी आरजुओं को पूरा कर
(हदाइके बर्खशिश पेज. 179) अ.र.खां.

अल्लाह तआला फ़रमाता है --

वकाला रब्बुकुमुद उनी अस्तजिबलकूम (कुरान)

तर्जुमा : तुम्हारे रब ने कहा है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दरख्वास्त कुबूल करुंगा

(3) एक जगह कहते हैं, अहले दीन रा मुग़ीस अब्दुल कादिर
(हदाइक 181)

(4)अहमद रज़ा अल्लाह तआला से मदद नहीं मांगते बल्कि अ. क़ादिर जीलानी से ही मदद मांगते हैं कहते हैं'' मैंने जब भी मदद तलब की ''या गौसाह'' ही कहा एक मर्तबा मैंने दूसरे वली (महबूबे इलाही) से मदद मांगी मगर मेरी ज़बान से उनका नाम न निकला बल्कि ''या गौसाह'' ही निकला''
(मल्फूज़ात पेज 307)अ.र.खा.)

यानी लाइलाहा इल्ललल्लाह की हकीकत उनके दिल में नहीं उतरी न ही कुरआनी आयात का उन्होंने कोई असर लिया।

वइजा सअलका इबादी अन्नीव फईनमी करीबुन उजिबुदवतदाई एज़ा दआनी फलयस्त तजीबुली

तर्जुमा - जब मेरे बंदे आपसे मेरी बाबत दरयाफ्त करें तो मैं करीब ही हूं दुआ करने वाली की दुआ कुबूल करता हूं -

(5) अहमद रज़ा खॉ ने शेख जीलानी (र.ह.) को कहां तक पहुंचा दिया मुलाहज़ा हो,

'' अ. क़ादिर ने अपना बिस्तर अर्श पर बिछा रखा है और अर्श को फर्श पर ले आते हैं। (हदाकि दाइक पेज. 179)

''जला दे, जला दे, कुफ्र व इलहाद, के तू मुहियीत है, तू कातिल है या गौस''
खुदा से ले लड़ाई वो मुअत्ती, नबी क़ासिम है तू मौसिल हैयागौस

(6) खुदा से लड़ाई का भी अजीब व अकीदा है, ''ऐ जिल्ले इलाह, शेख अ. कादिर ऐ, बन्दा पनाह- शेख अ. कादिर, मोहताज व गदायम तू जुत्ताज व करीम शैअन लिल्लाह शेख अ. कादिर'' (हदाईक पेज 182)

7. खान सा. जनाब जीलानी (र.अ.) को ज़ीतसर्रुफ़, माज़ून मुख्तार और दुनिया के कामों की तदबीर करने वाला बताते हैं यानी कुरआनी आयात से टकराव – खुद गुम कर्दा राह अस्त किरा रहबरी कुनद

''जी तसर्रुफ़ भी है, माज़ून भी मुख्तार भी है,
कारे – आलम का मुदब्बिर भी है – अ. कादिर ''

(कुरआनी आयात के खिलाफ़ है)

अहमद रज़ा खान सा. ने अ. कादिर जीलानी से एक गलत बात मसूब कीहै लिखते हैं उन्होंने फरमाया –

(8) जो कोई रंज व ग़म में मुझसे मदद मांगे उसका रंज व गम दूर होगा जो सख्ती के वक्त मेरा नाम लेकर (मुझे पुकारे तो वो शिद्दत रफ़ा होगी, जो किसी हाजत में रब की तरफ़ मेरा वसीला बनाए उसकी हाजत पूरी होगी,

(बरकातुल इस्तिम्दाद जिल्द 1 सफा 181)

कुरान की नफी है।

वलज़ीना तदउना मिन्दुनिही लायस्त तकी उना नसरकुम वला अनपोसा हूम यून सरून (अल एराफ 197) कुरान

तर्जुमा – जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह ना तुम्हारी मदद कर सकते है न अपनी मदद आप कर सकते है, (सूर : आराफ़ 197) अबदुल कादिर जीलानी नहीं (9) वलकि अल्लाह तआला ही दुनिया के सारे कामों की तदबीर करने वाला है, यह बयान कु रान में कई जगह आया है,

योदब बेरुल अम्र युफस सैलुल आयाती लाअलकुम बेलेक़ाय रब्बेकुम तू केनून।

तर्जुमा – अल्लाह ही सारे कामों की तदबीर फ़रमा रहा है वो
निशानी खोल–खोल कर बयान फ़रमाता है ताकि
तुम अपने रब की मुलाक़ात का यकीन करो'' (रद 2)

अपने मुश्रिकाना अकीदे को साबित करने के लिए शेख जीलानी से मंसूब झूठ मुलाहज़ा हो

(1) तमाम अहले – ज़माना की बागें मेरे सुपुर्द हैं जिसे चाहूं अता करूं या मना करुं (खालिसुल एतकाद 49)

10. (2) लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं चाहूं तो अपनी तरफ़ मुतवज्जह करुं

चाहूं तो फेर दूं (मल्फूजात 120)
(3) अल्लाह तआला ने मुझे तमाम कुतुबों का सरदार बनाया है मेरा हुक्म हर हाल में जारी व सारी है ऐ मेरे मुरीद! दुश्मन से मत घबरा मैं मुखालिफ़ को हलाक करने वाला हूं आसमान व जमीन में मेरा डंका बजता है मैं बहुत बुलन्द रूत्बे पर फ़ाइज़ हूं अल्लाह तआला की सारी ममलिकत मेरे ज़ेरे - तसर्रुफ़ है मेरे तमाम अवक़ात हर किस्म के ऐब से पाक-व साफ़ हैं पूरा आलम हरदम मेरी निगाह में है मैं जीलानी हूं मुहयुददीन मेरा नाम, मेरे निशान पहाड़ों की चोटियों पर हैं (ज़मज़तुल कमरिय्यह 350)
हमारे शेख सैय्यदना अ.कादिर (रजि.) अपनी मजालिस में
इरशाद फरमाते हैं "आफ़ताब तुलूअ नहीं करता यहां तक कि मुझ परसलाम करे, नया साल जब आता है मुझ पर सलाम करता है और मुझे खबर देताहै तो कुछ इसमें होने वाला है। नया हफ़्ता जब आता है मुझ पर सलाम करता है और मुझे खबर देता है जो कुछ इसमें होने वाला है, नया दिन जो आता है मुझ पर सलाम करता है और मुझे खबर देता है जो कुछ इसमें होने वाला हैं," (अल-अमन वल उला बरेलवी 109)क्या जमीन आसमान सूरत को अब्दुल कादिर ने पैदा किया है?
जब अब्दुल कादिर ही सब कुछ दे रहे हैं! तो किसी को क्या पड़ी है कि मस्जिद जाए या अल्लाह से मांगे।

ग्यारहवीं

13. अहले बिदअत निहायत धूम-धाम से ग्यारहवीं का एहतेमाम करते हैं इसके मुतअल्लिक बरेलवी फिर्के का एतक़ाद है (जाअल हक पेज 270)
ग्यारहवीं तारीख (रबी उस्सानी) को कुछ पैसों पर पाबंदी से फातिहा की जाए तो घर में बरकत रहती है। किताब याज्दह मजलिस में लिखा है हुजूर ग़ौस पाक ग्यारहवीं को मीलाद के पाबन्द थे एक बार ख्वाब में सरकार ने फ़रमाया - अ. क़ादिर! तुमने हमको बारहवीं से याद किया है हम तुमको ग्यारहवीं देते हैं यानी लोग तुमको ग्यारहवीं से याद करेंगे ये सरकारी अतिया है, ये है ग्यारहवीं की अजी मुश्शान मनगढ़ंत दलील, जिसने जुहला में ग्यारहवीं का चक्कर चला दिया, बरेलवी मजहब के मानने वाले इस माह में ग्यारह तारीख से माह के आखिर तक घरों में देगों पर फातिहा देते हैं और

क़ज़ाए हाजात नमाज़े ग़ौसिया

अहमद यार गुजराती ने जाअल-हक सफ़ा 200में एक खुद साख्ता कज़ाए-हाजात-नमाजे गौसिया का ज़िक्र किया है जिसकी अजीब-व- ग़रीब तरकीब ये है,

''हर रकअत में ग्यारह-ग्यारह बार सूर: इख्लास पढ़े, फिर ग्यारह बार सलात-व- सलाम पढ़े फिर बगदाद की जानिब शुमाल में ग्यारह क़दम चले और हर हर क़दम पर मेरा नाम'' (यानी अ.कादिरका) लेकर अपनी हाजत अर्ज़ करे और ये अश्आर पढ़े-

अयदर कुनी ज़ीम व अंत: जख़िरी वज़लम फित्दुनिया व अंता नसीरी

तर्जुमा - क्या मुझे कोई तकलीफ़ पहुंच सकती है जब कि आप मेरे लिए बाइसे - हौसला हो और क्या मुझ पर जुल्म हो सकता है जबकि आप मेरे मददगार हैं। कुरान कहता है।

कुल दावललजी ना ज़अमतुम मिनदूनिललाहे लायमलकूना मिसकाला जररतिन फिस्समावाते वला फिलअरजे वमालकुम फीहा मिन शिर्कवि वमालहुम न्हिूम ज़हीर। (सुर सबा- 22) (कुरान)

तर्जुमा - ऐ नबी! कह दो तुम उन्हें पुकारो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीके खुदाई समझ रहे हो वो ज़र्रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते न ज़मीन में न आसमान में, इन दोनों में इनकी कोई शिर्कत नहीं न उनमें कोई अल्लाह का मददगार है।

बागे फिरदौस 27 में अय्यूब अली रिज़वी बरेलवी लिखते हैं।

'लौहे महफूज़ में तसबी। का हक है हासिल
मर्द, औरत को बना दिए हैं गौसुल - अग़वास'

इस झूठ बात को साबित करने के लिए गलत हिकायत बयान करते हैं शेख शिहाबुददीन सहर्वदी जो सहर्वादिया के इमाम हैंआपकी वालिदा माजिदा हुजूर गौसुस्स कलैन के वालिद माजिद की खिदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ फ़रमाएं ''मेरे लड़का पैदा हो आपने लौहे-महफूज़ में देखा इसमें लकड़ी मरकूम थी आपने फ़रमा दिया कि तेरी तक़दीर में लड़की है वो बीबी यह सुनकर वापस हुईं, रास्ते में हुजूर -गौसुल आज़म मिल आपके इस्तिफ़सार पर सारा माजरा बयान किया हुजूर (ग़ौस) ने इरशाद

फ़रमाया जा तेरे लड़का होगा मगर वजअ-हम्ल के वक़्त लड़की पैदा हुई वो बीबी बारगाहे-गौस में उस मौलूद को लेकर आईं और कहने लगीं हुजूर लड़का मांगूं लड़की मिले फ़रमाया यहां लाओ कपड़ा हटाकर इर्शाद फ़रमाया देखो तो लड़की है या लड़का देखा तो लड़का था और वो यही शेख शिहाबुद्दीन सहर्वदी थे ' आपके हुलिए - मुबारक में है आपके पिस्तान मिस्ल औरतों के थे।

इस गैर फितरी और शिर्क पर मबनी मनगढ़ंत कहानी में लौहे-महफूज़ का जिक्र तो यूं कर दिया गोया म्यूनिसपलिटी का रजिस्टर हो, इसकी जितनी हक़ीकत अल्लाह तआला ने कुरआन में बतलाई है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता शेख सहर्वदी भी एक बुजुर्ग थे उनकी वालिदा का लड़का मांगना वो भी किसी मख़्लूक (बुजुर्ग) से नामुमाकिन और बेसनद है और पिस्तान मिस्ल औरत के कहना उनकी तौहीन के मुतरादिफ़ है, साबित ये करना चाह रहे कि लड़की से लड़का बनाया उसी की निशानी है,

(15) यही अय्युब अली हैं, जो एक वाकऐ का जिक्र करते हैं जिसका खुलासा ये है कि "एक शख्स की तकदीर में मौत थी शेख जीलानी ने उसकी तकदीर बदलकर मुकर्रर वक़्त पर मरने से बचा लिया, शेख जीलानी अपनी मौत के मुकर्ररा वक़्त को न टाल सके किसी और की मौत को क्या टालते कोई भी मौत के मुकर्ररा वक़्त से पहले मरा न मुकर्ररा वक़्त के बाद एक सास भी ले सका"

इन्ना अजललाहे इज़ाजाआ लायुअखर (कुरान)

तर्जुमा - अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक़्त जब आ जाता है तो टाला नहीं जाता,

(16) बरेलवी हज़रात ने शेख जीलानी की बाबत बहुत से किस्से बना रखे हैं मसलन शेख जीलानी के कुत्ते का शेर को फ़ाड खाना, ये कोई नहीं सोचता कि शेख जीलानी नजिस कुत्ते को क्योंकर पाल सकते हैं,

(2) मलकुल मौत से लड़कर रूह छीन लेना

(3) कब्र में मुन्कर नकीर को मुरीद से सवाल करने पर थप्पड़ मारना

(4) बारह साल कब्ल डूबी हुई एक बारातियों को नदी से निकालना वो भी सभी को ज़िदा हालत में

(5)एक तावीज़ के ज़रिए लड़कियों को लड़का बनाना बगैरह

अमरीका ने दो बार इराक और बगदाद पर बिलावजह बम बारी की और आसपास के तमाम इलाक़ों को तहत नहस कर दिया लाखों मुसलमानों की जानें गईं कई बस्तियों का नाम-व-निशान मिट गया, भूख और बदहाली से लोग अलग मरे, ये तबाही आज भी जारी है, मगर अमरीका का कोई बमबार जहाज़ तबाह नहीं हुआ न ही उनकी जान व माल को कोई नुक़्सान पहुंचा पूरी दुनिया ने टेलीविज़न पर दिनरात ये तबाहियां देखीं बगदाद और इराक जहां अ. कादिर जीलानी के अलावा कुछ पैगबरों और कई बुजुगोने - दीन की कब्रे हैं लेकिन कोई पैगबर या बुजुर्ग या खुद अ. कादिर जीलानी अपने मानने वालों और मुरीदों की मदद को या उन्हें बचाने नहीं आए। इससे पक्के तौर पर साबित होता है कि न अ. कादिर जीलानी (गौसेन्पाक या हज़रत अली या कोई नबी किसी की मदद करने की ताक़त नहीं रखते न दुश्मनों को हलाक कर सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सब बेबस-व-बेइख्तियार बरेलवियों की आंख खोलने ये और इस तरह के वाक़्आत काफ़ी हैं।

व इनयमससकललाहो बिजुररींम फला काशिफा लहू इलला हू वई युरिदिका फेला राअददा लिफज लिही (यूनूस 107) कुरान

तर्जुमा - अगर अल्लाह तुझे मुसीबत पहुंचाए तो उसके सिवा कोईउसका दूर करने वाला नहीं अगर वो मेरे साथ भलाई करे तो उसके फज़्ल को कोई रोकने वाला नहीं

अगर लोग खुदा की हकीकी अज़मत और इंसान की असली हकीकत और मर्तबे पर गौर करे तो ये बात वाजेह हो जाती है कि अल्लाह ही आस्मान के उपर से ज़मीन के नीचे तक का तन्हा मालिक है और क़ायनात का कोई ज़र्रा उसके हुक्म से बाहर नहीं फ़िर हम क्यों किसी और से आस लगाएं।

अलैसलसलाहो बेकाफि न अबदहू है

तर्जुमा - क्या अल्लाह अपने बन्दे के लिए काफी नहीं है।

बरेलवी तालीमात

जिस तरह बरेलवी हज़रात के मख्सूस मुश्रिकाना अक़ाईद हैं उसी तरह कुछ मुख्सूसतालीमात भीं हैं मजहबे - बरेल वियत के अक्सर बल्कि तमाम तर मसाइल सिर्फ़ जुहला और सादा लौह अवाम को बिदआत व गैर इस्लामी रस्म-व-रिवाज में फंसाकर दीन को नफ़ा बख्शतिजारत बनाने के लिए वज़अ किए गए हैं, जिनको शरीअत से साबित नहीं किया जा सकता उन्होंने मज़ारों की तामीर का हुक्म दिया और खुद मुजाविर और दरबान बन बैठे और नज़्र व नियाज़ के नाम पर लोगों ने दौलत के अंबार लगा दिए, और गद्दीन शीन मुजाविरों ने उन्हें समेटना शुरू किया और बड़े-बड़े सरमायादारों में उनका शुमार होने लगा, नज़्र व नियाज़ पर पलने वाले लोग दीन के व्यापारी और दुनिया के पुजारी हैं कोई मुआशरा इस्लामी नहीं हो सकता जब तक वो तौहीद-ए-बारी तआला पर मबनी न हो, अल्लाहु की धुन पर झूमना, कव्वाली की थाप पर नाचना, हरी चादर को पकड़कर सवाली बनना, बे बुनियाद किस्से कहानियों को करामत कहना निहायत जाहिलाना और गैर इस्लामी काम है, कब्र परस्ती की लानत, सालाना उर्स ग्यारहवीं, कु ल, फातिहा, चालीसवां सब दुनिया कमाने की तदबीरे हैं।

मताउददुन्या इल्ला गुरूर (कुरान)

अगर कोई दावत व इस्लाह के लिए खड़ा होता है तो यह लोग अपनी आलिमाना फरे बकारियों और मक्कारियों के हर्बे (मसलन वहाबी, औलिया के गुस्ताख़ बगैरह) लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं, दायी और मुस्लिहीन की बात न सुनने और उनसे दूर रहने और साथ ही दीन के मआमले में अक्ल इस्तेमाल न करने की सलाह यू देते हैं,

"खुदा जब दीन देता है तो अक्लें छीन लेता है"

कुरान में अल्लाह तआला ने अक़्ल इस्तेमाल करने और गौर व फिक्र का हुक्म कई जगह दिया है और अक़्ल इस्तेमाल न करने वाले अल्लाह के नज़दीक बद-तरीन किस्म के जानवर है।

इन्नश शररद दव्वारे इन्दललाहेससुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून (सूर अनफाल - 30) कुरान

तर्जुमा - यकीनन अल्लाह के नजदीक बद-तरीन किस्म के जानवर वो

बहरे-गूंगे लोग हैं जो अक़्ल सेकाम नहीं लेते।

बरेलवी तालीमात का जायज़ा लिया जाए और उनका मुआज़ना कुरान-व-हदीस और फ़िक़ा- हनफ़ी से किया जाए ताकि पता चले कि उनकी तालीमात का तअल्लुक किताब -व-सुन्नत और फ़िक़्हे-हनफी से है भी या नहीं।

"तबर्रुकात की गुमराह कुन ईजाद"

बरेलवी अकाबिरीन ने दुनियावी माल समेटने के लिए जुब्बा -व दस्तार की ज़ियारत और तबर्रुकात की गुमराह कुन बिदआत ईजाद की हैं, रिसाला बदरूल अनवार के मुख़्तलिफ़ सफ़हात में इसका जिक्र है, मुलाहज़ा हो,

(1) औलिया के तबर्रुकात शआ ईरुल्लाह (अल्लाह की निशानी) में से हैं उनकी ताज़ीम जरूरी हैं। (जिल्द 2 सफ़ा 96)

(2) जो शख़्स तबर्रुकाते शरीफ़ा का मुन्किर वो कुरआन व हदीस का मुन्किर, सख़्त जाहिल, खासिर, गुमराह, फाजिर है, (बदरुल, अनवार सफ़ा 12)

(3) रसूलुल्लाह की ताज़ीम का एक जुज़ ये भी है कि जो चीज हुजूर के नाम से पहचानी जाती है उसकी भी ताज़ीम की जाए। (बदरुल-अनवार21)

(4)इसके लिए किसी सनद की जरूरत नहीं बल्कि जो चीज़ हुजूर स.अ.व. के नाम से मश्हूर है उसकी ताज़ीम शअइरे-दीन में से है (बदरुल- अन्वार 43)

(5) दरो - दीवार और तबर्रुकात को मस करना और बोसा देना अगरचे इन इमारतों का जमान ए अक़दस में वुजूद न हो हत्ता कि बुजुर्गों की कब्रों पर जाते वक़्त दरवाज़ों को चूमना भी जायज़ है इसकी दलील में मजनू का एक शेअर पेश किया है जिसका मतलब है कि किसी ने क्या खूब कहा कि मैं लैला के शहरों पर से गुज़रता हूं तो कभी इस दीवार को बोसा देता हूं कभी उस दीवार को (रिसाला अबर्रुल मक़ाल जि. 2 सफ़ा 141)

नोट - जिसने भी नबी ए करीम स.अ.व. के किसी खत या कोई और चीज़ महफूज़ रखी है उसके साथ उसकी तस्दीक़ तारीख भी रखी कि कब-कब, किस-किस के पास से होते हुए यहां तक पहुंची है, दूसरे ये कि ज़मान ए अकदस में जिसका वुजूद न हो ऐसी इमारत की कोई अहमियत नहीं तीसरे ये कि ये कोई लैला मजनूं वाला मामला नहीं बल्कि दीन व अकीदे की बात है।

जिससे आखेरत जुड़ी हैं।

नअल-ए-मुबारक के नक़्शे

जनाब अहमद रज़ा ने नअले मुबारक रसूल (स.अ.व.) की बाबत बहुत सी फजीलतें गिनवाईं गो कि उनका सवाब या फजीलत कुरान व हदीस से साबित नहीं बल्कि जाती इख़्तिराअ है,और उन खुराफ़ात में से है जिसे नबी (स.अ.व.) ने मिटा दिया था, उसे ये फ़िर से ज़िदा कर रहे हैं।

(1) " उलमा-ए-दीन" नअले - मुतहह्र व रौज़ा मुअत्तर हुजूर सैय्यदुल बशर (अलैहिस्सलातु व अकमलुस्सलाम) के नक्शे काग़ज पर बनाने और उन्हें बोसा देने, आंखों से लगाने, और सर पर रखने का हुक्म फरमाते हैं" (अबरूल मक़ाल फ़ी किबलति इजलाल 143)

(2) उलमा-ए-दीन इन तस्वीरों से दफ़ ए अमराज़ व हुसूल ए अग़राज़ के लिए तवस्सुल फ़रमाते थे, (बदररुल अनवार फी आदा बिलआसार 39)(न जाने वो कौन से उलमा हैं।

(3) जिसके पास ये नक़्श-ए-मुतबर्रका हो, जालिमों और हासिदों से महफूज़ रहे, औरत दर्दे-ज़ेह के वक़्त अपने दाहिने हाथ में रखे आसानी हो, जो हमेशा पास रखे मोअज़्ज़ हो, और उसे जियारत रौज़ ए रसूल नसीब हो जिस लश्कर में हो न भागे, जिस काफ़िले में हो न लुटे, जिस कश्ती में हो न डूबे, जिस माल में हो न चुरे, जिस हाजत में उससे तवस्सुल किया जाए पूरी हो, जिस मुराद की नियत से पास रखे पूरी हो (बदरुल अनवार 39-40)

(4) अगर हो सके तो उस ख़ाक को बोसा दे जिसे नअले - मुबारक के असर से नमी हासिल हुई हो, वरना नक़्शे ही को बोसा दे दे। (अबर्रुलमक़ाल 148)

(5)इस नक्शे को लिखने में एक फायदा ये है कि जिसे अस्ल रोज़ा आलिया की ज़ियारत न मिली हो वो इसकी जियारत कर ले और शौक से उसे बोसा दे कि ये मिसाल उस अस्ल के कायम मुकाम है, (अबरूल मक़ाल फ़ी 148)

(6) रौज़ा मुनव्वरा हुजूर ए पुरनूर सैय्यदे आलम स.अ.व. की नक्ले-सही बिला शुबा मुअज़्जमाते दीनिया से है और उसकी ताज़ीम व तकरीम बर वजह शरई, हर मुसलमान सहीहुल ईमान का मुक्तज़ाए ईमान है (बदरूलअनवार अज़ बरेलवी 152)तस्वीर की ज़ियारत के आदाब में लिखते हैं,

7. इन चीज़ों की जियारत के वक़्त हुजूर स.अ.व. का तसव्वुर ज़हन में लाए और दरूद शरीफ़ की कसरत करें। (बदरूल-अनवार 56)
(8) हुजुर (स.अ.व.) के नअले-मुबारक के नक्शे को मस करने वाले को कियामत में खैर-कसीर मिलेगी और दुनिया में यकीनन निहायत ऐश व सुरूर में रहेगा, उसे कियामत के रोज़ कामयाबी की गरज़ से बोसा देना चाहिए, जो इस नक्शे पर अपने रुखसार रगड़े उसके लिएबहुत अजीब बरकते हैं
(मजमूआ रसाइल अज़ अहमद रज़ा 144)
एक तरफ़ तो तस्वीर और मुजस्समे की इस कद्र ताज़ीम, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) की शान में बेअदबी और गुस्ताखी-मुलाहज़ा हो।
(9) नअले-शरीफ़ (जूते का मुजस्समा) पर बिस्मिल्लाह लिखने में कोई हरज नहीं (मजमूआ रसाइल 304)
अंदाजा लगायें कि इन हज़रात की इन हरकात और बुत परसस्ती में क्या फर्क़ है? अपने हाथों से तस्वीर बनाते हैं, नबी स.अ.व. का तसव्वुर करते हैं फिर उसे चूमते, आखों से लगाते, गालों पर रगड़ते और बरकात के हुसूल की उम्मीद करते हैं, फिर इन मुशिरकाना रस्मों की अस्ल ग़ायत की तरफ़ आते हैं यानी वही वसूली।
लिखते हैं।" ज़ायर को चाहिए के वो कुछ नज़्र करे ताकि उससे मुसलमानों की इआनत हो इस तरह से ज़ियारत करने और करवाने वाले दोनों को सवाब होगा, एक ने सआदत व बरकत देकर उनकी मदद की दूसरे ने मताए कलील से फायदा पहुंचाया" आगे मनगढ़ंतहदीस के हवाले से लिखते हैं," "हदीस में है" तुम में से जिससे हो सके के अपने मुसलमान भाई को नफ़ा पहुंचाए तो उसे चाहिए के नफ़ा पहुंचाए। फिर लिखते हैं हदीस में है," अल्लाह अपने बंदों की मदद में है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में है. खुसूसन जब ये बरकात वाले हज़रात सादाते किराम हो तो उनकी खिदमत आला दर्जे की सआदत है।" (बदरूल-अनवार 50)
क्या तसव्वुर किया जा सकता है इस्लाम तस्वीर और मुजस्समे की ताज़ीम का हुक्म देगा और उन्हें बोसा देने और नज़्र व नियाज़ की तर्ग़ीब देगा? हरगज़ि नहीं! तस्वीर और मुजस्समे की मुमानअत तो साबित है

कोन्डा

बहुत से रस्मो रिवाजकी की तरह कोन्डा भी कोई इस्लामी कामन नहीं! अहले बिदअत रातभर जागकर खीर पूरी गुज्यिा पकाते है,और इमाम जाफर सादिक़ के नाम से फातेहा देते हैं इसका मोहररिक एक किताबचा है जिसके लिखने वाले का इसमें नाम नहीं है। इसमें कुछ मनघड़त किस्से हैं मसलन एक औरत का शौहर कई साल से गायब था फातेहा दिलाने से वापस आ गया। इस तरह से जोहला को रग़बत दिलाई गई हकीकत इसकी यह है कि अमीर माविया की वफात पर शिया हज़रात ने खुशी मनाने के लिए खीर-पूरी पकाई थी और क्योंकि हुकूअत अमीर माबिया की थी इस लिए इसे गुप्त रखा गया था इसी सुन्नत को अदा करने के लिए लोग कोन्डा करते हैं और एक दूसरे के घर जाकर खाते हैं इसकी दावत नहीं दी जाती, और खाने के बाद जो कुछ बच जाता है दफन कर देते हैं! खुफिया रखने की यह सुन्नत भी शिया हज़रात से आई है। क्योंकि मामला खाने पीने का है इसलिए लोग इसे गैर इस्लामी नहीं समझते वरना "कोन्डा" शब्द ही गैर अरबी है इतना ही इशारा समझदार के लिए काफी हैं।

हीला-ए-इस्क़ात

दीन को नफा बख्श तिजारत बनाने वाले मुल्लाओं ने अवाम को लूटने के लिए बहुत सी बिदअतें ईजाद कर रखी हैं जिनमें ईसाले सवाब, नज़राना, फातिहा, चढ़ावे, वगैरह की आमदनी से तो सभी वाकिफ़ हैं इन सब से बढ़कर है हीला ए इस्कात (थोक की आमदनी का ज़रिया), यानी अगर किसी ने सारी उम्र नमाज़ न पढ़ी हो, रोज़ा ने रखा हो तो मरने के बाद माले मताअ खर्च करके उसको बख्श वाया जा सकता है "उसे हीला ए इस्क़ात" का नाम दिया है, इसका फार्मूला कुछ यूं है,

" मय्यत की उम्र का अन्दाज़ा लगाकर मर्द की उम्र से बारह साल और औरत की उम्र से नौ साल (नाबालिग़ की कम से कम मुददत) कम कर दिए जाए- बकिया उम्र का अंदाजा लगाया जाए कि ऐसे कितने फ़राईज़ हैं जिन्हें वो अदा न कर सका हो, न ही उसकी कज़ा अदा की हो, उसके बाद हर नमाज़ के लिए फितरे की मिकदार बतौर फिदया खैरात कर दी जाए सदके फित्र की मिक़दार निसस्फ साअ गंदुम या एक साअ जौ है, इस हिसाब से एक दिन की वितर समेत छ: नमाज़ों का फिदया तकरीबन बारह सेर होगा और एक माह का नौ मन, और शम्सी साल का एक सौ आठ मन होगा"

(गायतुल इस्काल फी जवाज़ि ही लतिल इस्कात 34-35)

अगर कोई शख्स इस हिसाब के मुताबिक अदा करे तो क्या ही अच्छा हो, वहाबी वगैरह को देना रूख्सत होने वाले के लिए न कोई खैर है, न फुकरा व गुरबा के लिए जज़्बे हमदर्दी है।

इस तरह मोहल्ले के लोग अपने अइज़्ज़ा को बख्शवाने के लिए इन हीलों पर अमल करना शुरू कर दें तो उन मुल्लाओं की तो पांचों उगलियां घी में और इस किस्म की तर्ग़ीब से बेन नमाजियों और रोज़ाखोरों की तादाद में इज़ाफ़ा होगा, और बरेली उलमाकी तिजोरियां भरेगी।

नोट- अज़ाब के मुस्ताहिक़ बंदों को बख्शवाया नहीं जा सकता न ही बदनी आमाल (फराहज़) का कोई बदल हो सकता है, न ही कु रआन व हदीस से कोई हीला साबित है।

लातजिरु वाजेरतन विज़रा उखरा (1)यानी कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा (2)वइन्ना लैसा लिलइंसाने इल्ला, मासआ- (

इंसान को उसी की जज़ा मिलेगी जो उसने कमाया)

मज़ारात पर कुब्बा बनाना

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने कब्रों को चूना गच करने और उस पर कुब्बा बनाने से मना फ़रमाया है, (मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई, अहमद, हाकिम, बैहकी,)

2. हज़रत उमर बिन अलहारिस (रजि.) हज़रत सुमामा (रजि.) से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा रोम में हमारा एक साथी फौत हो गया तो हज़रत फजाला बिन उबैद (रजि.) ने कब्र को जमीन के बराबर रखने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह स.अ.व. को इसका हुक्म देते हुए सुना है। (मुस्लिम शरीफ़)

4. फिक़ा हनफी की नुसूस-(क़तई हुक्म)

1. कब्रों को पुख्ता बनाना ममनूअ है, (किताबुल आसार (इमाम मोहम्मद

2. कब्रों को पुख्ता न बनाओं क्योंकि रसुलुल्लाह (स.अ.व.) से इसकी मुमानअत साबित है, अल मब्सूत इमाम सरखसी (जिल्द-2 सफ़ा 62)

3. कब्रों को पुख्ता न बनायाजाए और न ही उस पर कुब्बा वगैरह तामीर किया जाए क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा (र.ह.) से इसकी नहीं वारिद है (मुमानअत) फ़तावा काजी खान जिल्द 1 स.फा. 194

5. ईमाम अबू हनीफ़ा ने कब्रों को पुख्ता करना मकरुह समझा है इसमें माल का ज़ियाअ (बरबादी)है। अलबत्ता कब्र पर पानी छिड़कने में कोई हरज नहीं, मगर इमाम अबू युसुफ़ कहते हैं कि पानी छिड़कना भी मकरुह है क्योंकि इससे कब्र पक्की होती है। (बदाइ उस्सनाए अ-इमाम कासानी सफ़ा 320)

6. वो कुब्बे जो कब्रों पर तामीर किए गए हैं उन्हें गिराना फर्ज़ हैं क्योकि रसूलल्लाह स.अ.व. मासियत (नाफरमानी) पर तामीर किए गए हैं और जो इमारत रसुल्लाह की मासियत पर तामीर की गई हो उसे गिराना मसजिदें ज़िरार के गिराने से ज़्यादा ज़रूरी है। (मजालिसुल अबरार काज़ी इब्राहिम पेज 129)

रसूलल्लाह स.अ.व. का फरमान है -

लअलनल्लाहिल यहूद व नसारा इत्तेख़िजू कूबूरन अमबियाअहूम मसाजिदा (बुखारी शरीफ)

तर्जुमा - अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सज्दागाह बना लिया है। मगर अहमद रज़ा खान सा.नबी

स.अ.व. के फ़रमान और फिका हनफी के सारे अहक़ाम व नुसूस को एक तरफ करके कब्र को पुख़्ता करने और उस पर कुब्बा तामीर करने को जायज़े ही नहीं जरूरी ठहरा रहे हैं, लिखते हैं

1. कुब्रों वगैरह की तामीर इसलिए ज़रूरी है ताकि मज़ाराते – तैय्यबा आम कुबूर से मुम्मताज़ रहे, और अवाम की नज़र में हैबत व अज़मत पैदो हो (अज़-बरेलवी सफ़ा-

2. साहबे कब्र की अज़मत के इज़हार के लिए कुबा वगैरह बनाना शरअन जायज है (जाअल हक़ सफ़ा 282)

3. उलमा और औलिया और सालिहीन की कब्रों पर इमारत बनाना जायज़ काम है जबकि इससे मक़सूद लोगों की निगाहों में अजमत पैदा करना ताकि इस कब्र वाले को हकीर न समझे। (जाअल-हक-285)

कब्रों पर चिराग़ जलाना, चादरें चढ़ाना

शरीअत के खिलाफ़ उमूर में से यह भी है कि लोग कब्रों व मज़ारो के सामने बड़ी आजिजी व इंकिसारी का इज़हार करते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं उन पर दिए जलाते हैं,

ईमान वालों को इन हरकतों से बाज़ आना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी स.अ. ने इस पर लानत भेजी है, उलमा अहनाफ़ ने इससे मना फ़रमाया है

लाअना रसूलुल्लाह जायरातिल कुबूर वलमुत्ता खिजीने अलैहिल मसाजिदा वस्सुरूज (तिरमिजी, अबुदाउद और निसाई)

तर्जुमा - रसूलुल्लाह स.अ.व. ने कब्रों की जियारत के लिए आने वाली औरतों व कब्रों पर सज्दागाह तामीर करने वालों उन पर और चिराग़ जलाने वालों पर लानत फ़रमाई है।

मुल्ला अली क़ारी लिखते हैं क़ब्रों पर चिराग़ जलाने की मुमानअत इसलिए आई है कि ये माल का ज़ियाअ (बरबादी) है, और इसलिए कि जहन्नम के आसार में से है, और इसलिए भी कि इसमें कब्रों की ताज़ीम है, (मरकामुल्ला अलीकारी)

3. कब्रों पर चादरें चढ़ाना, उनपर दरबान बिठाना, उन्हें चूमना, उनके पास रिज़्क़ व औलाद वगैरह तलब करना, इन सब उमूर का शरीअते-इस्लामिया

में कोई जवाज़ नहीं (मजालिसुल अबरार पेज 118)

4. खुद अहमद यार नईमी ने फ़तावा आलमगीरी से नकल किया है कि कब्रों पर शमें रौशन करना बिदअत है (जाअल-हक पेज 302)

5. फतावा बज़ाज़िया में है कब्रस्तान में चिराग़ ले जाना बिदअत है इसकी कोई अस्ल नहीं

6. इब्ने आबिदीन "रददुल मुखतार" में फरमाते है मज़ारो पर तेल या शमा वगैरह की नज़्र बातिल है।

7. अललामा हस्क़फ़ी हनफ़ी " वो नज़्र व नियाज़ जो अवाम की तरफ से कब्रों पर चढ़ाई जाती हैं ख्वाह वो नकदी की सूरत में हो या तेल वगैरह की शक्ल में बिल-इज्माअ बातिल और हराम है" (दुर्रे-मुख्तार जिल्द2 सफ़ा पेज 139)

8. अल्लामा आलूसी बग़दादी " कब्रों पर से चिराग़ों और शमों को हटाना जायज़ हैं" (रूहुल - मआनी जिल्द -15 सफ़ा 219)

मतालिबुल - मोमिनीन में उलमा-ए-अहनाफ़ (हनफ़ी उलमा)

हज़रत अली के मुतअल्लिक बयान करते है।

"वो किसी ऐसी कब्र के पास से गुज़रे जिसे कपड़े वगैरह से ढांप दिया गया था तो आपने उससे मना फरमाया"

रसूले करीम (स.अ.व.) ने दुआ फरमाई

अल्ला हुम्मा ला तजअल क़बरी वसनैयाबुद (हदीस) मिस्क़ाद

ऐ अल्लाह मेरी कब्र को मेलागाह न बनाना कि उसकी पूजा की जाए।

(मिश्कात बाबुल- मसाजिद)

अल्लाह के नबी स.अ.व. ने जिस काम पर लानत भेजी है, उसे बरेलवी अकाबिरीन जाइज़ ठहरा रहे हैं, कब्र और कब्रस्तान जाय इबरत हैं ना की ताज़ीम और बरकत हासिल करने की जगह वह जिन्दा लोगों से मग़फिरत की दुआ की आस रखते हैं ना कि बरकत बांटते हैं। मौत के साथ इंसान के अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मगर बरेलवी फतवे क्या कह रहे है मुलाहजा हो।

1. " शमें रौशन करना कब्र की ताजीम के लिए जाएज है ताकि लोगों को इल्म हो कि ये किसी बुजुर्ग की कब्र है और वो उसे तबर्रुक हासिल करे"

(बरीक़ुल मनार बि-शमुअिल मज़ार (फतावात्तिल्या (जिलल्द 4 सफ़ा 144)

2. अगर किसी वली की कब्र हो तो उनकी रुह कीताज़ीम के लिए और लोगों

को यह बताने के लिए कि यह वली की कब्र है ताकि लोग उससे बरकत हासिल करें तो चिराग़ जलाना जायज़ है। जाअल -हक़ सफा 300

इन्हीं अहमद यार ने कब्रों पर चिराग़ व शमें रौशन करने को बिदअत कहा है (जाअल-हक़ 302)

अल्लाहकावली कौन है इसका फैसला कौन करेगा? हमारे तुम्हारे कहने से कोई वली नहीं हो जाता। इस पर ग़ौर करने से मामला साफ हो जाएगा।

उर्स व मज़ार परस्ती

शिर्क का सबसे बड़ा जरिया मज़ार परस्ती और यादगार परस्ती है। कब्रों और यागदारों को लोग इबादतगाह बना लेते हैं और सालाना मज़्मा क़रते हैं, और दूर दराज़ से सफ़र करके आते है, मन्नतें मांगते हैं, नजराने चढ़ाते हैं, नबी करीम स.अ.व. ने इन अफ़आल से मना फ़रमाया है वफ़ात से पांच दिन कब्ल आप ने फ़रमाया, "तुम से पहले लोग कब्रों को मस्जिद बना लेते थे देखो मैं तुमको इससे मना करता हूं कब्रों को मस्जिद न बनाना"

वफ़ात से पहले अज़्वाजे मतहहरात ने ईसाई मअबदों और उनके मुजस्समों और तस्वीरों का जिक्र किया तो आप ने फ़रमाया - "इन में से जब कोई नेक आदमी मर जाता तो वो उसके मकबरे को इबादतगाह बना लेते और उसका बुत - बनाकर उसमें खड़ाकर देते"

(हरम शरीफ़ में इस्लाम से कब्ल इसी किस्म के बुत मौजूद थे जिन्हें फत्हे-मक्का के बाद निकाल फेंका गया) आज भी यह काम हो रहे है अल्लाह की पुकार जनवरी 2009 सफा 91 वें पर मन्जूरूलहक अन्सारी कामठी जिला नागपुर से खबर दे रहे है कि उन्होंने कामटी में ताजुद्दीन बाबा के लकड़ी के दो बुत दो मुसलमानों के यहां देखे हैं उनकी कब्र पर सजदे और मुशरिकाना आमल तो पहले से ही किए जा रहे है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ के खास इलाकों में बंजारी वाले बाबा के नाम से हर दुकानों और हर घर में फोटो देखी जा सकती है। वह तो शरियत में तस्वीर की मनाही थी वरना ये लोग अल्लाह के नबी और साहबा के बुत घरों में और चौराहों पर लगा देते। जो शिर्क की इन्तिहाई सूरत है।

क़ियामत के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की निगाह में यह बदतरीन

मखलूक़ात होंगे, ऐन कर्ब (तकलीफ़) की हालत में आप (स.अ.व.) चादर कभी मुंह पर डाल लेते कभी गर्मी से उलट देते हज़रत आएशा (रजि.) ने ज़बान मुबारक से यह अलफ़ाज़ सुने।

लानतल्लाहे अलयहदे वन्नसारा इत्तारवीज कबूर अम्बीया अहूम मसाजिदा (बुखारी जिक्र वफात) हदीस

तर्जुमा - यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो इन लोगों ने पैग़म्बरोंकीकब्रोंको मसाजिद बना लिया। अंबिया की कब्रों पर मसाजिद की बाबत इतनी सख्त वईदें हैं तो औलिया और बुजुर्गों की कब्रों पर इसी अमल के लिए क्या कहा जाएगा जबकि औलिया - कुतुब व बुजुर्गाने दीन का मर्तबा नबी, सहाबा, ताबेईन और तबए तबेताबईन के बाद आता है। और पुख्ता कब्रों और कुब्बे की तामीर से ही उर्स और इससे वाबस्ता सैकड़ों बिदआत के रास्ते खुल गए और खुलते जा रहे हैं। सूर: कहफ 27 ----

व कज़ालिका आसरना अलैहिम लियालमू अन्नावदालाही अक्कुं व अन्ससअता लरैयबफीहा इजयतानाज़ऊना बैनहूम अम्रहूम फ़क़ालूबमू अलैहीम बुनियानन रब्बोहूम अलोबिहीम कालललज़ीना गलबू अलाअम्र हीम लनततख़्ज़िन्ना अलैहिम मस्जिदा (कुरान) सूर: कहफ 27

तुर्जमा - इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्च्वा है और क़ियामत की घड़ी आकर रहेगी (यानी सोचने की अस्ल बात यह थी)उस वक़्त वह आपस में झगड़ रहे थे कि इन (अस्हाबे - कहफ़) के साथ क्या किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि इन पर मकान बना दो (दीवार चुन दो)इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग इन मामलात पर गा़लिब थे. उन्होंने कहा हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे।

(अहमद रज़ा ख़ां. सा. ने इसका तर्जुमा यह किया है (वह लोग इनके मामले में बाहम झगड़ने लगे तो बोले इनकी ग़ार पर कोई इमारत बना दो इनका रब इन्हें खूब जानता है, वह बोले जो इस काम में ग़ालिब रहे थे, कसम है हम तो इस पर मस्जिद बनाएंगे। खान सा. के तर्जुमे में ग़ार, कसम "कुरआन की आयत में नहीं है।"

मुसलमानों में बरेलवियों ने कुरान मजीद की इस आयत का उल्टा मफहूम

लिया है। और इसे दलील ठहराकर मक़ाबिरे- सुलहा (नेक लोगों की कब्रें) पर मस्जिदें बनाने को जायज़ ठहरा रहे हैं। जैसा कि उन ज़माने में उन मामलात पर गालिब लोगों ने कहा था, हालांकि यह "बअस"- बादलमौत (मौत के बाद उठाया जाना) और इमकाने - कियामत (आख़िरत) का यकीन दिलाने के लिए निशानी के तौर पर दिखाई गई थी, जैसा कि आयत के शुरू में बयान कर दिया गया है,- रब्बहुम आलमो बेहुम
में अल्लाह की मर्ज़ी और ताईद, और -गलबु अलाह अम्रहीन
में ग़ालिब लोगों की मर्ज़ी साफ़ नजर आ रही है। इन दोनों मर्जियों में से ग़ालिब लोगों की मर्ज़ी को अखज़ करके बरेलवियों ने इसे इरतकाबोशिर्क का ख़ुदादाद मौक़ा ख्याल किया। कि चलो पूजा पाट के लिए कुछ और वली हाथ आ गये इस आयत से अहमद रज़ा खान सा. के तर्जुमे और नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफ़सीर वाले कुरान "कंजुल -ईमान") सफ़ा न. 429 में नईमुद्दीन मुरादाबादी सा. को दो मसले नज़र आए मसला नं.1 लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि बुर्जुगों की मज़ारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का कदीम तरीक़ा है। और कुरान में इसका जिक्र करना और इससे मना न करना इस फे ल (काम) के दुरूस्त होने की क़वी तरीन दलील है।
मसला नं. 2 लिखते हैं कि इससे यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के जिवार (पड़ोस) में बरकत हासिल होती है। इसी लिए अहलुल्लाह के मज़ारात पर लोग हुसूले बरकत के लिए जाते हैं। और इसीलिए कब्रों की ज़ियारत सुन्नत और मोजिबे सवाब है। यानी उर्स और कब्र परस्ती को साबित कर रहे है हालांकि इस आयत से यह दोनों मसले किसी भी सूरत में साबित नहीं होते। नईमुद्दीन सा. की इस गुमराह कुन दिमाग़ी वर्ज़िश ने शिर्क-व बिदअत के बहुत से दरवाज़े खोल दिए यह मसले अखज़ करते वक़्त वो यह भी भूल गए या उनको पता न था कि (1) यह तरीक़ा उस वक़्त के लोगों ने इख्तियार किया था। जो ईसाइ थे (2) दूसरे यह कि अल्लाह के नबी की शरीअत के रहते पिछली सब शरीअतें कल अदम खत्म हो गई हैं। (3) और तीसरे यह कि नबी करीम (स.अ.व.) के इरशादात इसकी नफ़ी में मौजूद हैं।
ला अनातल लही अललयहूदो वननासारा इकतखिज़ु कुबुरन अंबिया अहूम मसाजिदा (सही बुखारी)

तर्जुमा - यानी यहूद व नसारा पर खुदा की लानत हो इन लोगों ने अपने पैगंबरों की कब्रों को मसाजिद बना लिया है। (4) चौथे यह कि अगर इससे मना नहीं किया गया तो इसकी इजाज़त भी तो नहीं दी गई।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) से रिवायत है कि

तर्जुमा - रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने कब्रों की ज़ियारत के लिए आने वाली औरतों और कब्रों पर सज्दागाह तामीर करने वालों, और चिराग़ रौशन करने वालों पर लानत फ़रमाई है।

मक्का के जन्नतुलमाला, और मदीना के जन्नतुलबकीअ में हज़ारों सहाबा की कब्रें देखी जा सकती है। जहां सपाट ज़मीन पर कब्र की निशानी के तौर पर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ नज़र आता है। जिससे अहले कब्र का भी पता नहीं चलता बरेलवी अकाबिरीन ने इस तरह के ख्यालात व तफ़्सीर से उर्स और इससे मुताल्लिक दीगर खुराफ़ात को सीध सीधे मुसलमानों में जारी करके उम्मत को गुमराह कर दिया है।

उर्स की वज्हे तसमीया बताते हुए अहमद यार गुजराती "जाअलहक़" मे लिखते है "उर्स को उर्स इसलिए कहते हैं कि यह उरूस यानी दुल्हा मोहम्मद (स.अ.व.) के दीदार का दिन है।" (सफा नं. 146)

उरूस दुल्हन के माने में इस्तेमाल होता है न कि दुल्हा के दीगर यह कि इस तरह के ख़्यालात का इज़हार करके नबी (स.अ.व.) के वक़ार को कम किया है और आपकी शान में गुस्ताखी की है। कब्रों पर उर्स औलिया की खिदमत में हाज़री का सबब है और शआईरूल्लाह की ताज़ीम है। इसमें बेशुमार फायदे हैं। (मवाइज़े- नईमिया पेज नं. 224)

औलिया किराम की कब्रों पर उर्स करना, फातिहा पढ़ना बरकात का सबब है। बेशक औलिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, और मरने के बाद इनकी ताकतों में इज़ाफ़ा हो जाता है। (अमजद अली. बहारे शरीअत अव्वल सफ़ा 56)

उर्स करना और इस मौके पर रोशनी फर्श और लगंर का इंतिज़ाम करना शरीअत से साबित है। रसूल करीम (स.अ.व.) की सुन्नत है। (रिसालतुल मोज़िज़तिल उज़्मा दर फ़तावा नईमुद्दीन)

नईमुद्दीन सा. ने एक झूट को रसूलुल्लाह और शरीयते -इस्लामी से मसूंब कर दिया। नबी (स.अ.व.) व शरीयत से इसका कोई सुबूत नहीं है।

वमई यूज़ालिलिल्लाह फ़मालइ मिनहाद (कुरान)

तर्जुमा - जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर इसके लिए कोई रहनुमा नहीं

फनाज़रूललजीना लायरजूना लेक़ाअना फ़ी तुगयाने हिम यामहून (कुरान)

तर्जुमा - जो हमसे मिलने की तवक्कअ (उम्मीद) नहीं रखते हम उन्हें सरकशी में भटकने की छूट दे देते हैं।

औलिया की कुबूर का तवाफ

1. औलिया के मज़ारात में नमाज पढ़ना और उनकी रूहों से मदद तलब करना बरकात का बाइस है। (रिसाला हाजिजुल -बहरैन अज़ फतावा रिजविया) जि-2 पेज 333
2. अगर बरकात लेने के लिए कब्र के गिर्द तवाफ़ किया जाए तो कोई हर्ज नहीं (बहारे शरीअत अमजद अली पेज 133 जुज 4)
3. औलिया की कब्रें शआइरुल्लाह में से हैं। उनकी ताज़ीम का हुक्म है। (अहमद यार इल्मुल कुरआन सफ़ा 36) कब्र की ताज़ीम ग़लत है।
4. तवाफ़ को शिर्क ठहराना वहाबिया का गुमाने फासिद और गुलू व बातिल है। (अहमद रज़ा खान हिकायाते - रिजविया 46)
5. वहाबियों का यह कहना कि कब्रो को चूमना शिर्क है, उनका गुलू है। (फतावा रिज़विया जुज़ 10 सफा 66)

कब्रों के तवाफ़ और चूमने को शिर्क कहना, वहाबियों का ग़ुलू, गुमान-फासिद और बातिल कहने वाले खान सा. अपने ही फत्वे के खिलाफ़ क्या कह रहे हैं मुलाहज़ा हो,

"जियारते रोजे अनवर के वक़्त न दीवारे करीम को हाथ लगाएं न चूमें न चिमटें, न तवाफ़ करें न ज़मीन को चूमें कि यह सब बिदअते कबीहा हैं," (अहमद रज़ा सा. हुरमते सजदाए ताजीम 63)

जब नबी स.अ.व. की कब्र के बारे में यह आमाल बिदअते कबीहा हैं, तो औलिया वग़ैरह के बारे में क्यों कर जायज़ हो सकते हैं?

"काबे के सिवा किसी दूसरी चीज़ के गिर्द तवाफ़ कुफ्र है।" (अल. बहरूर्राइक़)

मुल्ला अली कारी रह. कहते हैं "रौज़ा रसूल के गिर्द भी तवाफ़ जायज़ नहीं

क्योंकि यह काबे की खासियत है।"

आजकल कुछ जाहिल लोगों ने मशाईख और उलमा का लबादा ओढ़कर यह काम शुरू किया है। इनका कोई एतेबार नहीं, इनका यह फअल ज़िहालतपर मबनी है। (शरहुल-मनासिक मुल्ला अली क़ारी)

ईद मीलादुन नबी

तारीख मुसलमानों पर ताज्जुब है कि वह अल्लाह के नबी (स.अ.व.) का यौमे पैदाइश आपकी तारीखे वफ़ात के रोज़ मनाते हैं। आप स.अ.व. ने बारह रबी उल अव्वल को इंतकाल फ़रमाया था जबकि आप स.अ.व. की तारीखे पैदाइश नौ रबी उल अव्वल है, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि चंद साल पहले तक इसे बारह वफ़ात कहा जाता था, मगर चंद नाम निहाद बाअसर लोगों ने बिना तहक़ीक़ किए इसे बदलकर बारह मीलाद कर दिया, जनाब नबी-ए-करीम स.अ.व. की विलादत बरोज़ पीर नौ रबी उल अव्वल बवक़्त सुबह सादिक हुई विलादत के मुताल्लिक तमाम मुर्रिखीन, व सवानेह निगारों का कुल्ली इत्तेफ़ाक है।

1. विलादत का साल आमुलफील था चुनाचे सीरते-मग़ाज़ी के मशहूर इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़, और जलीलकद्र मुअर्रिख व् मोहद्दिस इब्ने कसीर जम्हूर की यही राए नकल करते हैं,

वकाना मौलिदेतू अलैहिस्सलातो व स्सलाम आमलफी व हाज़ा हुअल मशहूरु अनिल जमहूर काला इब्राहिमू बनू मनज़रल ख़जामी वहवल्लजी लायश्शुकू की अहदि उलमाए ना अन्नाहू अलैहिस्सलामा आमुल फील

(तारीख इब्ने कसीर जिल्द 6 सफ़ा 261) --

यानी जम्हूर के नज़दीक यही कौल मशहूर है कि नबी (स.अ.व.) की विलादत आमुलफ़ील में हुई, इब्राहीम बिन मुंज़िर कहते हैं कि इस बात में हमारे किसी आलिम को शक व शुबा नहीं कि नबी (स.अ.व.) आमुलफील में पैदा हुए।

(2) दूसरी बात यह कि आप स.अ.व. की विलादत रबीउलअव्वल के महीने में हुई और तीसरे यह कि दो शबा के दिन सुबह सादिक के वक़्त हुई।

हाजा मालाखिलाफा फीह अन्नाहु उलिदा सलललाह अलैहिवसल्लम यौमल असनैनी इन्दल जमदूदरे अला अन ज़ालिका काना फी शहरे रबीउल अव्वल

इस पर कुल्ली इत्तेफ़ाक़ है कि आप दो शंबा पीर के दिन पैदा हुए फिर जम्हूर का यह भी फैसला है कि रबीउल अव्वल का महीना था।

आला अबूकितादा अन्ना आराबीयन काला या रसूलल्लाहि मा तक़ूलो फी सौमी यौमल इसनैनी फक़ाला ज़ालिका यौमुन वुलित्तो फीह व अनुनाजिला अलैया फी ही।

(अबू क़तादा फ़रमाते है कि गांव के एक आदमी ने कहा कि "या रसूलल्लाह (स.अ.व.) आप पीर के दिन के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं।" आप स.अ.व. ने इरशाद फरमाया यह वह दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और जिसमें मुझ पर सबसे पहले वही नाज़िल हुई, "इस बाब में कि कौन सी तारीख थी बाज़ कमज़ोर (रिवायत इसकी पुश्त पर हैं, कि बारह रबी उल अव्वल थी? अक्सर उलमा आठ रबीउल अव्वल कहते हैं, लेकिन सही और मुस्तनद कौल यह है कि नौ रबीउल अव्वल तारीखे - विलादत है।"

मशाहीर उलमा ए तारीख व हदीस और जलीलुलकद्र अइम्मा ए दीन इसी तारीख को सही और असबत मानते हैं। चुनाचे गनूज़. अक़ील यूनुस बिन ज़ैद, इब्ने तैमिया, अब्दुल्लाह बिन हज़्म मुहम्मद बिन मूसा, ख्वारिज़िमी, अबुल ख्त्ताब इब्ने दहिया, इब्नेकाय्यिम इब्ने कसीर,इब्ने हजक अस्क़लानी, शैख बदरूद्दीन ऐनी जैसे मुक्तदिर उलमा की यही राएं है।

महमूद पाशा फलकी ने (जो कुस्तुनतुनिया का मशहूर हय्यत दां, और नुजुमी गुज़रा है। उसके मुताबिक जो ज़ाइचा इस गरज़ से मुरत्तब किया था कि मुहम्मद स.अ.व. के ज़माने से अपने ज़माने तक कुसूफ़ व खुसूफ़ (सूरज ग्रहण व चांद ग्रहण) का सही हिसाब मालूम करे, पूरी तहक़ीक़ के साथ यह साबित किया है। सने विलादत बा सआदत में किसी भी हिसाब से दो शंबा (पीर का दिन) बारह रबीउल अव्वल को नहीं आता बल्कि नौ रबी उल अव्वल और बएतेबार हिसाबे हय्यत व नुजूम विलादत मुबारक की मुस्तनद तरीख नौ रबीउल अव्वल है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक गलत तारीख़ को यौमे ईद मीलाद मनाया जा रहा है। इस दिन के सारे प्रोग्राम (बिदअत हैं जिनका दीने इस्लाम या शरीअते मुहम्मदी से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की देखा देखी नकल है। मसलन शब बेदारी और सुबह सादिक के वक़्त सलात व सलाम का ज़ोर इसाईयों के

रतजगे और घंटों का शोर गिरजाघरों में) जन्माष्टमी के रतजगे, मंदिर के घंटों के शोर की देखा-देखी है। (सिर्फ़ बरलवियत की अक्सिरियत वाले इलाक़ों में देखा जा सकता है। फिर जल्से जुलूस नातिया मुशाअरे, मस्तूरात और बच्चों के प्रोग्राम की लम्बी फेहरिस्त है। यह तमाम मनचाही बिदअतें इसमें सवाब महज़ धोखा है।

ईद मीलाद का ताल्लुक़ सातवीं सदी हिजरी में बादशाह अलमलिकु अलमुज़फ़्फ़र शाह ने (551 हि. ता 633 हि.) की ईजाद है। इब्ने खलकान ने इसके हालात में लिखा है कि यह एक फिजूल खर्च बादशाह था जो हर साल तकरीबन तीन लाख की रक़म इस बिदअत पर खर्च करता था। और बहुत धूम-धाम और तुज़्क व एहतेशाम से ईद मीलाद मनाता था। (दुवलुलइस्लाम अज़ इमाम ज़हबी जिल्द 2 सफा 102)

यह सलीबी जंग का ज़माना था सबसे ज़्यादा जिस शख़्स ने यह काम किया वह उस दौर का एक बिदअती आलिम उमर बिन दहिया है जिसने बादशाह का साथ दिया और इस काम के लिए एक किताब " किताबुत्तनवीर फ़ी मौलिदिस्सिराजिल मुनीर" लिखी अल बिदाया वल निहाया में उमर बिन दहिया के बारे में लिखा है। कि ये शख़्स झूटा था। लोगों ने इसकी रिवायत पर ऐतबार करना छोड़ दिया था। और इसकी बहुत तज़लील की।

इमाम इब्नें हजर ने लिखा है कि अहादीस खुद वज़ा करता था (गढ़ता था) और नबी से मसूंब कर देथा था। सलफ़े सालेहीन के खिलाफ़ वदज़बानी करता था।

अबुल-अला-अस्बहानी ने इसके मुताल्लिक़ एक वाक़िआ नक़ल किया है। लिखते हैं वह एक दिन मेरे वालिद के पास आया उसके हाथ में एक मुसल्ला था उसने उसे चूमा और आंखों से लगाया और कहा यह मुसल्ला बहुत बाबरकत है। मैंने इस पर हज़ार नवाफ़िल अदा किए हैं और बैतुल्लाह शरीफ़ में इस पर बैठकर कुरान मजीद खत्म किया है। इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि उसी रोज़ एक ताजिर मेरे वालिद के पास आया और कहने लगा कि आपके मेहमान ने आज मुझसे एक बहुत महंगा- जाय नमाज़ (मुसल्ला) खरीदा है। मेरे वालिद ने वह मुसल्ला जो मेहमान उमर बिन दहिया के पास था दिखलाया तो ताजिर ने कहा यही वो जा नमाज़ है। जो इसने आज मुझसे खरीदा है। इस

पर मेरे वालिद ने उसे बहुत शर्मिन्दा किया और घर से निकाल दिया (लिसानुलमीज़ान अज़ इब्ने हजर जुज़ 2/ 294)
ईद मीलाद की सेहत (ग़लत होने) का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है।

मीलाद

मीलाद दीन में एक ईजाद (बिदअत) है। जो खाने पीने को दवाम बख़्शने के लिए नुबुव्वत से कई सौ साल बाद ईजाद की गई अल्लाह के नबी स.अ.व. या सहाबा (रजि.) ने किसी की मीलाद नहीं मनाई मगर बरेलवियों ने इस बिदअत और गैर शरअी रस्म को शुरू करने में अल्लाह के नबी का नाम इस्तेमाल किया है। अल्लाह के नबी का फ़रमान है "दीन में नई नई रस्मों से बचो" हर नई रस्म <u>बिदअत</u> है और हर <u>बिदअत</u> गुमराही है।

1. अहमद यार गुजराती लिखते हैं " मीलाद शरीफ़ क़ुरआन व हदीस व बैग़बरों व मलाइका से साबित है" (जाअलहक़ 1 पेज 231)

नोट – यह एक झूट है जो इन्होंने कुरान व हदीस और पैग़बरों से मंसूबा किया है। और मलाइका को इंसानों की इस मीलाद से क्या लेना देना है।

2. मीलाद मलाइका की सुन्नत है इससे शैतान भागता है। (जाअलहक़ 233)

3. दीदार अली कहते हैं ' मीलाद सुन्नत और वाजिब है,

यही दीदार अली एक जगह लिखते हैं कि मीलाद शरीफ़ का सलफ़े सालिहीन से कुरुने ऊला में कोई सुबूत नहीं मिलता यह बाद में ईजाद हुई है (रसूललकिराम फ़ी बयानिल मौलिदि वल – क़ियाम – 15

4. अब्दुल समी बरेलवी ने " अल अनवारूस्सातिआ" (सफ़ा नं. 25) में लिखा है "मीलाद शरीफ़ के जिक्र के वक़्त कयाम फ़र्ज है।"

5. जिक्रे मीलाद के वक़्त खड़ें होने का कुरान मजीद में (न जाने किस कुरान मजीद की बात कररहे हैं हुक्म है। (रसूलुलकिराय सफ़ा 60) बरेलवी हजरात ने मीलाद को जारी करने के लिए इसे कुरान व हदीस से मंसूब करके गुनाह तो किया ही है बल्कि उसके साथ शिर्किया अकीदे भी ईजाद किए है इनमें एक यह भी है कि हुजूर (स.अ.व.) बनफ़्से – नफ़ीस इस हाज़री में तशरीफ लाते हैं और इसलिए यह लोग खड़े होकर (आप स.अ.व. का इस्तिक़बाल करते हैं। और यह शेर पढ़ते हैं।

"दमबदम पढ़ो दरूद, हुजूर भी हैं यहां मौजूद"
जबकि हुजूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि" जिसे यह बात अचच्छी लगती हो कि उसके लिए लोग ताज़ीमन क़याम करें उसका ठिकाना नहन्नम है। (तिर्मिज़ी, अबु दाऊद)" इसलिए सहाबा आप स.अ.व. को देखकर खड़े नहीं होते थे, कि उन्हें पता था कि आप स.अ.व. उसे पसंद नहीं फ़रमाते है (तिर्मिज़ी) मौलवी सनाउल्लाह लिखते कि" मुरव्वाजा मौलूद बिदअत है मुरव्वजा मौलूद में अमूमन फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोग शरीक होते हैं जो जूए-सट्टे खेलते हैं, नमाज़ के पाबंद नहीं होते ज़टल रिवायात व हिकायात बयान करते हैं फिर जब चाहते हैं अल्लाह के रसूल स.अ.व. को अपनी मजालिस में बुला लेते हैं और गा गाकर सलाम पढ़ते हैं"

क़ुबूर पर अज़ान

अंकाइदे -हनफ़ी का दावा करने के बावजूद बरेलवी हज़रात किताब व सुन्नत व फ़िकाए हनफ़ी के खिलाफ़ ऐसी बिदआत का इर्तिकाब करते हैं जिनका सलफ़े - सालिहीन से कोई सुबूत नहीं मिलता इनमें से एक कब्र पर अज़ान देना भी है।

1. खान सा. लिखते है "कब्र पर अज़ान देना मुस्तहब है, इससे मय्यत को नफ़ा पहुंचता है। (फ़तावा रिज़विया जि. 4 सफ़ा 54)"

2. कब्र परअज़ान देने से शैतान भागता है। और बरकात नाज़िल होती हैं (जबकि फिकाहे हनफ़ी में वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालिफ़त की गई है।

1. इब्ने हुमाम (रह.) फरमाते हैं "कब्र पर अज़ान वगैरह देना या दूसरी बिदआत का इर्तिकाब करना दुरूस्त नहीं, सुन्नत से फकत इतना साबित है कि नबी-ए-करीम स.अ.व. जब जन्नतुल बकीअ तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते है"

असलामो अलैकुम या दारल कौमील मोमिने.... अल्ख

इसके अलावा कुछ साबित नहीं इन बिदआत से इज्तिनाब करना चाहिए (अबरुल-मक़ाल फ़ी किबल तिल इजलाल सफ़ा 143)

2. इमाम शाफई (रह.) फ़रमाते हैं, " आजकल कब्र पर अज़ान देने का रिवाज है इसका कोई सुबूत नहीं"

3 महमूद बल्ख़ी (रह.) ने लिखा है कि कब्र परअज़ान देने की कोई हैसियत

नहीं अहमद रज़ा खां. अपनी वसीयत में अपने बेटे के लिए यू हुक्म फरमाते हैं। " हामिद रज़ा खां साथ मर्तबा अज़ान दें तल्कीन करने वाले कब्र के मुवाजाह में तीन बार तल्क़ीन करें, डेढ़ घंटे तक कब्र पर मुवाजाह में दरूद शरीफ़ ब आवाज़े बलन्द पढ़ा जाए और मुमकिन हो सकें तो तीन शबाना रोज़ तक ब आवाजे बलंद कुरान शरीफ़ और दरूद शरीफ़ पढ़वाए जाएं ताकि इस नए मकान में दिल लग जाए"
(माहनामा, अल मीज़ान इमाम रज़ा नंबर 363) जब तक ज़िंदा रहे दुनिया में दिल लगा रहा अब कब्र में दिल लगा रहने की बात कर रहे हैं।

कब्र में बचाव के तरीक़े

कब्र आखिरत की मंज़िलों में पहली मंज़िल है यह आमाल के ऐतबार से जन्नत का एक बाग़ है या फिर जहन्नम का एक गढ़ा, आगे की मंज़िलों का आसान या सख्त होना इसी मंज़िल पर मुनहसिर है।
पहले तो उम्मत को गुमराही के रासस्त पर डाल दिया अब बचाव के टोटके सुझा रहे है। कोई अहदनामा, कोई अहमद रज़ा, कोई पीर को कब्र में बचाने वाला बता रहा है। जबकि कब्र में सिर्फ नेक आमाल ही काम आते है। मुलाहज़ा हो।
1. जिसने (ला इलाहा इल्ललाह वह दहू ला शरीकाअलहू) लिखकर मय्यत के कफ़न में रख दिया वो कब्र की तंगियों से महफूज़ रहेगा मुन्कर नकीर उसके पास नहीं आएंगे। (फतावा रिजविया जि 4 सफ़ा 127)
2. इसी तरह अहेदनामा नामा के नाम से एक दुआ वज़अ (गढ़) कर रखी है जिसका कोई सुबूत व सनद हदीस सा सहाबा से नहीं,इसके मुताल्लिक यह अकीदा है कि इसे जिस शख्स के कफ़न में रख दिया जाए अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा (यानी जिंदगी भर गुनाह करते रहो अहदनामा तो है।) (फतावा रिज़विया जिल्द नं. 4 सफ़ा 127)
3. अहमद यार लिखते है कि अहद नामा देखकर मय्यत को याद आ जाता है कि उसने मुन्कर नकीर को क्या जवाब देना है? (जाअल हक़ सफ़ा न. 340)
गौरतलब है कि जिसने ज़िदगी भर कब्र के सवाल की न ला इलाहा इल्लल्लाह की फिक्र की उसे अहदनामा क्या फ़ायदा देगा?

4. मदाइह आला हज़रत सफ़ा नं. 25 में जनाब अय्यूब अली रिजवी नकीरैन के जवाब में फ़रमाते हैं।

"नकीरैन आके मरक़द में जो पूछेंगे तू किसका है।
अदब से सर झुकाकर लूंगा नाम अहमद रज़ा खां का"

सोच लें इस जवाब का अंजाम क्या होगा

5. फुयूज़ाते – फरीदिया (उर्दू तर्जुमा) सफा 60 में इसी सिलसिले में पीर की शफ़ाअत का मश्वरा यू देता है।

"जान लो कि अपना शैख जिसके हाथ में अपना हाथ देता है, मरने के वक़्त कब्र में आ जाता है और अपने मुरीद की तरफ़ से फ़रिश्तों को हक के मुताबिक़ जवाब देता है और उसे नजात दिलाता है। पस हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि शेखे कामिल को पकड़े ताकि शफ़ीअ हो"

ला तज़िरु वाज़ेरतन विज़रा उख़राह, **तर्जुमा** – कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा कहां तक इनका रोना रोएं पूरा मामला ही गलत है।

नही अनिल मुन्कर

कुरआन – करीम में एक बस्ती का जिक्र है। (आराफ़ 163–165) उस बस्ती में तीन किस्म के लोग रहते थे, एक तो वह थे जो धड़ल्ले से अहकामे – इलाही की खिलाफ़ वर्ज़ी करते थे, दूसरे वह जो खिलाफ़ वर्ज़ी तो नहीं करते थे मगर खिलाफ़वर्ज़ी को खामोशी से देखते थे और मना करने वालों को कहते थे कि इन कमबख्तों को नसीहत करने से क्या हासिल वह सुधरने वाले नहीं। तीसरे वह लोग थे जिनकी ग़ैरते – ईमानी हुदूदल्लाह के बेहुरमती बरदाश्त नहीं करती थी वह उन्हें रोकते थे कि शायद मुजरिम लोग राहे – रास्त पर आ जाएं अगर वह राहे रास्त न इख्तियार करें तब भी हम अपनी हद तक अपना फर्ज अदा करके अल्लाह के सामने अपनी बराअत का सुबूत पेश ही कर दें। इस सूरते हाल में जब उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब आया तो कुरआन मजीद कहता है कि उन तीनों गिरोहों में से सिर्फ़ तीसरा गिरोह ही अज़ाब से बचा लिया गया, क्योंकि उसी ने खुदा के हुजूर अपनी माज़रत पेश करने की फिक्र की थी, बाकी दोनों गिरोहों का शुमार ज़ालिमों में हुआ। और

वह अपने जुर्म की हद तक मुब्तलाए - अज़ाब हुए। मौजूदा दौर में भी ऐसे ही तीनों गिरोह मौजूद नज़र आते हैं जिसका अंदाज़ा हम अपने इर्द-गिर्द देखकर लगा सकते हैं। इससे साबित होता है कि दूसरों को गलत काम करते देख उनका हाथ न पकड़ना खुद अपनी तबाही का सामान करना है **नोट : इसी डर की वजह से यह किताब लिखी गई है।** इसी तरह गलत काम को देखकर उसे रोकने का हुक्म अल्लाह के नबी ने भी दिया है। कि अगर हाथ से रोकने की ताक़त न हो तो ज़बान से रोको, अगर ज़बान से भी रोकने में खदशा होतों दिल से बुरा जानो और यह एक कमज़ोर ईमान की दलील है।

मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस

किसी कौम की बक़ा उसकी आईन्दा नस्ल की तालीम व तरबियत पर मुनहसिर है। मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई तो अंग्रेज़ों ने अपनी नई तालीम से उनकी नस्लों को उनके ताबनाक माज़ी से बेदखल करने की मुहिम तेज़ कर दी लेकिन मुसलमानों की अस्री तालीम और उमरानी इल्म में आगे बढ़ने और आज़ाद हिन्द में हुकूमत की जिम्मेदारी सम्हालने के लिए अपना एक तालीमी लाहए-अमल तै करने के लिए बही ख्वाहाने मिल्लत ने बाहमी मश्वरे से एक बड़े पैमाने पर ''मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस'' की बुनियाद रखी इसका पहला जलसा 20 दिसंबर 1902 ई. को ढाका में रखा गया अग्रेज़ इस इज्तेमाई फिक्र से परेशान थे फिर 2 अक्टूबर 1906 ई. को काठियावाड़ मुस्लिम एजुकेशनल ''कांफ्रें स का तालीमी जलसा जूनागढ़ में हुआ इस कांफ्रें स में हर कलिमागो बिला रिआयत फिरक़ा मेम्बर बन सकता था, अहमद रज़ा खां ने काठियावाड़ मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेंस में शिरकत को हराम क़रार दिया लिखते है।''

''ऐसी मजलिस मुकर्रर करना गुमराही है इसमें शिरकत हराम और बदमज़ हबों से मेलजोल उस बड़ी आग (जहन्नम) की तरफ़ ले जाने वाला है'' (दलाइले - काहिरा सफ़ा नं. 3)

गरज़ यह कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खैरख्वाह ने न चाहा कि मुस्लिम नौज़वान एक ज़िंदा कौम की तरह उभरें उन लोगों ने उस कांफ्रेंस के खिलाफ बयान बाज़ी की और पोस्टर निकाले और नतीजे में मुसलमान बंट गये, (मुतालेआ

बरेलल्वीयत) इसके दूर रस नताइज 2007 में मुसलमानों में तालीम में पिछड़ेपन के उनवान से सरकार और मुस्लिम अवाम के बयान देख रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि सरकार का मुंह (सच्चर कमेटी) देखने के बजाए खुद इज्तेमाई कोशिश करें।

अगूंठा चूमना

नबी स.अ.व. का इस्में गिरामी सुनकर अगुंठा चूमना एक बिदअत है जिसका हदीस या सहाबा से कोई सुबूत नहीं मिलता बरेलवी हजरात ने इस बिदअत को साबित करने के लिए मनगढ़त और मौजूअ रिवायात का सहारा लिया है। अहमद रज़ा खां लिखते हैं।

"हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जो शख्स" अशहदु अन्ना मुहम्मदर्र सूलुल्लाह" सुनकर अपने अगूंठे को चूमेगा फिर अपनी आंखों से लगाएगा उसकी आंखें कभी न दुखेगी, (मुनीरूलऐन फ़ी तकबीलिल इबब्हामैन (फतावा रिजविया सफ़ा -383)

"अहमद रज़ा खां ने इस रिवायत को इमाम सख़ावी से नकल किया है जबकि इमाम सख़ावी (रह.) ने इस रिवायत का जिक्र करके लिखा कि इस रिवायत को किसी सूफ़ी ने अपनी किताब में नक़्ल किया है। और इसकी सनद में जिन रावियों के नाम हैं वो मुहद्दिसीन के नज़दीक मजहूल और गैर मारूफ़ हैं। (यानी सनद खुद साख्ता मनघड़त है) और फिर खिज़र (अ.स.) से किसने सुना इसका कोई ज़िक्र नहीं" (अल मकासिदुल हसनह अज़ इमाम सखावी)

यानी इमाम सख़ावी जिस रिवायत को सूफ़िया के खिलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर तनक़ीद कर रहे है और मौजूआ क़रार दे रहेहैं, अहमद रज़ा खां सा. मुकम्मल बद-दयानती का सुबूत देते हुए एक ग़ैर इस्लामी बिदअत को रिवाज देने के लिए उससे इस्तिदलाल कर रहे हैं (यानी दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं।)

इमाम सुयूती लिखते हैं। "वो तमाम रिवायात जिनमें अंगूठा चूमने का जिक्र है, मौजूअ और मनगढ़ंत है" (तैसीरूल - मकाल अज़ इमाम सुयूती)

लेकिन अहमद रजज़ा खान सा. की जिद है कि "अगूंठा चूमने का

इन्कार इज्माए-उम्मत के मनाफ़ी है।'' (मुनीरुलऐन (फतावा रिज़विया जि.2 पेज 488)
''इसे वहीं शख्स नाजायज कहेगा जो सय्यदुल अनाम से जलता है''
(मुनीरूल ऐंन सफ़ा 49)
इस तरह यह बिदअत लोगों में जारी हो गई हज़रत अनस (रजि.) फरमाते हैं कि हुजूर (स.अ.व.) का इरशाद है ''कि जिसके सामने मेरा तज़्किरा आए उसको चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा अल्लाह शानुहू उस पर दस दफ़ा दरूद भेजेगा, उसकी दस खताएं माफ़ फ़रमाएगा, और दस दरजात बुलन्द करेगा (यानी अगूंठा चूमने के बजाए दरूद शरीफ़ पढ़ा जाए)''

तकलीद बमाने किसी के क़दम बक़दम चलाना ! आम तौर से पैरवी करने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। मुकाल्लिद यानी तक़लीद करने वाला पैरो। वह मुसलमान जो चार इमामों में से किसी एक की पैरवी करता है। आम तौर से मुसलिम उम्मत चारो बर हक़ इमामों इमाम अबूहनीफा, इमाम शाफेइ इमाम अहमद बिनहम्बल और इमाम मालिक की पैरवी करती है और हनफी, शाफई हम्बली, मालिकी कहलाते है। हिन्दो पाक व बंगला देश में हनफी मसलक के मानने वालों की अकसरयत है। मगर एक और मसलक ''बरेलीवी मसलक भी है जो मसल के आला हज़रत व हनफी मसलक कहलाता है जो बाकी मसलको से 12 सौ साल बाद चालू किया गया। अब हन्फी मसलाक के मानने वाले जो लोग मसलके आला हजरत पर चलने वाले है खुद को सुन्नी कहते है और जो खालिस हन्फी मसलक पर चलता है और मसलके आला हजरत को नहीं मानता (यानी औलिया परस्त मज़ार परस्त) उन्हें यह वहाबी कहते है। यानी बिदअती खुद सुन्नी बन गए और सुन्नियों को वहाबी बना दिया। इसी तर्ज़ पर अहमद रज़ा खां ने मुकाल्लिद और गैरमुकाल्लिद की इस्तेलाह इस्तेमाल की है। यानी अहमद रज़ा खां के मसलक की पैरवी करने वाले मुकल्लिद और उनसे इख़्तेलाफ रखने वाले उनके नज़दीक गैर मुकल्लिद हैं इनके फतवों में यह खुलासा है । जब वह कहते है गैर मुकल्लिद तो उनका मन्शा है, उनकी पैरवी नहीं करने वाले लोग।

1.गैर मुक़ल्लेदीन (अहलेहदीस) सब बेदीन पक्केशयातीन और पूरे मलाईन है। (दामाने बाग सुब्हानुस्सुबूह अज़ अहमद रजा पेज 136)

2. गैरमुक़ल्लिद अहलेबिदत व अहलेनार हैं (फतावा रजविया पेज 50, 72, व 90)

3.गैर मुकल्लदीन गुमराह, बददीन और बहुकमे फिक़ाह (कुफ्फार व मुरतदीन हैं (बागुन्नूर दर फतावा रजविया जि. 6 स. 33)

4. गैर मुकल्लेदी जहन्नम के कुत्ते हैं। राफ़ज़ियों को इनसे बदतर कहना राफ़ज़ियों पर ज़ुल्म और इनकी शाने ख़बासत पर तन्कीस है।

(फतावा रजबिया पेज 72)

सनाउल्ला अमरतसरी ने तमाम बातिलमजहब मसलन कादयानी, आरया, हिन्दू, मजूसी और इसाई वगैरह को मुनाजरो में शिकसस्त दी और इस मौजू में हुज्जत तसलीम किए जाते थे। उनके बारे में खानसाहब का फतवा सुनिए। गैर मुक्लेदीन का रईस सनाउल्ला अमरतसरी मुतर्द है (तजानिब पेज 247)

खानों पर फ़ातिहा की हकीकत

जहीरूल हसन जौहरे - तसव्वुफ 51 में लिखते हैं,

"मुल्ला अलीक़ारी ने फतावा जज़री से नकल किया है कि ईसाले - सवाब सुन्नते सय्यदुल मुरसलीन (स.अ.व.) है, हज़रत इब्राहीम के विसाल के तीसरे दिन अबूज़र ग़िफ़ारी (रजि.) ऊंटनी का दूध और जौ की रोटी, और कुछ खजूरे लेकर खिदमते अकदस में हाजिर हुए और आप (स.अ.व.) के सामने रख दी, आप (स.अ.व.) ने एक मर्तबा सूर: फातिहा तीन बार सूर: इखलास और दरूद शरीफ़ पढ़कर दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए और फरमाया कि खुदावंद इसका सवाब मेरे फरज़ंद इब्राहीम को पहुंचा, उसके बाद हज़रत अबूज़र से फ़रमाया इसे तक्सीम कर दो"

यह हदीस हरगिज़ हरगिज़ कहीं से भी साबित नहीं

लाआमतुल्लाही अल्लकाजिवीव

झूठों पर अल्लाह की लानत हो अल्लाह के नबी (स.अ.व.) ने फ़रमाया-

मन कज़ब अलैया मुताअलम्मेदव फल यताबव्वा मुक़अदाहू फिन्नार (मुस्लिम)

"जो शख्स जान बुझ कर मुझपर झूट बांधे उसे चाहिए कि अपना ठिकाना

जहन्नम में बना ले, ''
इसकी कोई सनद नहीं है, खुद अहमद रज़ा खां सा. ने भी इसे तस्लीम नहीं किया है। कोई शिया मौलवी इमदाद हुसैन थे जिन्होंने हनफियत का लबादा ओढ़कर मसाइले ज़रूरिया खुलास मज़हबे हनफिया के नाम से एक किताब लिखी और उसमें अपनी मोहर्रम की मजालिस में खाना सामने लाकर खत्म पढ़ने की सनद मुहय्या की हज़रत इब्राहीम की उम्र विसाल के वक़्त सवा या डेढ़ साल थी (यानी मासूम तरीन बच्चे थे।)

फातिहा और ईसाले-सवाब नज़रो नियाज़ में फर्क़

मुसलमानों को दुनिया से जाने के बाद जो अज्र व सवाब कुरआन मजीद का तन्हा या खाने के साथ पहुंचाते हैं, उसे फातिहा कहते हैं, औलिया किराम को जो ईसाले सवाब पहुंचाते है उसे ताज़ीमन नज़्रो-नियाज़ कहते हैं। (अहकामे-शरीअत सफ़ा 121)
ईसाले सवाब को ताज़ीमन नज़्र व नियाज़ कहने की इब्तिदाकब हुई इसकी कोई तारीख़ी सनद नहीं हैं यह खां. सा. की अपनी इख्तिराअ (ईजाद) है। अहमद रज़ा खां के जो फ़त्वे मौलवी इरफ़ान अली ने मुरत्तब किए हैं। उनमें यह मसला सवाल व जवाब के तौर पर है।
सवाल – मय्यत के सोयम का किस कद्र वजन होना चाहिए? अगर छुहारों पर फातिहा दी जाए तो किस कद्र वज़न होना चाहिए?
जवाब 1. कोई वज़न शरअन मुकर्रर नहीं 2. इतने हों जितने में सत्तर हज़ार की अदद पूरी हो जाए।
पहला ज़वाब तो यह था कि शरअन कोई वज़न मुकर्रर नहीं बात तो यहां खत्म हो गई थी (मगर बरेलवी शरीअत का बयान भी तो ज़रूरी था) इसलिए छुहारों की तादाद बता दी यानी अगर एक छुहारा आधा तोले का हो तो बरेलवी के तीजे में 10 मन 37 सेर 8 छटाक छुहारे हो जाते हैं। अगर इन्हें दफ़न करें तो क्या तकलीफ़ उठानी पड़ेगी कहीं लोग बरेलवी मज़हब से बदज़न न हो जाएं। इसलिए बरेलवी उल्मा ने छुहारों को चने में बदल दिया यानी बड़े शख्स का फातिहा हो तो छुहारे और छोटे का हो तो चने मगर बताशे भी देना ज़रूरी है। (म.ब.30) इरफाने शरीअत

अहमद यार गुजराती लिखते हैं नूरूल फुरकान सफ़ा 51
"रब फ़रमाता है"
लन तनालुल बिररा हत्ता तुनाफिक़ू मिम्मा तुहिब्बून
"यह शबे – बरात का हलवा और मय्यत की फातिहा उसी खाने पर करना जो मय्यत को मरग़ूब थी इसी (आयत) से मुस्तंबत है। (लिया गया है।)"
इसमें मिम्मा तोहिब्बून का तर्जुमा "जो तुम पसंद करते हो" कि बजाए यह करना कि" जो मरहूम पसंद करते थे" अजीब इज्तिहाद व इस्तिदलाल बल्कि कुरआन के माना में अपना मतलब दाखिल करने की मिसाल है।

अहमद रज़ा खां को क्या पसन्द है?

"नियाज़ का ऐसे खाने पर होना बेहतर है जिसका कोई हिस्सा फेंका न जाए जैसे ज़र्दा- हल्वा या खुश्का, या वह पुलाव जिसमें से हड्डियां अलग कर ली गई हों।" (फतावा रिज़विया जि. 4 सफ़ा 226)(म.ब. 32)
जाहिलों में देखा जाता है कि जहां खाने पुर तकल्लुफ़ और उम्दा हों, उलमा खत्म लंबा पढ़ते हैं और फातिहा में तवील वक़्फ़ा करते हैं, जहां सादा दाल पकी हों निहायत मुख्तसर फातिहा हो जाती हैं। अहमद रज़ा खां की वसीयत में यह भी इर्शाद मिलता है कि फातिहा में तवील वक़्फ़ा न किया जाए मगर गिज़ा मुरग़गन हो तो कोई हर्ज नहीं। गिज़ा का मसला फ़िक़्ही नहीं बल्की खान साहब का अपना ज़ौक हैं। अहमद रज़ा खां हर मसले पर पहले एक बात नफ़ी (इंकार) की कहते हैं फिर दूसरे हिस्से में मगर कहकर इसका इस्बात (इकरार) लगा लेते हैं। उनसे पूछा गया कि ईसाले सवाब के लिए खाना आगे रखना कैसा है? तो उन्होंने फ़रमाया अगरचे बेकार बात है मगर इसके सबब से हुसूल – सवाब या जवाज़े –फातिहा में कुछ खलल नहीं (नए एडिशन में इसे निकाल दिया गया) (म.ब.33) (अल हुज्जतुल- फातिहा सफ़ा 26)
फ़तावा शामी में है – " और मकरूह है खाना तैयार करना पहले दिन तीसरे दिन या हफ्ते के बाद और मुख्तलिफ़ मौको पर खाना ले जाना और कुरआन ख्वानी के लिए जमा करना यह सब मकरूह है। (अल, दुर्रूल - मुख्तार जि. 1 सफ़ा 842)
अहमद रज़ा खा को यह बात मालूम थी लेकिन खुलकर यह न कहा कि कब्रस्तान में खाना ले जाना दुरूस्त नहीं सिर्फ़ यह कहा कि फ़ातिहा का खाना

कब्रों पर रखना मना है। लिखते है,

"फातिहा का खाना कब्रों पर रखना वैसा ही" मना है जैसे चिराग़ कब्र पर रखकर जलाना और कब्र से जुदा रखें तो कोई हरज नहीं।

(अहकामे - शरीअत जि. 1 सफ़ा 72)

फ़रमाते हैं, " शरीअत में सवाब पहुंचाना है दूसरे दिन हो या तीसरे दिन बाक़ी यह ताईन उर्फी है जब चाहें करें इन दिनों की गिनती जिहालत है"

(फ़तावा रिजविया जि.1 सफ़ा 72)

लज़्ज़त तलबी में बरेलवियों की फातिहा और ईसाल का ज़िक्र आप ने देख लिया, इस लज़्ज़त तलबी ने उन्हें इस इतेहा तक ले गई कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में निहायत बेह्याई और बेखौफी से कब्र में लज़्ज़त तलबी के तसव्वुर का अकीदा गढ़ डाला अहमद रज़ा खां फरमाते हैं, "अबिया अलैहिस्सलाम की कुबूरे - मुतह्हरा में अजवाज़े मुतह्हरात पेश की जाती हैं और वह उनके साथ शबबाशी फ़रमाते हैं। " (मल्फूज़ात अहमद रज़ा खान हिस्सा 3 सफ़ा 28)

"इसमें पेश की जाती है" पर गौर करे और अंदाज़ा लगाए इनकी सोच का इन्होंने मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी पर यह झूट बांधा है कि उन्होंने कहा है कि अंबिया कब्रों में यह काम करते हैं जबकि उनकी किसी तहरीर में यह बात नहीं मिली।

(मुतालआ बरेलवियत सफ़ा (अज़-डा. महमूद)

गैरुल्लाह से फ़रियादर सी

अभी और खैबर है रूए जमीं पर, अता कर हमें जोरे बाज़ए हैदर

बरेलवी मज़हब के चंद इम्तियाज़ी अक़ाइद हैं, जो उन्हें बर्रे सग़ीर हिन्द व पाक में मौजूद इनफी फिरकों से बिलखुसूस और दीगर मुसलमानों से बिलउमूम जुदा करते हैं, अइम्म-ए- मुजतहिदीनेइस्लाम हर दौर में उन बातिल अकाईद के खिलाफ़ सफ़आरा रहे हैं यानी गैरूल ब्लाह से इस्तिआनत व इस्तिग़ासा और अंबिया, औलिया का खुदाई में तसर्रुफ़ हैं। अहमद रज़ा खां फ़रमाते हैं।

1. अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उन्हें हाजत

रवाई के लिए खास फ़रमाया है। कि घबराए हुए लोग उनके पास अपनी हाजते लाते हैं। (अलअमन वल अला पेज-29)

2. औलिया से मदद मांगना, उन्हें पुकारना, उनके साथ वस्ल करना अम्रे - मशरूअ (शरअी हुक्म) और शै-ए-मरगूब है जिसका इंकार न करे मगर हटधर्म या दुश्मने - इंसाफ। (रिज़विया जि. 4 सफ़ा 300)

3. अंबिया व मुरसलीन, औलिया व उलमा -ए- सालिहीन से उनके विसाल के बाद भी इस्तेआनत व इस्तिम्दाद जायज़ है। औलिया बाद इंतक़ाल भी दुनिया में तसरूफ़ करते हैं। (रिसाला हयातुल मवात दर फतावा रिज़विया सफ़ा 44)

4. इसी हयातुलम वात और जाअल हक़ सफ़ा न. 199 में दो अशआर दर्ज हैं, जिनका तर्जुमा है।

"मैं अपने मुरीद की परागंदियों को जमा करने वाला हूं जबकि ज़माने की मुसीबतें उसको तकलीफ़ दें। " अगर तगी में और मुसीबत में पुकारें ए ज़रूक़! मैं फौरन आऊंगा"

अगर इन अकीदों का कुरआनी आयात से मुवाज़ना किया ज़ाए तो यह ग़लत और बेअसल साबित हो रहे हैं। सूर : नं.

अम्मै जीबुल मुजजन्तरा इताज आहो व नयक शेफोसूओ वयजह लोकुम खुलाफा अलअज़

अइलाहू मअल लाहे क़लीलम मा तज़क्करुन

तर्जुमा - वह जो बेक़रार की फ़रियाद सुनता है जब वह उसे पुकारता है और मुसीबत दूर करता है। और तुमको ज़मीन में साहिबे- तसरुफ़ बनाता है। क्या अल्लाह के सिवा और भी खुदा है? तुम लोग बहुत कम ग़ौर करते हो।

5. जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए और वो चाहे कि खुदा उसे वापस दिला दे तो किसी ऊंची जगह पर किब्ला रूख़ को मुंह करके खड़ा हो और सूर: फ़ातिहा पढ़कर, उसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम को हदिया करे फिर अहमद बिन अलवान को फिर यह दुआ पढ़े।

"ऐ मेरे आक़ा अहमद विन अलवान! अगर आपने मेरी चीज़ न दी तो मैं आपको दफ़्तरे - औलिया से निकाल दूंगा, " (जाअलहक़ 199)

(अहमद बिन अलवान को मुश्किल) में डाल दिया आका भी कह रहे है और दफ़्तरे - औलिया से निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। क्यों न निकालें!

आख़िर वली भी तो इन्होंने ही बनाया है। बेचारा साहिबे कबर मजबूरे महज़।
6. सैय्यद बदवी भी मुश्किलात व मुसीबत में बंदों की मदद करते हैं कोई मुसीबत पेश आये तो कहे "या सय्यदी अहमद बदवी खातिर मयी" यानी ऐ मेरे आक़ा बदवी मेरा साथ दीजिए (अन्वाररुल इंतिबाह दर फ़तावा जि. नं. 1 सफा 18)
7. अबू इमरान मूसा भी जब उनका मुरीद जहां कहीं से भी निंदा करता है जवाब देते है, अगर सालभर की राह पर होता है या उससे ज़्यादा (मजूमुआ रसाइले - रिजविया नि. 1 सफ़ा 182) जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे उससे बढ़कर गुमराह कोई नहीं

कुरआन का बयान

गमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिनदूनिल्लाहे मल्ला यस ताजीबू लहू इलाज यौमिल क्योमते वहुम अन दुआएहम ग़ाफिकून (राद-14)

तर्जुमा : उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे जो क़ियामत तक भी उसकी बात न सुन बल्कि उन्हें उनके पुकारने की ख़बर तक न हो, (सूरह : रअद 14) कुरान

वल लजिना यदऊना मिन दूनेही लायसतजीवूना लहुम वंशइनन

तर्जुमा : और जिनको यह लोग उसके (अल्लाह) सिवा पुकारते हैं वह उनका जवाब नहीं दे सकते - (सूर: रअद 14)

अहले कुबूर और मज़ारात से मांगना

ताज्जुब है उन लोगों पर जो उन बंदों के सामने दामन फैलाते है और उनसे अपनी हाजतें मांगते हैं, जो मनों मिट्टी तले दफ़्न हैं और जिनके लिए खुद लोगों ने दुआ-ए-मगफ़िरत (नमाज़े-जनाज़ा) की है और अफ़सोस है उन इल्म व फज़्ल के दावेदारों पर जिन्हें अवाम सच्चे रहनुमा समझ रहे हैं; मगर उन्होंने अवाम को मुशरिकाना दौरे - जाहिलियत में फंसा रखा है। और दीन को पसे - पुश्त डालकर दुनिया कमा रहे हैं।

वक़ाला रब्बोकुलम अदउनी अस्तजिबलकुम (कुरान)

तर्जुमा - तुम्हारे रब ने कहा है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दरख्वास्त कुलूब करुंगा लेकिन लोग कब्र वाले को पुकार रहे हैं अहमद रज़ा मोहम्मद बिन मुरग़ल से नक़्ल करते हैं, " मैं उनमे से हूं जो अपनी कब्र में तसर्रूफ़ करते हैं, जिसे

कोई हाजत हो मेरे पास मेरे चेहरे के सामने हाज़िर होकर मोहम्मद से अपनी हाजत कहे मैं रफ़ा फरमा दूंगा'' (अन्वारूल इंतिबाह सफ़ा 182 अहमद रज़ा)

2. अहमद रज़ा की मन्तिक ही निराली है कहते हैं मुर्दे सुनते है, और खिताब उन्हीं से किया जाता है जो सुनते हैं। (फ़तावा रिजविया जि. 4 सफ़ा 227)

''खिताब तो अहले हुनूद भी बुतों से करते है कया मान लिया जाए कि वह सुनते हैं ?''

3. जियारत से मकसूद है अहले कब्र से नफ़ा हासिल किया जाए (कश्फ़े फुयूज 22 अज़ उस्मान बरेलवी)

4. हज़रत मूसा काजिम की कब्र तिरयांक है, कश्फे फूयूज – 22

4. औलिया बादल विसाल ज़िंदा और उनके तसर्रूफ़ात व करामात पाईन्दा और उनके फुयूज़ बदसस्तूर जारी और हम गुलामों, खादिमों, मुहिब्बो, मोत तकिदों के साथ वहीं इमदाद व इआनत सारी औलिया किराम अपनी कब्रों में पहले से ज़्यादा समअ व बसर रखते हैं, (फ़तावा रिज़ाविया जि. नं. 4 सफ़ा 23)

6. पीर अपने मुरीदों की निंदा सुनते हैं और उनकी मदद को पहुंचते हैं, ख्वाह उनका मुरीद दुनिया के किसी गोशे से उसे पुकारे, औलिया किराम अपनी कब्रों में हयाते अबदी के साथ ज़िंदा है, (अमजद अली बहारे – शरीअत सफ़ा 52)

इन खुराफ़ात का मुआज़ना कुरान के बयान से किया जाए सूरः फ़ातिर 13 *जालेकुमुल्लाहो रब्बुकुम लहुलमुल्को वल्लज़ीना तदऊनामिन्दूनिही मायमलेकूना मिन कित्मीर इनतदऊहुमला यसमऊ दुआअकुम वलव समऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क्यामते यकफुरुना बिशिकैकुम वला योनब्बेउके मिस्लो खबीर (कुरान)*

तर्जुमा – वही अल्लाह तुम्हारा परवर दिगार है उसी की हुकुमत है और जिन्हें तुम उसके अलावा पुकारते हो वह खजूर की गुठली के छिल्के के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं और अगर सुन भी लें तो तुम्हारा कहा न कर सकेंगे कियामत के दिन वह तुम्हारे शिर्क करने के ही मुनकिर होंगे, और तुझको खुदा-ए-कबीर सा कोई न बताएगा (खजूर की गुठली के छिलके की मिसाल नहायत लतीफ है)

कब्र का हाल तो अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता लेकिन बरेलवी हज़रात अपनी समझ से कब्र की तफ़्सीलात बयान करते हैं। और उम्मत को

गुमराह करते है।

1. अंबिया किराम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं वह चलते फिरते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं और कलाम करते हैं और मखलूक के मामलात में तसर्रूफ फरमाते हैं। (हयातुन्नबी – अज़ काज़मी सफा 3 मुल्तान)

1. जिस वक़्त हुजूर की रूहे अक़्दस कब्ज़ हो रही थी उस वक़्त भी जिस्म में हयात मौजूद थी। (हयातुन्नबी 104 अज़सईद काज़मी)

2. कब्र शरीफ़ में उतारते वक़्त हुजूर स.अ.व. उम्मती, उम्मती फरमा रहे थे। (मजमूआ रसाइले रिज़विया 22 व हयातुन्नबी)

3. तीन रोज़ तक रौज़े शरीफ़ से बराबर पांचों वक़्त की अज़ान की आवाज़ आ रही थी (जाअल हक़ पेज 1 अहमदयार) अबूबक (रजि.) का जनाज़ा हुजूरा मुबारक के सामने रखा गया तो आवाज़ आई।) (जाअलहक़ – 15)

अदखिलुल हबीब इलल हबीब

यानी दोस्त को दोस्त के पास ले आओ (हयातुन्नबी 125)

यूं लगता है जैसे यह लोग इन जगहों पर मौजूद थे यानी चौदा सौ साल पहले।

5. इसी तरह किसी बुजुर्ग के मुताल्लिक लिखते है कि इतक़ाल के बाद उन्होंने फ़रमाया 'मेरा जनाज़ा जल्दी ले चलो हुजूर स.अ.व.' जनाज़े का इंतिज़ार फ़रमा रहे हैं'' (हयातुन्नबी 46) दीन को मज़ाक बना लिया है।

यानी मरने के बाद काज़मी से बात हो रही है। इसी तरह पीर, वली, मुरीद वगैरह की बाबत जुहला को गुमराह करने के लिए खुराफ़ात मुलाहज़ा हो,

1. अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते है, उनकी अरवाह (रुह) सिर्फ़ एक आन के लिए खुरूज करती (निकलती) हैं फिर उसी तरह जिस्म में होती हैं जिस तरह पहले थी (फ़तावा इक्तेदारैन अहमद यार 225)

2. औलिया अल्लाह की मौत मिसस्ल ख्वाब के है (फतावा रिज. जि. 23)

3. एक आरिफ़ रावी हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक मुरीद ने मुझे कहा, पीरो मुर्शिद कल जुहर के बाद मैं मर जाऊं गा, हुजूर एक अशरफी ले लें, आधी में मेरा कफ़न और आधी में मेरा दफन करें जब दूसरा दिन हुवा जुहर का वक़्त आया मुरीदे मज्कूर ने तवाफ़ किया फिर काबे से हटकर लेटा तो रूह न थी मैंने कब्र में उतारा आंखें खोल दी मैंने कहा मौत के बाद ज़िंदगी कहा मैं जिंदा

हूं और अल्लाह का हर दोस्त ज़िंदा है। (अहकाम कूबुरे मोमिमीन रसाईले रिज़विया 243) देखा कैसे बवकूफ बना रहे है।

इस कहानी में आरिफ़ कौन था? मुरीद कौन था? कब का वाकिआ है? बताना ज़रूरी नहीं लोग आंख बंद करके मान लेते हैं।

यह मज़ारों के पूजने वाले – जानते ही नहीं खुदा मक़ाम–

सुरः अनकबुल - मसालुल लज़ीनत ख़िजू मिन्दुनिल्लाहे औलियाआ कमासलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैतन वइन्ना औहन्नल ब्यूतिल अन्कबूते लवकानू यालमून (कुरान)

तर्जुमा - जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे औलिया बना लिए हैं उनकी मिसला मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर मकड़ी का घर होता है। काश यह लोग इल्म रखते''

बरेलवी अकीदों में बुजुर्गों का मुरीदों की निंदा सुनना और उनकी मदद को पहुंचना और मौत के बाद उनकी सुनने और देखने की कुव्वत का तेज़ होना, वगैरह को खास अहमियत हासिल है। इस तरह की मनगढ़त हिकायत के ज़रिए यह लोग अवाम को खुद साख्ता बुजुर्गों का गुलाम बनाने और अल्लाह से दूर करने के लिए यह तास्सुर देते है कि अल्लाह तआला के तमाम इख्तियारात व तसर्रूफ़ात उन औलिया की तरफ मुतक़िल हो चुके हैं जो कुछ लेना हो बुजुर्गों से लो! यह शिर्क है। और नाकाबिले माफी है।

कुरान ने अहले बातिल की पहचान यह बताइ कि वह मुताशाविहात से नताएज अख़जे कहते है और उन के पीछे हो लेते हैं इससे इनकी ग़रज़ फिंतंने पैदा करना और मानी बिगाड़ना होता है। आलेइमरान रकु 1 मुलाहज़ा हो।

1. औलिया किराम अपनी कब्रों में हयाते – अबदी के साथ ज़िंदा है और उनके इल्म व इदराक व समअ व बसर पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा क़वी हैं। (बहारे शरीअत अमजद अली 58)

2. मुर्दे सुनते है और महबूबीन की, वफ़ात के बाद मदद करते हैं।
(इल्मुल – कु रआन अज़ अहमद यार 179)

3. शेख जीलानी हर वक़्त देखते हैं और हर एक की पुकार सुनते हैं औलिया अल्लाह को करीब और बईद की सब चीज़ें बराबर दिखाई देती हैं। (इज़लतुज़्ज़लालह मुफ्ती अ. कादिर तबअ – लाहौर 7)

4. सय्यद इस्माईल हज़रमी एक क़ब्रस्तान से गुज़रे तो मुर्दों पर अज़ाब हो रहा था आपने दुआ करके उन पर से अज़ाब हटवा दिया एक कब्र से आवाज़ आई ऐ मेरे आक़ा! मैं भी तो उन्हीं में से हूं मैं फुलां गाना गाने वाली डोमनी हूं उन्होंने कहा तू भी इन्हीं में से हैं इस पर से भी अज़ाब हटा लिया गया।
(हिकायाते रिज़विया 57-58)

मख्लूक में से किसी को भी यह ताक़त व इख्तियार नहीं कि अज़ाब कब्र हटा सके सय्यद इस्माइल की बुजुर्गी जताने और जुहला को गुमराह करने के लिए एक झूट गढ़ लिया है। हक तो यह है कि

हदीस- अज़ाबे कब्र इन्सानों और जिनों को नहीं सुनाई देता अल्लाह के नबी स.अ.व. ने हज़रत ज़ैद रजि. से फ़रमाया कि अगर मुझे अन्देशा न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफ़्न करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें भी अज़ाबे - कब सुना दे इंसानो और जिनों से सिवा सभी अज़ाबे - कब सुनते हैं।

हाजत खाई इस्तिआनत वगैरह के लिए औलिया अंबिया मज़ारात से रूजू करना ला इलाहा इल्लल्लाह का इंकार है और शिंर्क है जो शख्स किसी भी किस्म का शिर्क करता है वह दर अस्ल अल्लाह तआला की किसी सिफ़त की तकज़ीब करता (झुटलाता) है। किसी का यह कहना कि फुलां हज़रत की इनायत से मुझे रोज़गार मिल गया हकीकत में यह कहना है कि राज़िक अल्लाह नहीं बल्कि वह बुजुर्ग है किसी का यह कहना कि फुलां आस्ताने से मेरी मुराद बर आई गोया यह कहना है कि दुनिया में हुक्म अल्लाह का नहीं बल्कि उस आस्ताने का चल रहा है। यही मुश्रिकाना अकीदे और कौल है। हर मुश्रिकाना कौल और अकीदा आखिरी तज़ज़िए में सिफ़ाते इलाही की तकज़ीब (झूटलाना) पर मुन्तही (खत्म) होता है और शिर्क के माना ही यह है कि आदमी गैरुलल्लाह को समीअ, (सुनने वाला) बसीर,(देखने वाला) फाइले मुख्तार और उलूहियत (खुदाई) के दूसरे औसाफ़ से मुत्तसिफ़ करें

फ़त्वा - हज़रत शाह वालियुल्लाह लिखते हैं जो शख्स अजमेर में हज़रत ख्वाजा चिश्ती की कब्र पर या हज़रत सालार मसूद ग़ाज़ी की कब्र पर गया कि वहां कोई हाजत तलब करे तो उसने ऐसा गुनाह किया जो क़त्ल और ज़िना से भी बदतर है। तफ़्हीमात जि.2 सफ़ा 25 मुतालआ बरेलवियत 291)

कुरान में अरब के मुश्रिकीन के अमल की बाबत जिक्र हैं।

सूर: एराफ - 189-190- दआवल्लाहा रब्बाहुमालन आतैतना सालिहल लन्कूनन्ना मिनश्शाकिरीना फलम्मा आता हुमा सालेहन जआला लहू शुराकाआ फीमा आताहुमा फताआलला हो अम्मायूशरिकून। (कुरान)

तर्जुमा- (दोनों मियां बीवी ने) मिलकर अपने रब से दुआ मांगी कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुज़ार होंगे मगर जब अल्लाह ने उनको सही व सालिम बच्च्वा दे दिया तो वह उस बख्शिश व इनायत में दूसरों को उसका शरीक ठहराने लगे (सूर: आराफ़ 189-190)

इन आयात में अल्लाह तआला ने अरब के मुश्रिकों की मजम्मत की है जिनका कुसूर यह था कि वह सही सालिम बच्चा पैदा होने के लिए दुआ तो अल्लाह ही से मांगते थे मगर जब बच्चा पैदा हो जाता तो अल्लाह के उस अतिए में दूसरों को शुक्रिये का हिस्सेदार ठहराते थे मगर आज तौहीद का दावा करने वाले तो इससे भी बदतर हैं। यह कमबख्त औलाद भी गैरों (मज़ारों औलियाओं) से मागते हैं, हम्ल के ज़माने में मन्नते भी उन्हीं से मांगते है और बच्चा पैदा होने के बाद नियाज व नज़राने भी उन्हीं के आस्तानों पर चढ़ाते हैं यह लोग तो और भी ज़्यादा मज़म्मत के हक़दार हैं।

हमने देखा कि बरेलवी मज़हब के बानी जनाब अहमद रजज़ा खान सा. और उनके पैराकारों ने उम्मत को गुमराह करने के लिए अंबिया व मुरसलीन, औलिया, अहमद ज़रूक़ सय्यद अहमद अलवान, सय्यद बदवी, अबू इमरान मूसा, मुहम्मद बिन मरग़ल सय्यद इस्माईल हजरमी अ. कादिर जीलानी (रह.) के अलावा बहुत से पीरों और मज़ारात को मुसीबत को दूर करने वाला मुश्किल कुशा, बल्कि अज़ाबे कब्र का हटाने वाला वगैरह जैसे खुदाई इख्तियारात का मालिक बतलाया है और मुसलमानों को उनकी गुलामी का रास्ता समझाया है। दुनिया के मज़ाहिब में सिर्फ़ इस्लाम ऐसा अकेला मज़हब है जो तौहीद पर कायम है।

सुर: जुमु-29 ज़राबल्लाहो मसालररुजूल फीही शुराकाओ मुताशा किसूना वरजुल सलामर्रिजुलिन हत यसतवीयतानी मसला - कुरान

अल्लाह एक मिसाल देता है एक शख्स तो वह है जिसकी मिल्कियत में बहुत से कज खुल्क़ आका शरीक हैं जो उसे अपनी तरफ़ खीचते हैं, दूसरा शख्स

पूरा का पूरा एक ही आक़ा का गुलाम है क्या दोनों का हाल एक सां हो सकता है। इस दुश्वारी से निकलने की एक ही सूरत है इसके सिवा कुछ नहीं कि वह तौहीद का मसलक इख्तियार करके एक खुदा का बंदा बन जाए और हर दूसरी बदंगी (अंबिया औलिया, मज़ारात) का क़लादा अपनी गरदन से उतार फें के अहमद रज़ा खां फरमाते हैं अल - अम्नु वल उला 34

1. औलिया की वसातत से खल्क़ का निज़ाम कायम है।

2. औलिया किराम मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, मादरज़ाद अंधे और कोढ़ी को शिफ़ा दे सकते हैं, सारी ज़मीन को एक क़दम में तै करने पर क़ादिर हैं। (हिकायताते - रिज़विया 44)

3. ग़ौस हर ज़माने में होता है उसके बग़ैर ज़मीन व आस्मान कायम नहीं रह सकते (दीदार अली, रसूलुलकलाम 129)

4. औलिया किराम अपने मुरीदों की मदद फ़रमाते हैं और अपने दुश्मनों को हलाक करते है (दीदार अली रसूलुल कलाम)

5. मुफ्ती अहमद यार गुजराती की गुल फिशानी मुलाहज़ा हो 'औलिया को अल्लाह से यह कुदरत मिली है कि छूटा हुआ तीर वापस कर ले' (जाअलहक 197)

6. एक जगह फ़रमाते हैं कि औलिया को कब्र की मक्खी तो क्या आलम पलट देने की ताकत है मगर तवज्जोह नहीं देते। (जाअलहक 213)

7. ज़ाहिर कज़ा ए मुअल्लक़ तक अक्सर औलिया की रसाई होती है - (बहारे शरीअत जि. 1 सफ़ा-9)

8. औलिया का तसर्रूफ़ व इख्तियार मरने के बाद और ज्यादा हो जाता है (फ़तावा नई मिया 249)

बरेलवी हज़रात ने अपने खुद साख्ता औलिया को वह तमाम इख़्तियार तफ़्वीज कर दिए हैं। जो ईसाई हज़रत ईसा यहूदी हज़रत उज़ैर (अ.स.) और मुश्रिकीने - मक्कालातो - हुबल उज़्ज़ा व मनात वगैरह में समझते हैं।

यह मत समझए कि बरेल वियत के इमाम जनाब अहमद रज़ा खान सा. का इन खुदाई इख्तियार में कोई हिस्सा न था वह भी दूसरे औलिया की तरह राज़िक़, दाता, शाफ़ी, ग़ौस, कादिरे मुत्लक़ हाजत खा मुश्किल कुशा थे, अय्यूब अली रिज़वी "मदाएह आला हज़रत सफ़ा नं. 4,5" लिखते हैं

"अंधों को बीना कर दिया बहरों को सुनाव कर दिया दीने नबी ज़िंदा किया या सय्यदी अहमद रज़ा अमराज़े नफ़्सानी व रुहानी उम्मत के लिए दर तेरा है दारूश्शिफ़ा या सय्यदी अहमद रज़ा" "कब से खड़े हैं हाथ पसारे बदां नवाज़! गदा बेचारे! अब तो करम हो जाए हामी सुन्नत आला हज़रत"
चार जानिब मुश्किलें हैं एक मैं ऐ मेरे मुश्किल कुशा अहमद रज़ा लाज रख ले मेरे फैले हाथ की ऐ मेरे हाजत रवा, अहमद रज़ा"
क्या यह अकाईद शरीअते-इसलामी का मज़ाक नहीं उड़ा रहें हैं? और क्या यह अकाईद दौर जाहिलियत से भी बदतर नहीं है? क्योंकि वो लोग तो अपने माबूदों को अल्लाह के दरबार में फकत सिफ़ारिशी समझते थे मगर यह अपन बुजुर्गों को खुदाई इख्तियारात अता कर दिए हैं।

अहमद रज़ा खान के कारनामों के पीछे ज़ाती दुशमनी

अहमद रज़ा ख़ां ने कोई इल्मी फिक्री, या दीनी कारनामा अंजाम नहीं दिया बल्कि अपनी ज़िंदग़ी कुफ्र के फ़त्वे देने, उम्मत को बांटने और उम्मत में तफरीक पैदा करने में सर्फ कर दी उनके सैकड़ों फ़त्वों की कोई दीनी या शरअी हैसियत नहीं क्योंकि यह फत्वे उनकी जाति दुश्मनी पर मबनी हैं। या फिर उम्मत में तफरीक पैदा करके अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ मजबूत करने और या फिर सियासी फायदे हासिल करने के लिए है।

1. अहमद रज़ा खां ने जिस मज़हब की बुनियाद डाली उसमें अंबिया औलिया, मज़ारात के हाथ में ही अल्लाह तआला के सारे इख्तियारात व तसर्रुफ़ात है। इन्हीं अकीदों के खिलाफ़ मोहम्मद बिन अ. वहाब ने अपने ज़माने में कुरआन व हदीस की रौशनी में इल्मी जिहाद किया था, इसी मुनासिबत से अहमद रज़ा खां ने उनको काफ़िर व मुरतद कहा।

2. अहमद रज़ा खान सा. हिन्दुस्तान में तहरीके - आज़ादी के खिलाफ़ थे उन्हें अंग्रेज़ों से बहुत उम्मीदें थीं अंग्रेज़ों की सफ़्फ़ाकाना और ज़ालिमाना सरगर्मियों के खिलाफ़ शाह अ. अजीज़ मोहद्दिस देहलवी ने अंग्रेज़ी अमलदारी में हिन्दुस्तान को "दारुल हर्ब" होने का फत्वा देकर मुसलमानों में जिहाद का जज़्बा पैदाकर दिया था। अहमद रज़ा खां ने इस फत्वे के खिलाफ़ हिन्दुस्तान को "दारुल इस्लाम" होने का फत्वा दिया और एक बीस

सफ़े के रिसाला ''आलामुल आलाम बिअन्न हिदुस्तान दारुल इस्लाम'' लिखा और कहा कि हाकिमे वक़्त पर उस वक़्त तक जिहाद फर्ज नहीं जब तक उसमें कुफ़्फ़ार से मुकाबले की ताकत न हो चुनाचे हम पर जिहाद कैसे फर्ज़ हो सकता है? क्योंकि हम अंग्रेज़ का मुकाबला नहीं कर सकते।
(अल - हुज्जतुल - मोतमिनह 210)

3. जिस वक़्त दुनिया भर के मुसलमान तुर्की सल्तनत के टुकड़े करने पर अग्रेज़ों के खिलाफ़ इहतिजाज बुलन्द कर रहे थे और खिलाफ़ते इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए अंग्रेज़ों से जंग कर रहे थे - ऐन उस वक़्त अहमद रज़ा खां अग्रेज़ों के मफ़ाद में की जाने वाली सरगर्मियों में मसरूफ़ मशग़ूल थे, तहरी के खिलाफ़त को नुक्सान पहुंचाने के लिए एक दूसरा रिसाला ''दवामुल ऐश'' लिखा, उसमें दलील यह दी कि खिलाफते शरीअत के लिए कुरैशी होना ज़रूरी है। इस लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुर्कों की हिमायत ज़रूरी नहीं, हम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज़ नहीं, अहमद रज़ा खां ने बरेली में उन उलमा की कांफ्रेंस बुलाई थी जो तहरीके - तर्के - मवालात के मुखालिफ़ थे।

यह सब कार्रवाईयां उन्होंने उन तहरीक में शामिल लोगों को बांटने और कमज़ोर करने के लिए कीं। उलमा ए देवबंद, नदवतुल उलमा वग़ैरह ने तहरी के आजादी और तहरीके तर्के मवालात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तकलीफ़ें उठाईं, और अहमद रज़ा खां सा. ने इन तमाम रहनुमाओं पर कुफ्र का फत्वा लगाया जो अंग्रेजी इस्तेमार के मुखालिफ़ और तहरीके वर्के मवालात के हामी थे।

नोट - फ़ासिस राबिन सन ने अपनी किताब Indian Muslim में इकरार किया है कि अहमद रज़ा खां अंग्रेज़ी हुकूमत के हामी रहे उन्होंने पहली जंगे अज़ीम में भी अंग्रेज़ी हुकूमत की हिमायत की थी अरबों के खिलाफ़ फत्वे की वजह यह थी कि बरेलवी आस्ताना अंग्रेज़ों और शरीफ़े मक्का की हिमायत करता था अंग्रेज़ शरीफ़े मक्का के साथ थे खिलाफ़ते उस्मानिया इस्लामी ममालिकत के लिए मज़बूत सहारा थी तुर्कों और जर्मनी में मुआहदा था। अंग्रेज़ जर्मनों के खिलाफ़ थे वह चाहते थे कि यूरोप की सियासी क़ियादत उनके हाथ में रहे और मुसलमानों की क़ियादत तुर्कों के हाथ में न

रहे, शरीफ़े मक्का बगावत से पहले तुर्कों की तरफ़ से मक्का के शरीफ़ थे, शरीफ़ ने सऊदियों को तंग कर रखा था और उन पर हज तक की पाबंदी आयद कर रखी थी बज़ाहिर यह सख्ती तुर्के की तरफ से थी लेकिन हकीकत में यह शरीफ़ेमक्का बल्कि बर्तानवी इस्तेमार की साज़िश थी जो शरीफ़ को बयक वक़्त सऊदियों और तुर्कों से लड़ाना चाहते थे। (मुतालआ बरेलवियत 186 अज़ डा. महमूद)

यानी अंग्रेज़ दोस्ती की वजह से बरेलवी दुश्मनी के डांडे तुर्की और सऊदियों तक फैले थे यही वजह है कि उन्होंने सऊदियों को ''नज्दी'' कहकर कुफ्र के फत्वों में पिरो दिया।

बरेलवियत और कुफ्र के फ़त्वे

बरेलवी हज़रात और उनके पैरवों ने अपने मखसूस अकाइद व नज़रयात को इस्लाम का नाम दे रखा है यानी उनके नजदीक अल्लाह तआला के तमाम इख्तियारात औलिया के पास है। और उनके खुद साख्ता बुजुर्गाने दीन ही खल्क की शुनवाई, हाजत रकाई करते हैं और मुरीदों की तकालीफ़ दूर करते हैं उनके पास नफ़ा नुक्सान पहुंचाने, मुसीबतों से छुटकारा दिलाने, और गुनाहगारों को बख्शवाने के इख्तियारात है ज़मीन व आसमान में उनकी बादशाहत है। वगैरह-वगैरह ज़ाहिर है जिसकी अक़्ल सलामत हो और इस्लाम की तालीम से थोड़ा भी वाकिफ़ हो तो इन अकाईद को तसलीम नहीं करेगा वह रब्बे कायनात को अपना खालिक, मालिक, राज़िक़, दाता मानेगा और मखलूक़ को उसका मोहताज और उसका बन्दा मानेगा बस अहले हदीस हज़रात का यही क़सूर था। उन्होंने इन मुशरिकाना अकाइद को न माना और वह जनाब अहमद रज़ा खां और उनके पैरो कारों के तकफ़ीरी फत्वों का निशाना बन गये उनके सामने कुरआन व हदीस के अकवाल थे।

तरकता फीकुम अमरेने लनताजिल्लू मा तमस्साकुम बिहिम किताबल्लाहे वसुन्नते रसूलिही (मिश्कात)

तर्जुमा – मैं तुम्हारें अन्दर दो चीज़े छोड़े जा रहा हूं जब तक उन्हें मज़बूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होंगे किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (स.अ.व.) इर्शादे – बारी तआला है।

आले इमरान-132 अतिउल्लाहा वर रसूला लाअलकुम तुर हमून (कुरान)

तर्जुमा - अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए -

अतिउल्लाहा व रसूला हू वलातवल्लऊ अनहू व अनतुम तस्सनउल। (अनफाल) कुरान

तर्जुमा - अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उनके फरमान सुनने के बावजूद उनसे रूगरदानी मत करो -

अहजाब - वमकाना लेमुमिन्यु वला मुमिनतिन इज़ा कज़रल्हो व रसूलहू अम्ररन अयैकुना लहूमुल ख़यरतु मिअम्र हीम। (कुरान)

तर्जुमा - जब अल्लाह और उसका रसूल किसी अम्र का फैसला कर दे तो उसके आगे किसी मर्दे मोमिन या मोमिन औरत को चूं व चरा करने का हक़ नहीं।

कुफ्र के फतवे

बरेलवी अकाइदे अफकार के दलाइल कुरआन हदीस से मुहय्या नहीं हो सकते और अहले हदीस सिर्फ़ किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह पर इक्तिफ़ा करते और लोगों को इसी की तरफ़ दावत देते हैं, चुनांचे बरेलवी हज़रात को उन पर सख्त गुस्सा था कि उनकी चमकती दुकान को वीरान कर रहे थे और कारोबारे ज़िदंगी को खराब बरेलवी हज़रात के नज़दीक देवबंदी दीने इसलाम से इसलिे खारिज है कि वह उनके तराशे हुए किसस्से कहानियों पर ईमान नहीं लाए और अहमद रज़ा की पैरवी नहीं की - और मुहम्मद बिन अ. वहाब और उनके शार्गिदों को भी कुफ्र के फत्वों से नवाज़ा गया क्योंकि वो अरब में ऐसे ही अकाइद के खिलाफ़ जिहाद कर रहे थे, तमाम शोअरा और माहिरीन तालीम और सियासत दां तो इल्म के ज़रिए शिर्क व जिहालत का मुक़ाबला करते थे और जो अंग्रेजों के खिलाफ़ बग़ावत करने वाले थे और तहरीके खिलाफ़त के काइदीन भी बरेलवी फत्वों से महफूज़ न रह सके, जनाब अहमद रज़ा खां. के मखसूस जुम्ले हैं फुलां काफ़िर जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफ़िर, जो काफ़िर कहने में ताख़ीर (देर) करे, जो काफिर न कहे वो भी काफ़िर और उसकी बीवी निकाह से बाहर!

खां. सा. ने ज़िंदगी फत्वेबाज़ी में गुजज़ार दी उन्होंने सबसे ज़्यादा फत्वे शाह इस्माइल शहीद (र.अ.) पर दिए हैं क्योंकि वो शिर्क व बिदअत के खिलाफ़ खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग करने वाले थे और दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीग के ज़रिए भी मुसलमानों को तौहीद का सबक देतें रहे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में अमली हिस्सा लिया दुनिया भर में उलूमे - हदीस के अह्या के लिए मुसलसल मेहनत की अस्ल में शाह इस्माइल ने "तक़्वीयतुल ईमान" किताब लिखी जो सिर्फ़ कुरान व हदीस की तालीम पर मबनी है इसे पढ़कर बहुत से लोगों को हिदायत नसीब हुई और कब्र परस्ती की लानत से तौबा करके अल्लाह तआला की वहदा नियत के कायल हुए, जनाब बरेलवी इससे वाकिफ़ थे कि इस किताब को पढ़ने वाला मुतास्सिर हुए बगैर नहीं रह सकता - चुनांचे उन्होंने इसके पढ़ने को हराम करार दिया। तकविय तुलईमान कुरआनी आयात और अहादी से नबवीया से भरी हुई हैं और पढ़ने वाला एक ही मौजूअ पर इस कदर आयतें मुलाहज़ा करता है तो हैरान व शशदर रह जाता है कि तमाम आयात बरेलवी अकाइद व अफकार से मुतसादिम(टकराती) है। और बिल आखिर वह गैर इसस्लामी और शिर्किया अकाइद को छोड़कर तौहीद व सुन्नत पर अमल करना शुरू करता और फिर बिदआत व खुराफ़ात व नज़्रो नियाज़ से हासिल होने वाली आमदनी का दरवाज़ा बंद होता नज़र आता है। सारे फत्वों का पसे मन्ज़र सिर्फ़ दुकान को चमकाना है। मौलाना इस्माईल के खिलाफ फत्वों की ज़बान मुलाहज़ा हो- "

1. इस्माइल देहलवी सरकश, ताग़ी शैतान, लईन का बंदा दाग़ी था (अल-अम्र वल उला 112)

2. इस्माइल देहलवी क़ाफ़िर महज़ था (सब्हानुसुब्बूह 134)

3. मेरा अकीदा है कि वह (इस्माइल देहवली) मिस्ले यजीद है, अगर उसे कोई काफिर कहे तो उसे न रोका जाए। (मल्फ़ूज़ात अहमद रजज़ा जि. 1 सफा 110)

4. तकवियतुल - ईमान, ईमान को बरबाद कर देने वाला वहाबिया का झूठा कुरआन है। (अल-अम्नु व ल उला 72)

अहमद रज़ा के हल्क-ए-असर में सबसे ज़्यादा इल्ज़ामाता मौलाना इस्माईल शहीद के गिर्द घूमते हैं नमाज़ में हुजूर का ख्याल आने से नमाज़ टूटने की

तोहमत और हुजूर स.अ.व. का दर्जा बड़े भाई के बराबर समझने के इल्ज़ामात इन्हीं पर लगाये गये हैं, और अहमद रज़ा ने सबसे ज़्यादा मुवाख़िजे इन्हीं से किए हैं।

सुब्हानुस सुब्बूह में 75 और अलकौक व तुश्शहाबिया में 70 वुजूह से मौलाना शहीद की इबारत पर कुफ्र का लाजिम आना तहरीर किया है फिर पटरी से उतर गये और फ़रमाते हैं कि

1. मैं मौलाना इस्माईल शहीद को काफिर नहीं कहता लुजूम व इल्तिज़ाम में फर्क है उलमा-ए- मुहतातीन उन्हें काफ़िर न कहे यही सवाब है। व हुवल - जवाब वबिही युफ्फ़्ता व हुवल- फत्वा व हुवल मजहब व अलैहिल एतमाद - (सुब्हानुसुब्बूह सफ़ा 90)

2. इमामुत्ताइफ़ा इस्माईल देहलवी के कुफ्र पर हुक्म नहीं करता हमारे नबी ने अहले - ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले की तकफीर से मना फ़रमाया है। (सुब्हानुस्सुब्बूह अन ऐबिकाजिब 80)

नोट - अहमद रज़ा खान ने जिन लोगों की तकफ़ीर का बीड़ा उठाया था मसलन उलमाए देवबंद, नदवतुल उलमा, मौलाना शिबली नोमानी और सभी लोग जिनको वहाबी कहा सब "ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले और मुवहदिद थे, और इनमें इब्ने तैमिया, शौक़ानी इब्ने हज़्म, तो जलीलुकद्र मुवह्हिद उलमा व मुफ़्ती थे।"

अहमद रज़ा कहते है कि किसी मुसलमान को काफिर कहा और वह काफिर न हो तो कुफ्र कहने वाले की तरफ लौट आता है और काफ़िर कहने वाला खुद का काफिर हो जाता है। (बागे अनवर दर्ज दर फतावा रिजविया 11)

अपने इस कौल की रौशनी में अहमद रज़ा खां खुद काफिर हुए क्योंकि इस्मईल शहीद पर कुफ्र का फत्वा दिया और बाद्र में कहा कि वह काफिर नहीं है। मगर तीर तो कमान से निकल गया और नतीजे में उम्मत के टुकड़े तो कर ही दिए क्या इसकी जवाबदेही से बच सकेंगे? बरेलविंयों के लिए लम्ह-ए- फिक्र।

5. तकवियतुल ईमान वगैरह सब कुफ्री कौल, नजिस तर अज़ बौल (पेशाब) है। जो ऐसा न जाने ज़िंदीक़ है। अब ज़रा मौलाना इस्मालि शहीद के काफिर होने का सबब भी मुलाहज़ा फरमाएं लिखते है।

"इस्माईल देहलवी कहता है कि एक शख्स की तकलीद पर जमे रहना बावजूद इसके कि अपने ईमाम के खिलाफ सरीह अहादीस मौजूद हों दुरुस्त नहीं उसका यह कहना कुफ्रियात में से है।" (अल-कौकबतुश्शहाबिया 10)

6. यानी इस्माइल शहीद इसलिए काफिर हैं कि वह कहते हैं कि सरीह हदीस के मुकाबले में किसी के कौल पर अमल करना जायज नहीं है। जबकि यह उसूल बिलकुल सही है।

1. अगर हदीस के अल्फ़ाज़ या ख्याल कुरान से हकराते है तो हदीस को छोड़ देना चाहिए और कुरान के अलफ़ाज को लेना चाहिए।

2. अगर बड़े से बड़े सहाबी वली कुब का कौल हदीस से टकराए तो उस कौल को छोड़ देना चाहिए और हदीस को लेना चाहिए।

7. मोहम्मद स.अ.व. ने इसके जदीद कुरआन "तक वियतुलईमान को जहन्नम पहुंचाया" (अल-अम्नु वल उला 95)

8. इस किताब का पढ़ना ज़िना और शराब नोशी से बदतर है। (हवाला - बाला) कुरानी आयात और अहादीस से भरी किताब की तज़लील कर रहे हैं।

9. वहाबिया असलन मुसलमान नहीं इनके पीछे नमाज़ बातिल जिसने किसी वहाबी की नमाज़े - जनाज़ा पढ़ी तो तज्दीदे - निकाह व तज्दीदे इस्लाम करे उनसे मुसाफ़हा करना हरामे - कतई और गुनाहे कबीरा है। बल्कि अगर बिला कस्द उनके बदन से बदन छू जाए तो वुजु का इआदा करें। (फतावा रिज़विया 208) यह अहमदरज़ा खां की शरीअत सांज़ीकी मिसाल है।

अहमद रज़ा खां ने अपने दौर से सैकड़ों साल पहले गुज़रे उलमा को भी नहीं बख्शा और मुल्हिद, बद मज़हब, मुरतद गुमराह कह डाला, इब्ने तैमिया के मुताल्लिक मशहूर है कि उन्होंने कई साल तक जुमा में बिस्मिल्लाह की तफ़सीर बयान की उनके हज़ारों शार्गिद कई मुल्कों में थे और उनकी नमाज़े जनाज़ा लाखों लोगों ने पढ़ी इसी तरह पूरी उम्मते मुस्लिमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ा अइमा दीन इमाम इब्ने हज़्म, इब्ने क़इइम, इमाम शौकानी को भी उन्होंने लपेट लिया गो कि यह लोग देवबंदी न थे वहाबिया के मुक्तदा इब्ने हज्मूम फासिदुल अज़्म, नाकिदुल जज़्म रदियुलमशरब थे, (सुब्हानुस्सुब्बूह 27)

12. इब्ने हज़्म ला मज़हब खबी सुल्लिसान और हाजिजुल हि. (384, 465) वहरैन - (फतावा रिजविया जि. 2 सफ़ा 273)

13. इब्ने कइइम (हि. 691, 751 मुहिल्द था)(फतावा रिज़विया जि. 4 सफ़ा 199)

14. इमाम शौकानी बदमज़हब था (सैफुल मुस्तफ़ा 95)

15. शौकानी की समझ वहाबिया मुताख्खिरीन की तरह नाकिस थी (फतावा रिज़विया 442 जि. 2)

16. इब्ने तैमिया (हि. 661, 727), 1263, 1337 फिजूल बातें बका करते थे (फतवा रिजविया जि. 3 सफ़ा 399)

17. इब्ने तैमिया ने निज़ामे शरीअत को फासिद किया, इब्ने तैमिया एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ने रूस्वा किया व गुमराह अंधा और बहरा था इस तरह वह बिदअती, गुमराहकुन और जाहिल शख्स था (सैफुल - मुस्तफ़ा् ज़ अहमद रज़ा 92)

18. इब्ने तैमिया गुमराह और गुमराहगर था। (फतावा सदरुल अफ़ाज़िल 31)

19. इब्ने तैमिया बद मज़हब था (जाअलहक़ जि. 1 सफ़ा 455) जनाब अहमद रज़ा खां और उनके मुत्तबिईन आज भी मोहम्मद बिन अ. वहाब नजदी के सखख्त दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने दौर में शिर्क व बिदअत और कब्र परस्ती की बिदअत के खिलाफ़ जिहाद किया, और अल्लाह की वहदानियत का परचम बलन्द किया था। उनके मुताल्लिक़ अहमद रज़ा लिखते हैं,

20. बदमज़हब, जहन्नम के कुत्ते हैं, उनका कोई अमल कुबूल नहीं मोहम्मद बिन अ. वहाब नजदी वगैरह गुमराहों के लिए कोई बशारत नहीं (अहकामे - शरीअत जि. सफ़ा 80) यूं लगता है कि यह साहेब सीधे अल्लाह के यहां से बशारते ला रहे हैं।

21. मुरतदों में सबसे रवबीसतर वहाबी हैं (अहकामे शरीअत 123)

22. वहाबिया अखबस व अज़र और हर काफ़िर यहूदी, बुत परस्त से बदतर है (सफ़ा 124) सैय्यद इमाम नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी शाह इस्माईल शहीद की दावत के जानशीन को भी उन्होंने तकफीर का निशाना बना लिया - सैय्यद नजीर हुसैन एकता ए ज़माना थे। इल्म व फज़्ल हिल्म व बुर्दबारी में उनका कोई सानी न था उनकी इल्मी जलालत पर तमाम उलमा को इत्तिफ़ाक है। उसले हदीस, उसले फिकह में उनसे ज्यादा माहिर कोई न था, अजम व

अरब में उनके तलामिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ुनकी तसनीफात बहुत हैं, जनाब अहमद रजज़ा खां ने इल्म व मारफत के इस सैलाब को अपनी खुराफ़ात व बिदआत के लिए खतरा समझते हुए आपको तानों - तशनीअ और तकफीर तकसीक़ का निशाना बनाया मुलाहज़ा हो।

23. नजीर हुसैन देहलवी इमामे ला मज़ह बियां, मुजताहिद ना मुकाल्लिदां मुखतरिअ तरज़े नवी और मुब्तदिअ तरज़े नवी और मुब्तदिअ आज़ाद रवी है। (हाजिजुल बहरैन फतावा रिजविया जि. 2 21)

24/2 नजीर हुसैन देहलवी के पैरोकार सरकश, शैतान खन्नास के मुरीद हैं (हिसामुल हरमैन सफ़ा19)

25/3 तुम पर लाजिम है कि अकीदा रखो बेशक नजीर हुसैन देहलवी काफ़िर व मुरतद है। ुसकी किताब...कुफ्री कौल और नजिस तर अज़ बौल है। बहाबिया की दूसरी किताबों की तरह (दामाने बाग़ सुब्हानुस्सुब्बूह सफ़ा 136)

26/6 जो शख़्ह इस्माईल और नजीर हुसैन वग़ैरह का मोतकिद हो इब्लीस का बंदा जहन्नम का कुन्दा है। अहलें हदीस सब काफ़िर और मुरतद हैं, (सुब्हानुस्सुब्बूह 135 अज़ अहमद रज़ा)

27/5 ग़ैर मुकाल्लिदीन गुमराह, बददीन और बहुक्मे फिकह कुफ़्फार व मुर्तद हैं। (बागे अनवर फतावा रिजविया जि.6 33)

28.6 गैर मुक़ाल्लिद अहले - बिदअत और अहले नार हैं, वहाबी से निकाह पढ़वाया तो तज्दीदे - इस्लाम व तज्दीदे निकाह लाज़िम वहाबी मुर्तद का निकाह न हैवान से हो सकता है न इंसान से जिससे होगा ज़िना -ए- ख़ालिस होगा। (फतावा रिजविया जि. 250, 7, 90, 127)

29/7 नजीरिया "लअनहुमुल्लाह व मुरतदे - अबद हैं" (फतावा रिजविया जि. 6 सफ़ा 59

नदवतुल उमा के मुताल्लिक - फतवे

तजानिबे - अहले- सुन्नत में इसी तरह से नदवा से फारिंग होने वाले उलमा व तलबा के खिलाफ़ फतवों की भरमार है और फतावा अफ्रीक़ा, फतावा रिजवीया, फतावा नूरिया व गैरह किताबों में बरेलवियों को छोड़कर सब काफ़िर ठहराए गये हैं। तुफ़ है। उनकी ज़ाती दुश्मनी और इल्म परअहमद रज़ा खान को इस बात का शदीद खतरा था कि लोग अहले सुन्नत व अहले

हदीस (बकौल उनके वहाबी) के पास जाकर उनकी दलील जो कुरान से दी जाती है, सुनकर राहे रास्त पर न आ जाएं इस खतरे को भांपते हुए लिखते हैं।
30. वहाबियों से फत्वे तलब करना, हराम, हराम और सख्त हराम है। (फतावा रिजविया जिल्द 4 सफ़ा 106)
31. वहाबी सबसे बदतर मुर्तद हैं उनका निकाह किसी हैवान से भी नहीं हो सकता जिससे होगा जिना खालिस होगा। (फतावा रिजविया जि. 5 194, 46)
अब इन आला हज़रत से कोई पूछे कि अगर किसी वहाबी का निकाह हैवान से भी नहीं हो सकता तो क्या बरेलवी का निकाह हैवान से हो जाता है।
वमा नकमु मिम हूम इल्ला अनयूमिनू बिल्लाहिम अज़िजिल हमीद (कुरान)
तर्जुमा - उन लोगों ने सिर्फ़ इस बात का इतंकाम लिया है कि यह (उनकी खुराफ़ात की बजाए) अल्लाह तआला पर ईमान लाए हैं।
32. लिखते हैं वहाबी हर का फिरे असली, यहूदी, नसरानी, मजूसी परस्त से ज्यादा अखबस व बदतर हैं। (अहकामे शरीअत 132)
33. गैर आलिम को उनकी किताब देखना जायज़ नहीं (बहारे शरीअत जि. 5 सफ़ा 11)
34. आम मुसलमानों को उस किताब को देखना भी हराम है। (बागे अनवर दर फ़तावा रिजविया जि. 4 सफ़ा 54)
उन्होंने तो बरेलवियों के अलावा दूसरों की किताब देखने को हराम क़रार दिया। हक तो यह है कि उन बुजुर्गों के इल्म व फिक्र और बुजुर्गी के सामने अहमद रजज़ा खां कुछ भी न थे, सऊदिया के बारे में उनके खयालात मुलाहजज़ा हो।
35. नापाक, गंदे, कुफ्रिया अकीदे रखने वाले सऊदिया, मिल्लते नजदिया खबीसिया, इब्ने सऊद के फरज़द नाम सऊद (तजानिब अहले सुन्नत 267)
36. एक मरतबा बंबई की जामा मस्जिद के इमाम अहमद युसुफ़ ने सऊदी शहज़ादे का इस्तिकबाल किया और नज्दी हुकूमत की तारीफ़ की तो फ़तवा आ गया।
37. अहमद युसूफ़ मरदूद ने शाह सऊद के बेटों का इस्तिक़बाल किया और नज्दी हुकूमत की तारीफ़ की वह अपने इस अमल की वजह से काफिर हो

गया, जो उसके कुफ्र में शक करे वह भी काफिर (तजानिबे – अहले सुन्नत 268, 272)
38. बरेलवी हज़रात पाकिस्तानी जनरल जियाउलहक़, साबिक गवर्नर पंजाब और उन विफ़ाक़ी नज़ीरो को जिन्होंने इमामे काबा फजीलतुश्शैख अब्दुल्लाह वाज़ेह रहे के मौजूदा दौर में बहुत से बरेल्वी मजहब के मान्ने वालों के मदरसे के मालिकान सऊदी अरब से लाखों रुपए इम्दाद के तौर पर ला रहे हैं।
बिन सुबय्यल के पीछे नमाज़ पढ़ी उन पर कुफ्र का फत्वा लगा चुके हैं।
मौलाना क़ासिम नानौतवी बहुत बड़े आलिमे दीने और जुहद व तक़वा और जिक्र व मुराकबे में रहते थे दारूल उलूम देवबंद के बानी थे उन्हें नाजिमे नदवा मो. अली सा. ने "हकीम उम्मते मोहम्मदिया" का लकब दिया था। आप अपने वक़्त में हनफी उल्मा के इमाम थे, और शेख़ इमदादुल्लाह ने उन्हें अपना खलीफ़ा मुंतखब किया था, इसाईयों और आर्यों से उनके मुनाज़रे बहुत मशहूर हैं, उनकी किताब "तहजीरून्नास" बहुत मशहूर है उनके बारे
39. में खान सा. का फत्वा है। "तहजीरून्नास मुर्तद नानौतवी की नापाक किताब है" (तजानिब अहले सुन्नत 173)
मौलाना रशीद अहमद गंगोही, देवंबंदी हज़रात के बहुत जय्यद आलिम व फ़ाज़िल थे मौलाना अ. हई लखनवी उनके बारे में लिखते हैं।
"शेख इमाम, अल्लामा, मुहद्दिस रशीद अहमद गगोही मुहक्क़िक आलिम व फ़ाजिल थे, सिदक व अफ़ाफ़, तवक्कु ल व तसल्लुब फीद्दीन में उनके मिस्ल कोई न था, मज़हबी उमूर में बहुत मतशदिद थे, उनके बारे अहमद
40. रज़ा खां ने फत्वा यूं दिया" "रशीद अहमद को काफिर कहने में तवक़्कुफ (देर करे) करने वाले के कुफ्र में कोई शुबा नहीं।" (तजानिबे अहले सुन्नते 245)
41. रशीद अहमद की किताब 'बराहीने – कातिआ कुफ्री कौल और पेशाब से भी ज़्यादा पलीद है जो ऐसा न जाने ज़िंदीक है। (सुब्हानुस्सुब्बूह 134)
मौलाना अशरफ़ अली थानवी देवबंदी अहनाफ़ के बड़े इमाम हैं उनकी मजालिस और उनकी बहुत सारी तसानीफ़ की वजह से लोगों ने हिन्दवाना रसूम व आदात से तौबा की आगे आ रहा है कि नानौतवी, गंगोही और थानवी साहेबान की इबारात में अहमद रज़ा ने किस तरह तहरीफ़ की और अपने अल्फ़ाज़ दाख़िल किए और अपनी तरफ़ से उनसका मतलब भी उल्टा समझा

दिया उनके बारे में लिखते हैं।

45. जो अशरफ़ अली को काफ़िर कहने में तवक्कुफ़ (देर करे) उसके काफ़िर होने में कोई शुबा नहीं (फतावा अफ्रीका 124)

46. बहिश्ती ज़ेवर का मुसन्निफ़ (मौलाना थानवी की किताब) काफ़िर है। तमाम मुसलमानों को उस किताब का देखना हराम है। (फतावा रिज़विया जि. 6 सफ़ा 54)

47. अशरफिया सब मुरतद हैं (सफ़ा - 14)

48. देवबदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफ़िर हैं।
(फतावा रिज़विया जि. 6 सफ़ा 82)

49. देवबंदी अक़ीदे वाले काफिर व मुरतद हैं (फतावा रिजविया जि. 6 43)
इस पर भी अहमद रज़ा खां का गुस्सा ठंडा न हुआ तो फ़रमाते हैं।

50. जो मदरसा देवबंद की तारीफ़ करे और देवबंदियों को बुरा न समझे उसी कदर उसके मुसलमान न होने को बस है। (दर फतावा रिज़विया जि.6 सफ़ा 110)

51. देवबंदी बिदअती, गुमराह, और शरारे खल्कुल्लाह हैं। (तफ़्सीर मीज़ानुल अद्यान दीदार अली जि. 2 सफ़ा न. 270)

52. देवबंदी अकीदे वालों की किताबें हिन्दुओं की पोथियों से बदतर हैं। उनकी किताबों को देखना हराम हैं। अलबत्ता उन किताबों के वरक़ों से इस्तिंजा न किया जाए। 53. हुरूफ की ताज़ीम की वजह से नीज अशरफ़ अली के अज़ाब और कुफ्र में शक करना भी कुफ्र हैं (फतावा रिजविया जि. 2 136)

54. देवबंदियों की किताबें इस काबिल हैं कि उनपर पेशाब किया जाए उनपर पेशाब करना पेशाब को मजीद नापाक करना है। (कितनी दुश्मनी है?)
(हाशिया सुब्हानुस्सुब्बूह सफ़ा 75)

देवबंदी हज़रात मदरसा, और उनके अकाबिरीन की बाबत बरेलवियों का कुफ्रिया फत्वा तो आपने देखा अब नदवतुल उलमा के मुताल्लिक उनके इर्शादात देखें।

55. नदवतुल उलमा को मानने वाले दहरिए और मुरतद हैं। (तजानिब सफ़ा 90) अज़बर काती

56. नदवा खिचड़ी है, नदवा तबाहकुन की शिरकत मरदूद हैं उसमें सिर्फ़ बदमज़हब हैं। (मल्फूज़ात अज़ बरेलवी सफ़ा 201)

57. अहमद रज़ा ने नदवतुल उमला से फ़ारिग होने वालों को काफ़िर व मुरतद क़रार देने के लिए दो रिसाले लिखे।

(1) अल - जामुस्सुन्नतु लिअहालिफित्नह (2) मजयुमाफिका वल हरमैन बरज़्क नदवतुल मुबीन

वहाबियों के मुतआल्लिक उनके फत्वे,

58. वहाबिया और उनके जुअमा पर बवजहे कसीर कुफ्र लाजिम है और उनका कालिमा पढ़ना उनसे कुफ्र को दूर नहीं कर सकता। (अल-कौकबतुश्शहाबिया सफ़ा 10)

59. वहाबिया पर हज़ार वजह से कुफ्र लाजिम आता है (सफ़ा 59)

60. वहाबी मुरतद बइज्मा-ए-फुकहा है, (सफ़ा न. 60)

61. इबलीस की गुमराही वहाबिया की गुमराही से हल्की है। (अहकामे शरीअत सफ़ा 117)

वहाबियों के लिए बददुआ

62. खुदा वहाबिया पर लानत करे, उनको रूस्वा करे, और उनका ठिकाना जहन्नम करे (फ़तावा अफ्रीका सफ़ा 125)

63. वहाबिया की नमाज़ न नमाज़ है न उनकी जमात जमात। (मल्फूज़ात 115)

64. जिस तरह उनकी नमाज़ बातिल है बिल्कुल उसी तरह उनकी अज़ान भी

65. वहाबियों के पीछे नमाज़ अदा करना बातिल। महज़ है।

66. वहाबी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना कुफ्र है। (मल्फूज़ात सफ़ा 76)

67. वहाबियों के लिए दुआ करना फिज़ूल है। (--,,--)

68. वहाबियों के पास बच्चों को पढ़ाना हराम - हराम (अहकामे शरीअत 227) यह कुत्ते से भी बदतर व नापाक तर हैं कि कुत्ते पर अज़ाब नहीं और यह अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं। (फतावा रिजविया जि.5-138)

थोक के हिसाब से फत्वे

70. नवाब मोहसिनुल - मुल्क मेहदी अली खान मेहदी, नवाबे आज़म यार जंग, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी डिप्टी नजीर अहमद खां देहलवी, वजीराने - नेचरीयत, मुशीराने दहरियत और मुबल्लिगीने ज़िन्दिकीयत थे। (तजानिब अहले सुन्नत 86-87)

71. डाक्क्टर अल्लामा मो. इकबाल के बारे में लिखते हैं। फल्सफ़ी नेचरीयत

डॉक्टर इकबाल की जुबान पर इबलीस बोल रहा है। (तजानिब 340)

72. दीदार अली ने फत्वा दिया था कि मुसलमानों को चाहिए कि वह डाक्टर इकबाल से मिलना जुलना बंद कर दे वरना सख्त गुनाहगार होंगे (जिक्रे इकबाल अज़ अ. मजीद सालिक 131)

73. अबुल कलाम आज़ाद मुरतद है। और उसकी किताब "तर्जुमानुल कुरआन" नजिस किताब हैं। (तजानिब 144) (कुरान तक को नहीं बख्सा) अहमद रज़ा खां, सर सय्यद अहमद खां के मुताल्लिक लिखते हैं।

74. "वह खबीस मुरतद था उसे सय्यद कहना दुरूस्त नहीं" (मल्फ़ूज़ात 319)

75. कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिनाह के बारे में फ़त्वा "मिस्टर मोहम्मद अली जिनाह काफ़िर मुरतद है उसके बहुत से कुफ्रियात हैं" ब हुक्मे शरीअत वह अकाइदे कुफ्रिया की बिना पर कतअन मुरतद और खारिज़ अज़ इसलाम है जो उसके कुफ्र पर शक करे या उसके काफ़िर कहने में (देर करे) वह भी काफ़िर है। (तजानिब 119-122)

76. जो मोहम्मद अली जिनाह की तारीफ़ करता है वह मुरतद हो गया उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई (90) अहमद रज़ा खा और उनके हवारी फत्वे बाजी में उस्ताद और बहुत जल्दबाज़ थे उनके पास एक ही फार्मुला था कि "फुलां काफ़िंर, जो उसे काफ़िर न कहे वह भी काफ़िर जा काफ़ीर कहने में तवक्कुफ़ करे वह भी काफ़िर और उसकी बीवी निकाह से खारिज, उन्होंने बहुत ही मामूली बात पर जिनका ताल्लुक़ दीन से भी नहीं हैं कुफ्र का फत्वा दे दिया"

77. मसलन, जिसने तुर्की टोपी जलाई वह दायर-ए-इस्लाम से खारिज होगया (बागे अनवर 11 फतावा रिजविया)

78. बिला ज़रूरत अंग्रेजी टोपी रखना बिलाशुबा कुफ्र हैं। (बागे अनवर 180 फतावा रिज़विया)

79. अलवी सैय्यद को अलीवी कहना कुफ्र है (-,,- 181)

80. उलमा की बदगोई करने वाला मुनाफिक़ व काफिर है।

नोट - हालांकि उन्होंने खुद मुसल्लमुस्सुबूत उलमा की बदगोई की है। यानी खुद अपने खिलाफ़ फत्वा दे रहे हैं,

81. उलमा ए दीन की तहकीर कुफ्र हैं। (सफ़ा नं. 24)

(यह कुफ्र भी इनसे सरजद हुआ है)

82. जिसने कहा - इमाम अबू हनीफ़ा का कयास हक नहीं वह काफ़िर हो गया। (बागे अनवर 34)

अब खान सा. की गलत सोच का जिक्र करना ज़रूरी है। यह उनकी शरीअत साज़ी की मिसाल है जो शरीअते मोहम्मदी के खिलाफ़, और कुफ्र व शिर्क पर मबनी है।

83. (1) गैर ख़ुदा को सज्द-ए-तहिय्यत करने वाला हरगिज काफ़िर नहीं - ---,, (अल मुबीन फतावा रिजविया 7)

84. जिसने आलिम को अवैलिम (छोटा आलिम) कहा वह काफ़िर हो गया

85. यह कहना कि हमारे माबूद मोहम्मद (स.अ.व.) है कुफ्र नहीं है।

86. बुजुर्गों का यह कहना "सुब्हाना मा अअज़मा शानह" मैं पाक हूं मेरी शान बलन्द है कालिम ए कुफ्र नहीं (अल-मुबीन 146)

87. उनसे सवाल किया गया कि हिन्दुओं की नज़्र व नियाज़ के मुताल्लिक क्या ख्याल है? जवाब में फ़रमाया हां। इन बातों पर आदमी मुश्रिक नहीं होता (फ़तावा रिजविया जि. 210)

वाज़ेह रहे कि हिन्दुओं की नज़्र बुतों पर होती है। सूर: बकरह आयत 173 में है।

--

ऐसी चीज़ न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो,

88. एक जगह हर किस्म की "नज़्रे लि गैरिल्लाह" को मुबाह क़रार दिया है। (फ़तावा रिजविया नि. 4 219)

89. जो आला हज़रत को बुरा कहे उसके पीछे भी नमाज़ जायज़ नहीं (फतावा नई मुद्दीन 64)

हज को साकित करने का फत्वा

90. नजिस इब्ने सउद और इसकी जमात तमाम मुसल्मानों को काफर व मुशरीक जानती है और उनके अमवाल को शीरे मादर समझती है इनके इस अकीदे की वजह से हज की फराजीयत साकित और अदम लाजिम है। तन्वीरल्हज (पेज 105)

91. हज के मुल्तवी होने से नजदिया के नापाक क़दम से इंशाअल्लाह हरमैन तैयब व ताहिर हो जाएंगे (तन्वीरूलहज पेज 31)

अल्लाह ने मुसलमानों पर हज फर्ज किया है और कुरान में इसके लिए एक मुस्तक़िल सूरह अल्हज नाजिल फरमाई है। अल्लाह के आयद करदा फर्ज को साक़ित, ताख़ीर या अदम लाजिम करने का फतवा देने की जसारत यकीनन बदतरीन फ़ेल हैं। जिसका हक़ उन्हें तो क्या नबी स.अ.व. को भी नहीं था। बरेल्वी मजहब के मानने वाले साकित या मुलतवी करने की बजाय मक्का, मदीना जाकर वहां हरमैन शरीफैन में नमाज़ नहीं पढ़ते हैं बल्कि अपनी कयाम में नमाज़ पढ़ लेते हैं। जबकि हरम शरीफ (काबे) में नमाज़ का स्वाब एक लाख और मदीने में मस्जिद नब्वी में नमाज का स्वाब पचास हजार है। नमाजों का स्वाब है। अल्लाह जिसे महरूम कर दे उसे कौन दे सकता।

ख़रेईसा अगर बमक्का रवद- चूं ब्यायद हुनूज खर बाशद

नोट : इससे कब्ल इन्होंने नमाज़े जुमा और इदेन की नमाज़ भी तर्ज करने का फतवा दे चुके हैं।

नोट : इस्लाम शरीअत के तमाम अहकाम का वज़अ करने वाला हाकीम ब्राहेरास्त अल्लाह ताआला को क़रार देता हैं। यहां तक कि नबी को भी हराम और हलाल करार देने का हक़ नहीं था। मगर यहां मामूली आदमी भी अल्लाह के हुक्म में अपनी तरफ से शरीअत साज़ी कर रहे हैं।

खान सा. के तहरीफ़ शुदा तर्जुमे कुरआन पर इस्लामी हुकूमतों की तरफ़ से पाबंदी लगाई गई तो उन लोगों ने खूब शोर व वावेला मचाया जबकि अक्लमंदी का तक़ाजा यह था कियह साबित करके दिखाते कि उनका तर्जुमा सही हैं। मगर साबित कहां से करते? तहरीफ़तो किए हैं।

बरेलवी हज़रात की अक़्ल का मातम कीजिए कि उन्होंने वहाबियों की दुश्मनी में फरीज़े हज के साकित होने का फत्वा जारी कर दिया, कि जब तक वहां सऊदी खानदान की हुकूमत है उस वक़्त तक मुसलमानों से हज की फर्ज़ीयत खत्म हो गई- इस फत्वे को एक मुख्तालिख रिसाले "तनवीरुल हज लिमन यजूजु इल्तिवाअुल हज" में शाया किया उसके मुफ़्ती अहमद रज़ा के बेटे मुस्तफ़ा ख़ां है। उसमें तकरीबन पचास बरेलवियों के दस्तखत हैं जिनमें हशमत अली कादरी, हामिद रज़ा बिन अहमद रज़ा नई मुद्दीन और दिलदार अली शामिल है। "बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुब्हानल्लाह"

नोट- आगे जिक्र आ चुका है कि अहमद रज़ा ख़ां ने बगैर मां की इजाज़त के नफ़्ली हज किया था। मुस्तफ़ा खां लिखते हैं।

92. "अल्लाह तअला सवाल करेगा कि जब तुम पर हज फर्ज न था तो तुमने वहां जाकर हमारे और हमारे महबूबों के दुश्मनों को क्यों मदद पहुचाएं - जब तुम्हे इल्तिवा और ताख़ीर की इजाजत थी और यह हुक्म हमारे नाचीज़ बंदे और तुम्हारे खादिम मुस्तफ़ा खां रज़ा ने तुम तक पहुंचा दिया था फिर भी तुम ना माने और तुमने हमारे और हमारे हबीब स.अ.व. के दुश्मनों को अपना माल लुटवाकर हमारे मुकद्दास शहरों पर उनका नाजिस कब्ज़ा और बढ़ा दिया (तनवीरूल हज 24)

93. जब तक नज्दी मुसल्लत है उस वक़्त तक हज के लिए सफ़र करना अपनी दौलत को ज़ाया करने के बराबर है। (तनवीरूलहज 32)"

नोट - मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने तो जिहाद के साकित होने का फत्वा दिया था मगर बरेलवियों ने जिहाद के साथ हज के भी साकित होने का फ़त्वा दे डाला।

सवाल "(अर्ज)हुजूर अजमेर शरीफ़ में ख्वाज़ा सा. के मज़ार पर और तों का जाना जायज है या नहीं ?"

जवाब - गुनिया में है यह ना पूछो के औरतों का मज़ारात पर जाना जायज़ है या नहीं ? बल्कि यह पूछो कि उस औरत पर किस कदर लानत होती है। अल्लाह की तरफ़ से ! और किस कदर साहिबे कब्र की तरफ़ से जिस वक़्त औरत घर से इरादा करती है लानत शुरू हो जाती है और जब तक वापस आती है मलाइका लानत करते रहे है। सिवाए रौजा अनवर के किसी मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं। (मल्फूज़ात जि. 2 110)(खान साहब का अपने अकीदे के खिलाफ फतवा)

नोट - जिन लोगों को भी कलियर शरीफ़ जाने का मौका मिला हो वह जानते है कि उर्स के मौके पर वहां किस तरह से दूर दराज़ से तवाइफ़ें आती हैं और किस तरह मंडी लगती है।

94. मसला - क्या फ़रमाते है उलमा-ए-दीन इस मसले में कि औरत बगैर शौहर की इजाज़त के मुरीद हो सकती है?

जवाब- हो सकती है। (अहकामे शरीअत जि. 2 164)

नोट - अगर खाविंद की इजाजत ज़रूरी नहीं तो फिर इसका अंजाम जो होगा हम आये दिन देख सकते हैं।

फतवा मज़ाराते औलिया या दीगर कुबूर की जियारत को जाना ब इत्तिबा ए गुनिया अल्लामा मुहक्किक इब्राहीम हल्बी (रह.) हरगिज़ पसंद नहीं करता खुसूसन इस तूफान बेतमीज़ व रक़्स व मजामीर व सुरूर में जो आजकल जहां ने अअरासे तय्यबा में बरपा कर रखा है। उसकी शिरकत में तो अवा में रिजाल (मर्दों) को भी पसन्द नहीं रखता, (खान साहब का अपने अकीदे के खिलाफ फतवा)

अब जियारते कुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है। यह नहीं फ़रमाया कि वैसी को हराम और ऐसी को हलाल वैसी को तो पहले भी हराम था इस ज़माने में क्या तखसीस (अजमलुन्नूर मल्फूज़ात अहमद रज़ा खान) (हिस्सा 2 सफ़ा 110)

खान सा. की आदात में से चंद का जिक्र

जनाब अहमद रज़ा खां और उनके बरेलवी खुलफ़ा के कुफ्र के फत्वों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। डॉक्टर खालिद महमूद ने मुताअला - बरेलवियत में कई मिसालों से यह साबित किया है कि उनके यहां इल्मी फुकदान (कमी)है। और सिर्फ अपनी अक़्ल से किसी इबारत में उल्टा मतलब

निकालकर या जोड़ तोड़ करके अपनी तबीयत के मुताबिक फत्वा लगाने में गैर मोहतात तरीक़ा अपनाते हैं यह एक इल्मी बहस है। इसलिए आम कारिईन इससे बचें और तजस्सुस के शाइक़ हज़रात उससे इस्तिफ़ादा करना चाहे तो "मुतालाआ बरेलवियत" 275 से 425 सफहात मुलाहज़ा करे उनमें बरेलवी हज़रात की शैतान से हुस्ने अकीदत शैतान को अंबिया से मिलाना, हाज़िर व नाज़िर साबित करने के लिए इब्लीस को मिसाल में लाना, जौक़े तहरीफ़ जाली फत्वे बनाना वग़ैरह वग़ैरह पर बहुत साफ़ साफ़ बरेलवी अकीदों को उनकी किताबों के सफ़हात में दर्ज हवालों से बयान किया है।

नाम को बिगाड़ने का शौक

(मुतालआ बरेल वियत - मुसन्निफ़ डॉ. खालिद महमूद से माखूज़ पेज 237)

अहमद रज़ा खां को बात के बिगाड़ने का अज़ीब शरारती शौक़ था जहां वो अल्फ़ाज़ को मस्ख़ करके उन्हें एक माना से दूसरे माना की तरफ़ ले जाते और उन पर मुआखज़ा करते थे यह उनका दिनरात का मशग़ला था।

1. मौलाना खुर्रम अली बिल्हौरी की किताब "नसीहतुल - मुस्लिमीन" पर खान सा. ने नून का नुक्क़ता साद पर लगा दिया और आम को "फ़ां" से बदल दिया अब किताब का नाम "फज़ीहतुल मुस्लिमीन" रह गया। यानीमुसलमानों की रूस्वाई।

2. मौलाना खुर्रम अली की 'मीम' अली पर चढ़ा दी ताकि मौलाना मरहूम को 'ख़र' कहने में दिक्कत न हो और अगला लफ़ज 'मअला' बना दिया, मुराद वो गधा जिस पर कोई दूसरा सवारी करें।

3. मौलाना इस्माईल शहीद की किताब 'तक्वियतुल ईमान' के 'काफ़' में एक नुक्ता कम करके तफ़्वीयतुल ईमान बना दिया।

4. मौलाना अशरफ़ अली थानवी के रिसाले "हिफ्जुल ईमान" का नाम इस तरह बिगाड़ा कि 'खब्तुल ईमान' मालूम होता था उन्होंने मुस्लिम लीग को 'मुज़ालिम लीग' कहा, इस तरह उन्होंने उम्मत की एक पूरी जमाअत की किताबों में अपने इस ज़ौक तहरीफ़ की मश्क़ की और इतने बढ़ गये कि पूरी उम्मत को दो टुकड़ों में बांट दिया। ज़ाहिर हैं यह एक गुनाह का काम था। जिसको शुरू किया था। अहमद रज़ा खान सा. ने और उनके पैरों और मुक्तदी

उस पर मश्क करके अहमद रज़ा खान पर इस गुनाह का बोझ बढ़ा रहे हैं।
5. जनाब अहमद रज़ा खान सा. ने मौलाना मो. क़ासिम नानौतवी की किताब 'तहज़ीरून्नास' के 'सीन' के
सफ़ा 14 और सफ़ा 28 और सफ़ा (3) से इबारतों के नामुकम्मल टुकड़े जोड़कर और ऊपर इबारत की शर्तें हज़्फ़ करके एक मुकम्मल इबारत बनाई और उस मुसलसल इबारत को पढ़ने से लगता है कि मौलाना क़ासिम खत्म नुबुव्वत के मुन्किर थे और अपनी मनगढ़ंत बात मौलाना क़ासिम के जिम्मे लगाकर हाथ की सफाई दिखाई जो उनकी ख़यानत की मिसाल है।
6. बैहकी शोबुलईमान में हज़रत इब्ने उमर (रजि.) की रिवायत की कि हज़रत अमीरूलमोमिनी हज़रत उमर रजि. बिन खत्ताब सूर: बकरह को उसके हकाइक व दकाइक के साथ बारह साल में पढ़कर फारिग़ हुए अहमद रज़ा खान ने इस रिवायत को हज़रत उमर से उठाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर पर लगा दिया और बारह को आठ से बदलकर अपनी आदत पूरी कर ली कहते है सय्यदना उमर फ़ारूक ने आठ बरस में सूरह: बकरह खत्म की उसके बाद ऊंट की कुरबानी की, सय्यद ना अब्दुल्लाह बिन उमर ने सुरह: बकरह बारह साल में पढ़ी।

निडर और बे ख़ौफ़ होने की मिसाल

कुरआन क़रीम सराहत से बतला रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो दिनों में आसमान की तखलीक की (सूरह. हा मीम सज्दा 8/12) मगर खां सा. यहां भी बात को बिगाड़े बगैर न रहे फरमाया कि "अल्लाह तआला ने आसमान चार दिनों में बनाया"
मल्फूज़ात अहमद रज़ा हिस्सा (सफ़ा 17 में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने चार रोज़ में आसमान और दो दिन में ज़मीन (यकशबा (इतवार) ता चहार शंबा (बुध आसमान और (पंजशबा (जुमेरात ताजुमा) जमीन, नीज़ इसमें बैनल अस्र वल मग़रिब आदम अला नबिय्यना व अलैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया आसमानों की तखलीफ में दो और चार का इख्तिलाफ़ कुरआन करीम से खुला टकराव है।
8. डॉक्टर खालिद महमूद सा. ने अपनी किताब "मुतालआ बरेलवियत" में

अहमद रज़ा खां (1935) की कुरआन में तहरीफ़ की दस आयतें और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी के मतबूआ कुरआन से ग्यारह आयतें पेश की हैं। जिनमें उन्होंने तहरीफ़े लफ़्ज़ी की है। मुमकिन है कोई नही फुल अक्ल कहे कि अहमद रज़ा खां और मिर्ज़ा अहमद कादयानी कुरआन पाक की आयात के जहां जहां बदला है। वहां मज़मून तब्दील नहीं किया सिर्फ़ लफ़्ज़ बदले है। कुरआन के एक लफ़्ज़ का इंकार भी कुफ्र है। इन दोनों के हामी यह कहते हैं कि कुरआन करीम में यह तब्दीलियां जानकर नहीं की गईं, उन्हें भूल पर क्यों न महमूल करें? कादयानियों ने इन गलत लिखी आयात को अब तक इसी हालत में रहने दिया है और नए एडिशनों में दुरूसस्त नहीं किया ताकि कोई यह न कहे कि कादयानी की उम्मत ने अपने पैगंबर की इस्लाह कर डाली। (मुतालआ बरेलवियत 237-243)

1. सब अहले हक़ अल्लाह तआला की उमूमे कुदरत के क़ायल हैं वह जो चाहे कर सकता है, जो न चाहे उसकी मर्ज़ी लेकिन न चाही बात के करने से आजिज़ नहीं।

1. अल्लाह ने न चाहा कि हर शख्स हिदायत पर हो लेकिन अल्लाह चाहता तो हर शख्स को हिदायत पर रख सकता हैं। यानी खिलाफ़े वाकिआ पर पूरी तरह क़ादिर है।

"वलब शिअना ल आतैना कुल्ल नाफ़्सिन हुदाहा" (<u>सूरह: सज्दा</u>)

तर्जुमा - अगर हम चाहते तो सुझा देते हर जी को उसकी राह" यानीन चाही चीज़ों पर अल्लाह तआला कादिर है।

2. इल्मे - इलाही में यह बात तै थी, हर_हर बस्ती में पैगंबर न आएगा लेकिन खुदा इस पर भी क़ादिर था कि हर_ हर बस्ती पर पैगंबर भेजता, वलव शिअना लबअस्ना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा (अल - <u>फ़ुरक़ान</u> 5)

यह आयात अल्लाह के उमूमे - कुदरत को बयान कर रही है कि वह अपनी न चाही चीज़ों पर भी क़ादिर है।

3. इल्मे इलाही में यह तै था कि जिस तरह पिछली उम्मतों पर अज़ाब आता रहा, इस उम्मत पर अज़ाबे आम्मा न आएगा, लेकिन क्या अल्लाह इस उम्मत पर अज़ाब भेजने पर क़ादिर नहीं? क्या वह आजिज़ है? नहीं! मगर वहऐसा नहीं करेगा कि इसका फ़ैसला कर चुका है।

"कुल हुवल – क़ादिर अला अयं यब असा अलैकुम अज़ाबम मिन तहति अरजुलिकुम" (सूर: अन्आम)
तर्जुमा – आप कह दें कि वह क़ादिर है कि तुम पर अज़ाब भेजे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे नीचे से"
यह आयत भी अल्लाह तआला के उमूमे कुदरत को बयान कर रही है कि वह न होने वाले खिलाफ़े वाकिआ उमूर पर भी क़ादिर है।
4. अहले हक़ का अकीदा है कि अल्लाह तआला लहव – लइब से पाक है लेकिन वह इसका इरादा कर लेता है तो हरगिज़ उससे आजिज़ न था, यह अलाहिदा बात है कि खेल उसकी शान क लायक़ चीज़ नहीं वह उससे मुनज़्ज़ह (पाक) है।
"लव अरदना अन नत्तखिज़ा लहवल लत्तखज़नाहु मिनलदुन्ना इन्ना कुन्ना फ़ाअिलीन" (सूर : अंबिया)
तर्जुमा – अगर हम कोई बहलावा इख्तियार करना चाहते तो अपने पास से ऐसा कर लेते अग़र हमें करना हो होता
5. अल्लाह तआला के बारे में अहले हक़ का अकीदा है कि उसका कोई बेटा नहीं, वह इन चीज़ों से पाक व मुनज़्ज़ह है। लेकिन अगर वह चाहते तो अपनी मुखलूक में से किसी को बेटा ठहरा लेते वह इससे आजिज़ न थे।
"लव अरादल्लाहु अयंयत्ताखिज़ा वलदम, लस्तफ़ा मिम्मा यख़लुकू मा यशाऊ, सुब्हानहु, हुबल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार"
इससे अहमद रज़ा खां भी मुत्त फिक थे, अब उलमा देवबंद पर कुफ्र के फत्वे लगाने के लिए एक ही रास्ता रह गया था कि इमकान की बहस को अलग करके उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि उनका अक़ीदा है (मआजल्लाह) खुदा तआला झूठ बोलता है। लेकिन इतना बड़ा दावा करने के लिए दस्तावेज़ी सुबूत दरकार था, लेहाज़ा खुद ही एक जाली फत्वा तसनीफ़ करके उम्मत में तफरीक पैदा कर दिया, और उम्मत को दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया।
अहमद रज़ा खां ने इल्ज़ाम कायम किया कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फत्वा दिया है कि अल्लाह बिल फअल झूट बोलता है। और कहा कि यह फत्वा खान सा. ने खुद देखा है। असल में अहमद रज़ा खां को उम्मत में

तफरीक (फूट) पैदा करना था और यह जाली फत्वा उन्होंने खुद ही तस्नीफ़ किया और उसके सहारे मौलाना रशीद अहमद पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने यह नहीं कहा कि यह फतवा उनके पास है बल्कि कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। न ही यह कहा कि किसके पास देखा है? ताकि कोई उनसे उसके पेश करने का मुतालबा न कर बैठे, मौलाना मुर्तज़ा हुसैन सा. ने "शिकवतुल हाल" सफ़ा 17 में लिखा है "वह फत्वा हम को दिखाओं वह फत्वा कतअन व यकीन न जाली है।" बरेली और बदायूं में अक्सर दस्तावेज़ जाली बनते हैं एक फत्वा जाली बना लेना क्या दुश्वार है? रहा नफ़्से मज़मून के मसले का बयान तो मौलाना का खुला फ़त्वा उनके फतावा रशीदिया में मौजूद है। उसको पढ़ने से खान सा. के हाथ की सफ़ाई साफ़ नज़रर आती है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फ़त्वा जिसमें यह दोनों बातें तस्रीह के साथ मौजूद है। 1. जो शख्स यह अक़ीदा रखे कि खुदा झूट बोलता है। वह क़ाफ़िर व मल्ऊन है। 2. हक तआला ने जो खबर दी कि ऐसा होगा वह उसके खिलाफ़ पर भी कादिर है। मौलाना गंगोही का यह फ़त्वा अरबी में तर्जुमा होकर मक्का मुअज़्ज़मा में भी पेश हुआ, और चारों मसलकों (मज़हबी) के मुफ्तियों ने उसकी तस्दीक फ़रमाई जो फ़तावा रशीदिया 390 में उनकी दस्तख्त के साथ मौजूद है. वो लिखते हैं,

"जाते पाक हक तआला की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़े किज़्ब किया जाए" (मआजल्लाहु तआला)

खान सा. का हुजूर स.अ.व. पर झूट बांधना

अहमद रज़ा खान सा., अहमद यार गुजराती सा., नईमुददीन सा. ने कई जगह हुजूर स.अ.व. पर झूट बांधा है और मनगढ़ंत रिवायात बयान की हैं। इसका जिक्र आगे गुज़र चुका है। एक जगह लिखते हैं।

"जाड़ा, ताऊन और वबाई अमराज़ जिस कदर हैं और नाबीनाई एक चश्मी, बर्स, जुज़ाम, वगैरह वगैरह का मुझसे नबी" (स.अ.व.) का वादा है। कि यह अमराज़ तुझे नहीं होंगे। (मल्फ़ूज़ात हिस्सा 4 पेज 57)

खान सा. ने हुजूर स.अ.व. के नाम पर यह बात तो बना ली लेकिन उन्हें याद नहीं रहा कि पहले खुद कह चुके है, "मुझे बुखार आ गया" और मेरी आदत है बुखार में सर्दी बहुत मालूम होती है। (मल्फ़ूज़ात हिस्सा 2 - पेज 7)

और एक जगह फ़रमाया

"मेरी आंख पर आशोब आया सवा पांच महीने तक लिखना पढ़ना मौक़ूफ़ रहा " (हयाते - आला हज़रत पेज 298) (मुतालआ बरेलवियत 414)

हक अपने पांव पर चलता है और बातिल को चलने के लिए पांव लगाने पड़ते हैं, कुरआन ने अहले बतिल की पहचान यह बताई कि वह मुतशाबिंहात से नताईज अख्ज़ करते हैं। और उनके पीछे हो लेते है इससे उनकी ग़रज़ फित्ने पैदा करना और मआनी बिगाड़ना होता है। (आले -इमरान रकूअ-1)

नमाज़ में हुजूर का ख्याल की बाबत तोहमत की हकीकत

"उसके कलाम में हरगिज़ हरगिज़ शाएब-ए-किज़्ब नहीं"

अहमद रज़ा खां ने मौलवी इस्माइल शहीद देहलवी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नमाज़ में नबी-ए-करीम स.अ.व. का ख्याल आने के बारे में लिखा है कि गाए, बैल के ख्यालआने से बदतर है और सिराते मुस्तक़ीम सफ़ा 118 के हवाले से निहायत धोखेबाज़ी से काम लिया है। यह किताब दरअसल फारसी में है। उसका एक दी बाचा और चार बाब हैं डेढ़ सौसफहात पर मबनी यह किताब मौलाना सैय्यद अहमद बरेलवी के मल्फूज़ात के कहने वाले मौलाना सैय्यद अहमद बरेलवी जो शाह अ. अजीज़ मोहद्दिस देहलवी के खलीफ़ा है और नोट करने वाले मौलाना अ. हई और मौलाना इस्माईल शहीद है, और यह अकीदा सय्यद अहमद बरेलवी का है। जो दूसरे बाब में मौलाना अ. हई ने कमल बंद किया है। लिहाज़ा मौलाना इस्माईल न तो कहने वाले हैं न ही लिखने वाले है और ना ही उन पर यह जुर्म आयद होता है। अगर कोई जवाब देह है तो कहने वाले मौलाना सय्यद अहमद बरेल्वी,या फिर दूसरे बाब की (लिखने वाला) नकल करने वाले यानी मौलाना अब्दुल हई। लेकिन अहमद रज़ा खां ने निहायत चालाकी से एक इबारत निकालकर लोगों से धोकेबाजी की है। क़रतब यह है कि उनके ख्याल से दी बाचा तो कोई पढ़ता नहीं। इसलिए आराम से लोगों में बदज़नी फैलाई जा सकती है और फैला भी दी।

दूसरा धोका उन्होंने अल्फ़ाज़ को बदलकर अपनी तरफ़ से नबी स.अ.व. के नाम के बिल मुकाबिल किस बेखौफी से फाहिशा रंडी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और इस बेअदबी व गुस्ताखी पर उनके ज़मीर ने भी मलामत नहीं की इस मामले की हकीकत यह है "सय्यद अहमद बरेलवी ने मुरीदीन की

इस्लाह के लिए अपने मुल्फुज़ात'' सिराते - मुस्तकीम में दो मिसाले दी हैं।
1. ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामअत का ख्याल बेहतर है।
2. दूसरी मिसाल का हासिल यह था कि नमाज़ में हर तरफ़ से तवज्तोह हटाकर उसे अपने शेख-व-मुर्शीद या हुजूर स.अ.व. पर जमा देना और उनकी तरफ़ अपनी नियत को फेर लेना बजहे -अंदेश-ए-शिर्क तमाम दुनयावी चीज़ों का ख्याल आने से ज़्यादा बुरा है। हालांकि दोनों वाकिआत और मिसालें बिल्कुल अलग-अलग है। मगर खान सा. बरेलवी ने दोनों मिसालों को गुडमुड करके बद दियानती का खेल - खेला है। और मौलाना सैय्यद अहमद बरेलवी की बजाए इस्माईल शहीद के खिलाफ़ कुफ्र के फत्वे का मआमला फिट कर लिया।और फाहिशा रन्डी का लफज़ जोड़ दिया)(लिखते हैं,
''मुसलमानों ! खुदारा - इन नापाक शैतानी कार्मो पर गौर करो, मोहम्मद स.अ.व. की तरफ़ नमाज़ में ख्याल ले जाना जुल्मात - बाला-ए-जुल्मत है। किसी फ़ाहिशा रंडी के तसव्वुर और उसके साथ जिना का ख्याल आने से भी बुरा है।'' (अल कौक बतुश्शाहाबिया)
मौलाना इस्माइल की मुखालिफ़त का ज़ज़्बा अहमद रज़ा खां. में इस कदर गहरा था कि उन्होंने हुजूर स.अ.व. की इज्जत व अज़मत की भी परवाह न की और हुजूर स.अ.व. का ज़िक्र फ़ाहिशा, रंडी के बिल मुकाबिल कर डाला और उनके शार्गिदों से अपने तौर पर मीडिया का काम किया और उम्मत में तफरीक फैलाने का काम अंजाम दिया इस सिलसिले में उलमा ए देवबंद का साफ़ फैसला है। फतावा देवबंद जिल्द नं. 4 सफ़ा 104)
सवाल नमाज़ में रसूलुल्लाह स.अ.व. का ख्याल आ जाए या लाया जाए तो क्या नमाज़ हो जाएगी?
जवाब - जब नमाज़ में अत्तहिय्यात में खुद ही दरूद शरीफ़ है तो नबी स.अ.व. का ख्याल आना ज़रूरी हुआ क्योंकि ख्याल पर कोई बाज़पुर्स या पाबंदी नहीं लिहाज़ा नमाज़ सही होगी, नमाज़ इबादत अल्लाह के लिए है गैरूल्लाह का ख्याल इबादत के तौर पर नहीं आना चाहिए।

बड़े भाई के बराबर मानने की तोहमत (की हकीकत)

मौलाना इस्माईल शहीद का अक़ीदा हरगिज़ हरगिज़ यह न था कि आहंज़रत स.अ.व. का मर्तबा बड़े भाई के बराबर है। (तकवियतुल ईमान सफ़ा 54-55 में आप लिखते हैं।

"बशर के हक़ में रिसालत से बड़ा कोई मर्तबा नहीं और सारे मरातिब इससे नीचे हैं और हमारे पैग़बर सारे जहां के सरदार है कि अल्लाहके नज़दीक उनका मर्तबा सबसे बड़ा है और अल्लाह के अहकाम पर सबसे ज़्यादा क़ायम हैं और लोग अल्लाह की राह सीखने में उनके मोहताज हैं, "

अब भी अगर कोई शख्स यह कहे कि आपके अकीदे में रिसालत का मर्तबा बड़े भाई के बराबर है तो वह मुसलमान पर बोहतान बांधने की आखिरत में सज़ा के लिए तय्यार रहे जहां जाहिल मुरीद और अनपढ़ मुक़दी नारे लगाकर साथ न दे सकेंगे, इस मामले की हक़ीक़त यह है सहाबा रजि. ने हुजूर स. अ.व.से ताज़ीमी सज्दे की इजाज़त चाही तो आप स.अ.व. ने फ़रमाया "

हदीस ऊबुदु रब्बकुम व अकरिमू अखाकुम" (मिश्कात 283/अहमद)

तर्जुमा - इबादत अपने रब की करो और अपने भाई की इज़्ज़त करो - आप स.अ.व. ने इस हदीस में ताज़ीमी सजदे को सजदे इबादत ही करार दिया क्योंकि इस शरीअत में सजदे ताज़ीम का कोई वुजूद नहीं यह अल्फ़ाज़ हदीस के थे जिन्हें बयान करने पर बरेलवियों ने यह बोहतान बांधा कि मौलाना इस्माईल शहीद के अकीदे में नबी स.अ.व. का दर्जा बड़े भाई के बराबर है (मआजल्लाह) ताजीमे बदनी को मर्तबें और दर्जे का मौजू करार देना हिमाकत और मुनाफ़िकत की इन्तिहा है।

बड़े भाई कहने का इल्ज़ाम अहमद रज़ा पर भी

भाई का लफ़्ज़ किसी पहलू से भी पैग़ंबर और उम्मती के नज़दीक नहीं आ सकता - अहमद रज़ा खां ने खुद ऐसी ही एक हदीस नकल की है। जिसमें नबी स.अ. ने अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर रजि. से दुआ चाही थी, जब वह मक्का मुअज़्ज़मा गये थे।

हदीस" ला तन्साना या अख़ी वफी दुआईका (मिश्कात)"

तुर्जमा - ऐ भाई! अपनी दुआवों में हमें न भूल जाना (अबूदाऊद और इब्ने माजा की रिवायत में है।

हदीस मुशारिकुना या अख़ी फ़ी सालिहिदुआइका वला तन्साना
तर्जुमा- भाई अपनी नेक दुआ में हमें भी शरीक कर लेना भूल न जाना (फ़तावा रिजविया जिल्द 4)
इन दोनों रिवायात में अहमद रज़ा खां ने भी क़रीब - क़रीब वहीं बात की है। उसमें नबी स.अ.व. ने हज़रत उमर फ़ारूक को "या अख़ी" कहा तो क्या वो हुज़ूर के बड़े भाई के बराबर हो गये अब तो बड़े भाई का इल्ज़ाम अहमद रज़ा पर भी लग सकता है। मगर उन्हें दुश्मनी तो देवबंदियों से निकालनी है। और उम्मत में तफरीक से मतलब है।
मौलाना अशरफ़ अली थानवी के सामने तीन सवाल आए (1319)
पहला सवाल कब्रों पर सज्दा करने के बारे में था।
दूसरा सवाल कब्रों के गिर्द तवाफ़ करने के मुताल्लिक था।
तीसरा सवाल यह था कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को जो गैबी इल्म बतलाए गये हैं उनकी बिना पर आप स.अ.व. को आलिमुलगैब कह सकते हैं या नहीं?
मौलाना ने तीनों सवाल के जवाब नफ़ी (नहीं) में दिए न ताजीमी सज्दे की इजाजत दी न कब्रों के तवाफ़ को सही बतलाया, न आलिमुलगैब का इत्लाक़ अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जायज़ कहा।
वैसे अहमद रज़ा खां ने भी 'खालिसुल एतक़ाद' पेज 23 में यही बात लिखी है। "इल्में जाती और इल्मे इस्तिआब मुहीत तफ्सीली यह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए ख़ास है। और दूसरे बंदों के लिए एक गोना इल्म बअताए इलाही है।"
दूसरी जगह कहते हैं "मुख्लूक को आलिमुल गैब कहना मकरूह है।" (अल अम्नु वल उला 203)
मौलाना थानवी के जवाब में यह अल्फ़ाज़ थे "आपको आलिमुल गैब कहना" अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरयाफ़्त तलब अम्र यह है कि उस गैब से मुराद बाज़ ग़ैब है। या कुल गैब अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद है तो उसमें हुज़ूर स.अ.व. की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म (मुत्लक़ बाज़) तो ज़ैद अम्र बकर बल्कि हर सबी व मजनूं बल्कि जमीअ हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म

होता है जो दूसरे शख़्स से मख़फी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे, "एक दूसरे मुकाम पर लिखते है कि, यह उलूम तो आपके मिस्ल दूसरे अंबिया व मलाइका (अ.स.) को भी हासिल नहीं (बस्तुल बनाना पेज 11)
अहमद रज़ा खां ने बात को बदलकर और मज़मून की तहरीफ़ करके यूं हाथ की सफ़ाई दिखाई लिखते है।
"उसने एक छोटी सी रिसलिया तस्नीफ़ की कि चार वरक़ की भी नहीं उसमें तशरीह की कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है। ऐसा तो हर पागल, जानवर और चौपाए को हासिल है।"(इसमें पागल, जानवर और चौपाए के असफाज़ अपनी तरफ से भर दिए यानी नमक मिर्च लगाने का काम किया है।)
मैं कहता हूं कि अल्लाह तआला की महर का असर देखो यह शख़्स कैसी बराबरी कर रहा है? रसुलुल्लाह और चुनीं और चिना में (हिसामुल - हरमैन 109)
नोट - यह नौबत इसलिए आई कि अहमद रज़ा खां को उलमा-ए-देवबंद सेजाती पुरखाश थी,

रहमतुल लिल आलमीन नामानने का इलजाम और उसको हकीकत

बरेलवी खान सा. ने जब देखा कि खुदा-ए-तआला के झूट कहने का फर्ज़ी फ़त्वा और उसकी फोटो का इल्ज़ाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर चस्पां नहीं हो सका तो उन्होंने एक और इल्ज़ाम तराशा कि रशीद अहमद गंगोही हुजूर स.अ.व. को रहमतुल लिलआलमीन नहीं मानते, असल में मौलाना रशीद अहमद सा. से पूछा गया कि रहमतुल लिलआलमीन होना "यह सिर्फ़ हुजूर की सिफत में है? या फिर किसी और चीज़ में भी यह सिफ़त पाई जा सकती है? मौलाना मरहूम में फ़रमाया कि यह हुजूर का खास्सा नहीं, इसमें हुजूर की सिफ़त का इंकार नहीं था बल्कि इसे हुजूर स.अ.व. तक महदूद रखने का इंकार था, उन्होंने लिखा था,
"लफ़्ज़ रहमतुल लि आलमीन" सिफ़ते खास रसूलुल्लाह स.अ.व. की नहीं बल्कि दीगर अंबिया, औलिया रब्बानी मोजिबे रहमते आलम हुए हैं। अगर जनाब रसूलुल्लाह स.अ.व. सब में आला हैं लिहाज़ा अगर दूसरे पर भी इस लफ़्ज़ को बतावील बोल दिया जाए तो जायज़ है। (फतावा रशीदिया जि. 2

पेज 9) इसमें लफ़्ज़ "बतावील"बहुत अहम है, बरेलवियों में ज़रा भी इल्मी काबिलियत होती और कुरआन मजीद व अहादीसे - शरीफ़ा से कोई लगाव होता तो हरगिज़ - हरगिज़ यह नतीज़ा अख़्ज़ न करते हकीकते हाल यह है कि

1. कुरआन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भी रहीम का इतलाक़ किया गया है और हुजूर स.अ.व. के लिए भी रहीम का लफ़्ज़ मौजूद है। तो क्या कोई अहमक़ यह कह सकता है जो शान अल्लाह तआला की रहीमी की है। वही शान आहज़रत स.अ.व. की रहीमी की भी है। इसी तरह समझना चाहिए कि अगर बतावील दीगर अंबिया पर रहमतुल लिलआलमीन का इत्लाक किया जाए तो दोनों जगह रहमत की शान एक ही हो हरगिज़ हरगिज़ लाज़िम नहीं आता दोनों में वहीं फ़र्क होगा जो हुजूर की ज़ात और दीगर अंबिया की ज़वात में होगा।

2. मोमिनीन किराम तमाम कायनात और जहानों की बेहतरीन मखलूक हैं। जो चीज़ मोमिनीन के लिए रहमत होगी, उसका आलमीन के लिए रहमत होना खुद लाज़िम होगा अल्लाह तआला फरमाते हैं।

वनुनाज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन वरहमतुल लिल "मोमिनीन" (<u>बनी इसराईल रकूअ 9</u>)

तर्जुमा - कुरआन में हम ऐसी चीज़ नाजिल करते हैं कि वह मोमिनीन के हक़ में शिफ़ा व रहमत है। अब कोई बताए कि कुरआन क्यों रहमतुल लिलआलमीन न होगा कुरआन के रहमतुल लिल आलमीन होने से हुजूर स.अ.व. की शाने रहमतुल लिलआलमीन की नफी नहीं की गई, रशीद अहमद गंगोही ने खासा कि इल्मी इस्तिलाह में कहा कि रहमतुल लिलआलमीन हुजूर स.अ.व. का खासा नहीं है। तो इसमें हुजूर की इस सिफ़त का इंकार कहना दयानतदारी नहीं, इतमामे- हुज्जत के लिए शेख सादी की किताब "बोस्तां" से एक शेर है जिसमें उन्होंने अपने हाकिम की तारीफ़ करते हुए उसे रहमतुल लिलआलमीन कहा है।

- "तई साय-ए-लुत्फ़े हक बरज़मीन पैयबर सिफ़त रहमतुल लिलआलमीन"

तर्जुमा - तू ज़मीन पर करमे खुदावंदी का साया है और हुजूर स.अ.व. की सिफ़ते रहमत की तरह तमाम जहानों के लिए रहमत है"

बरेलवी हज़रात अपने पीरों की मदह में यह अल्फ़ाज लाते हैं, मौलवी गुलाम जहानियां अपने पीर सदरूद्दीन की मदह में लिखते हैं।

''ब शक्ले सदरूद्दीन खुद रहमतुल लिलआलमीन आमद''

अल्लाह तआला ने जितनी ज़मीने पैदा की उन सबमें अम्रे इलाही का नुजूल हुआ और कोई न कोई मरकज़े रहमत भी ज़रूर था मौलाना रूम का मशहूर शेर है।

''हर कुजा हंगामे आलम बूवद रहमतुल लिलआलमीने हम बूवद''

हकीकत यह है जब दिल में कुदूरत हो तो दिमाग़, मुखालिफ़ की बात का मतलब उल्टा ही सुझाता है।

नये मौज़ू पर नये दलाइल

जब मौज़ू नया हो तो दलाइल भी नये सिरे से मोहय्या करने पड़ते हैं, मौलाना अ. समी रामपुरी ने कुरआन - करीम की बजाएं महज़ अपने क़यास और अक़्ल से अकाइद जैसे नाजुक और अहम मौज़ू पर शैतान का क़यास लगाया है।

शैतान से मोहब्बत

(शैतान, औलया अंबया - इल्म में बराबर)

शैतान बयक वक़्त मशरिक़ व मग़रिब में लोगों को गुमराह करता है। मलकुल मौत बयक वक़्त मशरिक़ व मग़रिब में रुहें कब्ज़ करता है। अगर वह हर जगह हाजिर व नाज़िर है और हो सकता है, तो अंबिया, औलिया क्यों नहीं हो सकते शैतान को हर वक़्त इल्म है कि किस किस को गुमराही पर लाना है और नेकी से हटाना है तो हुजूर को हर शख्स के दिल के इरादों का हर वक़्त इल्म क्यों न होगा, (अल - अन्वारूस्सातिअ)

अंबिया, औलिया की सिफ़ात को शैतान की सिफ़ात पर कयास करना बरेलवियों ने न जाने कहां से अख्ज़ किया है?

1. बरेलवी खां सा. का अकीदा है कि शैतान तौबा कर चुका है और अपने किए पर नादिम है। और अब नमाज़ भी पढ़ता है। वह आखिरत के खौफ़ से नमाज़ पढ़ता है कि शायद इस नमाज़ के बाद उसकी बख्शिश हो जाए लिखते हैं।

''एक परी मुशर्रफ़ बइस्लाम हुई और अक्सर खिदमते अक़्दस में हाजिर हुआ करती थी एक बार अर्से तक हाज़िर न हुई '' दरयाफ़्त क़रने पर फरमाया

कि हुजूर मेरे एक अज़ीज़ का हिन्दुस्तान में इंतकाल हो गया था। वहां गई थी राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लीस नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने उसकी यह नई बात देखकर कहा, " कि तेरा काम तो नमाज़ से ग़ाफिलकर देना है। तू खूद कैसे नमाज़ पढ़ता है। उसने कहा रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला मेरी नमाज़ कुबूल फ़रमाएं और मुझे बख्श दें, (मल्फूज़ात अहमद रज़ा हिस्सा 1 पेज 12)

इस रिवायत के अल्फ़ाज़ चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मौज़ू और मनगढ़ंत हैं। खान सा. ने इस मनगढ़ंत रिवायत को बयान करके हुजूर (स.अ.व.) पर इफ़्तरा (झूट) बाधा है। न हुजूर स.अ.व. इस तरह परियों को अपने पास आने देते थे न परियों को हिदुस्तान जाने में कोई वक़्त लगता था। बरेलवियों में शैतान से मोहब्बत का अकीदा अजीब है। अहमद रज़ा खां के मुरीदे ख़ास मुफ़्ती अहमद यार गुजराती लिखते हैं,

2. ख्याल रहे कि मौत का दिन बुजुर्गों की दुआ से टल जाता है बल्कि शैतान की दुआ से भी, इसको लंबी उम्र बख्शी गई फ़रमाते हैं - फइन्नक मिनल मुनज़रीन (नुरूलफु रकान 688)

नोट - शैतान ने जो मोहलत मांगी थी उसे दी गई न कि यह उसकी दुआ थी जो पूरी हुई। इस इबारत में बरेलवियों ने औलिया अल्लाह (बुजुर्गों) की सख्त तौहीन की है। उन्हें शैतान से ला मिलाया,

3. अहमद रज़ा खां नबी के माना " गैब जानने वाला" करते हैं, और बरेलवी हल्क़ा इल्मे ग़ैब रखने को कमाले - नुबूव्वत में से समझते हैं। इनकी जसारत देखिए। किस तरह शैतान को भी इल्मे गैब जानने वाला क़रार देते हैं।

(अहमद यार - नुरूल फुरकान 241)

शैतान को भी आइन्दा इल मे ग़ैब की बातों का इल्म दिया गया है चुनांचे अक्क्सर लोग ना शुर्क्रे हैं। आमालसे भी भी उम्रें बढ़ सकती हैं, (नुरूल फुरक़ान 244)

मालूम नहीं शैतान के इस कदर गिरवीदा क्यों हैं?

"दर मजहबे आशिक़ां यक रंग, इब्लीस व मोहम्मद अस्तं हम संग"

आशिकों के मज़हब में इब्लीस व मोहम्मद बराबर हैं। (हम वज़न)

4. मसला यह था कि फाहिशा औरतों को मकान किराए पर देना चाहिए या नहीं? क्या यह इआनत अलल मासियत नहीं (तज़्किरा ग़ौसिया 255)

मौलाना रशीद अहमद गंगोही (देवबंद के सरपरस्त) ने फ़त्वा दिया कि "ऐसे को किराए पर मकान देना दुरूस्त नहीं" हस्बे क़ौल साहिबैन और इमाम सा. के कौल से जवाज़ मालूम होता है कि मकान किराए पर देना गुनाह नहीं, गुनाह बफ़अले - इख्तियारी मुस्ताजिर के हैं, मगर फ़त्वा इस पर है न देवें कि इआनत गुनाह की हैं। "ला तआवनू अलल इस्मि वल उदवान" (फतावा रशीदिया 502)

आप यह भी फ़रमाते हैं कि नशा फ़रोश को मकान या दुकान किराए पर न दें कुरआन का हुक्म है "गुनाह और ज़्यादती पर किसी की इआनत (मदद) न हो।"

5. देवबंद का यह फ़त्वा फाहिशा औरतों के खिला था अहमद रज़ा खां ने फाहिशा औरतों के हक़ में फ़त्वा दिया "इसका उस मकान में रहना कोई गुनाह नहीं रहने के वास्ते मकान किराए पर देना कोई गुनाह नहीं, रहा उसका ज़िना करना तो उसका अपना फेल है।" (मल्फूज़ात हिस्सा 3 सफ़ा 32)

नोट- ज़ाहिर है कि फ़ाहिशा औरत सिर्फ़ रहने के लिए किराए का मकान नहीं चाह रही हैं। और मकान किराए से दिया गया तो उसकी इस गुनाह की इआनत (मदद) के जुर्म में किराए पर देने वाले की भी पकड़ होगी।

6. खाने की चीज़ों पर फ़ातेहा कहना, कि नबी स.अ.व. सहाबा के दौर में उसका नाम व निशान तक न था मसला ज़ेरे - बहस यह नहीं बल्कि बतलाना यह मक़सूद है फाहिशा औरत या इस तरह के लोगों के लिए खान सा. नर्म गोशा रखते थे फ़रमाते है कि

" अगर फ़ाहिशा औरत किसी से क़र्ज़ लेकर शीरीनी खरीदे और वह ज़िना की उजरत से अदा करे तो उस शीरीनी पर फ़ातिहा कहना जायज़ होगा और शीरीनीं भी नाजायज़ न होगी और यह भी फ़रमाते हैं इस सूरते अमल पर किसी मज़ीद शहादत की ज़रूरत नहीं, (यानी खुद ज़िम्मेदार ले रहे हैं) इस पर मेरी अपनी शहादत ही काफ़ी है।

इससे यह पता चलता है कि खान सा. का उनसे मिलना जुलना आम था और आप साहब उन तरीक़ों के अच्छे खासे गवाह थे बरेलवी उलमा इसकी यह तौजीह (वजह बतलाना) करते है कि आप फ़ाहेशा औरतों को मायूस न करना चाहते थे और शीरीनीं पर फ़ातिहा कहने करने की राह उन्हें सुझा देते थे उनकी कमाई भी वही रहे, ज़िना भी कराती रहे और हज़रत से शीरीनीं पर

फ़ातिहा भी दिलाती रहे। अहमद रज़ा खां के अल्फ़ाज़ यह हैं –
"उस माल (ज़िना का माल) की शीरीनीं पर फातिहा करना हराम है मगर जबकि माल बदलकर मजलिस की हो और यह लोग (कंजर लोग) जब कोई कारे खैर करना चाहते हैं और उसके लिए किसी शहादत की हाजत नहीं अगर वह कहें कि मैंने कर्ज़ लेकर यह मजलिस की है। और वह कर्ज़ अपने माले हराम से अदा किया है तो उसका क़ौल काबिले कुबूल होगा बल्कि शीरीनी अपने हराम माल से ही खरीदी और खरीदने में अक्दनक़्द जमा न हुई अगर ऐसा न हुआ तो मुफ़्ता बिही मज़हब पर वह शीरीनी भी हराम न होगी।" (अहकामे शरीअत हिस्सा 2 पेज 145)
खाने – पीने के मामले में अहमद रज़ा खां ने अपनी शरीअत से हराम लफ़्ज़ ही निकाल दिया "खाए जाओ खान सा. के गुन गाए जाओ" इससे कब्ल खान सा. के बचपन का एक वाकिया भी जिक्र हुआ है। हैरत है कि यह हज़रत किस मोहल्ले में रहते थे? जहां लवायफ़ो और फाहिशा औरतों का आना–जाना होता था। क्या यही मोहल्ला उन्हें पसंद आया था?
7. **एक सवाल** अहमद रज़ा खां का इबारात व अल्फ़ाज़ में हेराफेरी करने और दूसरो के कलाम में अपने मआनी दाख़िल करने का करतब जब लोगों के सामने आता है तो वह पूछते हैं कि हेराफेरी की यह मश्क उन्होंने देवबंद के उलमा के खिलाफ़ ही क्यों की? गाय मुंह मारने पर आती है तो अपने पराए खेत में कुछ फर्क नहीं करती क्या खान सा. यह मश्क किसी और पर भी की है?
जवाब - उलमा बदायूं मौलाना फज़्लुर्रसूल बदायूंनी की पैरवी में, जो अहमद रज़ा खां के हम ख्याल और हम मसलक थे पाकिस्तान के मौलाना हामिद का मसलक भी यही था,
1. अहमद रज़ा खां ने उनपर भी वही हाथ साफ़ किए! बदायूं के पर्चे शम्सुल उलूम में हुजूर स.अ.व. की निस्बत यह जुम्ला मरकूम था कि "हर शख्स आपका और आपकी हर अदा का मफ़्तून हो जाता था" यहां खान सा. "मफ्तून" लफ़्ज देखकर सुर्खी जमाई "रसुलुल्लाह पर फ़रमाईशी सख्त सख्त जुम्ले" और यू गोया हुए!
मआज़ल्लाह हुजूर स.अ.व. को फ़त्तान व फित्ना अंगेज़ और हुजूर की मोहब्बत को फित्ना कहना है 'उसका इस्तेमाल माशूकाने मजाज़ी में इसलिए

है कि उनकी मोहब्बत फित्ना है। और वह 'फित्नागिरोही' खिताब आपने उनको दिया, जो हर फित्ने को मिटाने वाले हैं। और उनकी मोहब्बत अस्ल ईमान है।' (सय्यदुल फु रकान अज़ अहमद रज़ा)
उलमा बदायूं ने दूसरों को मफ़्तून कहा था हुजूर स.अ.व. को 'फित्नागर' न कहा था मगर खान सा. ने हुजूर को फित्ना गर कह दिया जो कुफ्र है। लेकिन खान सा. को अपनी आदत पूरी करनी थी कर ली।
2. परचा "शम्सुल उलूम" में हक़ तआला के करम और मगफ़िरत के बयान में लिखा है।
'गुनाहगार मैदाने क़ियामत में भटकते फिरेंगे, तो अल्लाह तआला फ़रमाएगा "अगर मैं तुमसे वही कुरू जिसके तुम मुस्तौजब हो तो करम ही न रहेगा"
3. बात की तावील करके उन्होंने दूसरे ख्याल कायम किए - 1. अल्लाह तआला पर हमला 2. मोतज़िला की तक़लीद हज़रत उवैस करनी के बारे में लिखा देका 'यह हुजूरे अक़्दस (स.अ.व.) की मोहब्बत में सरशार, जमाले जहां आरा अहमदी पर शैदा और उसके दीवाने है। इस पर अहमद रज़ा खां का गुस्सा मुलाहज़ा हो'
"सय्यदना उवैस को दीवाना कहा, फ़ारूके आज़म को दीवाना कहा, मौलाअली को दीवाना कहा, हज़ारों सहाबा को दीवाना कहा "यह आपका अदब है? बात तो सिर्फ़ हज़रत उवैस करनी की थी खान सा. ने अपनी तरफ से फारुके आज़म, हज़रत अली और हज़ारों सहाबा पर मश्क कर डाली और उनको दीवाना कह डाला"
4. अहले बदायूं के पर्चे 'मुज़ाकरा इल्मिया' में हुजूर (स.अ.व.) की बेअसत के बारे में लिखा था 'यह एक ऐसी नेअमत है कि वल्लाह इसके मुकाबले में दुनिया व आखिरत की तमाम नेअमतें हेच हैं, इस पर अहमद रज़ा खां. सा. ने अपनी आदत यूं पूरी की।
"आखिरत की आज़िम नेअमत दीदारे इलाही, रिज़वाने अकबर है। उनको हेच कहना कौन सी दीनदारी है।"
क्या उलमा ए बदायूं ने दीदारे इलाही को हेच कहा था? नहीं! मगर रज़ा खां की मश्क़े तकफीर देखो कि किस तरह इस्तिदलाल करके बात कुफ्र तक पहुंचा दी, ऐसी बहुत सी मिसालें और अल्फ़ाज़ को बदलकर कुछ का कुछ

कर देने की मिसाले "मुताअला बरेलवियत" (मुसन्निफ़ अल्लामा खालिद महमूद) में देखी जा सकती है।

शेख सादी ने गुलिस्तां और बोस्तां में बहुत सी हिकमत की बातें मिसाल देकर समझाई हैं। उसमें एक बिच्छू की मिसाल भी दी है। जो चलते - चलते रास्ते में एक पत्थर को डंक मारता है पत्थर उससे कहता है, मुझे डंक मार कर तू क्या नुकसान पहुंचा सकता है? बिच्छू कहता है कि डंक मारना मेरी फितरत है। जो सामने आएगा उसे डंक मारूंगा,

"अहमद रज़ा खां और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी की फ़िक्र व- अमल में यकसानियत"

1. दोनों ही अंग्रेज हुकूमत के तरफ़दार और जंगे आज़ादी में शामिल मुसलमानों के दुश्मन थे।

2. दोनों ही तुर्की खिलाफ़त के खिलाफ़ थे आस्तान ए बरेली का ख्याल था कि तुर्क हिजाज को सम्हालने के लायक नहीं, अग्रेजों का वहां तसर्रूफ, मुसलमानों के लिए वाकई साया ए रहमत है और यह मंसब बर्तानिया के सदाकत शिआर फर्ज़न्दो के हाथ आना चाहिए क़ादयानियों की भी यही तज्वीज़ थी, यानी कादयानियों और बरेलवियों का चश्म ए फिक्र एक था, दोनों अंग्रेज़ को अपना 'क़िब्ल ए हाजात' समझते थे, एक तरह से उनके सियासी एजेन्ट थे,

3. कादयानी और रज़ा खानी दोनों हल्के खिलाफ़त - उस्मानी की नाकामी (हार) पर खुश व शादां थे, और उनके मकानात पर खूब रौशनी की गई।

4. मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी लिखता है। "मुझे अंग्रेज़ी हुकूमत के तहत मबऊस किया गया है। यह सलतनत रूमी सल्तनत के तहत मुशाबा है। मुझे उम्मीद है कि इस सल्तनत के मेरे साथ शाहाना अख्लाक़ रूमी सल्तनत से बेहतर होगी, (तिरयाकु ल - कुलूब पेज 338)

अहमद रज़ा खां किस तरह उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हीं के अल्फ़ाज़ में सुनिए - 'काफ़ी सुल्ताने नेमत गोयां है रज़ा इशाअल्लाह मैं वज़ीरे आज़म'
यानी ऐ रज़ा हम नेमत ख्वानों (बरेलवियों) को हुकूमत की सर परस्ती क़ाफ़ी है। मैं भी कभी वज़ीरे - आज़म हूंगा "

5. कादयानी लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी को मामूर मिनलल्लाह और मसीहे - मौऊदं कहते हैं। बरेलवी जमात के लोग अहमद रज़ा को मामूर मिनलल्लाह (खुदा की तरफ से मुकर्ररकर्दा) मानते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक़ नबी स.अ.व. के बाद कोई मामूर मिनलल्लाह के मंसब पर फायज़ नहीं हो सकता जिसका मानना फर्ज़ और न मानना कुफ्र है।

फ़ी कुलूबिहम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा (बक़रह) कुरआन की यह आयत हुजूर स.अ. के मुख़ालिफ़ीन के बारे में वारिद हुई है, इस बाब में अहमद रज़ा खां लिखते हैं,

फी कुलूबिहिम मरज़ुन सजा दहुमुल्लाहु मरज़ा ' वलि अहलिसुन्नति मिनल्लाह अहमद रज़ा'' (खालिसुल एतकाद पेज6)

अकीदा खत्मे - नुबूव्वत पर ईमान रखने वाला किसी को मामूर मिनल्लाह कहे, कुफ्र की बद-तरीन मिसाल है। सय्यद अय्यूब अली बरेलवी ने नग़मतुरुह 25 में एक कसीदा लिखा है जिसमें अहमद रज़ा खां के दावे - मामूर मिनलल्लाह की तस्दीक होती है।

'नकीरैन आके मरक़द पे जो पूछेंगे तू किसका है?
अदब से सर झुकाकर लूंगा नाम अहमद रज़ा खां का'

6. अहमद रज़ा खां ने अपने अक़ीदे से इख़्तिलाफ़ रखने वाले उलमा और आले सऊद के बारे में कहा है। 'न उनकी नमाज़ नमाज़ है न उनके पीछे नमाज़ नमाज है बिल फर्ज़ वही जुमा और ईदैन का इमाम हुआ और कोई मुताबिक़ इमामत न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क फर्ज़ है' (अहकाम शअीसत पेज 139)ईदेन व जुमा को भी तर्क करने को फर्ज़ बताकर कुफ्र कर रहे है। यही शरीअत साज़ी है। गुलाम अहमद कादियानी लिखता है। ''खुदा ने मुझे इत्तला दी है कि तुम्हारे ऊपर हराम है और कतई हराम है के किसी मुकफ्फिर और मुकज़िज़ब या मुतरदिदद के पीछे नमाज़ पढ़ों मिर्जा बशीरुददीन ने लिखा है के हमारा ये फर्ज़ है के गैर अहमदियो को मुसलमान न समझे और उनके पीछे नमाज़ न पढ़े गैर अहमदी बच्चे का नमाज़े जनाज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं।''

"गवर्नर पंजाब सर माइकल G डायर की खिदमत में सिपासनामा"

1918 में खिलाफते उसमानिया के टूटने पर जब अंग्रेज़ फतह का जश्न मना रहे थे तो पंजाब के तक़रीबन सभी पीरों, उनके मौलवियों ने 'सर फ्रांसिस माइकल जी डायर' की खिदमत में एक सिपासनामा पेश किया जिसमें अंग्रेज़ों की बहुत तारीफ़ की यह वही अंग्रेज़ है, जिसने जलियावाला बाग़ अमृतसर में गोली चलाने का आर्डर दिया था और लातादाद नौजवान वतने - खाक़ व खून में लोटे थे, इसका पहला पैराग्राफ ही बहुत कुछ कह रहा है।

'हुजूरे वाला! हम खादिमुल फुकरा, सज्जा नशीनान व उलमा मअ मुताल्लिक़ीन, शुरका ए हाजिरूल वक़्त मग़रिबी हिस्सा पंजाब निहायत अदब व इज़्ज़ो इंकिसार से यह एड्रेस खिदमते आलिया में हाज़िर हुए है हमे यकीने कामिल है कि हुजूरे अनवर जिनकी ज़ाते आली सिफ़ात में कुदरत ने दिल जोई ज़र्रा नवाज़ी, इंसाफ़ पसंदी कूट कूट कर भरी है। हम खाक सारने बावफा के इज़हारे दिल को तवज्जोह से समाअत फ़रमाकर हमारे कुलाहे फ़ख़ में चार चांद लगा देंगे, पहले हम एक बार फिर हुजूरे वाला को मुबारकबाद देते हैं, कि जिस आलमगीर खौफ़नाक़ जंग का आगाज हुजूरे वाला के अहदे हुकूमत में हुआ, उसने हुजूर ही के ज़माने में बखैर व खूबी अंजाम पाया और यह बाबरकत व बाहश्मत सल्तनत जिस पर पहले कभी सूरज गुरुब नहीं हुआ था, अब आगे से ज़्यादा रौशन और आला अज़मत के साथ जंग से फ़ारिग हुई शहंशाहे मुअज़्ज़म ने अपनी ज़बाने मुबारक से फ़रमाया है' वाकई बरतानी तलवार नयाम में दाख़िल हुई जब दुनिया की आज़ादी अम्नो अमान और छोटी कौमों की बहबूदी मुकम्मल तौर पर हासिल होकर सच्चाई का बोल बाला हो गया, हुजूर का ज़माना एक निहायत नाजुक ज़माना था और पंजाब की खुशकिस्मती थी कि उसकी इनाने हुकूमत हुजूर जैसे साहिबे इस्तिकलाल, बेदार मग़ज़, आली दिमाग़ हाकिम के हाथों रही, सलीब अहमद निसवा के नेक काम में हुजूर की हमदम व हमराज़ जनाब लेडी डायर साहिबा ने जिनकों हम मुरुव्वत की ज़िंदा तस्वीर समझते हैं हमारा हाथ बंटाया और हिंदुस्तानी मस्तूरात पर एहसान करके सवाबे दारैन हासिल किया, हमारी अदब से इल्तिजा है कि हमारा दिली शुक्रिया कुबूल फ़रमाएं

जब हम बेनजीर बर्तानवी इंसाफ़ को देखते हैं जिस हुकूमत में शेर व बकरी एक घाट में पानी पी रहे हैं तो फिर हर तरफ़ एहसान ही एहसान नज़र आता है। वगैरह - वगैरह.. जबकि पूरा हिन्दुस्तान अग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान था बरेल्वी उलमा उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे।

अहमद रज़ा खां ने फत्वा दिया कि तालीमे दीन के लिए (अंग्रेज़ी गौरमेंट से) इमदाद कुबूल करना जो मुखालिफते शरअ से मशरूत और न उसकी तरफ़ से मुनजर हो या 'नफा ग़ाईल' है जिसकी तहरीम पर शरअ मुतह्हरा से असलन कोई दलील नहीं दीन पर क़ायम रहो मगर दीन में ज़्यादत न करो क्या नबी स.अ.व. और खुलफा-ए- राशिदीन ने सलातीन कुफ़्फार के हिदाया कुबूल न फ़रमाए (अल - हुज्जुल मोतमिनह 16)

खान सा. की समझ या फिर फिक्ही दलील की दाद दीजिए अंग्रज़ों से मदद लेने में सहाबा (रजि.) की मिसाल दे रहे है मदद और हदिए में फर्क नहीं समझ रहे हैं। यह मदद मातहत होने की हैसियत से ले रहे हैं जबकि सहाबा (रजि.) का मामला दो हुकूमत में बराबरी की सतह पर हदिया कुलूब करना था।

बरेलवियत और अफ़सानवी हिकायात

किताब व सुन्नत से इनहिराफ़ (इंकार) करने वाले तमाम बातिल फिर्क़े खुद साख्ता किस्से कहानियों का सहारा लेते है, ताकि वह झूठी रिवायात को अपनाकर सादा लौह अवाम के सामने उन्हें दलाइल की हैसियत से पेश करके अपने नज़रियात को रिवाज दे सकें ज़ाहिर है कि किताब व सुन्नत से तो किसी बातिल अकीदे की दलील नहीं मिल सकती इसलिए मजबूरन किस्से कहानियों और झूटी हिकायात की तरफ़ रूख करना पड़ता है। ताकि जब कोई दलील मांगे तो फौरन उन हिकायात को पेश कर दिया जाए। मसलन, अकीदा यह है कि औलिया किराम अपने मुरीदों की हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, इसकी दलील यह है 'शेख जीलानी र.अ. ने किसी औरत की फ़रियाद पर बारह बरस पहले डूबी हुई कश्ती को नमूदार करके उसमें मौजूद गर्कशुदा तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया था अपनी तरफ़ से एक अक़ीदा गढ़ा जाता है फिर उसको मुदल्लल बनाने के लिए एक हिकायत वज़ा करनी (बनानी) पड़ती है और इस तरह से बातिल मज़हब का कारोबार चलता है।

इस किस्म की बातें आम तौर से हिन्दुओं में देखने में आती है। '

'अल लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुल फिल हयातिद् दुनिया व हुम यह सबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ (कहफ़) ' उनकी सारी तगो दो और जद्दो जहद का महवर दुनिया की ज़िंदगी है, और गुमान यह करते हैं कि वह अच्छे काम (दीन का काम) कर रहे हैं,

वमल लम यज अलिल्लाहु लहूनूरन, फ़मालहू मिननूर (नूर)

तर्जुमा - जिसे अल्लाह हिदायत की रोशनी अता नकरे उसे रौशनी नहीं मिल सकती

औलिया की क़ुदरत व ताकत करने के लिए अजीब व गरीब मनगढ़ंत रिवायात व हिकायात

एक शख्स सय्यदना बायज़ीद बस्तानी की खिदमत में हाजिर हुआ देखा की पंजों के बल घुटने टेके आसमान की तरफ़ देख रहे है आंखों से आंसू की जगह खून रवां है। अर्ज़ की हज़रत यह क्या हाल है? फ़रमाया मैं एक क़दम में यहां से अर्श तक गया अर्श को देखा कि रब अज़्ज़ व जल्ल की तलब में प्यासे भेड़िए की तरह मुंह खोले खड़े हैं, मैंने कहा मैं रहमान की तलाश में तुझ तक आया तेरा यह हाल पाया अर्श ने जवाब दिया कि मुझे इरशाद करते हैं कि ऐ अर्श अगर हमें ढूंढना है तो बायजीद के दिल में तलाश करो (क्या अर्श भी बात करता है) हिकायाते रिज़विया 181-182)

1. यानी अकीदा यह है - औलिया एक कदम में फर्श से अर्श तक जाते हैं, और यह कि अल्लाहऔलिया के दिल में बसते हैं।

2. एक साहब (न जाने कौन?) औलिया में से थे उनके दो मेहमान नहाने गये तो शेर उनके कपड़े जमा करके उन पर बैठ गया (उन साहब को) उन्हें पता चला तो शेर का कान पकड़ कर एक तमांचा मारा उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया आपने उस तरफ़ भी मारा फिर शेर से कहा कि हमारे मेहमानों को न सताना जा चला जा, शेर उठकर चला गया उन्होंने हाजिरीन से फ़रमाया तुमने ज़बान सीधी की है और हमने दिल सीधे किए हैं। (हिकायते रिज़विया पेज 110) कभी कोई वली किसी भेड़िए के सामने जाकर तो देखे अंजाम मालूम हो जाएगा। यानी खूंखार भेड़िए भी औलिया का हुक्म मानते हैं। (न वली का

नाम न मेहमान का नाम)

3. सय्यद अहमद सजलमासी की दो बीवियां थीं, सय्यद अ. अजीज़ दब्बाग़ ने फ़रमाया रात तुमने एक बीवी के जागते दूसरी से हम बिस्तारी की अर्ज़ किया वह उस वक़्त सोयी थी फ़रमाया सोयी न थी सोते में जान डाल ली थी (यानी जाग रही थी) अर्ज किया हुजूर को किस तरह मालूम हुआ फ़रमाया जहां वह सो रही थी कोई और भी पलंग था अर्ज़ किया हां एक पलंग था फ़रमाया उस पर मैं था! (हिकायात रिज़विया अज़ बरकाती पेज 55)

लिखते हैं "इससे साबित हुआ कि शेख मुरीद से किसी वक़्त जुदा नहीं होता न शफ़ाअत के वक़्त व न हश्र में आमाल तुलते वक़्त पुल सिरात पर उसकी निगरानी करते हैं" (यह तक कि मुरीद के अपनी बीवी से हम बिस्तरी के वक़्त भी।)(हिकायाते रिज़विया पेज 55)

इस तरह की खुराफ़ात नक़्ल करते वक़्त उन्हें कोई शर्म नहीं महसूस हुई। इस तरह की जिंसी हिकायात जिसमें पीर, मुरीद और उसकी बीवियों के बीच सोता है, और मुबाशरत की हरकात व सकनात का मज़ा लेता है। यह फह्हाशी, बदमाशी है, या दीन व शरीअत - अगर मान लो तो सुन्नी न मानों तो वहाबी और काफ़िर!

4. सय्यदी अ. वहाब अकाबिर औलिया में से थे! हज़रत सय्यदी अहमद बदवी कबीर के मज़ार पर एक ताजिर की कनीज़ पर निगाह पड़ी आपको पसंद आई, जब मज़ार पर हाज़िर हुए तो साहिबे मज़ार ने इर्शाद फ़रमाया "अ. वहाब वह कनीज़ तुम्हें पसंह है?" अर्ज़ किया हां! शेख से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। इरशाद फ़रमाया अच्छा वह कनीज़ हमने तुमको हदिया कर दी वह ताजिर हाज़िर हुआ और कनीज़ को मज़ारे अक़्दस की नज़्र की खादिम को इशारा हुआ! साहिबे मज़ार ने इरशाद फ़रमाया अब देर काहे की है। फुलां हुज्रे में ले जाओं और अपनी हाजत पूरी करो (मल्फ़ूज़ात अहमद रज़ा पेज 275-276)

यही मज़ारात से फ़ायदा उठाना है, कनीज़ों को मज़ारों की नज़र करने और गैर मुसलिमों की नज़्र व नियाज़ में क्या फर्क़ हैं। मज़ारों के पहलुओं में हुज्रों का मकसद और औरतों के मज़ार पर जाने का मक़्सद क्या यही है। साहिबे - मज़ार का बात करना और इस तरह के मश्वरे देना खिलाफ़े - अक़्ल है। और

कहना कि अब देरी काहे की है? कनीज़ को हुजे में ले जाओं और हाजत पूरी करो जिनाकारी और हरामकारी की इससे बुरी तस्वीर क्या हो सकती है?

5. इमाम व कुतुब सय्यद अहमद रिफ़ाई हर साल हाजियों के हाथ हुजूरे अक़्दस पर सलाम भेजते थे एक बार बज़ाते खुद पहुंचे और कहा कि दस्ते मुबारक अता हो, कि मेरे लब उससे बहरा (चूमे) पाएं चुनांचे नबी -ए- अकरम का दस्ते मुबारक रौज-ए-शरीफ़ में से ज़ाहिर हुआ और इमाम रिफाई ने उस पर बोसा दिया (रिसाला अबरुल - मकाल पेज 173) इस तरह का कोई वाक्या हजूर के विसाल के बाद से आज तक नहीं सुना गया।

इमाम रिफ़ाई की बुजुर्गी जतलाने के लिए एक झूठ गढ़ लिया यह नामुमकिन हैं। बिदअती की अक़्लें छीन ली गई हैं।

6. इमाम अब्दुल वहाब शअरानी हर साल हज़रत सय्यद अहमद बदवी कबीर के उर्स पर हाज़िर होते थे, एक बार उन्हें आने में देर हुई तो मुजाविरों ने कहा- तुम कहां थे? हज़रत बार-बार मज़ारे मुबारक से पर्दा उठाकर फर्माते रहे है- 'अब्दुल वहाब आया!' अब्दुल वहाब आया? मुजाविरों ने जब यह माजरा सुनाया तो अ. वहाब ने पूछा कि मेरे आने की इत्तिला हुजूर को होती है? मुजाविरों ने कहा हुजूर तो फ़रमाते है? कितनी ही मज़िल पर कोई शख्स मेरे मज़ार पर आने का इरादा करे मैं उसके साथ होता हूं और उसकी हिफ़ाज़त करता हूं (मल्फूज़ात बरेलवी पेज 275)

समझाना यह चाहते है कि उन्हें गैब का इल्म होता है। कि कौन उनके पास आ रहा है? अगर ऐसा है तो यह पूछने का क्या मतलब क्या अ. वहाब आया? मज़ारे मुबारक से पर्दा हटाना तो उनके यहां आम बात है। हालांकि यह नामुमकिनात में है वह तो ज़मीन के कई फिट नीचे दफ़्न है। और फिर ऊपर से पक्की की हुई मज़ार। जिसे यह परदा कह रहे हैं।

7. इसी तरह मरी हुई चील के जिस्म के दो हिस्सों को जोड़कर ज़िंदा करना गौसे - पाक की करामत (बाग़े फिरदौस पेज 27) जबकि किसी में यह कुदरत नहीं) लोग आंख बन करके मान लेते हैं।

8. जौनपुर की एक नेक लड़की और मदीने के एक गुनाहगार आदमी का एक दूसरे कब्र में अदल बदल होना (मवाइज़े नईमिया पेज 26) गोया मज़ाक़ उड़ाना है।

9. और हज़रत जुनैद बग़दादी (र.अ.) के दरिया दजला पर चलने और उन्हीं के कहने पर एक शख़्स के या जुनैद, या जुनैद, कह कर उनके पीछे चलना और शैतान के बहकाने पर 'या अल्लाह' कहते ही ग़ोता ख़ाना और हज़रत जुनैद बगदादी का यह कहना कि अरे नादान! अभी तू जुनैद तक नहीं पहुंचा अल्लाह तक रसाई कैसे मुमकिन है। लगता है कि रावी यह सब नज़ारा खुद देख रहा था कोई अल्लाह को पुकारे तो उसको अल्लाह के सिवा और को पुकारने की तग़ीब अहमद रज़ा ही दे सकते हैं। (हिकायते - रिज़विया पेज 52, 53)
व इज़ा सअलका इबादी फइन्नी क़रीब, अजीबु दअवतद्दाइ, इज़ा दआन" हजर
तर्जुमा - ऐ नबी जब तुझ से मेरे बन्दे मेरे मुताल्लिक़ पूछे तो कह दे मैं उनके करीब हूं जो कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनता हूं और कुबूल करता हूं। और भी बहुत से वाक़िआत है फिजूलियात से बचने के लिए उन्हें नक्ल नहीं किया जा रहा है।
10. हज़रत यहया मनेरी के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे हज़रत खिज़र (अ.स.) ज़ाहिर हुए और फरमाया "अपना हाथ मुझे दे ताकि तुझे निकालूं" उस मुरीद ने अर्ज़ की 'यह हाथ हज़रत यह्या मनेरी' के हाथ में दे चुका हूं अब दूसरे को न दूंगा हजरत खिज़र (अ.स.) गायब हो गए! और हज़रत यह्या मनेरी ज़ाहिर हुए और उनको निकाल लिया (मल्फूज़ात जिल्द 1 सफ़ा 164 (अहमद रज़ा)
यानी औलिया पैग़बर से भी बढ़कर हैं खिज़र (अ.स.) का ज़ाहिर होना फिर ग़ायब होना फिर यह्या मनेरी का ज़ाहिर होना इस तरह के जादुई खेल किस्से कहानियों में भी लिते हैं।
11. हज़रत बशर हाफ़ी (र.अ.) पावं में जूता नहीं पहनते थे, जब तक जिंदा रहे तमाम जानवरों ने रास्ते में लीद, गोबर, पेशाब करना छोड़ दिया था ताकि बशर हाफ़ी के पांव गंदे न हों एक दिन किसी ने बाज़ार में लीद पड़ी देखी 'कहा इन्ना लिल्लाहिव इन्ना इलैहिराजऊन' पूछा गया क्या है? कहा हाफ़ी ने इंतिकाल किया तहक़ीक़ के बाद यह अम्र सही निकला (हिकायाते - रिज़विया पेज 173) यही है उनके इल्म की हद! खुद भी अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं और सीधे - सादे लोगों को भी ग़लत रास्ते पर डालरहे हैं, 'फ़मैय यहदिही मन अज़ल्ललल्लाह' उसे कौन रास्ता दिखा सकता है जिसे

अल्लाह ने भटका दिया हो,

सूरह बकरह 173 (तर्जुमा) हक तो यह है कि जो लोग उन अहकाम को छिपाते हैं, जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाज़िल किए हैं। और थोड़े से दुनियावी फ़ायदे पर भेंट चढ़ते हैं, वह दरअस्ल अपने पेट आग से भर रहे हैं। उलमा की हालत चरवाहो की सी है। और अवाम, कुरआन व अल्लाह के हुक्म से अंजान हुए नफ़्स पर अमल करके अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से अलग चल रहे हैं, गोया जानवरों का गल्ला हो,

उस्व -ए-हसना (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

यहां मुख्तसर तौर पर चंद वाक़िआत का जिक्र ज़रूरी है। जिनसे साबित होता है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के दीन की तब्लीग़ व इशाअत के लिए क्या क्या तकलीफ़े उठाई, और आप स.अ.व. की आदते शरीफ़ा कितनी अज़मत वाली थी आप की जिंदगी निहायत सादा थ, घर का काम खुद करते कपड़ों में पेवबंद लगा लेते, घर में झाड़ू दे लेते, दूध दूह लेते, बाज़ार से सौदा लाते और अपनी जूती तक गांठ लेते, गधे की सवारी आपको आर न था गुलामों, मिस्कीनों के साथ बैठने, खाने - पीने से परहेज़ न था, साइल को उसकी उम्मीद से ज़्यादा देते और किसी को खाली हाथ न लौटाते, आप सहाबा से मश्वरा भी करते थे, और उनकी राए के अहमियत भी देते थे मसलन, अज़ान के बारे में हज़रत उमर रजि. की तज्वीज़, गज़्व ए खंदक के वाक़िए पर हज़रत सलमान फ़ारसी की तज्वीज़, आप बहुत रहमदिल, और उम्मत की फिक्र में रहते, और बहुत इंसाफ़ पसंद थे। आप अमीन थे और इसलाम से पहले भी लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे, शअबे, अबी तालिब में आप ने अपने खानदान व अक्रबा समेत तीन साल तक मुकम्मल बाइकाट और हुक्कापानी बंद की तकलीफ़े सहीं, तमाम कबाइल ने मिलकर मुआहदा मुरत्तब किया कि कोई शख्स न खानदाने बनी हाशिम के क़ुरबत करेगा, न उनके साथ खरीद व फ़रोख्त करेगा, न उनसे मिलेगा, न खाने पीने का कोई सामान उन तक पहुंचाएगा नौबत यहां तक पहुंची कि पत्तों और सूखे चमड़ों को भिगाकर खाना पड़ा, आप पर सज्दे में ओझड़ियां डाली गईं, आपका चचा आपकी दुश्मनी में पेश पेश रहता था, अबू लहब की

बीवी कांटे चुनकर लाती और आपकी राह में बिछा देती थी आप के ननिहाल यानी ताइफ़ वालों ने आपकी तब्लीग़ का बहुत बे दर्दी से जवाब दिया यहां तक के शरारती लड़कों को आपके पीछे लगा दिया कि आप को पत्थर मारें आप लहूलुहान हो गये और जूतियां खून से भर गईं, हज़रत आइशा (रजि.) फरमाती हैं कि तमाम उम्र (यानी मदीने के कियाम से वफ़ात तक) कभी अपने दो वक़्त सैर होकर रोटी नहीं खाई आप और आपके अहलो अयाल मुसलसल (रज़ि) कई कई रात भूखे रह जाते क्योंकि रात का खाना मयस्सर नहीं होता था (तरमिज़ी) हज़रत अनस का बयान है कि एक दिन मैं खिदमते अक़्सद में हाज़िर हुआ तो देखा कि आपने शिक़म को कपड़े से बांध रखा है सबब पूछा तो हाजिरीन में से एक ने कहा भूख की वजह से (बुख़ारी) वैसे पेट पर पत्थर बांधने के कई वाक़िआत सहाबा रजि. व रसूलुल्लाह की सीरत में पढ़ने को मिलते हैं हालाकि आए गुनाहों से पाक व मासूम थे और बख्शे बख्शाए थे फिर भी इतनी तवील रकअतों की नमाज़े पढ़ते थे पांव में वरम आजाते थे! जो आप के मुताबिक शुक्रगुज़ार बदंगी की अलामत थी हज़रत आइशा फ़रमाती है कि 'आप हर नमाज़ के बाद अज़ाबे कब्र से पनाह मांगते थे नबी –ए करीम यह कलिम ए इस्तिग़फ़ार दिन में सौ मर्तबा पढ़ते थे।'

'रब्बिग़ फ़िर ली व तुब अलैय्या इन्नाका अन्तत्तव्वारबुर्रहीम यानी ऐ रब मुझे बख्श दे बेशक तू बख्शने वाला व माफ करने वाला।' हज़रत आएशा फ़रमाती है कि मैंने एक मर्तबा हुजूर को नमाज़ में यह दुआ मांगते हुए सुना "खुदाया मुझसे हल्का हिसाब ले" जब आप ने सलाम फेरा तो मैंने इसका मतलब पूछा आप ने फ़रमाया हल्के हिसाब से मुराद यह है किबंदे के आमाल नामे को देखा जाएगा और उससे दरगुज़र किया जाएगा ऐ आएशा उस रोज़ जिससे हिसाब फहमी की गई तो वह मारा गया जब व अनज़िर अशीरतकल अकरबीन वाली आयत नाजिल हुई तो आपने कुरान के हुक्म के मुताबिक़ खानदान के लोगों को जमा करके फ़रमाया "ऐ कुरौशियो, ऐ औलादे अ. मुत्तलिब, ऐ अब्बास, ऐ सफ़िया, ऐ फ़ातिमा, मेरे माल से जो मांगो मैं दे सकता हूं। लेकिन खुदा के यहां मैं तुम्हारे लिये कुछ नहीं कर सकता।"
(तमाम तफ़्सीर व हदीस की किताबों से मकूल)

रसूलों और फ़रिश्तों पर अल्लाह तआला की कुदरत इस तरह मुहीत हैकि

अगर बाल बराबर भी वह उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जुंबिश करें तो फौरन गिरफ़्त में आ जाएं और रसूलों व फरिश्तों की मजाल नहीं कि उसमें एक हर्फ़ की भी कमी बेशी कर सकें अल्लाह तआला फरमाता है। (कुरान) सूरह : सुरे हाक्कह (2) वलव तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील लअखज़्ना हिन्हु बिल यमीन, सुम्म लकतअना मिन्हुल बतीन फ़मा मिन्कुम मिन अहदिन अन्हु हाज़िज़ीन''

तर्जुमा - अगर पैग़बर कुछ झूट अपनी तरफ से मिलाकर कहता तो हम उसका हाथ पकड़ लेते, और उसकी गर्दन की शहे-रग काट डालते फिर तुम में से कोई उसको मुझसे नहीं बचा सकता एक दफ़ा आप स.अ.व. ने बाज़ कुफ्फार के हक में बददुआ की उस पर यह आयत उतरी

(कुरान) 'लैसा लका मिनल अम्रि शैउन अब यतूबा अलैहिम अव युअज्जिब्हुम फइन्नहुम ज़ालिमून'

तर्जुमा - तुमको कुछ इख्तियार नहीं खुदा चाहेगा तो उन पर तवज्जोह करेगा या उनको अज़ाब दोगा।

(कुरान) बनी इसराील - 72-74 ''व इन कादू लयफ़ तिनून का अनिल्लज़ी अवहैना तजिदु लका अलैना नसीरा''

तर्जुमा - उन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर उठा न रखी के तुम्हें फित्ने में डालकर उस वहीं से फे र दें जो हमने कुम्हारी तरफ भेजी है ताकि तुम अपनी तरफ़ से कोई बात गढ़ों और अगर तुम ऐसा करते हो तो वह तुम्हें अपना दोस्त बना लेते और बओद न था कि तुम कुछ न कुछ उनकी तरफ़ झुक जाते लेकिन तुम अगर ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी, दोहरे अज़ाब का मज़ा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अज़ाब का फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई मददगारन पाते।

(कुरान) इन्नला ला तहदी मन अहबब्ता वला किन्नल्लाहा यहदी मयं यशाऊ

तर्जुमा - तुम जिसे चाहो उसको उसको हिदायत नहीं दे सकते मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है।

अल्लाह का मामला मखलूक के साथ यही है कि अल्लाह तआला क़ादिरे - मुत्लक़ है। सारे उमूर अल्लाह ही की तरफ़ रजू होते हैं अल्लाह की सिफ़त,

उसके इख्त्यारात और उसकी कुदरत, और उसकी ज़ात में किसी और को शरीक करना ही शिर्क है। अल्लाह तआला ने ही ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, अंबिया, औलिया बुर्जुग वगैरह को पैदा किया है। और सबको एक ड्यूटी दी है। और वहीं उनसे इसका हिसाब लेगा किसी को इसमें छूट नहीं।

जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूले खुदा के मुताल्लिक गुमराह कुन बरेलवी अकाइद

नबी की मासूमियत, बुर्जुगी, परहेज़गारी, पाकदामनी, तकवा, अर वही की बरकात के हामिल होने औरदीगर मुकददस खुसूसियात के बावजूद, इस्लाम की तालीम यही है कि वह खुदा की मुख्लूक, उसका बंदा, उसका भेजा हुआ होताहै। (अब्दूहू व रसूलूहू) वह अवतार या फ़रिश्ता नहीं होता बल्कि खुदा की कुदरत से फैज़ पाकर बरकतों और सआदतों का मर्कज़ और अल्लाह तआला के इज़्न व कुदरत से अजीब व गरीब उमूर का सादिर करने वाला होता है,यानी एकतरफ तो अंबिया बशरियत के जामे में होते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, शादी ब्याह करते हैं औलाद के ग़म में आंसू बहाते हैं। जंग की कमान सम्हालते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, दूसरी तरफ़ रूहानियत, वही की बरकात और माफौकु ल बशरी खुसूसियात के हामिल होते है, और आम इंसानों बल्कि खवास से भी बरतर और अल्लाह तआला की खुसूसी इनायत से हिदायत का सरचश्मा होते हैं, और असल काम जो अंबिया और रसूलों का हैं, वह सिर्फ़ अल्लाह का पैग़ाम बदों तक पहुंचाना और डर सुनाना, और कौल व अमल से इसका इज़हार करना है।

(इन्नमा अला रसूलिनल बलाग़ (माइद:)

हमारे आक़ा व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा स.अ.व. पर अल्लाह तआला की खुसूसी इनायात थीं, आप स.अ.व. पर कुरआन नाज़िल हुआ जो पूरी दुनिया में क़ियामत तक आने वाले इसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। आपकी आमद के बारे में तमाम आसमानी किताबों में इशारा किया गया है आपको खातिमुन्नबिइईन और इमामुल अंबिया बनाया गया।

शायर का गुलू 2.

('तुम्हें रूत्बा हक ने सिवा दिया' सरे अर्श तुमको बुला लिया)

आपको मेराज अता हुई और आप की जो तारीफ़ कुरान में आई है। उसके बाद किसी इंसान की मजाल या ताक़त नहीं कि उससे बढ़कर तारीफ़ कर सके रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह, युसल्लूना अलन नबी, व रफअना लका ज़िकरक उम्मी लक़ब, सुब्हानल लज़ी असराबि अब्दिहि अल्लमहू शदीदुल क़ुवा, दर पसे आइना तुती सिफतम दाशता अन्द

आंचे उस्ताज़ अज़ल गुफ्त बगोमी गोयम-

आप वहीं कहते है जो अल्लाह कहलवाता है।

इन्नका तआला खुलुकिन अजीम वगैरह वगैरह। यानी! बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुखख्तसर' मगर मौजूदा दौर में जाहिल और बेएहतियात शायरों ने हुजूरे अकरम के मोजिज़ात और नीम आलिम लोगों की जाहिलाना मुबालग़ा आराई खुशएतक़ादी और बयानबाजी से मुतास्सिर होकर बिना गौर व फिक्र किए आप को खुदा बनाने में कोई कसर बाक़ी नहीं छोड़ी (शिर्क) मुलाहज़ा हो,

'वही जो मस्तवि ए अर्श है ख़ुदा होकर

उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर'

'नीस्त उखुदा लेकिन अज़ ख़ुदा जुदा हम नीस्त'

'काबा झुका हुआ है मुहम्मद के शहर में

'जिसके सज्दे को मेहराबे काबा झुकी'

हिन्द पाक व बंगलादेश में नातिया शेर व कव्वाली लिखने वाले शायर आम तौर से शिर्किया अशआर ही कहते हैं। शेर जितना झूट और गलत होता है उतना ही उम्दा और शीरीं नज़र आता है। (अकज़बे उस्त अहस्नेउस्त)

'अकज़्बे ऊस्त अहुस्ने ऊस्त' यानी उसका झूट ही उसका हुस्न है!

शायर तो बुराई और गुनाह के कामों की तारीफ़ भी ऐसे अल्फ़ाज़ा में करता है कि पहली नज़र में उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती बल्कि तबीयत को खुशगवार लगता है। मसलन,

गुनाह गरचे सलीके से हो गुनाह नहीं या फिर गालिब का यह शेर,

''ज़ाहिद न पी सको न किसी को पिला सको,

क्या बात है तुम्हारे शराबे - तहूर की''

कुरआन करीम में मज़्कूर ''शराबन तहूरा'' पर तंज़ व मज़ाक है। मगर बेहिस मुसलमान इसका मज़ा लेता है। या फिर शराब की बोतल का शिकवा कि,

'या रब! मुझे बनाना या भट्टी शराब की

बोतल बना के क्यों मेरी मिट्टी खराब की'

अपनी इन्हीं सिफ़ाते मज़मूमा की बिना पर जो उसके लिए करीब करीब लाज़िम है। उलमा ने शायरी को अपने लिए बाइसे नंग (जिल्लत) ही जाना है

चुनांचे इमाम शाफ़ई फ़रमाते हैं।

व लवाश्शिअरु बिल उलमाई यज़री,   लकुन्तुल यौमा अश्अरु मिन लबीदी,

यानी, अगर शेरो शायरी उलमा के लिए बाईसे नगं(जिल्लत) न होती तो मैं आज लबीद शायर से बढ़कर शायर होता।

इसी तरह शायरी नुबूव्वत के भी शायाने शान न थी

कुरान 'वमा अल्लम नाहुश्शिअरा वमा यम्बग़ी लहू'

यानी हमने आपको शायरी सिखलाई ही नहीं और न वह आपके शायानेशान थी!

अल्लाह तआला ने शोअरा और उनके पीछे चलने वालों की मज़म्मत की है।

(कुरान) वश - शुअराऊ यत्ताबिउहुमुल गावून, अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादियं यहीमून व इन्नहुम लयक़ूलूना माला तफ़अलून''

तर्जुमा- रहे शोअरा तो उनके पीछे - बहके हुए लोग चला करते हैं और ऐसी बाते कहते है जो करते नहीं''

रुहुलमआनी में है कि आपके मुनासिबे हाल शायरी इसलिए न थी कि शेर तो महज़ लफ़्ज़ और वजन की रिआयत की खातिर मआनी व मज़मून को बदल देने का दाई बन जाता है। और महज़ ज़न (गुमान) व तखमीन (अंदाज़ा) पर मुश्तमिल होता है। चुनाचे अल्लाह के नबी की हक़ीक़ी तारीफ़ जो कुरआन व हदीस, उसव ए हसना व सहाबा के अक़वाल के मुताबिक और मुबालग़ा आराई से पाक हो अच्छी शायरी कहलाएगी और यह शायर के बस की बात नहीं वह भटकेगा जरूर।

हज़रत उमर (रजि.) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी स.अ.व. को फ़रमाते हुए सुना।

(हदीस) ला ततरुनी कमा अतरतिन्नसारा ईसाब्नू मरयम फ़इन्ना अब्दुहू वला क़ूलू अब्दुहू व रसूलुहू-

यानी मेरे बारे में गुलू (मुबालग़ा) से काम न लो जिस तरह नसारा ने ईसा बिन मरयम के बारे में गुलू किया मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूं मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो लेकिन आलिम नुमा जुहला ने रसूले करीम के कौल को अनसुना करके अल्लाह के नबी के बारे में खुश एतक़ादी और अजाइब परस्ती की रौ में बहकर ऐसे-ऐसे अकीदों को जन्म दिया जो कुरआन व हदीस और ईमान की शर्तों के खिलाफ़ है। मसलन, बशरियते रसूल'

रसूलुल्लाह को इल्मे गैब का होना, रसूलुल्लाह का हाज़िर व नाज़िर होना, नबी को हाजत रवा मानना, आप को क़ियामत का इल्म होना कि कब आएगी, मोजिज़ात और शफ़ाअत की बाबत ग़ुलू वगैरह - वगैरह जान लेना चाहिए कि अंबिया में खुदाई की कोई सिफ़त नहीं होती बल्कि जो कुछ उनमें होता है वह रिसालत व नुबुव्वत के औसाफ़ होते हैं।

बशरियते रसूल

हर ज़मानें में कम फ़हम लोग इसी गलत फ़हमी में मुब्तला रहे हैं कि बंशर कभी पैग़ंबर नहीं हो सकता इसलिए जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने देखा कि यह उनकी तरह खाता-पीता है, बीवी, बच्चे रखता है, गोश्त, पोस्त का बना है, तो फ़ौरन फ़ैसला दे दिया कि यह तो पैगंबर नहीं बल्कि एक बशर है।

(कुरान)'मानराका इल्ला बशरम, मिस्लुना (हूद 3)'

तर्जुमा - हम तुमको अपनी तरह का बशर देखते है'' ''मा अन्ता इल्ला (कुरान) बशरूम, मिस्लुना'' (यासीन2, शोरा 8)

तर्जुमा - ''तुम तो हमारी तरह बशर हो'' मगर जब एक मुद्दत गुज़र गई और उसकी मौत हो गई, तो उसके अकीदत मंदो में ऐसे लोग पैदा होना शुरू हो गये जो कहने लगे वो बशर नहीं था, पैग़ंबर था 'चुनांचे उसे किसी ने खुदा बना लिया किसी ने खुदा का बेटा और किसी ने कहा कि खुदा उसमें ''हुलूल'' कर गया है। ग़रज़ कि बशरियत और पैग़ंबर का एक ज़ात में जमा होना हमेशा एक मोअम्मा ही रहा है।' और आज का जाहिल मुसलमान तो उन सबसे दो हाथ आगे है। वह पैग़ंबर के साथ-साथ नामनिहाद औलिया और बुजुर्गा ने दीन को भी खुदा का मक़ाम देने पर तुला है बल्कि दे रहा है। अल्लाह जिसे भटका दे फिर उसके लिए हिदायत का कोई चांस नहीं,

(कुरान) वमयं युज़लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन सबील (शूरा 46)

तर्जुमा - जिसे अल्लाह गुमराही में फेक दे उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं''

पिछली कौमों की तकलीफ़ ये थी कि ' **कुरान** मा अन्तुम इल्लाह बशरूम मिस्लुना) (यासीन 1)' (तुम हमारी तरह बशर हो)

(कुरान) मा हाज़ा इल्ला बशरूम मिस्लुकुम याकुलू मिम्मा ताकुलूना मिन्हू व

यशरबु मिम्मा तश्रबून (मोमिनून 33)

तर्जुमा - ये शख्श कुछ नहीं, मगर एक बशर तुम जैसा जो तुम खाते हो, वही खाता है। जो तुम पीते हो वही पीता है। मगर आज मामला उल्टा है। जो लोग कुरआनी आयात पर ग़ौर नहीं करते और उससे बेपरवाह हैं। अपने लोगों में उसका प्रचार करते हैं कि अल्लाह के नबी बशर नहीं थे ये अकीदा कुरआन की आयात के ख़िलाफ़ है। कुरआन हर दौर के लिए हुक्म रखता है। अल्लाह तआला ने नबी की ज़बानी कहलवा दिया है।

(कुरान) सूरः कहफ़ (12) कुल इन्नमा अना बशरूम मिस्लुकुम यूहा इलय्या (कुरान) अन्नमा इलाहुकुम इलाहूंवाहिद"

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हू मुझ पर वहीं की जाती है कि तुम्हारा अल्लाह वाहिद माबूद है।

(कुरान) हामीम सज्दा 6 'कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम। इलाहूं वाहिद, फस, तक़ीमू इलैहि वस्तग़फिरुह व वैलुल लिल मुश्रिकीन'

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं मुझ पर वही की जाती है। कि तुम्हारा माबूद एक ही अल्लाह है, उसकी तरफ़ सीधे रहो और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो, खराबी है शिर्क करने वालों के लिए।

कुरआन ने और भी साफ़ कहा है।

(कुरान) अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिन्हुम अन्न अनजिरिन्नासा, वबाश्शिरिल्लजीना आमनू अन्नलहुम कदमा सिदकिन इन्दा रब्बिहिम, (युनुस)

तर्जुमा - क्या लोगों के लिए ये अजीब बात हो गई कि हमने उन्हीं में एक आदमी को इशारा किया कि वह लोगों को चौका दें, और जो मान लें उनको खुश खबरी दे दे कि उनके लिए अलल्लाह के पास सच्ची इज़्ज़त और सरफ़राज़ी है।

(कुरान) बनी इसराईल - 'कुल लव काना फिल अरज़ी मलाइकुतुयं यशशूना, मुतमईन्निना लनज़्ज़लना इलैहिम मलकर रसूला'

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो अगर जमीन पर फरिश्ते होते तो हम आसमान से फ़रिश्तों को रसूल बनाकर उतारते।

मामूली समझ रखने वाला भी इस बात को समझ सकता है।

<u>(कुरान)सूर: अंबिया</u> सफा 7 'वमा अरसलना कब्लक़ा इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, फस अलू अहलाज्जिकरि इन कुन्तुम ला तालमून '

तर्जुमा - ऐ मोहम्मद तुम से पहले हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे, तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो,

(कुरान) <u>सूर: युसुफ़ 12</u> 'वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा,

तर्जुमा - और हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे वह आदमी ही थे, आबादियों में रहने वाले, हम उन पर वही करते थे.

(कुरान) <u>सूर: फुरकान</u> 20 वमा अरसलना क़ब्लका मिनल - मुरसलीना इल्ला लयाकुलूनत्तआमा व यम शूना फ़िल अस्वाक़'

तर्जुमा - तुम से पहले जो रसूल हमने भेजे वह सब खाना खाने वाले और बाज़ारों में चलने वाले लोग ही थे,

(कुरान) <u>कुल सुब्हाना रब्बी हम कुन्तु इल्ला बशरर रसूला''</u>

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो पाक है मेरा रब ! क्या मैं पैग़ाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं? कुरआन निहायत वाजेह तौर पर नबी ए करीम स.अ.व. को बशर, रसूल, आदमी, पैग़ाम लाने वाला और वही की बरकात का हामिल कह रहा है। फिर कुरआन के कौल के ख़िलाफ़ कहकर क्यों हम अपनी आक़िबत खराब करे, बरेलवी हज़रात आप को दाएरे इंसान से खारिज करके नूरी मखलूक में दाखिल कर दे रहे हैं। जो बयाने कुरआन और हदीस के अक़वाल के खिलाफ़ अकीदा है। मुलाहजज़ा है।

1. मवाइज़े ईमिया में अहमद यार बरेलवी सफ़ा 14 में लिखते हैं। 'रसूल स.अ.व. अल्लाह के नूर से हैं और सारी मखलूक़ आप के नूर से है।'

2. अहमद रज़ा खां फरमाते हैं -

'फरिश्ते आप ही के नूर से पैदा हुए क्योंकि रसूलुल्लाह स.अ.व. फ़रमाते है' ''अल्लाह ने हर चीज़ मेरे ही नूर से पैदा फ़रमाई'' (सलातुस्सफ़ा मजमूआ रसाइले रिज़विया जि. 1/ 37)

एक मौज़ू या ज़ईफ रिवायत से मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक' यही हदीस यूं बयान

करते हैं, 'रसूलुल्लाह ने हज़रत जाबिर (रजि.) से फ़रमाया ' ऐ जाबिर बेशक बिल यक़ीन अल्लाह तआला ने तमाम मखलूकात से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूरे कुदरते इलाही से जहां खुदा ने चाहा दौरा करता रहा'' उस वक़्त लौह व कलम जन्नत व दोज़ख, फरिश्तगान, आसमान, ज़मीन सूरज, चांद जिन्न, आदमी, कुछ न था फिर जब अल्लाह तआला ने मखलूक़ को पैदा करना चाहा तो उस नूर के चार हिस्से फ़रमाए पहले से कलम दूसरे से लौह, तीसरे से अर्श बनाया, फिर चौथे हिस्से के चार हिस्से किए (हदीस)
इस मौज़ू हदीस को नक़्ल करके लिखते हैं " कि इस हदीस को उम्मत ने कुलूब कर लिया है। और उम्मत का कुबूल करना वो अज़ीम शै है। जिसके बाद किसी सनद की ज़रूरत नहीं रहती बल्कि सनद ज़ईफ हो तो हर्ज नहीं करती (सलातुस्सफ़ा 23)''
इसको किस उम्मत ने कुबूल कर लिया है अगर इससे मुराद बरेलवी उम्मत है तो खैर! वरना उलमा व माहिरीन के नज़दीक हदीस को कुबूल करने के लिए सनद का होना लाज़िमी शर्त है। और ये रिवायत कुरआनी नुसूस और अहादीसे नबविया के खिलाफ़ है। और तमाम वाकिआत इस ग़ैर इस्लामी और ग़ैर अकली नज़रिए की तरदीद करते हैं। इसलिए कि नबी अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए अपनी वालिदा की गोद में पले, हलीमा सादिया का दूध नोश फ़रमाया अबू तालिब के घर परवरिश पाई हज़रत खदीजा हज़रत जैनब, आएशा (रजि.) और दीगर अज़्वाज से शादियां की, आपकी औलादें भी हुई, इन तमाम हकाइक के बावजूद बशर और इंसान होने से इंकार बहुत ही अजीब और ग़ैर मंतिक़ी बात ही।
1. इस मामले पर हज़रत आएशा का कौल भी क़ाबिले ग़ौर है रसूलुल्लाह स.अ.व. बशर के अलावा कोई दूसरी मखलूक न थे अपने कपड़े धोते अपनी बकरी का दूध दूहते और अपनी ख़िदमत आप करते'' (शमाइले तिर्मिज़ी, फत्हुलूबारी) खुद अहमद रज़ा खां सा. ने भी ग़ैर (इरादतन अपने अकीदे के खिलाफ़ एक हदीस बयान कीहै।
2. रसूलुल्लाह ने फ़रमाया 'हर शख्स की नाफ़ में उस मिट्टी का कुछ हिस्सा मौजूद है जिससे उसकी तखलीक हुई है। और वह उसी में दफ़न होगा और मैं, अबूबक्र, उमर एक मिट्टी से पैदा किए गए हैं और उसी में दफ़न होंगे।'

(फतावा अफ़्रीक़ा 85)
शुजाअत अली कश्मकश और तज़बजुब में हैं लिखते हैं, "आप के बशरी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होने के बावजूद नूर होना नाक़ाबिले - फ़हम बात है।" इसका एतराफ़ करते हुए कहते हैं।

'कुरआन में नहीं है तब भी बिना सोचे समझे ईमान लाना फर्ज़ है आप स.अ.व. के नूर होने की कैफ़ियत अल्लाह तआला ने बयान नहीं फ़रमाई न ही हम समझ सकते हैं, बस बग़ैर सोचे समझे इसी पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।'
(मन हुवा अहमद रज़ा, अज़ शुजाअत अली 39)

मर्तबा ईजाद में सिर्फ़ ज़ाते मुस्तफ़ा है बाक़ी सब पर उसके अक्स का फ़ैज़ है। वुजूद मर्तबा कौन व मकान में नूरे अहमद आफ़ताब है, और तमाम आलम उसके आइने और मर्तबे तक़वीन में नूरे अहमदी आफ़ताब और सारा जहां उसके आबगीने" (सलातुस्सफ़ा 60)

तमाम तरीफ़े उस ज़ात के लिए हैं जिसने तमाम अशिया से कब्ल हमारे नबी का नूर पैदा फ़रमाया, आप नूरों के नूर हैं। तमाम सूरज, चांद आपसे रोशनी हासिल करते हैं इसलिए रबब्बे करीम ने आपका नाम नूर और सिराजे मुनीर रखा है। अगर आप न होते तो सूरज रौशन न होता, दिन और रात की तमीज़ न होती न ही नमाज़ों के औक़ात का पता चलता। रसाईल अज़ अहमद रजज़ा खां पेज 199)

आलम, नूरे मोहम्मदी का इब्तिदा वुजूद में मोहताज था कि वो न होता तो कुछ न होता, बिना यूं ही हर शै अपनी बक़ा में उसकी दस्ते निगर है। आज उसका क़दम दरमियान से निकाल ले तो आलम दफ़अतन फ़ना महज़ हो जाए, वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न होते तो कुछ न होता (सला तुसस्सफ़ा 60) ये अकीदा यूनानी फ़ल्सफ़े और बातिनियत से माखूज़ है, और वहदतुल - वुजूद की एक सूरत है। और उसका दीने इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं कुरआन करीम की किसी आयत में इस तरह के बातिनी तख्वुरात और फल्सफ़ा व अफकार व नज़रियात का वुजूद नहीं, लफ्फाज़ी और लफ़्ज़ों की जादूगरी को अकाईद की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता है।

अल्लाह के नबी स.अ.व. को इल्मे गैब नहीं था

सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही आलिमुल ग़ैब है। और इस सिफ़त में अल्लाह का कोई शरीक नहीं

(कुरान) 'कुल लायअ्रलमु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि इलल्लाह'

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो अल्लाह के सिवा आसमान व ज़मीन में कोई गैब नहीं जानता। मगर रज़ा खानी फ़िरक़ा बहुत ज़ोरो शोर से इसका दावा कर रहा है। कि अल्लाह के नबी स.अ.व. को इल्मे ग़ैब था अंबिया के मुताल्लिक इल्मे गैब का अकीदा रखना, एतेराफ ए अज़मत नहीं बल्कि गुमराही है और शिर्कहै रसूल बजातेखुद आलिमे ग़ैब नहीं होता बल्कि अल्लाह तआला जब उसको रिसालत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मुंतखब करता है। तो गैब के हकाइक में से जिन चीज़ों का इल्म चाहता है अपनी मशीय्यत के मुताबिक उसे अता कर देता है।

(कुरान) सूर: नम्ल" फकुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि"

तर्जुमा - ऐ नबी ! कह दो गैब तो अल्लाह ही के लिए है।

(कुरान) सूर: जिनन्न 26 'आलिमुल गौबे, फ़ला युज़हिरू अला गैबिहिअहदन इल्ला मनिर तज़ा मिर्रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिम्र बैनि यदैहि वमिन ख़लफ़िही रसदा'

तर्जुमा - वह आलिमुल गैब है, अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता, सिवाए उस रसूल के जिसे पसंद कर लिया हो, तो उसके आगे पीछे वो मुहाफ़िज़ लगा देता है। ताकि जान लें कि उन्होंने अपने रब के पैग़ामात पहुंचा दिए।

(कुरान) सूर: अन्आम (144) वइन्दहू मफ़ातिहुल गैबिला यअलमुहा इल्लाह हुव'

तर्जुमा - उसी के पास गैब की कुंजियां है जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता !

(कुरान) वमा तसकुतु मिवं वरक़तिन इल्ला यअ्रलमुहा"

तर्जुमा - दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म न हो। वला हब्बातिन फ़ी जुलुमातिल अरज़ि

तर्जुमा - ज़मीन के तारीक पर्दों में कोई दाना एसा नहीं जिससे वो बाख़बर न हो

(कुरान) सूर: आले इमरान (180) वमा कानल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि, वला किन्नलल्लाहा यज्तबी मिर्रुसुलिही मयं यशाऊ

तर्जुमा - अल्लाह गैब से तुमको मुत्तला नहीं कर सकता लेकिन वो अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है। चुन लेता है। नबी स.अ.व. की ज़बानी की अल्लाह तआला ने साफ़ कहलवा दिया है जिसके बाद कुछ भी कहने की कोई गुंजाइश नहीं,

(कुरान) सूर: अन्आम (50) "वला अकूलु लकुम इंदी ख़ज़्ज़ाइनुल्लाहि वला अअ्लमुल गैबा वला अकूलु लकुम इन्नी मलक 'यत्तबिड इल्ला मा यूहा इलैय्या, कु ल हल यस्तविल आमा बल बसीर अफला ततफक्करुन"

तर्जुमा- ऐ नबी कह दो, मैं नहीं कहता कि अल्लाह के तमाम खज़ाने मेरे क़ब्ज़े में है। और मैं ग़ैब की बातें भी नहीं जानता और न मैं कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं - मैं तो बस उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे पास आती है। कह दो! क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते है? क्या तुम ग़ौर नहीं करते?

(कुरान) सूर: आराफ़. 'कु ल ला अम्अ्लिकु लिनफ़्सी नफ़अवं वला ज़र्रन इलल्ला माशा अल्लाहु वलव कुन्तु अअ्लमुल ग़ैब लसतक्र सरतु नि ल - ख़ैर वमा मस्सनियस्सूऊ,'

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो मैं अपनी ज़ात के लिए नफ़ा -व-नुकसान का इख्तियार नहीं रखता अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वह होता है। अगर मुझे ग़ैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए उठा लेता और मुझे कभी मुसीबत पेश नहीं आती।

(हदीस) सही बुखारी में हज़रत आएशा (रजि.) से रिवायतहै कि वो कहा करती थी 'कि तुम में से जो ये कहे, 'अहज़रत गैब की बातें जानते थे, वो झूठा है। कुरआन ने साफ कह दिया है। (कुरान) वमा तदरी नफ़्सुम माज़ा तक्सिबु ग़दा

तर्जुमा - किसी नफ़्स को मालूम नहीं कि कल वह क्या करेगा।

(हदीस) अब्दुल्लाह बिन उमर (रिज.) से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया ग़ैब की पांच कुंजियां है, उसके बाद ये आयत पढ़ी

(कुरान) सूर: लुकमान (34) इन्नल्लाहा इन्दहु इल्मुस्साअति, व युनाज़्ज़िलुल ग़ैस, व यअ्लमु माफिल अरहाम, वमा तदरी नफ़्सुम माज़ा तकसिबु ग़दा , वमा तदरी नफ़्सुम बिअय्यि अरज़िन तमुतू इन्नल्लाहा

अलीमुन ख़बीर।

तर्जुमा - बेशक अल्लाह के पास है इल्म कियामत का और उतारता है बारिश, और जानता है जो कुछ मां के पेटों के बीच है। कोई नहीं जानता कि कल वह क्या करेगा, न कोई जानता है कि वो किस रज़मीन पर मरेगा,बेशक अल्लाह जानने वाला, ख़बरदार है।

अब कुरआन के बयान के खिलाफ अहमद रज़ा खां और बरेलवी हज़रात का बेख़ौफ़ और बेबाक और खुद साख्ता अकीदों का बयान मुलाहिज़ा हो, जो नबी स.अ.व. से मंसूब झूट पर मबनी है।

1. नबी स.अ.व. दुनिया से तशरीफ़ न ले गये मगर बाद इसके कि अल्लाह तआला ने हुजूर स.अ.व. को पांचों गैब का इल्म दे दिया था, (खालिसुल - एतेक़ाद पेज 52 अहमद रज़ा)

2. हुजूर स.अ.व. को पांचों ग़ैब काइल्म था मगर आपको उन सबको मख़फी रखने का हुक्म दिया गया था, (खालिसुल, एतेकाद पेज 56)

3. लौहो - क़लम का इल्म जिसमें तमाम 'मा काना वमा यकून' है हुजूर के उलूम का एक टुकड़ा है। (ख़ालिसुल एतेक़ाद पेज 38)

4. हुजूर स.अ.व. के इल्मे अनवाअ् में, कुल्लियात, जुज़यियात हकाइक, दकाइक अवारिफ और मआरिफ़ के ज़ाते इलाही के मुताल्लिक हैं और लौहो क़लम का इल्म तो हुजूर के मकतूबे इल्म से एक सतर और उसके समंदरों से एक नहर है, फिर बाईहमा, वो हुजूर ही की बरकत से तो है कि हुजूर का इल्मो हिल्म तमाम जहां को मुहीत है। (ख़ालिसुल - एतेक़ाद पेज 38)

नोट : यह सिर्फ लफ्फाज़ी और लफज़ों का खेल है और गुमराही की बातें है।

5. नबी को ज़ाते इलाही के शानों और सिफ़ाते हक़ के अहकाम,असमा व अफ़आल और आसार, गरज़ जमीअ (तमाम) अशया (चीज़ों) का इल्म था, और हुजूर ने जमीअ उलूम अव्वल व आख़िर ज़ाहिर व बातिन का एहाता फ़रमाया है। (अल दौलतुल मुलकिया 210)

6. जनाब रिसालत मआब स.अ.व. का इल्म तमाम उलूमे गैबिया व लदुन्निया पर मुहीत है। (अज़ नईमुद्दीन अलकलिम तुल उलियालिअला इल्मिल मुस्तफ़ा पेज 4)

अहमद रज़ा खां सा. सहाबा पर झूट बांधते हुए लिखते हैं

7. सहाबा किराम – यकीन के साथ हुक्म लगाते थे कि रसूलुल्लाह स.अ.व. को ग़ैब का इल्म था (खालिसुल एतेक़ाद पेज 27)किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा है।

(कुरान) सूर: हूद (49) "तिलका मिन अंबाइल ग़ैबि नूही हा इलैका, मा कुन्ता तअलमुहा अन्ता वला क़ौमुका मिन कब्लि हाज़ा"

तर्जुमा – ऐ मोहम्मद ! ये ग़ैब की ख़बरे है जो हम तुम्हारी तरफ़ वही कर रहे हैं इससे पहले न तुम इनको जानते थे न तुम्हारी क़ौम अल्लाह तआला ने मदीने के मुनाफ़िकों के बारे में नबी स.अ.व. को बताया कि तुम उन्हें नहीं जानते हम जानते हैं।

(कुरान) तौबा न. 43 'वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन्निफ़ाक़ि ला तअ्लमुहुम नह्नु नअ्लमुहुम'

तर्जुमा – मदीने वालों में कुछ मुनाफ़िक़ हैं कि निफ़ाक में अड़ गये आप भी उन्हें नहीं जानते हम ही उन्हें जानते हैं।

अहमद रज़ा तो नबी स.अ.व. के अलावा सातों कुतुब (सात कुतुब कौन हैं? उन्हीं को मालूम है) को ग़ैब का इल्म होने की बात कहते हैं। जो शिर्क है।

8. क़ियामत कब आएगी? मेंह कहां, कब, कितना बरसेगा, ? मादा के पेट में क्या है? कल क्या होगा? फलां कहां मरेगा? ये पांचों ग़ैब जो आयते करीमा में मज़्कूर हैं इनमें से कोई चीज़ रसुलुल्लाह स.अ.व. पर मख़की नहीं और क्योंकि यह चीज़े हुजूर से पोशीदा हो सकती है हालांकि हुजूर की उम्मत से सातों कुतुब उनको जानते है, और उनका मर्तबा गौस के नीचे है, और ग़ौस का क्या कहना फिर उनका क्या पूछना? जो सब अगलों, पिछलों सारे जहान के सरदार हैं और हर चीज़ के सबब हैं और हर शै उन्हीं से है। (खालिसुल एतेक़ाद पेज 53,54)

अहमद रज़ा खां ने अल्लाह के सिवा औरों को भी ग़ैब का जानने वाला बताया मगर सनद या सुबूत के तौर पर कुरआन या हदीस से कोई बयान पेश नहीं किया, इसलिए कि ये उम्मत को गुम राह करने और धोखा देने की बातें हैं ये कुरआनी आयात से मुंह मोड़ना और नबी, वली, ग़ौस को अल्लाह के बराबर बताने और कुरआनी आयात को नीची दिखाने की कोशिश है।

(कुरान) सूर: अन्आम 158 ' सनज ज़िल लज़ीना यस्दिफूना अन

आयाबिना सूअल – अज़ाबि बिमा कानू यस, दिफून'

तर्जुमा – जो लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं उन्हें इस रुगर्दानी की पादश में बदतरीन सज़ा देकर रहेंगे,

(कुरान) सूरः हज 51 'वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका असहाबुल जहीम'

तर्जुमा – जो हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोज़ख़ के यार हैं,

अहमद रज़ा खां और उनके पैरोकारों की इस तरह की गुमराह कुन और कुरआन व हदीस के खिलाफ़ बयानबाजी की फेहरिस्त बहुत लंबी है। चंद का जिक्र यहां किया गया और कुरआन व हदीस के खिलाफ़ होना साबित किया गया। इसी तरह आप की ज़िंदगी में सैकड़ों वाकिआत पेश आए जिससे ये साबित होता है, आप को इल्मे गैब नहीं था, या आप आलिमे ग़ैब नहीं थे, चंद का जिक्र यहां किया जा रहा है।

1. ख़ैबर की जंग के बाद एक यहूदी औरत ने आपके पास बकरीका गोश्त भिजवाया या आप की दावत की उसमें ज़हर था आपेन लुक्मा लेते ही थूक दिया, अल्लाह तआला ने जिबरील (अ.स.) के ज़रिए ख़बर दी, इसके बावजूद आप पर उसका असर हुआ। मगर आप स.अ.व. के साथी बशर बिन बरा का उससे इंतिकाल हो गया। अगर आप को इल्म ग़ैब होता तो यह नौबत नहीं आती। इस जहर का असर आपको बहुत दिन तक रहा।

2. वाकिआ इफ़्क में आप ने दो मुतज़ाद बयान पर अल्लाह के हुक्म का इंतिज़ार किया।

और भी वाकिआत पढ़ने को मिलते हैं, जिनका इल्म आपको जब तक वही न आई मालूम न हो सका, दीगर ये कि अगर किसी नबी को इल्मे ग़ैब न हो तो उनका मर्तबा कम नहीं हो जाता बाज़ मर्तबा बहुत मामूली मखलूक़ को वो इल्म हो जाता है जो वक़्त के नबी को नहीं होता (कुरआन में है)

3. हुद हुद ने हज़रत सुलैमान (अ.स.) के दरबार में वक़्त पर न पहुंचने और ग़ैर हाज़िरी की वजह ये बताई कि मैं एक ऐसी बात जानता हूं। जिसका इल्म आप (हजरत सुलेमान अस. को भी नहीं है)यानी मलिके सबा की सूरज की परस्तिश अल्लाह तआला ने हुदहुद परिंदे को दिखला दी, जिसका इल्म

हज़रत सुलैमान (अ.स.) को भी नहीं था, इससे हज़रत सुलैमान (अ.स.) का मर्तबा कम नहीं हो गया बल्कि रहती दुनिया तक समझदार लोगों के लिए इशारा हो गया, अफ़सोस कि कुछ लोग न समझने की ज़िद पर अड़े हैं, बरेली के आला हज़रत अपने अकीदे के खिलाफ़ भी लिखते हैं, कि

'हुजूर को अपनी चारपाई के नीचे का भी इल्म नहीं था'

जिब्रईल (अ.स.) ने हुजूर स.अ.व. से वादा किया कि कल किसी वक़्त आएंगे मगर वक़्त पर हाज़िर न हुए नबी स.अ.व. ने बहुत देर इंतिज़ार किया वो नहीं आए आखिर हुजूर स.अ.व. बाहर तशरीफ़ लाए देखा हज़रत जिब्रईल (अ.स.) दरवाज़े पर हाज़िर हैं, पूछा आप अंदर तशरीफ़ क्यों नहीं लाए? उन्होंने कहा

'ला नदरवुलु बैतन फीहि कल्बुन अव तसावीर'

यानी हम फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ते या तसस्वीरे हों, नबी स.अ.व. अंदर तशरीफ़ लाए सब तरफ देखा कहीं कुछ न था पलंग के नीचे देखा एक कुत्ते का पिल्ला था उसे निकाला तो जिब्रईल (अ.स.) हाज़िर हुए दरअसल ये वाक़िआ मुस्लिम शरीफ़ में दर्ज है।

नोट – आज मुसलमान कुत्ते भी पालता है, घर में तस्वीरें भी लगाया है और नबी स.अ.व. की मोहब्बत का दम भी भरता है।

4. अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक स.अ.व. को बहुत सी ग़ैब की खबरे वहीं के ज़रिए दीं और बहुत से वाकिआत वऐनिही (हूबहू) दिखलाए जैसे गज़्बे मूता में मदीने से कोसों दूर के खूनी मनाज़िर आपके सामने थे, आप स.अ.व. ने हज़रत ज़ैद (रजि.) फिर हज़रत जाफ़र हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के शहादत के मनाज़िर देखे, और आप स.अ.व. की आखों में आसू थे, अल्लाह के सिवा किसी को ग़ैब का इल्म नहीं और अल्लाह की इस सिफ़त में किसी को शरीक करना शिर्क है।

दरूद और सलाम का सही तरीका

सलाम अल्लाह के नबी पर सलाम का तरीका यह है कि आप रौज़ा मुबारक पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करे या किसी ज़ियारत करने वाले के हाथों सलाम भेजे और इस सिलसिले में साहबा ने जब यूसल्लनूना अलनंनबी वाली आयत नाजिल हुई तो साहबा ने अर्ज़ किया सलाम का तरीका तो हमें मालूम

हो चुका यानी आयत में जो पढ़ा जाता है सलात का तरीका भी इर्शाद फ़रमा दीजिए। आप ने फ़रमाया कि उसका तरीक़ा ये है कि तुम्हारा भेजना यही है कि तुम अल्लाह से दरख्वास्त करो कि वे अपनी बेश अज़ बेश रहमतें अब्दुलआबाद तक नबी पर नाज़िल फ़रमाता रहे क्योंकि उसकी रहमतों की कोई हद व निहायत नहीं। यह भी अल्लाह की रहमत है कि इस दरख्वास्त पर मज़ीद रहमतें नाज़िल फरमाये वह हम आजिज़ व नाचीज़ बन्दों की तरफ से मंसूब कर दी जायें, गोया हमने भेजी हैं, हालांकि हर हाल में रहमत भेजने वाला वही अकेला है किसी बंदे की काया ताक़त थी कि सय्यिदुल् अंबिया की बारगाह में उनके रुत्बे के लायक़ तोहफ़ा पेश कर सकता।

क्या अल्लाह के नबी स.अ.व. हाज़िर व नाज़िर है?

बरेलवियत के अफ़कार व अकाईद बईद (दूर) अज़ अक़्ल और खिलाफ़े किताब व सुन्नत है, इन्हीं में एक अकीदा ये भी है कि रसूलुल्लाह स.अ.व. हर जगह हाज़िर व नाज़िर है, और एक वक़्त में अपने जिस्म समेत कई मुकामात पर मौजूद हो सकते हैं, ये अक़ीदा किताब-व-सुन्नत व शरीयते इसलामिया और फ़रामीने इलाहिया और इर्शादाते नबविया के खिलाफ़ और अक़्ल व फिक्र से बईद है। लेकिन बरेलवी शरीयत और खुद साख्ता फल्सफ़े में ज़रूर मौजद है। यहां औलिया व बुर्जुग तो क्या उनके मानने वाले अहमद रज़ा को भी हाज़िर मानते हैं।

1. अहमद रज़ा खां आज भी हमारे दरमियान मौजूद है वो हमारी मदद कर सकते हैं, (अनवारे रज़ा पेज 246)

2. अहमद रज़ा खां सा. से पूछा गया कि क्या औलिया एक वक़्त में चंद जगह हाजिर होने की कुव्वत रखते है? जवाब दिया 'अगर वो चाहें तो एक वक़्त में दस हज़ार शहरों में दस हजार जगह की दावत कुबूल कर सकते हैं। (मल्फ़ूज़ात अहमद रज़ा पेज 113)'

3. नबी स.अ.व. की रुहे - करीम तमाम जहां में हर मुसलमान के घर में तशरीफ़ फ़रमा है। (खालिसुल एतेकादा पेज 40 अहमद रज़ा खा)

4. हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहे पाक हर वक़्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है। और नमाज़, तिलावते कुरआन, नफ़्ल मीलाद शरीफ़ और नात ख्वानी की मजलिस में इसी तरह सालिहीन की नमाज़े जनाज़ा में खास तौर से अपने

जिस्मे – पाक से तशरीफ़ फ़रमा होते है। (खालिसुल एतेक़ाद 156 अहमद रज़ा खां)
5. हुजूरे अक्दस स.अ.व. की हयात व वफ़ात में इस बात में कुछ फर्क नहीं कि वो अपनी उम्मत को देख रहे हैं, और उनकी हालतों नियतों इरादों और दिल के खतरों को पहचानते हैं, ये सब हुजूर पर रौशन है। जिसमें असलन, पोशीदगी नहीं (खालिसुल एतेक़ाद पेज 46)
6. नबी स.अ.व. हाज़िर व नाज़िर हैं, दुनिया में जो कुछ हुआ और होगा, आप हर चीज़ का मुशाहिदा फ़रमा रहे हैं। आप हरजगह हाजिर हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं, (खालिसुल – एतेक़ाद पेज 46)
7. कृष्ण कन्हैया काफ़िर था, और एक वक़्त में कई जगह मौजूद हो गया, फतह मोहम्मद (किसी बुजुर्ग का नाम) अगर एक वक़्त में चंद जगह मौजूद हो गया, ताज्जुब हैं। क्या गुमान करते हो कि शैख एक जगह थे बाकी जगह मिसालें ? हाशा। बल्कि शैख बज़ाते खुद हर जगह मौजूद थे (असरारे बातिन, फ़ह्मे ज़ाहिर से वरा, खौज़ व फिक्र बेजा है।)
'ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती' (मल्फूज़ात 114)
दावे की दलील में न हदीस, दलील में नआयात है कि कृष्ण, कन्हैया कई सौ जगह मौजूद हो सकता है। तो क्या औलिया किराम चंद जगह मौजूद नहीं हो सकते ? यानी कृष्ण कन्हैया के मौजूद होने और वुजूद पर उनका ईमान था।
8. अहमद सईद काज़मी लिखते हैं,
'नबी अल्लाह तआला को भी जानते है और तमाम मौजूदात व मखलूक़ात व उनके जमीआ अहवाल को बतमाम व कमाल जानते हैं, माज़ी, हाल व मुस्तक बिल में कोई शै किसी हाल में हुजूर से मखफ़ी नहीं,' (तसकीनुल – खवातिर 5)
नबी को हाजिर व नाज़िर मानना एक शिर्किया अकीदा है, सिर्फ अल्लाह तआला हर जगह हाज़िर व नाज़िर है बरेलवी हज़रात के इस अकीदे का मुवाज़ना कुरआनी आयात से किया जाए तो हक़ीक़त समझ में आ जाए।
(कुरान) सूर: यूसुफ 102 'ज़ालिका मिन अंबाइल – ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून'
तर्जुमा – ये गैब की खबरेहैं जिसको हम आपकी तरफ वही करते है और उनके पास आप उस वक़्त मौजूद न थे जब उन्होंने अपना इरादा मज़बूत कर

लिया था और वे चाले चल रहे थे।

(कुरान) सूर: कसस (44) वमा कुन्ता बिजानिबिल, गरबिय्यी, इज़ कज़ैना इला मूसल अमरा वमा कुन्ता मिनश्शाहिदीन''

तर्जुमा - आप पहाड़ के मग़रिबी जानिब मौजूद न थे, जब हमने मूसा को हुक्क्म दिया था, और आप उन लोगों में से न थे, जो उस वक़्त मौजूद न थे,

(कुरान)सूर: क़सस (45) ''वमा कुन्ता सावियन फ़ी अहलिमद्यना ततलू अलैहिम आयातिना, वला किन्ना कुन्ना मुरसलीन''

तर्जुमा - और न आप अहले मदयन में क़याम पज़ीर थे कि हमारी आयतों को पढ़कर सुना रहे हो, लेकिन हम आपको ही रसूल बनाने वाले थे,

(कुरान) सूर: कसस (46) ''वमा कुन्ता बिजानिबित्तूरी इज़ नादैना वला किर्र रहमतम मिर्रब्बिका लितुन्ज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन कब्लिका लअल्लहुम यत ज़क्करुन''

तर्जुमा - और न आप तूर के पहलू में उस वक़्त मौजूद थे जब हमने मूसा को आवाज़ दी थी, लेकिन अपने रब की रहमत से (नबी बनाए गए) ताकि आप ऐसे लोगों को डराए।

(कुरान) सूर: आले इमरान (44) अल्लाह तआला ने हज़रत मरियम का किस्सा बयान करने के बाद फरमाया-

'वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख़तसिमून'

तर्जुमा - आप उन लोगों के पास नहीं थे, उस वक़्त जब वो अपने कलम डाल रहे थे, कि मरियम की सरपरस्ती कौन करे? और न आप उस वक़्त उनके पास थे जब वो बाहम इख्तिलाफ़ कर रहे थे, इन आयाते, करीमा के साथ साथ हक़ाइक़ और वाकिआत भी इस अकीदे की तरदीद करते हैं, आप स.अ.व. जब हुजूरे मुबारक में तशरीफ फ़रमा होते थे तो सहाबा (रजिअल्लाहु अन्हुम) आप का इंतिज़ार मस्जिदे नबवी में करते थे, अगर आप हाज़िर व नाज़िर थे तो सहाबा का मस्जिदे नबवी में इंतिज़ार क्या माना रखता है? इसी तरह जब आप मदीने में थे तो हुनैन में आपका बुजूद न था, आप स.अ.व. जब तबूक में थे तो आप मदीने में मौजूद न थे, और जब अरफात में थे तो न मक्का मुकर्रमा, न ही मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, बरेलवी अक़ाइद और कुरआन,

हदीस के दरमियान में इस कदर अज़ीम तज़ाद है कि अफ़कारे – बरेलविया और शरीअते इसलामिया में रिश्त – ए– इख्तिलाफ़ ही साफ़ नज़र आता है।

(कुरान) सूरः मोहम्मद 'अफलायत दब्बरूनल, कुरआन, अम अला कुलूबिन अक़्फ़ालुहा'

तर्जुमा – क्या लोग कुरआन पर ग़ौर नहीं करते या दिलों पर कुफ़्ल लग रहे है? अल्लाह सबको हिदायत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए (आमीन) हक तो ये है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई हाज़िर व नाज़िर नहीं वो अलीम व ख़बीर है। हमारी एक–एक हरकत से वाकिफ़ है। वो हमारी शहे–रग से भी ज़्यादा क़रीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल – वरीद (क़ाफ़)

कुरान 'व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, अजीबु दअ्र वतद् दाई इज़ा दआन'

तर्जुमा – ऐ नबी जब तुझसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो, कह दे मैं उनके करीब हूं जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं और कुबूल करता हूं। अब अगर ये कहा जाए कि अल्लाह तआला हाज़िर व नाजिर है और नबी स.अ.व. भी हाज़िर व नाज़िर है, तो अल्लाह की वहदानियत का क्या होगा।

(कुरान) सूर : नम्ल 65 'कुल ला यअलमु मन फ़िस्समावाति वल – अरज़िल गैबा इल्लल्लाह–'

(कुरान) सूर : फ़ातिर – 38 इन्नल्लाहा आलिमु गैबिस्समावाति वल अरज़ि इन्नहू अलीमुम बिजातिस्सुदूर'

बेशक अल्लाह जानता है पोशीदा चीजें आसमानों और ज़मीन तहकीक वो जानने वाला है सीनों की बात को।

रसलुल्लाह (स.अ.व.) हाजतरवा नहीं है

हाजत रवा है तूही रब्बे करीम सबका

कुरआन-करीम में निहायत कसरत व शिद्दत से इस मज़मून को अदा किया गया है कि अल्लाह के सिवा तुम जिन लोगों को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मुजीबुददुआ समझते हो, जिन से मदद मांगते हो उनका कारखाना ए हस्ती में कोई इख्तियार नहीं।

(कुरान) सूर: एराफ़ 197 ' वल्ल लज़ीना यदऊना मिन दूनिही वला यसस्तती ऊना नसराकुम वला अनफु साहुम यनसुरून'

तर्जुमा - जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न ही अपनी मदद आपकर सकते हैं,

(कुरान) सूर: रअद 14 वल लज़ीन यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन:

तर्जुमा - और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं, वो उनका जवाब उससे ज़्यादा नहीं दे सकते।

(कुरान) सूर: शूरा 'वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिवं वलिय्यिवं वला नसीर'

तर्जुमा - और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई भी कारसाज़ है न मददगार कुरआनी आयात से इन्हिराफ़ करते हुए अहमद रज़ा खान सा. कुछ और ही कहते हैं,

1. हर चीज़ और हर दौलत दीन में, दुनिया में आखिरत में, रोज़े - अव्वल से आज तक और आज से अब्दुल आबाद तक जिसे मिली है हुजूर सय्यदे - आलम के दसस्ते अकदस से मिली है। और मिलती है।
2. हुजूर ही मुसीबत में काम आते हैं, हुजूर ही बेहतर अता करने वाले हैं आजिज़ी और तज़्लील के साथ हुजूर को निदा करे, हुजूर हर बला से पनाह हैं, (अल अमनुल उला 10)
3. जिबरईल हाजत खां है फिर हुजूरे - अक़्दस को हाजत खा मानने में किसको ताम्मुल हो सकता है। वो तो जिबरईल के भी हाजत खां है (मल्फ़ूज़ात अहमद रज़ा खां पेज 99)
4. कोई हुक्म नाफिज़ नहीं होता मगर हुजूर के दरबार से कोई नेमत किसी को

नहीं मिलती मगर हुजूर की सरकार से (अल अमनुल उला पेज 105)
5. आका दो जहां सखी दाता हैं और हम उनके मोहताज तो क्या वजह है उनसे इस्तिम्दाद न की जाए, (मवाइज़े नईमिया पेज 27)
6. ख़ालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया दोनों जहां है आपके कब्ज़े इख्तियार में (मवाइज़े नईमिया पेज 41)
अमजद अली ने नबी स.अ.व. को अल्लाह का नाएबे मुतलक और दुनिया और आखिरत तक का मालिक बना डाला,
7. हुजूरे अक़्दस स.अ.व. अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नाएबे मुतलक़ हैं तमाम जहां हुजूर के तशरुर्फ कर दिया जिसे जो चाहे दें जिससे जो चाहे वापस लेलें (बहारे शरीअत, अमजद अली पेज 15)
8. तमाम ज़मीन उनकी मिल्क है, तमाम जन्नत उनकी जागीर है। 'मलकूतु स्समावाति वल अरज़ि हुजूर के जेरे फ़रमान है। जन्नत वनार की कुंजियां दस्ते अकदस में दे दी गई है, रिज़्क व खूराक और हर किस्म की अताएं हुजूर ही के दरबार में तकसीम होती हैं। दुनिया व आखिरत हुजूर की अता का एक हिस्सा है। (बहारे शरीअत पेज 15)' अमजद अली
यहां चंद आयतों का जिक्र ज़रूरी है जिनमें अल्लाह तआला ने खुद नबी की ज़बानी ये कहलवाया कि आप स.अ.व. किसी नफ़ा व नुक़्सान के मुख्तार नहीं न ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, न अल्लाह की गिरफ़्त से उन्हें कोई बचा सकता है। न ये जानते है कि अल्लाह तआला कियामत में आप के साथ क्या मामला फरमाएगा जब अल्लाह के महबूब का ये हाल है तो औलिया, बाबा, बुजुर्ग, ग़ौस, मख़दूम, गरीब नवाज़, किस शुमार में हैं?
(कुरान) सूर: जिन 21 कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़रौं वं ला रशदा
तर्जुमा - ऐ नबी आप कह दें मैं तुम लोगों के लिए न किसी नुक़्सान का इख्तियार रखता हूं न भलाई का
(कुरान) सूर: जिन 22 कुल इन्नी लय युजीर नी मिनल्लाहि अहदुन न लन अहदूं वलन अहदा मिन दुनिही मुल्तहदा
तर्जुमा - ऐ नबी, कह दो अल्लाह की गिरफ़्त से मुझे कोई बचा सकता और न मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह पा सकता हूं कुरआन ने नबी की हाजत रवाई, तसर्रुफ़ व इख्तियार की साफ़ साफ़ नफ़ी कर दी, बल्कि शिर्क के मामले में

मुतनब्बा करते हुए ये सभी साफ़ कर दिया कि कियामत के रोज़ किसके साथ क्या मामला होगा, इसका पता भी किसी को नहीं,

(कुरान) सूर: शोअरा 217 'फ़ला तद्ऊ मअल्लाहि इलाहन आखर, फ़तकूना मिनल मुअज्जिबीन'

तर्जुमा - पस ऐ मोहम्मद ! अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सज़ा पाने वाले हो जाओगे।

(कुरान) सूरह अहक़ाफ़ 90 - 'कुल मा कुन्त बिद्अम मिनर्रुसुलि वमाअद्री मा युफ़्अलु बी वला बिकुम'

तर्जुमा - ऐ नबी, कह दो मैं कोई नया रसूल नहीं हूं मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कियामत के रोज़ क्या मामला होगा? न ये जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या मामला होगा?

(कुरान) सूर: अनआम - 'कुल इन्न सलाती व नुसुकी व मह्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन' ला शरीका लहू ब बिज़ालिका अमिरक व अना अव्वलुल मुसलिमीन'

तर्जुमा - कह ! मेरी नमाज, मेरी कुरबानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह ही के लिए है जो पालने वाला है सारे जहानों का उसका कोई शरीक नहीं और यही मुझको हुक्म है और मैं सबसे पहले फ़रमाबरदार हूं।

अल्लाह के नबी की बाबत बाइख्तियार व बात तर्रुफ़ या नाए बे कु ल, या हाज़त रवाई जैसे ख्याल व अकीदे रखना शिर्क और इस्लाम मुखालिफ़ तर्जे अमल है। और इस तरह के गुमराह कुन ख्याल से तौबा करने की जररूरत है।

(कुरान) सूर: आले इमरान, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन कब्रलिहिर्रु-सुल'

तर्जुमा - मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि एक रसूल हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुज़र चुके हैं।

अगर हक परस्ती सिर्फ नबी व औलिया की शख्सियत से वाबसस्ता होती है। और इस्लाम ऐसा ही मज़हब है। तो ईसाई मज़हब में कौन सी बुराई है। वहां भी बाप यानी ख़ुदा और बेटा यानी हज़रत ईसा बराबरी से खड़े हैं,

(कुरान) आले इमरान - 'वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन कबलिहिर्रुसुल, अफ़इम्माता अब कुसिलन क़बलतुम अला आक़ाबिकुम,

वमयं यनकलिब अला अक़िबैहि फलयं यजुर्रल्लाहा शैआ'

तर्जुमा- मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि एक रसूल हैं, उनसे पहले भी और रसूल गुज़र चुके हैं, फिर अगर वो मर जाएं वफ़ात पा जाएं या क़त्ल कर दियेजाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुक़सान न करेगा। इस सिलसिले में नबी-ए-अकरम स.अ.व. की वफ़ात के वक़्त का वाक़िआ क़ाबिले ज़िक्र है। जब हज़रत उमर फ़ारुक (रजि.) तलवार सौंत कर खड़े हो गए कि जो कहेगा नबी स.अ.व. की वफ़ात हो गई है उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, वो मूसा (अ.स.) की तरह अल्लाह से मुलाक़ात को गये है, सहाबा (रजि.) की हालत हैरत व इसिस्तअजाब और सकते की थी, कि इतने में हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रजि.) सरवरे आलम की जबीन को बोसा देकर बाहर तशरीफ़ लाए, तो मामले की नज़ाकत को भांप गये और आगे बढ़कर कहा ऐ ख़त्ताब के बेटे! बैठ जा, हज़रत उमर रजि. वही बैठ गए हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रजि. ने अब मिबंर पर खड़े होकर यूं खिताब किया।

'लोगों! जो मोहम्मद की परस्तिश करता था उसको मालूम होना चाहिए कि' इन्ना मुहम्मदन क़द मात'' मोहम्मद स.अ.व. ने जाएक़-ए-मौत चख लिया है। जो खुदा-ए- वाहिद का परस्तार है। तो बिला शुबा 'इन्नल्लाहा हय्युनला यमूतु' अल्लाह तआला ज़िन्द-ए-जावेद है और मौत से पाक व बरी है। उसको मौत नहीं, फिर यही आयात 'वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन कबलिहीर्रुसुल' पढ़ी तो सबसे पहले उमर रजि. फिर सहाबा पर इत्मिनान व सुकून तारी हो गया, और हज़रत उमर की कैफियत तो ये हुई कि फ़रमाने लगे कसम ब्ख़ुदा सिद्दीके अकबर ने जब यह आयत तिलावत की 'वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल' तो मुझे यूं लगा गोया अभी अभी इस आयत का नुजूल हो रहा है घक़ससुल कुरान)। इस वाकिए में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रजि.) की हालत ये थी

(कुरान) <u>सूर: जुमर</u> - '31 इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन'

तर्जुमा - ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और्‌ुन लोगों को भी मरना है। और (कुल्लुन नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत) हर नफस को मौत मज़ा चखना है से वाकिफ़ थे। और हज़रत उमर की कैफ़ियत कुछ देर के लिए मुज़बज़ब और ज़ज़्बात में

बहने की हो गई थी, मगर हक जब सामने आया फौरन संभल गए और कुबूल कर लिया, मगर उम्मत का एक तबक़ा आज भी हज़रत उमर की पहली वाली कैफियत पर हैं गुमगश्ता, हक से बेख़बर , बल्कि नबी स.अ.व. को खुदा बनाने पर मुसिर।

मोजिज़ाते रसूल

मोजिज़ा खर्के - आदात शै को कहा जाता है। जो अल्लाह तआला किसी नबी व रसूल के हाथों सादिर फ़रमाता है। अल्लाह तआला ने नबियों और रसूलों को हुज्जत और बुरहान के साथ मज़ीद तकवियत और ताईद के लिए मोजिज़ात अता फ़रमाए हैं। नबी या रसूल इस पर क़ादिर नहीं होते कि अपनी मर्ज़ी या ख्वाहिश के मुताबिक़ या लोगों की फरमाइश पर और उनको यकीन दिलाने के लिए मोजिज़ात दिखा सके, बल्कि ये अल्लाह तआला की मर्ज़ी और मसलेहत पर मुनहसिर है। बाज़ अवकात खुद नबी व रसूल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि परद-ए-ग़ैब से क्या ज़ाहिर होगा, मसलन अल्लाह के हुक्म से पहली बार मूसा (अ.स.) ने अपने असा को जब ज़मीन पर डाला तो हज़रत मूसा (अ.स.) को इसका पता भी न था कि ये अज़दहा बन जाएगा, इसीलिए वो घबराकर पीछे हट गये, इसी तरह यदे बैज़ा का भी मामला था, मूसा (अ.स.) को असा और यदे बैज़ा हज़रत ईसा (अ.स.) का कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को ज़िंदा करना और रसूल अकरम को भी शक्कुल क़मर या फिर डूबते हुए सूरज को फिर से उफुक पर लाना, और दीगर मोज़िज़ात अल्लाह के इज़्न से नबी के हाथों ज़ाहिर हुए, मगर रज़ा खानियों ने उन मोजिज़ात को रसूलुल्लाह की शख्सियत में गुलू करने और उम्मत को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया कि उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर दिये, या डूबे हुए सूरज को वापस उफुक पर ला दिया, या फिर ये कहा और नबियों के पास दो तीन ही मोजिज़ात थे मगर हमारे नबी के पास बहुत सारे मोजिज़ात थे वग़ैरह - वग़ैरह इस तरह उन्होंने खुश एतक़ाद और अजाएब परस्त जोहला में, ये बात चला दी कि अल्लाह के नबी मोजिज़ा दिखाने पर क़ादिर थे, यानी दूसरे लफ़्ज़ों में रसूलुल्लाह कायनात के तसरूफ और तग़य्युर के मालिक थे जो एक गलत अकीदा है। मोजिज़ात दिखाना नबी

की ताकत से बाहर की चीज़ है।

(कुरान) सूर: रअद 38 - 'वमा काना लिरसूलिन अयं यातिया इल्ला बिइज़निल्लाह'

तर्जुमा- किसी रसूल की ताकत न थी कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर कोई निशानी खुद लाता'

जब अल्लाह के नबी से मोजिज़ा तलब किया गया तो कहा गया ऐ नबी कह दो

(कुरान) सूर: अनकबूत ' 5 ' कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नजीरूम मुबीन'

तर्जुमा- निशानियां तो अल्लाह के पास हैं और मैं सिर्फ़ खबरदार करने वाला हूं खोल खोल कर।

शफ़ाअत व सिफ़ारिश

कुरआन में हर जगह तौहीदे- कामिल के बयान में खुदा के मुक़ाबले में रसूलों की अब्दियत (बन्दा होने) की तशरीह है। और इस तकीदा बातिल की तरदीद है कि रसूल के हाथ में ये कुव्वत हो कि वो खुदा से किसी बात को ज़बरदस्ती मनवा ले और कोशिश व सिफ़ारिश करके कुसूर माफ़ करा ले या सज़ा कमकरा ले, रज़ाखानी और अशरफ़ी वगैरह फिरके के लोग दुनिया में मन चाही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जुवा, शराब, आस्ताने,लह्व लईब बगैरह में मुलव्वस होकर अल्लाह औ रसूल की खुल्लम खुल्ला नाफ़रमानी कर रहे हैं। और हुद्दुल्लाह से बेबाक होकर तजावुज़कर रहे हैं। उनके रहबरों (उलमा) ने उन्हें यक़ीन दिलाया है कि अल्लाह के नबी की सिफ़ारिश से वो जन्नत के हक़दार हैं। उन्होंने कुरानी आयात को छिपाया है कि शफ़ाअत मशरुत है, यानि 'मा. मिन शफ़ीइन इल्ला मिम्र बादि इज्निह' यानी कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं इल्ला ये कि उस (अल्लाह) की इजाजत के बैगर शफ़ाअत करे,

(कुरान) सूरह ताहा 109-110 'यौम इजिल्ला तनफ़उश्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान व रज़िया लहू क़ौला'

तर्जुमा - उस दिन किसी की शफाअत कारगर न होगी, इल्ला ये कि रहमान किसी को इजाज़त दे और उसकी बात सुनना पसंद करें।

(कुरान) यालमु मा बैन ऐदी हिम वमा खलफ़हुम वला युहीतूना बिहिइल्ला'

तर्जुमा - अल्लाह लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है। दूसरों को

उसका पूरा इल्म नहीं, यानी फरिश्ते, अंबिया, औलिया, किसी को भी मालूम नहीं कि किसका क्या रिकार्ड है। कौन दुनिया में क्या करता रहा इसके बर अक्स अल्लाह तआला को हर एक के पिछले कारनामों और करतूतों का इल्म है कि नेक है तो कैसा नेक और मुजरिम है तो किस दर्जे का मुजरिम लिहाज़ा किसके हक़ में सिफ़ारिश की इजाज़त दी जाएगी, उसका पता सिर्फ़ अल्लाह ही को है।

नोट- शफ़ाअत के सिलसिले में सूर: जुखरुफ 70, सूर: मरयम 6, सूर: यासीन 2, सूर: नज्म 2, जुमर 5 सबा 3, भी जरूर देखें।

नबी स.अ.व. को कियामत का इल्म नहीं था!

बरेलवी उलमा व वाइज़ीन अपने बयान व वअ्ज़ में इस अक़ीदे का ज़ोर शोर से दावा करते है। कि अल्लाह के रसूल स.अ.व. को क़ियामत का इल्म था, ये एक निहायत गलत अकीदा है। क्योंकि इसका इल्म अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं और इस इल्म में नबी स.अ.व. को शरीक करना शिर्क ही ठहरा, कुरआन ने चौदह सौ साल पहले निहायत उम्मदा पैराए में बयान किया है कि क़ियामत का इल्म सिर्फ़ परवरदिगार को है। और वही अपने वक़्त पर इसे ज़ाहिर करेगा।

(कुरान) सूर: आराफ़ 187 'यस अलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इन्द रब्बी, ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हुव ----- ----------------------- वला किन्ना अकसरन्नासिला यालमून'

तर्जुमा - ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर कियामत की घड़ी कब नाज़िल होगी, कहो उसका इल्म मेरे रब ही के पास है उसे अपने वक़्त पर वही ज़ाहिर करेगा आसमानों और ज़मीन में वो वक़्त बड़ा सखख्त होगा वो तुम पर अचानक आ जाएगा ये लोग तुमसे उसके मुतालिल्लक इस तरह पूछते हैं गोया तुम उसकी खोज में लगे हुए हो कहो उसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाए को है। मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते।

(कुरान)सूर: जिन 25 'कुल इन अदरी अकीरबुम मा तुअदूना अम यज्अलु रब्बी अमदा'

तर्जुमा - ऐ नबी कह दो मैं नहीं जानता जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा

रहा है वो करीब है या मेरा रब उसके लिए कोई लम्बी मुद्दत मुकर्रर फ़रमाता है। सिहाह में हज़रत जिबरईल (अ.स.) के एक मुसाफिर की सूरत में आने की जो रिवायत है जिसमें उन्होंने ईमान इसलाम और एहसान के मुताल्लिक सवालात पूछे हैं। आप ने उनके जवाबात दिये है आखिर में वो पूछते है कि कियामत कब होगी, उसके जवाब में हुजूर फ़रमाते हैं मल मसऊलु अन्हा अअलमु मिनस्साइल' यानी जिससे पूछते हो वो पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं रखता, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई,

(कुरान) '<u>इन्नल्लाहा इन्दहू इल्मुस्साअह,'</u> (किताबुल - इमान (बुखारी मुसलिम)

यस, अलूनका अनिस्साअति कुल इन्नमा इल्मुहा इदाल्लाहि (अहजाब 73)

तर्जुमा -ये लोग आपसे कियामत के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए इसका इल्म तो बस अल्लाह ही को है।

(कुरान) <u>सूर: अनआम</u> 'व इन्दहू इल्मुस्साअवि व इलैहि तुरजऊन'

तर्जुमा -उसी को कियामत का इल्म है। और उसी की तरफ तुम सब वापस किए जावोगे-

तंबीहे -इलाही

इज्तिहादे नबवी - ऑहज़रत स.अ.व. की नुबुव्वत की उम्र 23 साल है। इन तेईस सालों में हज़ारों वाकिआत व उमूर पेश आए, जिन पर आप स.अ.व. ने अपने शरहे - सद्र और इज्तिहाद से फैसले सादिर फ़रमाए मगर उनमें से कुल पांच ऐसे हैं जिन पर वही ए इलाही ने तबीह की और अजीब ये है कि उनमें से कोई भी वाकिआ ऐसा नहीं है। जिसका ताल्लुक दीनी हुक्क्म, शरीएते अबदी, एतेकाद इबादात, या शरई मामलात से हो, बल्कि सबके सब ऐसे उमूर हैं, जिनकी हैसियत तमाम तर शख्सी या जंगी है। इससे साबित होता है कि दीन और शरीअत में आपके पैगंबराना इज्तिहादी फैसले गलती और खता से तमामतर पाक थे, इसके अलावा आप स.अ.व. ने जो पहलू इख्तियार किया वो दो बेहतर रास्तों में से आप स.अ.व. ने ज़्यादा बेहतर रासस्ता इख्तियार किया इसका मंशा हमेशा उम्मत पर रहम व करम और शफकत की निगाह थी मगर अल्लामुल गुयूब की मसलेहत का तक़ाज़ा था कि सख्त पहलू इख्तियार

किया जाए जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन रास्ता था, जिन इज्तिहादी उमूर पर वहीए इलाही ने तम्बीह की उनमें

पहला वाक़िआ, हिजरत से कब्ल मक्का मोअज़्ज़मा में जब आहज़रत तब्लीग़ फ़रमा रहे थे एक दिन कुरैश के बड़े-बड़े रुअसा (रईस) आप स.अ.व. की मजलिस में आकर बैठे आप स.अ.व. उनको बुत परस्ती की बुराइयां और तौहीद की खूबियां बतला रहे थे, इतने में एक ग़रीब मुफलिस, नाबीना मुसलमान अब्दुलल्लाह बिन मक्तुम (रजि.) आये और कुछ दरयाफ़्त करना चाहते थे क्योंकि वो नाबीना थे उन्हें पता नहीं था, कि अल्लाह के नबी स.अ.व. किससे क्या बात कर रहे हैं ये रुअसा मग़रुर और खुद पसन्द थे, और ऐसे लोग आप की मजलिस में आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि आप की मजालिस में बदहाल, बेहैसियत और अद्‌ना दर्जे के लोग हुआ करते थे इसलिए आप स.अ.व. ने अब्दुल्लाह बिन मक्तूम से बेइल्तिफ़ात होकर राईसों की तरफ़ मुतवज्जह रहे थ ये अल्लाह के नबी की नेक नियती की वजह से था, कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम तो मुसलमान है ही। ये रुअसा भी अगर मुसलमान हो गये, तो इससे इसलाम फैलने में मदद मिलेगी, इस पर वहीद इलाही ने हस्बे - जैल अल्फाज़ में तबीह की,

(कुरान) अबसा व तवल्ला अन जाअहु ल अमि वमा युदरीका लअल्लहू यज़्जक्का - - - - - - फ़रमन शाअज़करह (<u>अबसा बतवल्ला</u> 1)

तर्जुमा - त्योरी चढ़ाई और मुंह फेरा कि वो अंधा आया तुझे क्क्या खबर के शायद वो संवरता या सोचता तो तेरा समझाना काम आता वो जो परवाह नहीं करता सो तू उसकी फिक्र में है। और उसके न संवरने का तुझपर कोई इल्ज़ाम नहीं, वो जो तेरे पास दौड़ा आया और (खुदा से डरता है) तू उससे तग़ापुल करता है। यूं नहीं ये तो नसीहत जो चाहे इसको याद करे।

इसमें नबी अल्लाह के इस फैसले से आगाह न थे कि रुआसा कुरैश तो ईमान से महरूम ही रहेंगे, लेहाज़ा आप स.अ.व. अपने मौजूद इल्म के मुताबिक़ अपने फेल को सही समझ रहे थे, कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम तो मुसलमान है ही नये लोगों को नज़र अंदाज़ करने से वो बिदक जाएंगे।

दूसरा - वाकिआ - गज़्वे बद्र की गैर मुतवक्का फ़तह से मुसलमानों के हाथ बहुत सा माले ग़नीमत आया साथ ही कुरैश के सत्तर क़ैदी भी साथ आए

जिनमें मालदार और शुरफ़ा भी थे, लिहाज़ा माले गनीमत, फिदया और कैदियों के साथ बरताव में इख्तिलाफे-राए हो गया, मालेगनीमत फराहम करने वालों का दावा था इस पर हमने लड़ाई में कब्जा किया है। लड़ाकों ने दावा किया कि हमारी तलवारों से फतह हासिल हुई है। जो लोग अल्लाह के रसूल स.अ.व. की हिफ़ाज़त पर मामूर थे उन्होंने अपना काम बहुत नाजुक व खतरनाक बताया इस तरह से तीनों गिरोहों ने दावा किया, आप स.अ.व. ने तमाम मुसलमानों के माबैन बराबर तकसीम कर दिया इस पर ये आयत नाजिल हुई

'ऐ पेग़बर तुझसे गनीमत का हुक्म पूछते है तो कह दे गनीमत अल्लाह का है और रसूल का है। अल्लाह से डरो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो'

(कुरान) सूर: अन्फ़ाल - 47-48- माकाना लिनबिय्यिन अयं यकूना लहू असरा हत्ता युसखिना फिल अरजि.----------- इन्नल्लाह गफ़ूररुखिना

तर्जुमा - किसी पैग़ंबर को जेबा नहीं कि उसके पास कैदी हों ताकि ज़मीन में फसाद करें तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है। अगर अल्लाह की तरफ़ से यू होना मुकद्दर न हो चुका होता, तो तुमको तुम्हारे इस लेने पर बड़ी सज़ा मिलती, तो अब जो तुमने लूट में पाया वो हलाल व पाक करके खाओ, और अल्लाह का अदब करो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है।

तीसरा वाक़िआ - गज़बा ए तबूक में बकसरत मुसलमानों की शिरकत ज़रूरी थी कुछ मुसलमान मजबूरन छूट गये और अक्सर मुनाफ़िकीन ने ज़ानबूझ कर जी चुराया वापसी पर अंदमे शिरकत के कुसूरवार मुनाफिकीन ने आकर झूटी कस्में खाकर, अपने उज़्र बयान किए, आप ने उनका ऐतेबार करके उनके कुसूर से दरगुज़र किया आप पर तबीह नाज़िल हुई।

(कुरान) सूर: तौबा 43, सयह्लिफूना बिल्लाहि लविस तत्अना- लखरजना ----------------------------- वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून ---------------सदक़ू व तअलमल काजिबीन-

तर्जुमा - वो खुदा की कसमें खाएंगे कि अगर हम मक़दूर रखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते वो अपनी जानों को बरबाद करते हैं। और अल्लाह

जानता है कि वो झूटे है, अल्लाह तुझको बख्शे तूने उनको रुख्सत क्यों दी जब तक वो तुझ पर खुल न जाते जो उनमें सच बोलते है और तू जान लेता झूट बोलने वालों को,

चौथा वाक़िआ - मुनाफ़िक़ीन की निस्बत आप स.अ.व. को इत्तेला दे दी गई थी कि उनके हक़ में आपकी दुआ-ए-मग़फिरत कुबूल न होगी (तौबा 80)

तर्जुमा - तू उनकी मग़फिरत की दुआ मांगे या न मांगे अगर सत्तर दफ़ा भी उनकी मग़फिरत की दुआ मागे तो हरगिज़ अल्लाह उनको न बख्शेग! इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इंकार किया, इस हुक्म के आने के बाद अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के इंतकाल पर उसके बेटे की दरख्वास्त आप स.अ.व. फर्ते करम से रद न फ़रमा सके क्योंकि सूर: तौबा 80 में मग़फिरत मांगने की मुमानिअत थी, आप स.अ.व. ने इससे तगाफु ल फ़रमाया कि एक मुसलमान फरजन्द की दिलजोई बीसियों मुनाफ़िक़ीन को अपने को छिपाने में कामयाबी का बाइस होगी, जो फित्नों का सबब बनेंगे, इसलिए हुक्म हुआ।

(कुरान) सूर: तौबा 84 वला तुसल्ली अला अहदिम --------------- -- वमता बहुम फ़ासिकून

तर्जुमा - न कभी उनमे से किसी के जनाज़े की नमाज़ पढ़ न उसकी कब्र पर खड़ा हो बेशक उन्होंने खुदा और उसके रसूल का इंकार किया, और इसी गुनाहगारी की हालत में मरे

पांचवा वाकिआ - इस तफ़्सील ये है आंहज़रत स.अ.व. ने अपनी बाज बीवियों की खुशनूदी और रजामंदी के लिए किसी मुबाह चीज़ को जो आपको बहुत मरगूब थी अपने ऊपर हराम कर लिया था, शौहर की हैसियत से और बीवियों की खातिरदारी के लिए ऐसा करना क़ाबिले इल्ज़ाम भी न था, मगर इस मसले की एक दूसरी हैसियत भी थी कि आप पैग़ंबर थे और इस हैसियत से एक हलाल चीज को अपने ूपर हराम कर लिया और इस अहद का पास रखने के लिए आपकी इक़्तदा में उम्मत भी इसे हराम नहीं तो नापसंद ज़ररूर करती जबकि कुरआन में अल्लाह तआला ने इस चीज़ की तारीफ़ की है। इस तरह से शरीअते - इलाही में तहरीफ़ व तब्दील का मुरादिफ़ हो जाता इस पर तबीह हुई।

(**कुरान**) सूरः तहरीम - या अय्युहन - नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक ---------------------------- वल्लाहु गफूरुरहीम -

तर्जुमा - ऐ नबी जिसको अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया है उसको हराम क्यों करता है? अपनी बीवियों की मर्ज़ी चाहता है, और अल्लाह गुफूरुरहीम है।

वार्निंग

अल्लाह तआला ने शिर्क करने वालों पर पकड़ से बचने के दरवाजे - 'रोज़े - अलस्त' में पहले ही बंद कर दिए है, (सूरः आराफ़ - 171-173)

तर्जुमा - ऐ नबी ! लोगों को याद दिलाओ वो वक़्त जब कि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नही हूं? उन्होंने कहा था ज़ररूर आप हमारे रब हैं हम इस पर गवाही देते हैं ये हमने इसलिए कहा था कि कहीं क़ियामत के रोज़ ये न कहो कि हम तो सि बात से बेखबर थे, या ये कहने लगो कि शिर्क की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल से पैदा हुए फिर आप हमें इस कुसूर में क्यों पकड़ते हैं, जो गलतकार लोगों ने किया था।

रोज़े अलस्त' में जब अल्लाह तआला को अपना रब मानने की गवाही दी थी तो दुनिया में आने के बाद औलिया आबिया, उलमा वगैरह को खुदा या खुदाई सिफ़ात में शरीक मानना लाज़मी तौर से पकड़ का बाइस होगा और कोई बहाने बाज़ी नहीं चलेगी।

मौलवी मो. सईद एजाज़ कामठवी कहते हैं

' ज़बान से करते हो दावा उल्फते अहमद

कहो अमल में दाखिल है सीरते अहमद'

नबी के उस्वाए हसना को याद रखा है,

गरीबों बेबसों बेकस को शाद रखा है।

'कभी दिलों में भी उकबा का खौफ आया है

खुदा की राह में तुमने क़दम उठाया है'

'अज़ाबे-कब्र की तकलीफ़ का ख्याल भी है।

जहां के सख्त नकीरे न का सवाल भी है'

'हर एक बात का देते है तुम नफ़ी में जवाब

हज़ार हैफ़ बना डाले ज़िदंगी को अज़ाब'

' वहा था पेसे नज़र दीन, और यहां दुनिया

बिबी तफ़ावुते रह अज़ कुजा अस्त ता ब कुजा'

अगर यह बात नहीं है तो मुझको समझाओ

कि क्या दिखाओगे मुंह रोजे हश्र मौला को

'अंबिया, औलिया, बुजुर्गानेदीन, उलमा वग़ैरह जिन-जिन को लोग अल्लाह के सिवा पुकारते है, उनकी हकीकत अल्लाह तआला- सूरः हज 73-74 में निहायत मोस्सिर अंदाज़ में बयान फ़रमा रहा है।

या अय्युहन्नासु जुरिबा मसलुन फस, तमिउलहू इन्नल्लज़ीना तद्ऊना मिन दूनिल्लाहि लय यख़लुक़ू जुबाबवं वलविज़ तमऊं लहू व इयं यसलुबहुमुज़्जुबाबु शैअन ला यसतन किज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त्तालिबु वल मतलूब - मा कदरुल्लाह हक़्क कदरिह - इन्नल्लाहा लकविय्युन अज़ीज़

तर्जुमा - ऐ लोगो ! एक मिसाल दी जाती है गौर से सुनो जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो सबमिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो उसे छुड़ा भी नहीं सकते मदद चाहने वाले भी क्रमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमज़ोर उन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही न पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। बेशक कुव्वत और इज़्ज़त वाला तो अल्लाह ही है।

अहमद रज़ा खां. ने मौलाना इस्माइल शहीद को इसी इल्ज़ाम पर कि वो क़बाइह को खुदा की कुदरत से बाहर नहीं समझते एक-एक बुराई और फहशकारी को चटखारे लेकर बयान किया है। कि खुदा ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है। उनके सोच की गदंगी मुलाहज़ा हो,

ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊंघना, गाफिल होना ज़ालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, औरतों से जिना करना, लवातत जैसी ख़बीस बेहयाई का मुरतकिब होना हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफ़ऊल बनना, कोई खबासत कोई, फज़ीहत, व रुस्वाई, उसकी शान के खिलाफ़ नहीं वो खाने

का, मुंह भरने का, पेट का मर्द और ज़नानी अलामतें (आल ए तनासुल और औरत की शर्मगाह) बिलफेल रखता है। सुब्बूह व कुद्दूस नहीं बल्कि खुनन्सी शक्ल है "यही नहीं बल्कि अपने को जला भी सकता है, गला घोंटकर बंदूक मारकर खुदकुशी भी कर सकता है।" (फ़तावा रिजविया पेज 79)
जो लोग खुदा को कबाएह पर क़ादिर मानते है क्या कभी उन्होंने ये ज़बान खुदा के बारे में इस्तेमाल की है? बल्कि काफ़िर, दहरिए लोगों ने नशे की हालात में भी ऐसी बातें नहीं होगीं, माना कि आपके ज़हन में फहश भरा हुआ है मगर उसका इज़हार करने का ये कौन सा तरीक़ा है।

लहव लइब, गाने बजाने, राग रागिनी की इस्लाम में मुमानिअत

1. सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह स.अ.व. ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराब और गाने - बजाने को हलाल समझेंगे।
2. मुसनद इमाम अहमद में है हुजूर स.अ.व. ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि साज़ और बाज़ों को मिटा दूं।
3. सुनन अबू दाऊद में हज़रत नाफेअ (रजि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने साज़ सुना तो अपने कान में उगालियां दे लीं और फ़रमाया कि हुजूर के साथ ऐसे ही मौके पर था हुजूर ने मज़ामीर की आवाज़ सुनी तो आप ने अपनी अंगुश्ते मुबारक अपने कानों में दे लीं
(दाऊद मुसनद अहमद, इब्नेमाजा)
4. जामेअ तिरमजी में है कि हुजूर ने इरशाद फ़रमाया 'मेरी उम्मत में खस्फ (ज़मीन में धसना)' और मस्ख (आदमी से जानवर बनाने) वाके होगा जब अलल ऐलान हो जाएगा गाने वालियां, और मआज़िफ़ (बाजा व सितार)
5. रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि एक कौम इस उम्मत की अखीर ज़माने बंदर और खिंज़ीर बन जाएगी।

सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यावो लाइलाहा इल्लल्लाह के कायलन न होंगे, आपने फ़रमाया क्यों न होंगे बल्कि वो सोम व सलात व हज सब करते होंगे किसी ने अर्ज किया फिर इसकी क्या वजह होगी आपने फ़रमाया उन्होंने

मआज़िफ़ (बाजा व सितार) और गाने वालियों का मशगला किया होगा।
बैहक़ी ने शो बा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह स.अ.व. ने फ़रमाया खुदा लानत करे, गाने वालियों पर, और उस पर जिसकी खातिरगाया जाए।

बहर गफलत पर तेरी हस्ती नहीं रह गुज़र दुनिया है ये बस्ती नहीं
जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं देख! जन्नत इस क़दर सस्ती नहीं

(माखूज़ अज़ इश्तेहार)

कुरान में अकसर कौमों के बारे में आया है कि उन्होंने वक़्त के पैग़ंबर की बात यह कहकर ना मानी कि हम तो वही करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया या यह कहा कि यह आदमी हमको हमारे बाप दादा के मज़हब से हटाना चाहता है। सूर: बक़रा 170

तर्जुमा - जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसकी पैरवी करो तो कहते है कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया! अच्छा अगर इनके बाप दादा ने अक़ल से काम ना लिया हो और हिदायत पर नाहों तब भी? सूर: लुकमान 21 जब इन से कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल की है तो कहते है कि हम उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया क्या उन्हीं की पैरवी करेंगे ख्वाह शैतान उनको भड़कती हुई आग की तरफ क्यों ना बुलाता हो?

हमारा ज़ाती तजरुबा है कि हमने कम अज़कम दो वरेलवी मज़हब के मान्ने वाले बुजुर्ग साहबान से जब अम्बिया औलिया और मज़ारात के तसररुफ वाले अकीदे को गलत साबित करके सही अकीदे की तल्क़ीन की तो उन्होंने दबी ज़बान से कहा कि भैया यह तो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। मैं कहता हूं क्या एक मज़हब की सदाक़त के लिए यह दलील काफी है कि बाप दादा के वक़्तों से चला आ रहा है। क्या नस्ल पर नस्ल इसी तरह आंख बंद करके अमल करती चली जायेगी। यह मामला तो के मज़हब में देखने को मिलता है। मुसलमान के पास तो कुरान मजीद है जो अक़ल इस्तेमाल करने पर जोर देता है कि जिसकी बन्दगी हम कर रहे हैं उनके अंदर वाकई कोई खुदाई सिफत पाई जाती भी है या नहीं। वह हमारी किसमत बनाने बिगाड़ने का कुछ अखतियार रखते भी है या नहीं?

हर्फे आखिर

हिन्दो पाक के उहले सुन्नत वल जमात (सुन्नी) मुसलिग लोग अक़ाएद के एतेबार से दो फिरकों में बट गया है वरेल्वी और देवबन्दी वरेल्वी अक़ाएद हिन्दोस्तान के शहर बांस बरेली के जनाब अहमद रज़ा खां साहब और उनके शागिर्दो, पैरोकारो और मोउतमदों ने जारी किए हैं और देवबन्दी अकायद वह हैं जो मक्का व मदीना से नबी ने जारी किए और पूरी दुनिया ए इस्लाम मे रायज है। जो कुरान व हदिस से साबित है और दारूल उलूम देवबंद हिन्दोसस्तान में इन्हीं हनफी फिकहे कीतालीम व तदरीस का अहम मर्कज है जहां पूरी दुनियाभर से तुल्बा तालीम हासिल करने आते हैं। अहमद रज़ा खान साहवा ने देवबंद मदरसे से मुतालिक उलमा व फारिग तुल्बा और नदवातुल उल्मा की बाबत भी नाज़ेबा अल्फाज़ व फतवे और बयान बाजी की है और उनके अकाएद की वजह से उन्हें, वहाबी, काफिर, मुरतद कहा है और उनकी किताबों पर जो कुरानी आयात से भरी पड़ी है। पेशाब करने की बात कही है जिनका जिक्र बहुत तफसील से इस किताब में किया गया है। उन्होंने अम्बीया, औलिया, बुजग़ान दीन, पीर वगैरह को अल्लाह के अखतियार तफवीज़ कर दिए है। जिन का ज़िक्र उन्हीं की किताबों के हवालों से इस किताब में किया गया है। मुखतसरन यह कि अल्लाह से होने और गैरे अल्लाह से ना होने के अकीदे को। गैर अल्लाह यानी अम्बीया औलया बुजर्गानेदीन पीर, और मज़ारात से होने के अकीदे के साथ गुढ़मुढ़ करके जोहला, और दीन के मामले में अक़्ल इस्तेमाल न करने वालो को दुनियावी फायदों और आखिरत में औलीया, अंबीया पीर की मदद का भरोसा दिलाकर गुमराह कर दिया है और यही बरेल्वीयो और गैर बरेल्वीयों में बिनाय मुखासिमत (झगड़े की जड़) बना हुआ है।

मुसलमानों और मोमिनो को कौन सा अकीदा सही है और कौन सा सही नहीं है इसका फैसला, अपनी्कल अपने आलिमों की अक़्ल या इल्म की ज्यादती या मान्ने वालों की तादाद पर नहीं करना चाहिए बल्कि इसे अल्लाह और उस के रसूल (कुरान व हदी) की तरफ लौटाना चाहिए और हक़ सामने आजाए तो ग़लत अकीदे से फौरन तौबा करके सही अकीदे पर अमल पैरा हो जाय

और यही अल्लाह और आरवरत पर ईमान की निशानी है।

(कुरान) <u>सूर: निसा</u> 59 'फइन तनाज़अतुम फा शैयइन फरद्दूह इल्लाह व रसूलो इनकन्तुम तूमिनूना बिललाहे वल यौमिल आखिर।'

तर्जुमा- अगर तुम किसी बात पर लड़ बैठो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ जो अगर तुम अल्लाह आखिरात पर इमान रखते हो।

(कुरान) <u>सूर:</u> 10, वमा खलफतुम फ़ी मिन शैइन फहुकमुहू इलल्लाह

तर्जुमा - जिस मसले पर तुम इख़तिलाफ़ कर बैठो उसका हुक्म अल्लाह के जिम्मे। और भी सख़्त लफज़ों में कहा गया है।

(कुरान)अला लहुकमोहू वहुवा असराउल हासिबीन।

तर्जुमा- जान लो के हुक्म करना अल्लाह ही का काम है। और वह बहुत तेजी से हिसाब लेने वाला है।

लिहाज़ा अगर दीन और अकीदों के मामले में कुरान और हदीस का हुक्म देखे तो सही अक़ीदे खुल कर सामने आ जाएगा और दीन पर चलना आसान हो जाएगा वर्ना

(कुरान) <u>सूर: इबराहीम</u> 22 मे जिक्र शुदा मामला न हो जाए!

वक़ालश शैतानो लम्मा कुज़यल अमरो------------------------
---------- इन्नज़ ज़ालमी नालहुम अजाबुन अलीम''

तर्जुमा - जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि हक़ीक़त यह है कि अल्लाह ने जो तुमसे वादे किए थे। वह सब सच्चे थे और मैंने जितने वोदे किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं मैंने इसके सिवा कुछनहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा अब मुझको मलामत न करो अपने आप ही को मलामत करो। यहां न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक कर रखा था मैं उससे बरीउज़जिम्मा हूं, ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक अजाब यकीनी है।

अल्लाह हम सब को हिदायत दे! और एक तौहीद रसालत और आखिरत के अकिदे पर इत्तेफाक पूरी उम्मते मूसलिमा का हो जाएं।

आमीन- आमीन

(कुरान) सूरः जिन 21

कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़रौ वं ला रशदा

तर्जुमा – ऐ नबी आप कह दें मैं तुम लोगों के लिए न किसी नुक़्सान का इख्तियार रखता हूं न भलाई का

(कुरान) सूरः जिन 22

कुल इन्नी लय युजीर नी मिनल्लाहि अहदुन न लन अहदूं वलन अहदा मिन दुनिही मुल्तहदा

तर्जुमा – ऐ नबी, कह दो अल्लाह की गिरफ़्त से मुझे कोई बचा सकता और न मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह पा सकता हूं कुरआन ने नबी की हाजत रवाई, तसर्रुफ़ व इख्तियार की साफ़ साफ़ नफ़ी कर दी, बल्कि शिर्क के मामले में मुतनब्बा करते हुए ये सभी साफ़ कर दिया कि कियामत के रोज़ किसके साथ क्या मामला होगा, इसका पता भी किसी को नहीं ।

(कुरान) सूरः शोअरा 217

'फ़ला तद्ऊ मअल्लाहि इलाहन आखर, फ़तकूना मिनल मुअज्जिबीन'

तर्जुमा – पस ऐ मोहम्मद ! अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सज़ा पाने वाले हो जाओगे।

(कुरान) सूरह अहक़ाफ़ 90

'कुल मा कुन्त बिद्अम मिनर्रुसुलि वमाअद्री मा युफ़्अलु बी वला बिकुम'

तर्जुमा – ऐ नबी, कह दो मैं कोई नया रसूल नहीं हूं मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कियामत के रोज़ क्या मामला होगा? न ये जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या मामला होगा?

(कुरान) सूरः अनआम

'कुल इन्न सलाती व नुसुकी व मह्याया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन' ला शरीका लहू ब बिज़ालिका अमिरक व अना अव्वलुल मुसलिमीन'

तर्जुमा – कह ! मेरी नमाज, मेरी कुरबानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह ही के लिए है जो पालने वाला है सारे जहानों का उसका कोई शरीक नहीं और यही मुझको हुक्म है और मैं सबसे पहले फ़रमाबरदार हूं।

रोज़े अलस्त में जब अल्लाह को अपना रब मानने की गवाही दी है तो दुनियाँ में आने के बाद इसका सबूत भी देना होगा और उसकी जात में और उसकी सिफ़ात में और अख़्तियारात और कुदरत में किसी को शरीक करने से बचना होगा और आजमाइशों में खरा उतरना होगा वरना सिर्फ ईमान के बोल उसे कोई फायदा न पहुंचायेंगे।

कुरान–अनकबूत –2

अह सबंनासे अय्यंतरकूयंयकूंलूं आमनना वहूं लायफ्तनून

तर्जुमा- क्या लोग ये समझते हैं कि वो इतना कहकर छूट जायेंगे कि हम ईमान लाये और उनको आजमाया न जायेगा।

कुरान–अलमोमीनून–2

अफा हसीब तुम इन नमा ख़लकनाकुम अबासौ व इननकूं इलै न लातुरजेउन

तर्जुमा: क्या तुमने यह समझ्र [illegible] है कि हमने तुम्हें फिजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ पल[illegible] [illegible]हीं है।

अयहसबूल इन्साना अईनयुतरका सुदा

तर्जुमा:: क्या इन्सान ने समझा है कि वो यूँ ही मुहमिल छोड़ दिया जायेगा।

कुरान–आले इमरान

लतबलू अन्ना फी अम्वालेकुं व अनफसाकुं

तर्जुमा: यकीन तुम अपने मालों और जानों में आजमाये जाओगे।